गांवसाथी
विस्तार में प्रयोग

इलाहाबाद कृपि महाविद्यालय की
विस्तार योजना द्वारा संग्रहित
तथा
फोर्ड संस्थापन की सहायता से
प्रकाशित

ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
बम्बई कलकत्ता मद्रास
१९५७

आभार प्रकाशन

प्रस्तुत पोथी की सामग्री सर्वश्री जे० वी० चिताम्बर, डाक्टर टी० ए० कोशी, डाक्टर ए० टी० मोशर, इवेलिन उड और जान वाथगेट (संपादक) ने तैयार की है, जिनका जमुनापार पुनर्निर्माण योजना, इलाहावाद से निकट सम्वन्ध है। आप लोगों ने अपने उन तमाम साथियों और सहयोगियों के प्रति आभार प्रदर्शित किया है जिनके विस्तार के अनुभवों और प्रयत्नों पर ही यह सम्भव हो सका है। पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है जिसका हिन्दी-रूपान्तर श्री मेवा लाल जायसवाल ने किया है। इसके लिए चित्र की सामग्री श्री पी० सी० पटेल ने तैयार की है, केवल १७६ पृष्ठ के सामने के उपरके दो चित्र श्री एफ० एच० शुमन द्वारा लिए गए हैं।

सम्पादक

विपय सूची

द्वितीय भाग
विस्तार के मूल तत्व

निष्कर्ष

पुस्तकस्थ चित्र

निर्देश यह है कि पाद टिप्पणियों सहित पुस्तकस्थ चित्रों का साथ साथ अवलोकन किया जाय क्योंकि चित्रों द्वारा प्रस्तुत पुस्तक का संदेश संक्षिप्त रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया है। वे पृष्ठ xvi-१, १६-७, ६४-५, ११२-३, १२८-९, १६०-१, और १७६-७ पर हैं।

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक इलाहाबाद कृषि महाविद्यालय की, फोर्ड संस्थापन से आर्थिक सहायता प्राप्त विस्तार योजना के सदस्यों द्वारा तैयार की गयी है। इस योजना के तीन प्रमुख अंग हैं:—

(१) एक पुनर्निर्माण योजना लगभग चार सौ गांवों के लिये।
(२) विस्तार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, और
(३) विस्तार सामग्री के उत्पादन के लिये वस्तु-निर्माण विभाग।

इलाहाबाद कृषि महाविद्यालय में दूसरे प्रशिक्षण वर्ग भी हैं जिनमें एक सामुदायिक योजना प्रशासन के अन्तर्गत समाज शिक्षा-संगठनकर्ताओं का प्रशिक्षण भी है, जिनमें प्रशिक्षण के लिये बहुत से राज्य अपने कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद ही भेजते रहे हैं।

इस तरह इलाहाबाद में हम विस्तार कार्य के लिये लोगों को प्रशिक्षण देने की अवस्था में हैं। इन प्रशिक्षित लोगों में से कुछ को तो गांवसाथी या स्तर के कर्मचारी और कुछ को प्रशासक बनना है। पाठक पहले यही समझेंगे कि इन दोनों कामों के लिये दो तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है। इससे पाठक यह भी सोच सकते हैं कि इस पुस्तक के एक खण्ड में पहले विषय और दूसरे खण्ड में दूसरे विषय पर चर्चा की गयी होगी। हम अपने से कह सकते हैं, और हमारी यह धारणा भी है कि सभी तरह के विस्तार कार्यकर्ताओं को सभी विषयों में प्रशिक्षित कर देना जरूरी है। गांव के स्तर पर काम करनेवालों के लिये प्रशासकीय सिद्धांतों और विधियों की जानकारी जरूरी है। प्रशासक के लिये गांव में काम करनेवालों की दैनिक समस्याओं और विधियों की भी जानकारी जरूरी है। हमारे यहाँ पहले जिन लोगों ने गांव के पद से काम शुरू किया वे अब यहीं पर या और कहीं प्रशासकीय पद पर पहुंच चुके हैं। इससे हमारी धारणा की पुष्टि हो जाती है।

इस प्रशिक्षण में हमें एक पाठ्य-पुस्तक की जरूरत है, परन्तु अभी तक भारत में विस्तार कार्य के अनुभवों के आधार पर लिखी गयी पुस्तक नहीं है। यहाँ पर प्रशिक्षण के लिये आये हुये लोगों में से बहुतों ने और दूसरी योजनाओं के अधिकारियों ने बराबर हम लोगों से भारत में विस्तार पर एक पाठ्य-पुस्तक लिखने का अनुरोध किया। इसीलिये हम लोगों ने यह पुस्तक तैयार की है। यह पूर्ण नहीं है। केवल इसका श्रीगणेश है।

जो लोग पाठ्य-पुस्तक के रूप में इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं उन्हें पुस्तक के अन्त में कक्षा में उत्तर प्रत्युत्तर के लिये सामग्री मिलेगी।

विस्तार पर एक ढंग की पुस्तक लिखने के लिये लिखनेवाले को चाहिये कि वह भारत में जितनी भी विस्तार योजनायें चल रहीं हैं उन्हें स्वयं ही जाकर देखें और अनुभव प्राप्त करे। जो भी हो हम तो अपनी ही योजना में व्यस्त है और इस कार्य के लिये हमारे पास अधिक समय नहीं है। दूसरा तरीका यह दीख पड़ता है कि पहले एक छोटी और सरल पाठ्य-पोथी प्रकाशित की जाय, यह जानते हुए कि यह पोथी अपूर्ण है और इसमें बहुत सी ऐसी भी बातें दी हुई हैं जिन्हें दूसरे लोग ललकारेंगे। निश्चय ही हम अपनी योजना में नए विचारों और तरीकों पर प्रयोग कर रहे हैं और इसी में हुई भूलों से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण इस पोथी में दी गई कुछ बातें अस्थायी और सुझाव के रूप में हैं वे किसी तरह से निर्णयात्मक नहीं है। हम आशा करते हैं कि पुस्तक में दी गयी जिन बातों से जो भी पाठक असहमत होंगे हमें उसके विषय में वे अवश्य लिखेंगे और अपनी असहमति के कारण भी देंगे। हम यह भी उम्मीद करते है कि जो कोई भी इस पुस्तक की जिन बातों से सहमत हों और उसे स्पष्ट करने लायक कोई और अच्छा उदाहरण जानते हों तो वे हमें जरूर लिखेंगे और हमें उसकी बावत जरूर बतायेंगे। इसी तरह से पाठ्य-पोथियों का विकास होता है। यदि यही पोथी लोगों में वादविवाद और आलोचना का विषय बन जाती है तो हम लोग या कोई दूसरे ही एक बहुत अच्छी पोथी लिखेंगे अथवा एक या दो साल बाद इसी पोथी का दूसरा संस्करण प्रकाशित होगा।

समस्त सामुदायिक योजना प्रशासन के प्रशासक श्री एस० के० दे ने इस पुस्तक की मुद्रण फलक प्रति (प्रूफ़ कॉपी) कृपापूर्वक पढ़ कर हमारे द्वारा प्रयुक्त 'विस्तार'—जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं—और सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त विस्तार में एक प्रमुख अन्तर बताया है। सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा संस्थाओं में ग्राम सेवक हमारे गांवसाथी को सौंपे गये कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है। दोनों ही विस्तार के शैक्षिक पक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ग्राम सेवक बीज तथा रासायनिक खाद जैसी सामग्रियों की पूर्ति के लिये भी उत्तरदायी होता है और वे सेवाएं भी प्रदान करता है जिनमें उसे प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जैसे चेचक के टीके लगाना और पशुओं को रोग के टीके लगाना।

हमें हर्ष है कि यह प्रयोग, जो विस्तार के क्षेत्र की वृद्धि करता है भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हमको विश्वास है कि भारतवर्ष में ऐसे विभिन्न तरीकों से किये गये प्रयोगों द्वारा अन्त में विस्तार का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना विकसित हो जायगा। हमने इस पुस्तक को जमुनापार पुनर्निर्माण, इलाहाबाद अग्रगामी विस्तार योजना के विस्तार वर्णन, जिसका हम प्रयोग करते हैं, तक ही सीमित रक्खा हैं, इसलिये नहीं कि हम इस योजना को सर्वथा पूर्ण ही समझते है या यह कि इससे अच्छी और कोई योजना हो ही नहीं सकती, वरन् इसलिये कि प्रस्तुत योजना वह योजना है जिससे हम पूर्णतया परिचित हैं। अपने निजी अनुभवों को लिखना ही हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हमारा विचार है कि हमारी योजना में प्रयुक्त पूर्ति और सेवा के स्थानीय साधनों एवं बढ़ी हुई सरकारी तथा ग़ैर सरकारी दोनों सुविधाओं के प्रयोग के एक-कालिक विकास के साथ साथ विशुद्ध शैक्षिक क्रियाओं का यह विवरण इस देश की आवश्यकताओं के पूर्णतया अनुकूल विस्तार के एक नमूने का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भागदान होगा।

दोस्ती – गांवसाथी ग्रामीणों का शिक्षक और दोस्त है, उनपर विश्वास रखता है। उसे पूरा यकीन है कि वे अपनी भलाई की जिम्मेदारी अपने आप उठाने को तैयार है।

परिवार – (ऊपर) ग्रामीण भारत का जीवन उसके परिवार से झलकता है जिसमें गांवसाथी सम्पर्क रखता है। (नीचे) विवाहित गांवसाथी यदि एक आदर्श मकान बना कर रहता हो तो ग्रामीण परिवार उससे काफी सीख सकते हैं।

प्रथम भाग

विस्तार

पहला अध्याय

हमारी चर्चा का विषय

भारत में इन दिनों 'विस्तार' (एक्सटेन्शन) शब्द की सभी जगह चर्चा हो रही है परन्तु बहुत थोड़े लोग ही इसके सही माने में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस अध्याय में हम इस नए शब्द पर ही प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अपनी इस कोशिश में हम भारतीय परिस्थितियों पर अधिक ध्यान देंगे जिनके विकास में इसका महत्वपूर्ण हाथ होगा।

'विस्तार' शब्द का वर्तमान अर्थ भारत में दूसरे देशों से आया है। उत्तरी अमेरिका में कृषिशास्त्र और गृहविज्ञान के बहुत से महाविद्यालय थे जिनके अनुसन्धान, प्रशिक्षण और अनुसन्धान का लाभ केवल वहाँ जाकर शिक्षा लेने वालों को ही आसानी से मिल सकता था। इन्हीं महाविद्यालयों के पास-पड़ोसवाले बहुत से किसानों ने भी महसूस किया कि इन्हें भी कृषि-शास्त्र के बारे में जानकारी हो जाय जिससे वे इन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा के कुछ आसान और उपयोगी पहलुओं से फायदा उठा सकें। इस प्रकार कृषिशास्त्र और गृहविज्ञान महाविद्यालयों में परम्परा से चली आने वाली शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार किसानों के खेतों और घरों तक फैल गया। यही बाद में "विस्तार-सेवा" कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसने द्विपथीय शिक्षा का रूप ले लिया। क्योंकि किसानों के व्यावहारिक अनुभव और उनकी समस्याओं ने ही कृषि सम्बन्धी अनुसन्धानों में बहुत अधिक योग दिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'विस्तार' उपयोगी जानकारी को फैलाने और उसको विकसित करने का एक आसान रास्ता है। उसकी दोनों विधियां और बातें उससे सम्बन्धित लोगों की आवश्यकता पर और उस क्षेत्र के महाविद्यालयों पर आश्रित है जहाँ इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होने वाली हो। स्कैण्डेनिविया के लोगों ने अपने यहाँ की खेती के तरीकों में सुधार करने में, विशेषतया पशुधन में और समुद्रतटवर्ती महुवागिरी को विकसित करने में 'विस्तार' के सिद्धान्तों से बहुत अधिक लाभ उठाया है। उन्नीसवी सदी के शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषिशास्त्र, कृषि-यन्त्रशास्त्र और गृहविज्ञान की शिक्षा के बनाने के लिए सरकारी भूमि

सुरक्षित कर दी जहाँ पर विस्तार विकसित हुआ। लेटिन अमेरिकी देशों में केवल कृषि पर ही ज़ोर दिया गया।

भारत में 'विस्तार' दूसरे देशों से बिल्कुल ही भिन्न है। इसका विकास देश की आवश्यकताओं की पूर्ति और परिस्थितियों के अनुकूल ही हो रहा है। यह स्पष्ट है कि 'ज्ञान का प्रसार' ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। परन्तु उसके प्रसार के लिए भारतीय ग्रामीणों, उनके घरों और उनके गांवों की ध्यान और विस्तारपूर्वक पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय देहाती क्षेत्र में विस्तार का सही रूप क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले देश पर और इसकी बदलती हुई आवश्यकताओं पर नज़र डालनी चाहिए। ऐसी दशा में ही हम 'विस्तार' की परिभाषा दे सकेंगे।

१. भारतीय ग्रामों का दिग्दर्शन

हम देखते हैं कि भारतीय ग्रामों की पूरी जानकारी लोगों को बहुत कम है। यह देश काफी लम्बा-चौड़ा है और इसकी आब-हवा, निवासियों और रीति-रिवाजों में इतना अन्तर है कि हम लोग अपने समय में ही सम्भवतया इसकी पूरी जानकारी नहीं कर सकते हैं।

यह जानते हुए भी कि भारतीय ग्राम्य जीवन के सम्बन्ध में कोई भी सही सामान्य नियम निर्धारित करने के पहले सावधानी से बहुत अधिक अध्ययन की ज़रूरत है। फिर भी हम यहाँ पर गंगा की घाटी के खास गांवों और उनके निवासियों और उनके बारे में अपनी जानकारी के सम्बन्ध में विचार प्रकट करेंगे। लगभग पिछले चालीस वर्षों से इलाहाबाद कृषि महाविद्यालय पास-पड़ोस के किसानों में छोटा-मोटा 'विस्तार' कार्य कर रहा है, इन्हीं अनुभवों के आधार पर ही अभी हाल में उसके काम के क्षेत्र को लगभग चार सौ गांवों में प्रयोग के लिए फैला दिया गया जिसे हम जमुनापार पुनर्निर्माण योजना कहते हैं। इसके अनुभवों के आधार पर ही हम यह पुस्तक लिख रहे हैं।

भारतीय ग्रामीण पिछड़े हुए नहीं हैं

इससे सभी सहमत हैं कि कुछ सदियों से भारतीय गांवों का रहन-सहन दिन प्रतिदिन गिरता ही गया। यह पतन लगातार नहीं रहा है, खुशहाली और सम्पन्नता का भी समय आता रहा है परन्तु किसी भी तरह विचार कर देखा जाय तो पता चलता है कि ग्रामीण अपने पहलेवाले स्तर से नीचे गिर चुके हैं। जब कि शहर के लोग ऊँचे स्तर पर उठ गए हैं।

एक अर्थशास्त्री यह कहेगा कि ग्रामीणों के जीवन-स्तर का रुख नीचे गिरने की ओर है परन्तु यह दृष्टिकोण तो ग्राम्य जीवन के केवल आर्थिक पहलू को ही छूता है। शरीर-शास्त्र-वेत्ताओं ने कुछ आदिवासियों की 'मानसिक' स्थिति का अध्ययन किया है। जिसके बाद उन्होंने इसे 'निरुत्साही' (लास आफ नर्व) कहा है। यह शब्द दूसरे बहुत से वर्ग-वाले गांवों के लिए भी लागू हो सकता है। कोई भी सहानुभूतिवाला व्यक्ति, जो थोड़े ही दिनों के लिए भी किसी भारतीय गांव में रह चुका हो, यही अनुभव करेगा कि ग्रामीणों में असहायता, भीरुता बढ़ती गई है जिसका कारण केवल गरीबी ही नहीं है।

इधर आमतौर पर लोगों का फैशन हो गया है कि भारतीय ग्रामीणों की 'पिछड़ी दशा' और ग्राम्यजीवन को सुधारने के लिए शीघ्र से शीघ्र कुछ न कुछ करने की जरूरत सोच कर ही वे चिन्तित हो उठते हैं। भारतीय गांवों पर सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि वहाँ पर अपूर्ण और अस्वास्थ्यकर भोजन, गन्दगी और खराब तन्दुरुस्ती तथा निरक्षरता की भरमार है। भारतीय किसान को अभागा, असफल परिस्थितियों से घिरा हुआ कहा जाता है। हमें इन्हें ऊँचा उठाना है और इन्हें ऊँचे उठाने का भार विशेपतया अधिक प्रगतिशील लोगों पर है। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है जिन पर काबू पाना उसकी शक्ति से परे दीखता है।

इलाहाबाद में पिछले तीन वर्षों के 'विस्तार' कार्य के अनुभवों से हम कई ऐसे नतीजों पर पहुँचे हैं जिनकी हमें आशा भी न थी। इनमें खास यह है कि हम लोगों ने भारतीय किसानों के पिछड़ेपन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिया है। अधिक सम्भव है कि 'विस्तार' से हम एक महान् रचनात्मक शक्ति का पता लगा सकें और ग्रामीण भारत की आन्तरिक शक्ति के सम्बन्ध में महात्मा गांधी की दूरदर्शिता को और अधिक पुष्ट करने में सफल हो सकें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'विस्तार' का मूल कार्य इस भ्रम को दूर कर देना है कि ग्रामीण परिस्थितियों के सामने हाथ डालकर बैठ जाता है। भ्रम को दूर करने के लिए हमें यह प्रदर्शित करना होगा कि परिस्थितियों पर काबू पा लेना ग्रामीण के ही हाथ में है और जब तक ग्रामीण स्वयं ही परिस्थितियों पर काबू नहीं पा लेता है तब तक उसकी दशा सुधारने के लिए दूसरों के उदार प्रयत्न भी सफल नहीं हो सकते हैं। 'विस्तार' इसी तथ्य को निर्धारित करने का ही साधन है।

गांववाले अपनी उन्नति करने के लिए अब भी इच्छुक हैं। लगभग पिछली ३ सदी में ग्रामीणों की बढ़ती गरीबी और अज्ञानता, जीवन और रोज़ी के नये ढंगों को अपनाने में उसकी अनिष्ठा और कट्टरता, तर्क की जगह अन्ध विश्वासों पर निर्भर रहने का रुख आदि पर चिन्ता प्रगट की जा रही है। ग्रामीण भाइयों के इस विवरण में तथ्य तो है परन्तु इस चित्र में उनके जीवन का एक ही पहलू अन्धकारमय दिखाया गया है **फिर भी प्रत्येक ग्रामीण स्वयं भी वही सोचता है। इसी पेचीदा विचार-धारा ने ही जीवन के प्रति ग्रामीणों के तमाम दृष्टिकोण पर गहरी प्रति-क्रिया डाली है। इन्हीं खराबियों और इसी दृष्टिकोण को दूर करना ही 'विस्तार' का सबसे कठिन काम है।**

ग्रामीणों को अक्सर अज्ञानी समझा जाता है। इस अज्ञानता के लिए तो यह कहना उचित ही है कि हम सभी ही किसी न किसी रूप में अज्ञानी हैं। हमारा यह अनुभव है कि उसकी अज्ञानता, शक्ति और कमजोरी दोनों की ही है। शक्ति का स्रोत इसलिए है कि वह अपनी अज्ञानता को मान लेता है और दूसरों को धोखा देने की कोशिश कभी नहीं करता है। यह साफ है कि जो निष्ठा ग्रामीणों में पाई जाती है वह तथाकथित 'सभ्य लोगों' की दुनियों में लेशमात्र भी नहीं मिल सकती है, बल्कि वहाँ पर तो मिथ्या और कपटपूर्ण व्यवहार का बोलबाला है। 'अज्ञानता' उसकी कमजोरी इसलिए है कि उसने इसे दूर करने से मुख मोड़ लिया है। निश्चय ही ज्यों ज्यों विस्तार कार्य में प्रगति होगी उसका मुंह मोड़ना स्वयं दूर हो जायगा। जब ग्रामीण नवीन ज्ञान और गहरी सूझ प्राप्त कर लेता है, तब केवल ज्ञान के दिखावे से ही सन्तुष्ट नहीं होता है। तब शक्ति सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार, विस्तार से गांवों में नये ज्ञान का प्रसार होता है। ग्रामीणों में स्वभावतः आलोचना-शक्ति होती है, विशेषतः उस अनजाँचे ज्ञान के लिये, जिसका स्रोत उनकी जाँच-पडताल से बाहर है। यह शक्ति या भाव उनकी सनातन बुद्धिमता का मूल्यवान अंश है। विस्तार द्वारा इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

समय का फेर

अनुमान किया जाता है कि भारतीय ग्रामीणों का पतन आंशिक रूप से अधिक दिनों तक भारत की गुलामी के कारण हुआ है। आज़ादी के बाद देश में अपनी सरकारें बनी। स्वतंत्र भारत के लिए केवल विधानमात्र

लिखने से ग्रामीण जीवन की बिगड़ती हुई दशा वास्तविक रूप में नहीं सुधारी जा सकी। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत में बनी हुई सरकारों में बहुत से आदमी ग्रामीण जीवन की बिगड़ी हुई दशा को खूब जानते थे। शुरू में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल समान चरित्रबलवाले भारतीयों के द्वारा कार्यसाधक हुई जिन्होंने अंग्रेज शासकों से शासन-सत्ता लेकर संभाली। शासन-सत्ता का भाग ग्रामीणों को दिए जाने का कार्य जैसा कि गांधी जी का विचार था, धीरे धीरे ही हो सकेगा। ग्रामीणों को राजनीतिक शिक्षा देना विस्तार के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है; यह काम राजनीतिक संस्थाओं का है। 'विस्तार' योजनाओं द्वारा हमें ग्रामीणों को स्थानीय-सत्ता को जिम्मेदारी के साथ चलाने में खूब निपुण बना देना है क्योंकि स्वायत्त शासन का आकार और अधिक फैला हुआ और विकेन्द्रित किया जा रहा है। (उदाहरण के लिए गांव पंचायतों को अब स्थानीय वित्तीय नियंत्रण का अधिकार मिल गया है)। देहात की शैक्षिक समस्याओं में एक यह भी है कि विस्तार की शिक्षा को आसान कैसे किया जाय क्योंकि भविष्य में ग्रामीणों पर ही स्थानीय सत्ता को बनाने की पूरी जिम्मेदारी होगी।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय आज़ादी की लड़ाई के अन्तिम युद्ध में गांववालों से ही अधिक सहायता मिली। सबसे पहले गांधी जी ने ही ग्रामीणों की विचारधारा में क्रान्ति अनुभव की। इसके बाद ही देहाती क्षेत्रों में होने वाले सत्याग्रह आन्दोलनों में एक भावमय शक्ति जागृत हुई जिसके साथ ही शहरों में भी राजनीतिक और राष्ट्रीय आन्दोलन होने लगे। इसका परिणाम हम जानते ही हैं। देश के तमाम लोगों ने अपनी अपनी खराबियां देखीं, उनमें चेतना आई परन्तु अब हम इसे एक महान जनशक्ति की स्वस्थ प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। इसके द्वारा लोगों को अपने देश की बीमारी का पता चला। परन्तु उस बीमारी के कारण का उन्हें बहुत धुंधला ही ज्ञान हो सका। द्वितीय महायुद्ध से पैदा हुए तनाव और राजनीतिक वातावरण के परे, ग्रामीण क्षेत्रों के सुधार का यही उचित समय था। गांवों के जीवन-स्तर के गिरने के साथ ही शहरवालों और गांववालों का सम्पर्क अधिक आसान हो गया और कम से कम अवधि में होने लगा। इस प्रकार यह अनिवार्य सा हो गया कि ग्रामीण भाई भी अपनी गरीबी और गिरती हुई दशा को स्पष्ट रूप से समझ लें।

आज़ादी की लड़ाई के अन्तिम दिनों में गांवों का महत्व बढ़ गया और इसी काल में गांधी जी की महानता पूर्णरूप से निखरी। उन्होंने एक ग्रामीण से भी अधिक सादे जीवन में रहकर ग्रामीणों में एक विशेष प्रकार की आत्मनिर्भरता पैदा कर दी। वे जिन ग्रामीणों से मिले उनसे उन्होंने आदमी का सा बर्ताव किया, न कि उन्हें समाज के निम्न वर्ग का सदस्य समझ कर। हर एक आदमी के प्रति यह नया रुख बहुत शीघ्र ही भारत के सभी गांवों में फैल गया। यद्यपि इस पर विश्वास नहीं होता कि एक ही आदमी भारत के ग्रामीण भाइयों के दिलों में निराशा की जगह आत्म-विश्वास की बाढ़ ला सका, परन्तु यह एक सत्य है।

आज़ादी के बाद राजनीतिक सत्ता गांधी जी के सहकार्यकर्ताओं को मिली और ग्रामीणों ने महसूस किया कि अब उनके साथ में वे लोग हैं जो ग्रामीणों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता से सामने रखने में उनकी हिचक दूर हो गई। कभी कभी उनकी दृढ़ आवश्यक मांगें पूरी किए जाने की शक्ति से भी प्रबल हो गई। तो भी यदि ग्राम-जीवन को उन्नत बनाना है तो उन्हें पूरा करना ही होगा। ग्रामीणों की कोशिशों को प्रभावशाली बनाने के लिए विस्तार सेवा की जरूरत है।

ग्रामीणों में परिवर्तन की इच्छा

इलाहाबाद में प्रयोग के लिए जमुनापार पुनर्निर्माण योजना १९५२ की ग्रीष्म ऋतु में कार्य रूप में आई। सभी लोगों ने यह समझा कि एक ऐसा हेर फेर होने वाला है जो सारी दुनिया पर अपना असर डालेगा और इससे भारत का प्रत्येक किसान भी प्रभावित होगा। हम लोग स्वयं भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते थे कि जमुनापार के लोग परिवर्तन का किस तरह स्वागत करेंगे अथवा वे यह समझेंगे कि हेर फेर होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। हम लोगों का विचार था कि ग्रामीण भाई इस परिवर्तन का पूरा पूरा विरोध करेंगे और इसमें रोड़े अटकायेंगे क्योंकि वे यह समझेंगे कि कोई नया बोझ उनके सिर पर लादा जा रहा है।

इस योजना के ६ महीने बाद ही हम लोग समझ गये कि योजना ठीक शुरू हुई है। ग्रामीणों ने भी इसका स्वागत किया क्योंकि उनकी समझ में यह बात आ गई कि वह हेर फेर उन्हीं के जीवन में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों ने 'विस्तार' का शुरू से ही स्वागत किया और इन कोशिशों में लग गए कि वे अपनी भलाई के लिए ही अपने साधनों

को और बाहर से मिलने वाली सुविधाओं को समझ बूझकर किस प्रकार का हेर फेर कर सकते हैं। सबसे अधिक आश्चर्य हमें इस बात का हुआ कि बिल्कुल नये अवसरों और इस परिवर्तन को ग्रामीणों ने अपने गांव में ही रहते हुए अपने जीवन के पुनर्निर्माण का जरिया समझा। साथ ही भारत के बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों की तरह जीवन बिताने के लिए उन्हें अपने स्थानों (गांवों) को नहीं छोड़ना पड़ा।

हमारे पिछले अनुभवों ने यही बताया था कि ग्रामीण भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सदियों से चली आने वाली जिन्दगी के रहन सहन वाले देहाती जीवन को बाधा समझते हैं और वे हमेशा अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह में किसी शहर, किसी औद्योगिक अथवा शहर की बस्ती में बसकर गुजारा करना चाहते हैं। इस बार हमारा यह पिछला अनुभव ही गलत सिद्ध हुआ। योग्य ग्रामीणों ने जमुनापार के गांवों में पुनर्निर्माण को सम्भव और अधिक अच्छा समझा।

हम यहाँ पर निजी और स्थानीय अनुभव इसलिए रख देना चाहते हैं जिससे हम स्वयं ही यह समझ लें कि हम ग्रामीण भाइयों के सम्बन्ध में कितनी कम जानकारी रखते हैं जब कि हम समझते हैं हमें उनके बारे में पूरी पूरी जानकारी है। इस प्रकार हमें एक सबक सीखना चाहिए कि हर एक 'विस्तार' कार्यकर्ता को हमेशा गांववालों से अधिक से अधिक सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिस तरह हम उन्हें अधिक से अधिक सिखाने के लिए तैयार रहते हैं।

अब सन्देह नहीं रह गया कि इस क्षेत्र में एक नई चेतना और नया उत्साह आ गया है। गांव में परिवर्तन का यह उत्साह एक नई चीज़ है। जमुना-पार क्षेत्र के ग्रामीण इसे कई ढंगों से प्रकट कर रहे हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं जिनमें से एक हम यहाँ पर रख रहे हैं। पास के गांव के एक सम्पन्न किसान के बेटे ने कृषिशास्त्र में इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ली है। इसके बाद वह बी० एस् सी० (कृषि) पढ़ सकता था परन्तु वह अपने और पास पड़ोस के गांवों में कुछ परिवर्तनों को जरूरी समझ कर अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करना चाहता है। निःसन्देह यह युवक ग्रेजुएट हो जाय तो उसे अच्छी अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं।

हम अपने अनुभवों से कह सकते हैं यह नौजवान अपनी शिक्षा के बल पर ही गांव की सीमित दुनियां से आगे आया है और निश्चय ही अपनी विशेष जानकारी का सदुपयोग करेगा। फिर भी वह अपनी शिक्षा को रोक कर हमारी योजना में आकर गांवसाथी के रूप में अपने गांववालों

की सेवा करना चाहता है। परन्तु हमारा यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गांव में नहीं रखा जा सकता है। वह किसी अन्य जगह काम भी नही करना चाहता है और बार बार अपनी यही इच्छा प्रकट करता है कि हमें अपने ही अथवा पास के किसी गांव में ही रखा जाय। नौजवान की यह अपनी इच्छा है वह अपने ही गांव में किसी भी हालत में रहना चाहता है सम्भवत: वह अवैतनिक सहायक गांवसाथी के रूप में बना रहेगा और उस गांवसाथी का सहायक होगा जिस के कार्य-क्षेत्र में इस नौजवान का गांव पड़ता है।

कहा नहीं जा सकता है कि नौजवान की कुशाग्र बुद्धि और सम्पन्नता का क्या परिणाम होता यदि यहाँ पर यह 'विस्तार-योजना' न चलाई गई होती जिसके माध्यम से उसका ज्ञान और उत्साह प्रकट हो सकता है। यदि वह योजना लागू न हुई होती तो उसे कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढनी पड़ी होती अथवा वह अपने घर पर ही पिता के साथ खेती वारी में लग जाता जो पुराने ढंग से की जाती है और जिसमें इस नवजवान का विश्वास भी नहीं है क्योंकि इसके ढंग पुराने और अनुत्पादक हैं।

परिवर्तन के प्रमाण

प्रश्न यह उठता है कि हमारे पास इसका क्या प्रमाण है कि परिवर्तन अथवा हेर फेर हुआ है अथवा परिवर्तन होने वाला है? एक बात तो स्पष्ट है ही कि ग्रामीण इन दिनों अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पा रहा है। इसमें केवल उसकी मानवीय चेतना ही नहीं है जो कि कई पुश्तों से दबी चली आ रही है। सम्भवत: व्यावहारिक उनका यह आत्म-विश्वास नवीन नहीं है। ऐसा लगता है कि यह आत्मविश्वास उनमें बहुत पहले से ही है क्योंकि इसी के आधार पर वे अभी तक अपनी अलग इकाई कायम रख सके। आज हम उनकी इसी शक्ति को ऐसी दिशा में मोड़ रहे हैं जो वर्तमान पीढ़ी के ग्रामीणों के लिए नई है।

सबसे अधिक नई बात तो यह है कि अब ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या, जिसमें महिलाएं भी हैं, इस आत्मविश्वास को साफ साफ प्रकट कर रही है। यह बात ग्रामीण के इस रुख से और अधिक स्पष्ट हो जा रही है कि वे हमेशा अपनी कठिनाइयों में सलाह लेने और शहरवालों से सहायता लेने को तैयार हैं। वे बार बार सलाह और सहायता की मांग कर रहे हैं जिससे यह साफ है कि वे हमसे पूरा काम लेने की उम्मीद नहीं रखते हैं। वे नये कार्य में अपनी पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। कुछ

दिनों पूर्व लोगों का यह रवैया हो गया था कि समाज सुधारक संस्थाएं सुधार की जो भी योजना—जैसे कि कुएं की सफाई—रखें वे उसके लिए पूरा पूरा सामान लगावें और मेहनत भी करें। कभी कभी तो ऐसे प्रस्तावों के साथ साथ गांववाले ऐसी चालबाजियां चलते थे कि उन्हें रोजी ही न मिले वरन् अच्छी मज़दूरी भी मिले। निश्चय ही ग्रामीणों के इस रवैये में अब परिवर्तन आ गया है। वे अपनी भलाई के लिए किये गये कामों में अधिक से अधिक अपना ही पैसा और अपनी ही मेहनत लगाना अच्छा समझते हैं, और स्वभावतः ऐसे कार्यों में यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो वे इसका प्रसन्नता से स्वागत करते हैं।

दूसरे, ग्रामीण भाई किसी भी बाहरी आदमी से सहायता लेने में डरते थे। बहुतसी परिस्थितियों में ग्रामीण यह अनुभव करते थे कि किसी बाहरी से सहायता लेने अथवा उसका आभारी होने का, विशेषतया किसी सरकारी प्रतिनिधि का, मतलब है उन पर अवांछनीय आने वाली मांगें। अब उनका यह डर दूर होता जा रहा है। गांवों के साधनों का आर्थिक पहलू अब अधिक मजबूत होता जा रहा है क्योंकि अब गांवों[1] की सरकारी-संस्थायें अधिक सुधर रही हैं और गांववालों को सरकारी संस्थाओं की सहायता पर ही अधिक भरोसा रहता है। गांवों में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों का यह दूसरा प्रमाण है। कृषि विभाग की ओर से वहाँ पर सरकारी बीज-गोदाम, पौधा-संरक्षण-विभाग, पशुपालन विभाग की ओर से चलता फिरता पशुपालन-अधिकारी जिसके पास पशुओं को बड़ी खतरनाक बीमारियों से भी बचाने का सक्रिय प्रबन्ध रहता है, जन-स्वास्थ्य-विभाग की ओर से दवाखानों, चिकित्सालयों और मुफ्त टीका लगानेवालों की व्यवस्था है। अब तो वहाँ पर कुओं तथा सफाई आदि के बारे में भी सलाह लेने की सुविधा हो गई है। इस समय गांव में अधिक और अच्छे स्कूल भी खुल गए हैं।

एक समय था जब गांवों में शांति और सुरक्षा नहीं थी परन्तु अब इस दिशा में सुधार हुआ है। कहीं कहीं पर गांववालों की सहमति से रात में पहरा देने की पुरानी प्रथा पुनः चालू कर दी गई है जिससे पुलिस आदि के रखने के खर्च में कमी तो होती ही है, डकैती आदि के होने की सम्भावना बहुत ही कम हो जाती है। इस समय गांवों में अधिक अच्छी सड़कें, मेहराबदार पुलियां, पुल, बसें, साइकिलें, रेलगाड़ियों की सुविधाएं, डाक

---

[1] अध्याय ६, 'ब' भाग देखें।

व तार घर आदि की सरल सुविधाएं हैं। देहाती क्षेत्रों में ऋण देने और सहकारी समितियों का संगठन भी बहुत बढ़ता जा रहा है।

२. विस्तार द्वारा योगदान

'विस्तार' भारत में अभी हाल में आया है। यह ऐसे समय यहाँ आया है जब कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उलट-फेर हो रहे हैं। भारत की समस्याओं को हल करने में 'विस्तार' का क्या योगदान हो सकता है? विदेशों में जिस प्रकार 'विस्तार' का विकास हुआ है उसी आधार पर हम इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कैसे विकसित कर सकते हैं?

भारत में 'विस्तार' कार्य में विशेष तरह की कठिनाइयां और समस्याएं रास्ते में आ रही हैं जैसी कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं मिली है। कुछ मानों में तो यहाँ पर 'विस्तार' की जिम्मेदारियां उन देशों की तुलना में अधिक हैं जहाँ पर विस्तार सेवा का कार्य हुआ है। साथ ही अब यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि ग्रामीण भारत के लिए अमेरिका और यूरोप की तुलना में 'विस्तार' कार्य के लिए और अधिक कला-ज्ञान की जरूरत है। भारत की विशेष समस्याओं में हम यहाँ चार की चर्चा कर रहे हैं:–

१ – ग्रामीण भारत के सांस्कृतिक ढांचे का एक ऐसा मज़बूत जाल फैला हुआ है जो मूलरूप से उन सभी देशों से अलग है जहाँ से अधिकतर वैज्ञानिक जानकारी आती है जिसे 'विस्तार' कार्य भारतीय ग्रामीणों के लिए सरल और सुलभ बना रहा है।

२ – किसी भी दूसरे देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों और उसके हलों के अनुसार जिनपर कि वैज्ञानिक अनुसन्धानों और रीतियों का असर हुआ है – ग्रामीण भारत की सभी जरूरतों को किसी निर्धारित समय में ही पूरी करना चाहें तो इसके लिए कोई व्यावहारिक साधन नहीं है।

३ – भारतीय समाज को हम मोटे तौर पर दो भागों में बाँट सकते हैं – शहरी और ग्रामीण। भारत की शहरी दुनियां विदेशों में हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानों से प्रभावित हुई है और इस तरह वहाँ पर भी अभी द्वन्द्व चल रहा है जिससे कोई भी निश्चित राय कायम कर लेना अपने को भ्रम में डालना है। संस्कृतियों के मेल-जोल का यह ध्वंसात्मक पहलू अभी भारत की देहाती दुनिया तक नहीं पहुँच

सका है। यदि 'विस्तार' कार्य की तेजी से प्रगति हुई और अधिकांश ग्रामीणों के मस्तिष्क में इसके खिलाफ एक दीवार खड़ी कर दी गई तो यह विषैला वातावरण दूर ही रह जायगा।

४–भारत की शहरी दुनियां दिन दिन पश्चिमी देशों की 'प्रगतिशील' सभ्यता के समान होती जा रही है। यद्यपि कई अर्थों में उसका मानसिक स्तर ठीक नहीं हुआ है फिर भी व्यवसाय, कला और रोजी के सम्बन्ध में राजनीतिक दृष्टि से वह पश्चिमी देशों के समान तो हो गयी है परन्तु भेद अभी है। उद्योगों की व्यवस्था में, आर्थिक तथा मज़दूरों और क्लर्कों की अन्य परिस्थितियों में भी वह समानता नहीं प्राप्त कर सकी है। गांवों में यह दशा नहीं है। यहाँ पर असमानता केवल धार्मिक और मानवीय सम्पर्क क्षेत्र में है। इस समय ग्रामीण भारत पश्चिमी देशों के बिल्कुल ही असमान है। करीब करीब सभी मानवीय कार्यों में ग्रामीण भारत बिल्कुल ही नीचे स्तर पर है और वह अब अपने इस पतन को अच्छी तरह समझ चुका है।

इस प्रकार यह फल निकला कि भारतीय गांवों के पुर्ननिर्माण के लिए सहायक होना ही 'विस्तार' का मुख्य कार्य है, साथ ही यह भी याद रखना होगा कि गांवों के बहुत से पुराने और जोरदार रिवाज कायम रहेंगे। क्योंकि भारतीय ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक ढांचे में ही गांववाले एक मानसिक सुरक्षा अनुभव करते हैं। उनकी इस भावना पर चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। उनमें वे गुण हैं जो नई संस्कृति को जन्म दे सकते हैं और वहाँ पर एक समन्वयात्मक संस्कृति का उदय हो रहा है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानी परम्परा को हम फिर से स्थापित करें, जैसा कि कुछ लोगों की दृष्टि में गांधीजी चाहते थे, क्योंकि गांववाले पूर्ण आत्म-निर्भर कभी नहीं हो सकते हैं। उन्हें उद्योगों से अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी, वर्षों तक उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य का ख्याल दूसरों को करना पड़ेगा। फिर भी 'विस्तार' के द्विपथीय रास्ते से गांववाले दुनिया को अपनी देन देंगे क्योंकि ग्रामीण भाइयों में अन्य लोगों के साथ रहकर जीवन बिताने की सहनशीलता है। बाहरी दुनियां को मानवता के लिए एक अपूर्व बुद्धि की जरूरत है जो भारतीय ग्रामीणों में उतनी ही मौजूद है जितनी कि उन्हें अन्य लोगों की सेवाओं की जरूरत है। इसी कारण भारत में अन्य देशों की अपेक्षा यह अनिवार्य होगा कि 'विस्तार' द्विपथीय शिक्षा का प्रभावपूर्ण माध्यम बने।

भारत में 'विस्तार' को सबसे पहले अपनी सेवाओं की मांग पैदा करना अनिवार्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि महाविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों के बाहरवाले इसी प्रकार के विद्यालयों से सहायता पाने की कुछ किसानों की मांग से 'विस्तार' कार्य शुरू हुआ। यह सहायता सबसे पहले किसानों को उन प्रशिक्षित विशेषज्ञों से मिली जो शहरों में रहते थे और जो बहुत दूर तक फैले हुए खेतों में किसानों की सेवा करने में समर्थ थे। अभी भारत में तो वर्षों तक कोशिश करने के बाद ही हम आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे किसान कारीगर अथवा गृहिणियां हो सकेंगी जो 'विस्तार' कार्यकर्ताओं के पहुँचने पर अपनी मांगों और जरूरतों को उनके सामने रख सकें। भौगोलिक तथा मानसिक कारणों से वर्षों तक यहाँ यह भी अनिवार्य है कि हमारे विस्तार कर्मचारी गांवों के ही हों। अभी इसमें बहुत समय लगेगा कि हमारे विस्तार कर्मचारी शहर ही में अथवा किसी **शैक्षिक केन्द्र** में रहें और किसानों को किसी प्रकार की जरूरत महसूस होने पर अथवा उनकी मांग पर ही समय-समय पर किसानों के पास विशेष प्रकार की सहायता के लिए जा सकें।

ग्रामीणों द्वारा 'विस्तार' सहायता लिए जाने की सम्भावना के विषय :– दूसरे देशों की तुलना में भारत का 'विस्तार' एक दूसरे जरूरी पहलू से भी भिन्न है। यहाँ पर उसे अन्य देशों की अपेक्षा अधिक विविध विषयों और समस्याओं के हल निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इन विषयों की पूरी सूची तैयार करना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी भी हमें पूरी तौर पर ग्रामीणों की जरूरतों की अच्छी जानकारी नहीं है और उनकी जरूरतें ही अंत में इन विषयों को निर्धारित करने वाली हैं। यहाँ पर हम वर्णानुक्रम से कुछ ऐसे विषयों की सूची दे रहे हैं जिनकी ओर भारतीय विस्तार सेवाओं को काम करना है :–

उत्पादन बिक्री – जिसमें सहकारिता भी हो।

कृषिशास्त्र – इसमें मिट्टी संरक्षण, जंगल लगाना और उद्यान विद्या (बागवानी) भी है।

खेलकूद – क्रीड़ा, रूपक या नाटक, लोक नृत्य, लोक संगीत, और लोकगीत, या लोक काव्य।

गांव के उद्योग तथा कुटीर उद्योग

ग्रामीण यंत्रकला – जिसमें भवन निर्माण, सड़क निर्माण और सिंचाई आदि है।

ग्रामीण ऋण – 'विस्तार' किसी भी प्रकार की ऐसी संस्थाएं संगठित नहीं करा सकता जिसके द्वारा ऋण आदि के लिए भी किसी भी प्रकार की सहकारी समिति की व्यवस्था हो सके। यह इनकी बाबत शिक्षा दे सकता है।
गृह-अर्थशास्त्र – जिसमें आहार विज्ञान भी है।
पशुपालन – इसमें मुर्गीपालन, नदियों आदि में मत्स्य पालन भी शामिल है।

मातृत्व और शिशु पालन

प्रौढ़ शिक्षा
बाल शिक्षा
मछुवागिरी – गहरे और छिछले समुद्र में।
सफाई
स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य – जिसमें अपने स्वास्थ्य पर स्वयं ध्यान रखने पर अधिक बल दिया गया हो।
सहकारी समितियां – ऋण देने वाली सहकारी समितियों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष कार्य के लिए संगठित सहकारी समिति। (**ग्रामीण ऋण देखें**)

३. भारत में 'विस्तार' की परिभाषा

पिछले पन्नों में हमने ग्रामीण भारत का संक्षेप में एक खाका खींचने की कोशिश की जिसमें 'विस्तार' सेवा की आवश्यकता है। हमने गांव-वालों में फैली हुई इस चेतना की भी चर्चा की है कि वे नये और अच्छे जीवन-स्तर के लिए इच्छुक हैं। हमने मार्ग में आने वाली कुछ रुकावटों और वांछनीय परिवर्तन के लिए सहायक साधनों की भी चर्चा की है जिसकी ग्रामीण भारतको आवश्यकता है। हमने कहा है कि भारत में नये जीवन के लाने में, 'विस्तार' का एक बहुत बड़ा योग होने वाला है।

अब हम इस 'विस्तार' शब्द की परिभाषा देने के लिए तैयार हैं जिनके बारे में अभी तक हम कहते आये हैं।

'विस्तार शिक्षा है'

थोड़े से शब्दों में 'विस्तार' का पूरा-पूरा रूप दे दिया गया है। यदि शिक्षा के सही पहलू को देखें तो यह कथन सही मालूम पड़ता है परन्तु यदि

हम शिक्षा के परम्परा से चले आने वाले माने को लेते हैं तो ऊपर के सीधे-साधे वक्तव्य के तथ्य के ही खण्डन की सम्भावना है। परम्परा से चली आने वाली शिक्षा द्वारा एक पीढी से दूसरी पीढी को परम्पराएं, आदतें और रीति-रिवाज कुछ परिवर्तन के साथ या ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। विस्तार में इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि विस्तार के द्वारा तो शिक्षा-विधि के मूलाधार में नई जानकारी की आलोचनात्मक समझदारी को स्थापित करना है। अतः 'विस्तार' एक शिक्षा है :—

(१) वह शिक्षा है जो बालिगों और बच्चों को स्कूल के बाहर उन्हीं की इच्छा के अनुसार और चुनाववाले विषयों की जानकारी कराना है।

(२) वह शिक्षा है जो हर एक को अपनी रुचि के अनुसार ही काम करने की आज़ादी दिलाता है जिसके आधार पर ही जनतन्त्रीय समाज का संगठन होता है।

विस्तार-सेवा का प्रथम कर्तव्य है कि वह गांववालों को ऐसी जानकारी करावे जिससे वे अपने जीवन में खुश और सुखी रह सकें। यह ऐसी सूचनाओं, जानकारियों और विचारों को सफलता के साथ गांववालों में फैलाना है जिन्हें तुरंत समझा जा सकता है और जिनसे सहमत होने के बाद व्यवहार में लाने पर गांववालों की कठिनाइयां, जिनको गांववाले जानते हैं, हल हो सकती हैं।

इस प्रकार 'विस्तार' अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान के लिए प्रेरणा देता है। इसकी सहायता से ग्रामीण अपनी उन सभी दिक्कतों को हल कर लेता है जो उसके जीवन के किसी भी पहलू में नये रास्ते और नये ज्ञान पर अमल की इच्छा करने अथवा अमल करने में ही अधिक होती हैं।

'विस्तार' इस सिद्धान्त को मानता है कि हर एक व्यक्ति को समस्याओं और कठिनाइयों पर अपनी निजी राय कायम करने और जिम्मेदारी के निर्णय करने की योग्यता के विकास करने का अवसर मिलना बहुत ही जरूरी है। विस्तार कार्यकर्ता कभी भी अपनी राय उस व्यक्ति पर जिसकी वह सहायता करने को तैयार है, लादता नहीं है और न वह उनकी गतिविधियों को ही अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर करता है। वह हमेशा यह ध्यान में रखता है कि ग्रामीण भाई के पास व्यावहारिक जानकारी और सही अनुभव हैं जिनसे उपज बढ़ाने और जीवन सुखमय बनाने में बहुत सहायता हो सकती है। इस तरह इस प्रकार की

टोलियां – पुरुष और नारियां टोलियों में बैठकर नई बातें और हुनर सीखते हैं। (दाहिनी ओर) विवाहित गांवसाथी टोलियों से मिलने जा रहे हैं।

दिलचस्पी – गांवसाथी को सभी उम्र के लोगों से बातचीत करने और सहयोग लेने का ढंग आना चाहिए। (नीचे) गांवसाथी ग्रामीणों को मुट्ठी भर अच्छे बीजों की मदद से पहिचान बना रहा है।

शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षा देनेवाले और शिक्षा पानेवाले में पूरा-पूरा सहयोग हो की सम्भावना रहती है और दोनों ही एक दूसरे को शिक्षा देने तथा एक दूसरे से शिक्षा लेते हैं। इस प्रकार 'विस्तार' गांव सुधार के लिए एक साधन है जिसमें विस्तार कार्यकर्ता ग्रामीण भाइयों के पास उनकी समस्याओं से ही सम्बन्ध रखनेवाली जानकारी व सूचना ले जाता है। यह जानकारी वह अपने कक्षा-गृह, काम करने की जगह और अनुसन्धानशाला के प्रयोगों और अनुभवों के बाद प्राप्त करता है। वह इस जानकारी और अपने अनुभवों को गांववालों को सरल से सरल भाषा में, सम्भवतया उन्हीं की भाषा में, समझाता है और ग्रामीणों की समस्याओं को वह अपनी अनुसन्धानशाला में उनका हल निकालने के लिए ले जाता है। इस प्रकार 'विस्तार' एक द्विपथीय रास्ता है जिसमें 'विस्तार' कार्यकर्ता एक मध्यस्थ बन जाता है जो किसान की समस्याओं को विशेषज्ञों तक और अनुसन्धान की बातों को किसानों तक पहुँचाता है।

'विस्तार' शिक्षा देने का एक ढंग है जो किसान और उसके परिवार की जरूरतों, तथा गांव में रहने वाले अन्य लोगों की जरूरतों के अनुसार भलाई से और व्यावहारिक जानकारी से भरा हुआ है।

वादविवाद के लिए बातें :

१—ग्रामीण भारत की कौन सी ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें विस्तार को अवश्य हल करना है? क्या इनमें से कुछ भारत के लिए अनोखी हैं?

२—क्या यह सही है कि भारतीय गांवों के पिछड़ेपन को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है? यदि हाँ, तो क्यों बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया?

३—क्या इस समग्र गांव के लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो क्यों? अभी इसमें कौन सी बाधाएं हैं?

दूसरा अध्याय

ध्येय की पूर्ति का साधन

इसमे सभी सहमत हैं कि ग्रामीण भारत की दो प्रमुख जरूरतें हैं :–

(१) ऊँचा जीवन-स्तर, और

(२) अधिक और सुधरी हुई शिक्षा-व्यवस्था

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे जीवन-स्तर तक पहुँचने के लिए ग्रामीणों की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों में काफी साधन मौजूद हैं। 'विस्तार' को हम जितने ही निकट से समझते जायेंगे हमें यह पता लगेगा कि इन दिनों भारत के गांवों के पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी समस्या गांववालों को, जबसे वे अपने साधनों को उपयोग करना सीख रहे हैं, एक सहायक की तरह साथ देने की है। हम यह मानते हैं कि यह शिक्षा की ही एक समस्या है यद्यपि परम्परागत माने में यह शिक्षा नहीं है।

किसी भी आजाद और प्रगतिशील समाज की शिक्षा निश्चय ही किसी भी परम्परायुक्त और स्थिर समाज की शिक्षा से बिल्कुल ही भिन्न होना जरूरी है। कहा जाता है कि परम्परानुयायी प्राचीन भारत में शिक्षा सार्थक समझी जाती थी यदि उसके द्वारा प्रत्येक नयी पीढी पुरानी पीढी के अनुभवों तथा उसकी परम्पराओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। आनेवाली पीढियों के लिए धीरे धीरे अनुभवों से मिलने वाली इस जानकारी के अतिरिक्त किसी नई जानकारी की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। परन्तु इस नये और प्रगतिशील भारत में नये किस्म की शिक्षा की जरूरत है। ग्रामीण भारत को एक ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो व्यक्ति की रचनात्मक और अच्छा बनने की शक्ति को उभाड़ दे।

विस्तार में हम शिक्षा के जो माने समझते हैं उसके अनुसार उसे लोगों को सोचने में, विकल्पों को निश्चय करने में, नये औजारों के बनाने में, और नये समाज के निर्माण में सहायक होना चाहिए। नई पीढ़ी के लोगों को पुरानी पीढ़ीवालों की जानकारियों को समझा देना ही शिक्षा नहीं है। इसे हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी और निर्णय पर पहुँचनेवाले पद के लिए तैयार करना चाहिए।

यहाँ पर हमारे सामने दो बातें आती हैं जिन पर हमें ध्यान रखना जरूरी है :

(१) पहली यह है कि किसी भी 'विस्तार' योजना का मौलिक ध्येय कृपि-उत्पादन बढ़ाने का है। यह एक सर्व मान्य दृष्टिकोण है। भारत को अभी और अधिक साधनों की जरूरत है। अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाना है। शहरवालों को सस्ती दर पर खाद्यान्न सुलभ करने का सबसे आसान तरीका भारत में ही कृपि-उत्पादन बढ़ाना है। कृपि-सुधार ही नहीं वरन् भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों की राष्ट्र-निर्माण योजनाओं की सफलता देश की आर्थिक आय पर आश्रित है और देश की आय उत्पादन बढ़ने पर ही बढ़ेगी। ये सभी तथ्य देश में कृपि-उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पर ही जोर देते हैं और इसी कारण बहुत से लोग यह परिणाम निकालते हैं कि कृपि विस्तार का मुख्य ध्येय इसी आवश्यकता की पूर्ति है।

(२) दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसी भी शिक्षा योजना में यह अनिवार्य है कि हम उन लोगों का ध्यान और उनकी रुचि आकर्पित करें जिनके लिए योजना बनाई गई है और इस प्रकार उनके ध्यान और दिलचस्पी को स्थायी बना दें। किसी स्कूल का छात्र, जिसका ध्यान खिड़की से दिखाई देने वाली चिड़िया पर है, कभी पुस्तक के विपय को नहीं समझ सकता है। एक किसान ऐसी प्रौढ़ शिक्षा योजना से कुछ नहीं सीख सकता जिसमें उसकी दिलचस्पी न हो। अतः सबसे प्रमुख बात उनका ध्यान इस विषय की ओर लाना और उनमें स्थायी दिलचस्पी बढ़ाना है।

हर एक उम्रवाले लोगों की दिलचस्पी विविध प्रकार के कार्यों में लगती है। छोटे छोटे बच्चों का मन खेलने और दूसरों को विश्वास दिलाने में अधिक लगता है, वे खेल के समय ही बहुत कुछ सीखते हैं। यही कारण है कि शिशु-केन्द्रों में बच्चों को स्वेच्छानुसार खेलने की सुविधा दी जाती है जिसमें वयोवृद्धों के कम से कम हस्तक्षेप और अनुशासन पालन कराने की व्यवस्था रहती है। बच्चों के लिए यह सबसे अच्छी शिक्षा है और भारत में तो वह परम्परागत रही भी है।

स्कूल के दिनों में बच्चों का ध्यान अंकगणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों पर ऐसे कक्षा-गृहों में रख कर स्थिर करना चाहिए जिसमें उनका ध्यान बाहर के शोरगुल अथवा कक्षा के बाहर होनेवाले कार्यों से खींच न जाय। छात्रों का ध्यान उसी समय स्थिर रह सकता है जब कि उनके

सामने पाठ्य-पुस्तक हो और अध्यापक भी पाठ्यवस्तु के प्रत्येक विषय को खुल कर उसी ढंग से विवेचना करता हो जिसमें छात्रों की दिलचस्पी जागृत हो सके। अध्यापक यदि छात्रों को किसी आदर्शघर का नमूना तैयार करने, या किसी दूकान को चलाने का खेल खेलने अथवा भारत की काल्पनिक यात्रा करने आदि जैसी योजनायें बनाने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसी दशा में छात्रों की दिलचस्पी जागृत करने में वह और अधिक सहायक होता है। प्रयोगात्मक शिक्षा भले ही काम करने की नकल ही क्यों न हो दिलचस्पी प्रोत्साहित करती, पाठ्य-विषय को जीवन में सहायक बनाती, और शिक्षा लेने वाले को जो कुछ उसने सीखा है उसे, याद रखने में सहायक होती है।

प्रौढ़ शिक्षा में भी हमें उसी तरह प्रौढ़ों की दिलचस्पी और ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, शिक्षा के ढंग को भी उसी तरह उत्साह पूर्ण और अनिवार्य बनाना है और इसका सम्बन्ध प्रौढ़ों की आवश्यकताओं तथा उनकी इच्छाओं पर ही आश्रित है यह देखा गया है। प्रौढ़ों की दिलचस्पी के विषय नीचे लिखे हैं :–

(१) अपनी रोजी से सम्बन्ध रखने वाले कार्य
(२) अपने घरों के कार्य
(३) ग्रामीण मनोरंजन और विनोद के साधन तथा गीत, नाटक आदि।

इन्हीं कार्यों में सम्पूर्ण लोक-संस्कृति, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक, निहित हैं।

लोग इन विषयों में दिलचस्पी रखते हैं। इसी कारण इन विषयों के अध्ययन, इन पर विचार-विमर्श अथवा इनमें हिस्सा लेकर ही उनके लिए इन्हें समझना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी किसान को खाद की उपयोगिता समझाना बहुत ही आसान है क्योंकि खेत की उपज बढ़ाने और अच्छी करने में ही उसकी भलाई है और इसमें उसकी दिलचस्पी भी है। उसे इतिहास अथवा राजनीति शास्त्र समझाना बहुत ही कठिन कार्य होगा। अच्छी शिक्षा वही है जो शिक्षा पानेवाले का रुझान बता दे। गीत और नाटकों द्वारा हम शिक्षा में उनकी दिलचस्पी को तीव्र करते हैं और इस प्रकार वह जीवन का आनन्द लेते हुए तरह तरह की जानकारी प्राप्त करता है। गांवों के लिए अच्छी कही जानेवाली शिक्षा के लिए जरूरी है कि उनकी भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय और ग्रामीणों की परम्परा की गम्भीर चेतना और नये विचारों के साथ सामन्जस्य हो।

हम यहाँ इन बातों को नीचे के क्रम में पुनः लिख रहे हैं :—

(१) ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी जरूरत अच्छी शिक्षा है। इस शिक्षा के चुनाव करने, साधनों को मान्यता देने और उसके लाभ उठाने तथा उत्तरदायित्व उठाने की क्षमता लाने की शक्ति आवश्यक है।

(२) हमें शिक्षा के इन नए ध्येयों में गांववालों की दिलचस्पी बढ़ाने के तरीके अवश्य खोजने हैं। ग्रामीण अपनी रोज़ी (विशेषतया कृषि) और अपने घरों तथा अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याओं में हमेशा दिलचस्पी रखते हैं इसी कारण उनके लिए सबसे अच्छी शिक्षा कृषि-शास्त्र, गृह-अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य-सम्बन्धी 'विस्तार' कार्यक्रम है जिससे वे जिम्मेदारी-पूर्ण आज़ादी का सुख ले सकें।

(३) सौभाग्य से प्रौढ़ों के लिए इस तरह का कार्यक्रम बिल्कुल वही शिक्षा योजना है जिसकी जरूरत हमें ग्रामीण लोगों की सामान्य दशा को सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में है। इस प्रकार ध्येयों की अनुरूपता के कारण संगठित होने वाली शिक्षा-व्यवस्था के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि 'विस्तार' की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहा जा सकता।

उक्त कथन की दृष्टि से ही हमें विस्तार को अधिक से अधिक शैक्षिक रखना है। हमें कभी ऐसा ढंग नहीं अपनाना चाहिए जो अच्छी शिक्षा न कहा जा सकता हो। हमें कभी बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर सफलता पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों की भलाई के लिए भी हमें किसी को किसी प्रकारकी आशा देकर काम नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के काम से हम उनके स्वेच्छानुसार चुनाव में बाधक होंगे। इसके बदले हमें उन लोगों को विकल्पों की जानकारी करा देनी चाहिए। हमें उन्हें यह महसूस करा देने में सहायता देनी चाहिए कि वे चुनाव कर सकते हैं, और उनमें बुद्धि-मत्तापूर्ण चुनाव करने की क्षमता है। हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए जिससे वे समझें कि हम उनमें विश्वास करते हैं। वे सफल हों या असफल उन्हें दुबारा कोशिश करने दें।

यह कहा जा सकता है कि 'विस्तार योजना' गांवों के लिए विश्व-विद्यालय है। हमारे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि वहाँ विश्व-विद्यालयों जैसी डिगरियां प्राप्त करके अहंमन्यता लाने अथवा अन्य कोई शैक्षिक आचार की व्यवस्था है। इससे हमारा मतलब केवल इतना ही है कि विश्व-विद्यालयों में मिलनेवाली जानकारी के कुछ भाग हम गांववालों

में फैला दें जिन्होंने शायद प्रारम्भिक शिक्षा भी न पाई हो। इस प्रकार उनकी सोचने की शक्ति का, वह भी सूक्ष्मरूप से, विकास उनकी अपनी परम्पराओं और नये अनुभवों के साथ ही होना चाहिए। यह नये तरीकों पर प्रयोग करने और जहाँ कहीं भी मिल सके समस्याओं के हल की जानकारी ही है। 'विस्तार' लोगों में ऐसा रुख पैदा कर देना है कि जो स्पष्ट कहने लगता है कि पहले के साधनों से ही हमारा काम चल सकता है परन्तु कहीं न कहीं इससे भी अच्छे साधन हैं। आइए आज इसकी खोज करें। 'विस्तार' कभी यह नहीं समझता कि यह सभी किस्म की जानकारी रखता है परन्तु यह विस्तार कार्यकर्ता और ग्रामीण दोनों में ही अपनी अज्ञानता स्वीकार करने की भावना भरता तथा यह विश्वास पैदा करता है कि सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है।

भारत की सबसे बड़ी मांग कृषि विकास की प्रगति के लिए अधिक और अच्छी शिक्षा-व्यवस्था की जरूरत है। एक नई प्रौढ़ शिक्षा योजना द्वारा विस्तार इस मांग की पूर्ति के लिए तैयार है जिसकी सहायता से हमारे ग्रामीण भाई अपनी सभी समस्याओं को हल करना सीख सकते हैं।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – शिक्षा के परम्परागत प्रयोग और विस्तार शिक्षा में क्या भेद है ?

२ – यह कहाँ तक सत्य है कि ग्रामीण प्रौढ़ अपने घरों, अपनी जीविका और नाटक तथा मनोरंजन में अपनी रुचि से सम्बन्धित कार्यवाहियों के द्वारा अधिक सीखता है ?

तीसरा अध्याय

विस्तार की सीमायें

अपने उत्साह में हमारे लिए यह कहना सरल है कि भारत की सभी समस्याओं की दवा 'विस्तार' है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि ग्रामीण भारत के पूर्ण विकास के लिए मौजूदा शिक्षा (और सिद्धान्तरूप से विस्तार यही है) पर्याप्त नहीं है। उसकी दूसरी बहुत सी जरूरतें भी ऐसी हैं जिनके लिए अन्य कार्यक्रम अपेक्षित हैं। ये दूसरे कार्यक्रम अन्य कार्यों की परिधि में आते हैं। उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु ये 'विस्तार' में नहीं आते है। इनके सम्बन्ध में 'विस्तार' का उत्तरदायित्व इतना ही है कि वह ग्रामीणों को इनकी बावत सूचना दे दे और उन्हें इनका पूर्ण सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे।

१. अन्य सूत्रों द्वारा ग्राम विकास कार्य

भारत के सर्वांगीण विकास की समस्या और इसके बहुमुखी अंगों के पेचीदेपन को प्रथम पंच वर्षीय योजना ने भी माना है। पंच वर्षीय योजना यह समझती है कि भारत की करोड़ों आम जनता के लिए एक नये प्रकार और अधिक सम्पन्न जीवन-स्तर की स्थापना के ध्येय की पूर्ति किसी एक योजना अथवा कार्यक्रम से नहीं हो सकती है। ग्रामीण विकास में विस्तार को एक उपयुक्त स्थान मिला है। अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों को भी उचित स्थान दिया गया है।

अ – जनकार्य

इन दिनों देहातों में नई सड़कों के निर्माण, पाठशालाओं और दवाखानों की तैयारी और सिंचाई की नई सुविधायें देने की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। ग्राम-विकास के लिए आवश्यक दिशाओं में प्रथम पंच वर्षीय योजना में उचित ध्यान दिया गया है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में घरेलू उद्योग-धन्धों पर अधिक जोर दिया गया है जिससे किसानों की तात्कालिक सहायता हो जायगी। ध्यान देने की वात है कि विस्तार का

सम्बन्ध गांवों में होनेवाले उस हेर फर से है जिसे गांववाले अपने ही निर्णय से निश्चित और अपने ही साधनों से पूर्ण कर सकते हैं, फिर भी बहुत से लोक-हितकारी कार्य ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक पूंजी और नियोजन की जरूरत है जो कि ग्रामीणों अथवा गांवों के एक समूह की शक्ति के बाहर है। कभी कभी कोई विस्तार कार्य नई पाठशाला अथवा पुस्तकालय के निर्माण में पूंजी लगाने और श्रम देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। फिर भी जनकार्य या अधिक भाग पूरा करने का भार राज्य-सरकारों अथवा भारत-सरकार पर ही होना चाहिए।

ब – राजनीतिक विकास

ग्रामीण लोगों की प्रगति के साथ साथ उनकी प्रगति में गति डालने के लिए भी स्थानीय स्वायत्त-शासन और शांति तथा सुरक्षा की स्थापना को समझाने की और अधिक पर्याप्त राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। जनतन्त्रीय व्यवस्था को समझाने और अधिक से अधिक विस्तृत राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लेने के योग्य बनाने में उस तरह का विस्तार बहुत बड़ा योग दे सकता है जिससे ग्रामीण जनता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हों। परन्तु 'विस्तार' को स्वयं हमेशा अराजनीतिक ही रहना चाहिए। यह स्थानीय समस्याओं पर वादविवाद के लिए प्रोत्साहित कर सकता है परन्तु इसे केन्द्रीय या राजकीय राजनीतिक समस्याओं अथवा चुनाव-आन्दोलनों में नहीं पड़ना चाहिए।

राज्य का कर्तव्य है कि वह राजनीतिक संस्थाओं के लिए नमूना तैयार करे। धीरे धीरे काम के अनुभवों के साथ ही ये संस्थायें अधिक मजबूत होंगी। राज्य की ही यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसा ढांचा खड़ा करे जिसमें लोकमत जागरूक रहे। राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि ये लोकमत को सही दिशा में मोड़ें और उसे प्रकट करें। पंचायतों, ज़िला पंचायतों तथा सार्वजनिक ढांचे में ही दूसरी संस्थाओं से पूरी तौर पर सही लाभ उठाने के लिए गांववालों को प्रोत्साहित कर विस्तार कार्यकर्ता गांव के राजनीतिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाता है, जब कि स्वयं वह राजनीतिक दलदल से अलग रहता है। राजनीतिक दलदल से दूर रहने की यह नीति हमेशा बनी रहनी चाहिए चाहे विस्तार योजना किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा या सरकार की ओर से ही चलाई गई हो।

स – व्यवसाय और ऋण

ग्रामीण लोग किसी विस्तार कार्य के अनुकूल होने पर भी, जिसमें उन्होंने मलेरिया जैसी बीमारी पर काबू पाना सीख लिया है, इस ज्ञान पर अमल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें पर्याप्त मात्रा में दवा और कीड़ों को मारने की दवा खरीदने की सुविधा नहीं मिल जाती है। पर्याप्त मात्रा में इन चीजों को सुलभ बनाने के लिए अनिवार्य है कि व्यवसाय के माध्यमों को सुधारा जाय। यदि किसान अच्छी किस्म के बीज अपने खेत में बोना चाहते हैं तो इसके लिए गांवों में अच्छे बीजों की दूकानें हों अथवा बीज-गोदाम हों जहाँ से वे आसानी से बीज प्राप्त कर सकें। खेतों के पौधों में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए उन्हें रासायनिक वस्तुएं चाहिए। यदि वे अच्छे किस्म के कृषि-यंत्र का प्रयोग करना चाहें तो वहाँ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से वे नये यंत्रों को खरीद सकें।

ग्रामीणों के जीवन-स्तर को सुधारने और विकसित करने वाली चीज़ों को सुलभ बनाना उत्पादकों और व्यावसायिक लोगों की जिम्मेदारी है। सफल विस्तार योजना ऐसी चीजों की मांग बढ़ा देगी परन्तु कभी कभी अपनी शैक्षिक प्रकृति को बिगाड़े बिना वह इन चीजों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा हो कि इनकी पूर्ति किसी चालू व्यावसायिक सूत्र से हो। व्यवसाय के ये माध्यम अभी पूर्ण नहीं हैं। विस्तार कार्यकर्ता अधिक से अधिक केवल गांव के दूकानदारों और शहर से पूर्ति करने वालों से यही अनुरोध कर सकता है कि वे ग्रामीणों की इन नई मांगवाली चीजों को अधिक मात्रा में अपने पास रखें। इस विषय पर हम एक अन्य अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

इसी तरह सुधरी खेती के लिए ऋण की सुविधा भी जरूरी है, विशेषतया उन जगहों पर जहाँ पर बचत की कम से कम आशा है जैसा कि इन दिनों गांवों में है। यहाँ भी विस्तार केवल एक विशेष प्रकार की सुविधा की मांग पैदा करता है जिसकी पूर्ति यह स्वयं नहीं कर सकता है। यदि विस्तार सेवा को ही आंशिक रूप से बैंक व्यवस्था भी बना दिया जाय तो विस्तार कार्यकर्ता का गांववालों के साथ दोस्ती और साथी का व्यवहार समाप्त हो जायगा क्योंकि इसके लिए तमाम व्यवस्था करनी पड़ेगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अन्य चीजों की पूर्ति की जिम्मेदारी की तरह ऋण का कार्य भी विस्तार सेवा के अतिरिक्त किसी दूसरे सूत्र को देना चाहिए।

द – पाठशाला तथा महाविद्यालयों की शिक्षा

पाठशालाओं के बाहर ग्रामीणों को मिलनेवाली शिक्षा ही विस्तार है। यह कार्य बहुत ही जरूरी है परन्तु इस तथ्य से इन तथ्यों का खंडन नहीं हो पाता, (१) कि गांवों में प्रारम्भिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अधिक से अधिक संख्या की जरूरत है, और (२) विस्तार सेवा स्वयं भी अपने कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पानेवालों में से ही चुनें। फिर भी प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का संस्थापन विस्तार की जिम्मेदारी नहीं है। विस्तार इनकी भी मांग बढ़ा देगा किन्तु उनकी सुविधा देने के कार्य की जिम्मेदारी सरकारी सूत्रों अथवा अन्य निजी सूत्रों पर ही है।

२. ग्रामीण विकास के साथ विस्तार के सम्बन्ध की समस्या

जिन देशों में विस्तार का पहले पहल विकास हुआ, वहाँ पर बहुत से ऐसे सूत्र भी पहले से ही थे जिनके कार्यों को विस्तार कभी कर नहीं सकता। बहुत से पश्चिमी देशों में जन-निर्माण के पर्याप्त विभाग, उचित और अच्छी राजनीतिक संस्थाएं, व्यवसाय के ठोस और जिम्मेदार सूत्र तथा ऋण देनेवाले सूत्र पहले से ही मौजूद थे। कुछ देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, विशेषतया संयुक्त राज्य अमेरिका में, निःशुल्क प्रारम्भिक पाठशालाएं थीं, जिनमें व्यवहारतः हर एक बच्चा बुनियादी शिक्षा पा सकता था। विश्वविद्यालय की शिक्षा अधिकांश लोगों की आर्थिक पहुंच और हित के बाहर होने पर भी, बहुत अधिक फैली हुई थी। इसलिए इन सभी कार्यों को एक विस्तृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में, जो एक ही प्रशासन के अन्तर्गत हों, देने का विचार ही नहीं उठा[१]।

---

[१] ऋण के विषय के अतिरिक्त। बहुत बाद में कृषि-क्षेत्र में ऋण व्यवस्था की देखभाल की योजना चालू हुई जिसके बहुत से पहलू 'विस्तार योजना' जैसे ही थे परन्तु इसे यहाँ वर्णन करने के लिए बहुत अधिक स्थान चाहिए। इसके उदाहरण के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र-संरक्षण प्रशासन (फील्ड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन) को ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं।

परन्तु भारत में मुख्यतः दो कारणों से इन सभी को एक सूत्र में गूंथ देने के प्रयत्न हुए जिससे विस्तार की फल साधना के लिए ही संकट उपस्थित हो गया। इन कारणों में एक जनकार्य, व्यवसाय, ऋण और राजकीय ग्रामीण-सेवाओं की वर्तमान ग्रामीण सुविधाओं के प्रसार और सुधार की आवश्यकता है जिनसे मनुष्यों, पशुओं तथा पेड़-पौधों के सभी रोगों के विशेष रूपों तथा संक्रामकों पर पूरे तौर पर नियंत्रण किया जा सके। दूसरा कारण वित्तीय संकट है जिसके कारण 'बहु-धंधी' गांव कर्मचारी का नियुक्त करना ही अधिक अच्छा समझा जाता है। इन दोनों ही कारणों से वास्तविक जरूरत की झलक मिलती है और हमेशा अच्छा यही होता है कि सम्बन्धित कार्यक्रमों को एक में गूंथ दिया जाय। समस्या यह है कि इन जरूरतों की पूर्ति कैसे की जाय जिससे पूरे कार्यक्रम के किसी भी पहलू पर इसकी प्रतिक्रिया न हो।

ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं से विस्तार को किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय जिससे विस्तार का शैक्षिक लक्षण भी बना रहे? इस प्रश्न का जवाब एक अन्य प्रश्न के उत्तर से ही मिल सकता है। विस्तार का विशिष्ट शैक्षिक गुण किन बातों पर निर्भर है? ये दो बातों पर आश्रित है :–

(१) गांव कार्यकर्ता के कार्य की परिभाषा की विधि और काम करने की विधि पर ही विस्तार का स्पष्ट शैक्षिक गुण आश्रित है।

(२) **किसी प्रकार की व्यावसायिक अथवा क्रम स्थापित करनेवाली जिम्मेदारी के बिना** ही विस्तार कार्यकर्ता के गांववालों का मित्र और अध्यापक होने पर ही विस्तार का समस्त शैक्षिक गुण आश्रित है।

इस पुस्तक के शेष हिस्से में हम पहली बात पर ही प्रकाश डालेंगे। दूसरी इस समस्या की कुंजी है कि विस्तार को किस प्रकार हम गांव विकास की अन्य योजनाओं से सम्बन्धित कर सकते हैं। **गांवों के स्तर पर ही विस्तार कर्मचारियों का शैक्षिक व्यापार पूर्णतया शुद्ध रखने की जरूरत है।**

यही कम से कम जरूरत है जिसमें हम अलग से एक प्रशासन रख सकते हैं जिसका सबसे बड़ा अधिकारी ज़िला विस्तार अधिकारी हो सकता है। इसका सीधा सम्बन्ध पूर्ति, निर्माण, ऋण, तथा अन्य सेवा-व्यापारों से नहीं होता है, वह इनकी ज़िला समितियों का सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष नहीं।

सर्वोत्तम तो यह हो कि विस्तार प्रशासन राजकीय स्तर पर संगठित हो परन्तु यदि किसी भी कारण से ऐसा न हो सके तो इतना दृढ़ निश्चित है कि विस्तार प्रशासन ज़िलों के स्तर पर संगठित हो। इसके अलावा इसे स्वायत्त सत्ता प्राप्त होनी चाहिए और ज़िला अध्यक्ष से लेकर गांवों तक अलग कर्मचारी होने चाहिए।

ग्राम-विकास के विविध कार्यक्रमों में, जिनमें सभी जरूरी हैं, विस्तार एक है। अकेले विस्तार ही सम्पूर्ण सेवा नहीं कर सकता है। एक ओर तो ग्राम विकास के सर्वांगीण प्रयत्नों के एक पूर्ण अंग के रूप में, इन योजनाओं से हल्का सम्बन्धित होना अनिवार्य है, और दूसरे इसे अपना शैक्षिक विशिष्ट गुण भी ऋण, निर्माण और पूर्ति आदि की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र रूप में संरक्षित रखना है।

वादविवाद के लिए बातें:

१—विस्तार कार्यकर्ता को ग्रामीण, राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलबन्दी से बिल्कुल ही अछूता रहना क्यों जरूरी है? क्या विस्तार सिद्धांत से इस विस्तार कार्यकर्ता के भारतीय नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों पर भी कोई प्रभाव पड़ता है?

२—यदि कोई विस्तार योजना गांववालों की वांछित वस्तुओं और सेवाओं, ऋण, या शैक्षिक सुविधा—जैसे गांव में पाठशाला आदि की पूर्ति का—उत्तरदायित्व लेती है तो कौन सी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं?

द्वितीय भाग

विस्तार के मूल तत्व

इस पुस्तक के पहले भाग में हमने भारतीय पृष्ठभूमि से, जहाँ पर विस्तार की रूपरेखा निर्धारित हो रही है, सम्बन्धित विस्तार की परिभापा देने का प्रयत्न किया है। हमने देश के ग्रामीण जीवन की समस्याओं को सुलझाने में तात्कालिक जरूरत की दृष्टि से इस चित्र के दोनों पहलुओं को प्रकट करने की कोशिश की है। हमने इसकी अन्त:शक्ति भी दिखाई है और ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक विविध प्रयत्नों में से एक होने के कारण इसकी परिमितता भी दिखाई है।

अव हम विस्तार-सेवा के संगठन, विधि और निश्चित कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करेंगे। इस पुस्तक के शेष भाग में इन्हीं विषयों की विवेचना रहेगी। हम यहाँ पर अपने विचार-विमर्श का आधार भारत में हुए अनुभवों को ही बनाना चाहते हैं। इनमें भी हम उन्हीं सिद्धान्तों और रीतियों या ढंगों को रखेंगे जिनकी परीक्षा ली जा चुकी है और जिन्हें सत्य पाया गया है। किसी भी सफल विस्तार-कार्यक्रम के लिए पांच मूल तत्वों की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार हैं:–

१ – जनता में पूर्ण विश्वास

२ – अपने काम की समझदारी

३ – उपयुक्त संगठन और प्रबन्ध

४ – ठोस विधियां और सामान

५ – पृष्ठभूमि का पूर्ण ज्ञान

पुस्तक के इस दूसरे भाग में हमारा ध्येय इन सभी मूल तत्वों को एक करना है। इसके लिए हमें प्रत्येक तत्व की विशेषता पर समुचित रीति से विचार-विमर्श करना और यह प्रदर्शित करना है कि वे सभी एक साथ किस प्रकार रखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ विषयों पर, विशेषतया तीसरे और चौथे पर, और अधिक विस्तारपूर्वक, जितना इस पुस्तक में दिया जा सकता है, विवेचना की जरूरत है।

चौथा अध्याय

मानवीय पहलू

विस्तार के प्रथम पांच प्रमुख तत्त्व: जनता में पूर्ण विश्वास

भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग गांधीजी के अनुकूल था क्योंकि जनता जानती थी कि गांधीजी उनमें विश्वास रखते थे। जनता में उनके इस विश्वास के कारण ही आत्मविश्वास और उत्साह की एक ऐसी धारा बह चली जो सारे देश में फैल गई और देश की आज़ादी के स्वप्न को मूर्तिमान् कर दिया। किसी भी विस्तार कार्यक्रम को सफल बनाना तब तक मुश्किल है जब तक कि इसमें हाथ बँटाने वाले लोग सच्चाई के साथ जनता में विश्वास नहीं रखते और इससे सहमत नहीं हैं कि हर आदमी में कुछ अन्तर्निहित शक्तियां हैं जिन्हें उद्बुद्ध करना विस्तार कार्यकर्ता का काम है। विस्तार में हम विशेषतया तीन वर्ग के विश्वासों से सम्बन्धित हैं:—

१ — गांववालों में विश्वास
२ — गांव-विस्तार कार्यकर्ताओं में विश्वास
३ — विस्तार विभाग के कर्मचारियों में विश्वास

१. गांववालों में विश्वास

ठोस विस्तार संगठन और व्यवस्था के सिद्धान्त इस दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं कि गांववालों में अपनी समस्याओं को हल करने की बहुत अधिक शक्ति अन्तर्निहित है। ये सिद्धान्त यह सच मान लेते हैं कि उन गांववालों की, जो विकल्पों की जानकारी हासिल कर लेते हैं, निर्णय शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। ये पहले से ही इसे मान बैठते हैं कि गांववाले विस्तार कार्यक्रम के आयोजन में सहायता देने के योग्य होते हैं। इस विश्वास पर ही उनकी स्थिति है कि लोग अपनी ही भलाई के लिए जिम्मेदारी के काम उठा सकते हैं और वे उस पर तभी अमल करेंगे जब समझ जायेंगे कि उचित समय आ गया है।

अभी तक के हमारे अनुभव भी यही बताते हैं कि गांववालों में इस प्रकार का पूर्ण विश्वास उचित ही है। **हमारे गांवसाथियों** की रिपोर्ट

में ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जिसमें गांववालों ने किसी सुझाव के प्रति, जो उन्हीं के हित में था, अनुकूलता ही नहीं दिखाई वरन् उन्होंने ऐसे प्रयास शुरू किए जिनकी किसी को उम्मीद भी न थी। निश्चय ही वे औरों की तरह गलतियां करते हैं, परन्तु वे यह भी जानते हैं कि उनका **गांवसाथी** उनमें विश्वास रखता है, उसका विश्वास है कि गांववाले बुद्धिमान हैं और गांववालों की गलतियों के समय भी वह उनका साथ देगा। गांव-वालों ने जिम्मेदारी उठाने और किसी कार्य में दिलचस्पी लेने की ओर किसी भी तरह का प्रयोग करने में जो तत्परता दिखाई उसने तो हम लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया। इसके पहले गांववालों का रुख इस प्रकार था, यदि किसी गांव के कुएं में सफाई अथवा मरम्मत की जरूरत होती तो वे किसी बाहरी अथवा सरकारी लोगों की प्रतीक्षा में रहते थे कि वे ही आकर इस काम को पूरा करें। अब हमारे ग्रामीण भाई अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरी करने में वे अपना समय और धन लगाने को तैयार रहते हैं। वे किसान, जो कतार में बुवाई और हरी खाद के फायदों से परिचित हो गये हैं, अब दूसरी किस्म के सुधार की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सुझाव सम्भवतः किसी गांवसाथी ने नहीं रखा है।

जमुनापार पुनर्निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में गांववालों में इस प्रकार की निष्ठा या विश्वास इस आशा से पैदा किया गया जिससे कि वे इस स्तर तक ऊँचे उठ सकें। परन्तु इन दो वर्षों के बाद गांववालों में विश्वास का आधार यह निश्चित जानकारी है कि वे योग्य और कार्यक्रमों के अनुकूल रहते हैं।

२. गांव-विस्तार कार्यकर्ता में निष्ठा या विश्वास

गांववालों में निष्ठा पर ही किसी विस्तार कार्यक्रम की सफलता आश्रित है। इसके समान ही इसकी सफलता गांव-विस्तार कार्यकर्ता पर भी आश्रित हैं जिन्हें जमुनापार पुनर्निर्माण में हम **गांवसाथी** कहते हैं।

भारत में विस्तार की अन्य योजनाएं भी चल रही हैं जिनका आधार यह तीन पहलूवाला सिद्धान्त है जो हमारे कार्यक्रम से भिन्न है और जिसका मत है कि:

(१) गांववालों को यह बताने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए।

(२) इन्हें गांव-कार्यकर्ताओं द्वारा—जो शिक्षा में उनसे थोड़े ही अधिक हैं परन्तु जिनमें स्वयं भी न तो यह योग्यता ही है और न पृष्ठ-भूमि ही, कि वे किसी निर्णय पर पहुँच सकें—बताने की जरूरत है कि कार्यक्रम क्या होना चाहिए। और,

(३) इन कार्यकर्ताओं को प्रशासकों और विशपज्ञों से निर्देश मिलने चाहिए। वे लोग यह जानते हैं कि गांववालों को क्या करना चाहिए और गांव-कार्यकर्ता गांववालों के सामने कार्यक्रम किस प्रकार लावें।

इन तीनों ही बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि यह सिद्धान्त गलत है। सबसे पहले तो उसकी सबसे बड़ी भूल यह है कि यह गांववालों की शक्ति का अवमूल्यांकन कर रहा है।

दूसरी भूल उसकी यह है कि उसे यह नहीं मालूम है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति एक अच्छा गांव-कार्यकर्ता हो सकता है। किसी **गांवसाथी के लिए किसी भी परिमाण तक शिक्षा** पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। यद्यपि **कुछ तरह की शिक्षा** उसके लिए गलत हो सकती है। उसकी विशिष्ट जिम्मेदारी के लिए उसे विशेष तरह की शिक्षा की जरूरत है। जब उसे इस तरह की शिक्षा की जरूरत है तो जितना ही वह जाने उतना ही अच्छा है। परन्तु उसे यह मानना जरूरी है कि उसकी जानकारी गांववालों की जानकारी से ऊँची नहीं है, भिन्न जरूर है। यदि वह मानता है कि गांव-वालों की योग्यता उससे भिन्न है, (और प्रशासक की योग्यता गांव-कार्य-कर्ता से भिन्न है, ऊँची नहीं है) तो उसकी जानकारी जितनी ही अधिक हो उतना ही अच्छा है।

तीसरे, कि प्रशासक ही गांव-कार्यकर्ताओं को बतावें कि उन्हें क्या करना है। इस सिद्धान्त में दो हेत्वाभास हैं: पहला तो यह है कि गांव-कार्यकर्ता की अपेक्षा प्रशासक अधिक अच्छी स्थिति में नहीं रहता है कि वह जान सके कि गांव में क्या हो रहा है। गांववालों के अनुभवों और उनकी भावनाओं को ध्यान में रख कर उनके हित के लिए किसी तरह का कार्यक्रम बनाने की अपेक्षा प्रशासक हमेशा कागज पर बनाये गये कार्यक्रमों के अनुसार ही काम करता है। प्रशासकों की शिक्षा का ढंग ही ऐसा रहा है, जिसके अनुसार वे अधिक शिक्षित और अनुभवी कहे जाते हैं, कि जिससे ये लोग गांववालों की भाव-नाओं और उनके रहन-सहन से बिल्कुल दूर और अलग मालूम पड़ते हैं।

दूसरा हेत्वाभास यह गलत धारणा है कि गांव के कार्यकर्ता उस समय अधिक सफलता हासिल करते हैं जब उन्हें ऊपर से निर्देश मिलते रहते हैं न कि उस समय जब कि वे अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यदि किसी भी अच्छे गांव कार्यकर्ता को किसी स्वेच्छाचारी अधिकारी के मातहत रख दिया जाय तो सम्भवतः वह उतना ही काम करेगा जितना उससे कहा जायगा, उससे जरा भी अधिक काम नहीं करेगा। किसी गांव कार्यकर्ता को एक ऐसे प्रशासक के मातहत ही एक साथी के रूप में काम करने को आज़ाद छोड़ दीजिए, जो प्रशासक उसे आज्ञा नहीं देगा वरन् उसके कार्य में केवल सहायता करेगा, जो अपना परिसीमन जानता है और जो गांव-कार्यकर्ता की किसी भूल के समय में भी उसका साथ देने को तैयार रहता है। ऐसी दशाओं में किसी भी योजना में सभी गांव-कार्यकर्ताओं की पूरी पूरी शक्ति, बुद्धि और साहस खुलकर खेलेंगी और अधिक सफलता की सम्भावना रहेगी।

३. विस्तार के समस्त कर्मचारियों में निष्ठा

गांव-कार्यकर्ता में निष्ठा या पूर्ण विश्वास तो जरूरी है ही, परन्तु किसी भी अच्छी और सफल विस्तार-योजना के लिए यह भी जरूरी है कि योजना के सब कर्मचारी आपस में भी—चाहे वे प्रधान कार्यालय में हों या गांवों में काम कर रहे हों—एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखें। यह सही है कि किसी भी योजना में गांव-कार्यकर्ता का प्रमुख स्थान है परन्तु उसके ये माने नहीं हैं कि अन्य कर्मचारियों का कोई महत्व ही नहीं है। उन्हें तब तक कमजोर और असफल कहा जायगा जब तक उनके साथ प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों का दल नहीं है। योजना के अखबार का सम्पादक, चाक्षुप सहायताओं (विजुअल एड्स) के वितरण का व्यवस्थापक, मेला और अल्पकालिक प्रशिक्षण के संगठन करनेवाले, तथा प्रधान कार्यालय के अन्य सभी कर्मचारी योजना की सफलता के लिए समान रूप से जरूरी हैं। इन्हीं लोगों के कामों पर ही गांव-कार्यकर्ता की सफलता आश्रित है। इस तरह आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास, तथा कार्यकर्ताओं की इस पूरी फौज के हर व्यक्ति की सेवाओं की मान्यता का योजना में बहुत अधिक महत्व है।

विस्तार की सफलता लोगों में विश्वास, ग्रामीणों में पूर्ण निष्ठा—जिसका यह कारण हो कि वे अपनी कठिनाइयों को हल करने में समर्थ हैं—गांव-विस्तार कार्यालयों में निष्ठा—जो इस पर दृढ़ हो कि वे स्वेच्छानुसार काम

करने की आजादी मिलने पर सच्चाई और रचनात्मक ढंग से कार्य करने की क्षमता रखते हैं–योजना–जो सभी कर्मचारियों की समान रूप से महत्ता स्वीकार करती है–सभी कर्मचारियों के पारस्परिक भरोसे, और सम्मान पर ही आश्रित हैं।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – विस्तार सिद्धान्तों में किन आधारों पर यह कहा जाता है कि गांववालों में अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल करने की क्षमता और साधन-सम्पन्नता है? यदि यह एक ठोस सिद्धान्त है, तो गांव के लोग आगे बढ़ने में अभी तक क्यों असफल रहे?

२ – किसी भी विस्तार योजना के कर्मचारियों में आपस में एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और विश्वास की भावना को किस तरह विकसित किया जा सकता है?

पांचवा अध्याय

ध्येय के साथ काम

विस्तार के पांच मूल तत्वों में दूसरा है: अपने काम की समझदारी

किसी भी तरह के काम में पहले से ही यह बताना बहुत ही कठिन है कि इस कार्य का प्रेरणा-श्रोत क्या होने वाला है। आरम्भ का प्रोत्साहन तथा सदा बढ़ना रहनेवाला प्रोत्साहन, दोनों के लिए ही हमेशा जागरूक रहना है। यांत्रिक यातायात के विचार की अभिलाषा बिना लोग वर्तमान पेचीदा स्वयंचालित कारखाने नहीं बना सके होते। इस उद्योग के लगभग सभी अगुआ तबके छोटे लोग थे जिन्होंने साइकिल की मरम्मत करने जैसे छोटेमोटे कार्यों मे रोजी कमाना शुरू किया और अपना सारा समय और धन बड़े-बड़े विचारों को साकार करने में खर्च कर दिया। इसी को हम काम की समझदारी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में काम की समझदारी उसी समय कही जाती है जब उसमें उस काम के प्रति लगन जीविका कमाने की लगन से अधिक होती है और जब वह एक ऊँचे लक्ष्य के पाने के लिए प्रेरणा और शक्ति पाता है।

अ – नया कार्य-क्षेत्र कैसे तैयार होता है

देर या सवेर किसी काम को शुरू करनेवाला व्यक्ति अपने नये प्रयत्नों से दूसरों को प्रेरणा देने लगता है। नये काम के प्रति कुछ लोगों का उत्साह दूसरों को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार किसी रोजगार विशेष में काम करनेवालों की संख्या बढ़ती जाती है। काम के ढंग का भी विस्तार होता है और काम के ढंग और व्यवस्था की दृष्टि से ध्येय मूर्तिमान् होता नजर आता है।

उदाहरण के लिए हम भारत की आज़ादी की लड़ाई ही लें। इसके आरम्भ में ही यदि कुछ लोगों ने आज़ादी का सैनिक बनना ही अपना पेशा बना कर आदर्श न रखा होता तो सैकड़ों हजारों भारतीय कभी इस दिशा में न मुड़ होते। इन अगुओं में दादाभाई नौरोजी से लेकर आगेतक एक आदर्श के प्रति भक्ति और सिद्धान्त-पूर्ण निःस्वार्थ जीवन की नींव डाली। ज्यों ज्यों आज़ादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा और उसका संगठन विस्तृत हुआ

त्यों त्यों इन शुरू के कार्यकर्ताओं के पीछे चलनेवाले भी अधिकांशतः इसे ही अपना पेशा बनाते गये।

उन सभी लोगों के उदाहरण से, जो नये कार्य के पूर्ण हो जाने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं, एक नया कार्य-क्षेत्र अपना पेशा समुन्नत करता है। इस प्रकार सिर्फ दादाभाई नौरोजी के ऐतिहासिक उदाहरण ने ही तीस वर्ष तक भारत के युवक क्रान्तिकारियों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा नहीं दी। संभवतः यह गांधीजी के उदाहरण के कारण भी न हुआ हो जिसने नये युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनका पेशा बताया। हो सकता है कि यह उस स्वयंसेवक का उदाहरण रहा हो जिसने स्वयंसेवकों की भावना को स्वार्थ-त्याग के साथ नवीन कार्य की आवश्यकता के लिए जागृत किया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ही अन्तिम उदाहरण नहीं है। ऐसे बहुत से दूसरे उदाहरण भी हैं जिनमें आदर्शों से ही नये निर्धारित पेशों का प्रदर्शन हुआ। आप सोचें तो पता चलेगा कि मध्ययुग में कोढ़ियों के प्रति लोगों का कैसा बर्ताव था, वे गन्दे समझे जाते थे, परन्तु पादरी डेमियन की निस्वार्थ भक्ति ने इस विचार-धारा में कितनी क्रान्ति ला दी; बंगाल के कुछ अज्ञात मछुओं ने ही, जो साहस पूर्वक समुद्र के किनारे घूमा करते थे, पहली बार समुद्री व्यापार व्यवस्था चलाई जो बाद में चीन तक फैल गई; किस प्रकार गेलील्यिो ने, जिसके विचारों को उस समय घोर नास्तिकता समझा गया, विज्ञान की दिशा में नये आविष्कारों की ओर प्रेरित किया।

अपने अपने समय में सभी विचार-धारायें क्रान्तिकारी थीं और प्रत्येक ने नये और दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ते हुए उन लोगों को खोज लिया जिनमें अपने पेशेके प्रति गहरी भावना थी। जब किसी ध्येय की पूर्ति के लिए बहुत से लोग काम करने लगते हैं तभी यह काम पेशा बन जाता है। भारत में भी विस्तार कार्य इसी स्तर पर है।

ब—नया काम किस प्रकार पेशे का रूप लेता है

किसी प्रकार की नई सेवा शुरू करने के लिए दो बातें अवश्य पूरी होनी चाहिए:

१—**सेवा की तात्कालिक मान्यता की आवश्यकता:** भले ही यह मान्यता कुछ लोगों की बौद्धिक धारणा के अलावा और कुछ न हो अथवा केवल कुछ पदारुढ़ों तक ही सीमित हो, इस धारणा को, चाहे वह बाह्य हो अथवा गूढ़ हो, बहुत लोग मानते हैं जो समस्याओं और उन्हें हल करने के तरीकों, दोनों को ही जानते हैं।

२ – **काम के लिए सही किस्म के पर्याप्त लोग:** यह निश्चित है कि हमारी इस उड़ान के लिए ऐसे बहुत लोगों की सहमति मिलना जरूरी है, जिनमें निजी प्रेरणा साधारण लोगों की अन्यमनस्कता या वैमनस्य को दबाने के लिए पर्याप्त हो। सच तो यह है कि कुछ निष्ठावान व्यक्तियों की मनाकी पर आधारित प्रयोगों ने ही सारी दुनिया की उड़ान को आजकल सरल बना दिया है।

हमें यहाँ पर भारत में विस्तार की आवश्यकता की विवेचना करने की जरूरत नहीं है। यदि भारत में विस्तार को हम एक सफल सेवा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए विस्तार की दूसरी जरूरत–उचित ढंग के कार्यकर्ताओं की पर्याप्त संख्या–पर इस अध्याय में सविस्तार विवेचना करने की बहुत बड़ी जरूरत है।

अब सवाल यह उठता है कि 'उचित ढंग के लोग' से विस्तार में हम क्या समझते हैं? निश्चयही ऐसे लोग जिनमें अपने काम के प्रति धुन और लगन होती है। परन्तु विस्तार में सच्ची धुन किन किन बातों पर आश्रित है?

कोई व्यक्ति अपने परिवारवालों की राय बिना ही 'सन्यास' अथवा अन्य धार्मिक प्रतिज्ञा ले लेता है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की उस विषय में धुन है। इसी तरह यदि कोई पादरी अथवा चर्च का मंत्री भी अपने कार्य में अपने को लगाए रखता है, तो यही उसकी धुन है। बहुत से चिकित्सक भी अपनी आन्तरिक प्रेरणा के नाते मानव समाज की सेवा करने में ही अपने को लगा देते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि काम के प्रति उनकी लगन की भावना दृढ़ और बलवती है।

ये तो उच्च कोटि के उदाहरण हैं। अनुमान किया जाता है कि भारत में सन् १९६१ के अन्त तक कुल २३०,००० विस्तार कार्यकर्ताओं को तैयार और प्रशिक्षित करना है, अस्तु ऊपर के उदाहरणों जैसी लगन की उम्मीद इन सभी से नहीं की जा सकती है। अब हम उस परिस्थिति पर विचार करें कि जिसमें पाठक स्वयं विकास क्षेत्र में कार्य करने की अपनी योग्यता पर विचार करता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले चुनाव की यह सहज प्रक्रिया है जो कि इस कार्य की पहेली है।

विस्तार के लिए धुन: विस्तार सेवा के किसी भी स्तर में जो कोई भी काम करना चाहे उसके लिए यह आवश्यक है कि इस काम के लिए उसकी आन्तरिक प्रेरणा होनी चाहिए। यह सही है कि हम सभी अपनी इस आन्तरिक प्रेरणा को धोखा दे सकते हैं, परन्तु इस अध्याय–खास तौर से

विस्तार के प्रति पेशेवर लगन की मौलिक जरूरतों से सम्बन्धित अन्तिम अध्याय—के ध्यानपूर्वक अध्ययन से पाठको को अपनी जाँच का एक रास्ता मालूम हो जायगा। जिस प्रकार हम किसी धर्म के प्रति पेशेवर लगन को व्यक्ति विशेष से ही जान सकते हैं कि उसमें आन्तरिक प्रेरणा है या नहीं उसी प्रकार विस्तार के विषय में भी समझिए। अन्य अनुभवी लोग विचार-विमर्श करके उसकी सहायता कर सकते हैं, परन्तु वे उसकी आत्मा के आन्तरिक सत्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं।

यह एक तथ्य है कि विस्तार, जो शैक्षिक धन्धे का एक विशेष अंग है, अपने कार्य-कर्ताओं से धार्मिक लगन के ही समान पूर्ण लगन की मांग करता है और इसमें निश्चय ही इंजिनियरिंग या भवन निर्माण कला के पेशे के प्रति लगन से अधिक लगन की जरूरत है। विस्तार सेवा को हम किसी व्यावसायिक संस्था जैसे एक कारखाने की तरह संगठित नहीं कर सकते हैं। लोगों को उन के आन्तरिक गुणों की, उनकी पहले की शिक्षा (जिसमें परिवार में मिलने वाली शिक्षा भी है), और इस काम के लिए उनकी सम्भावित लगन की अवहेलना करके विस्तार सेवा के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। इस कार्य के लिए अयोग्य व्यक्ति को विस्तार-कला के सर्वोच्च साधनों से प्रशिक्षित करने पर भी हम उचित विस्तार-कार्यकर्ता नहीं तैयार कर सकते हैं।

स — विस्तार-कार्यकर्ताओं के स्रोत

इस समय जब हम विस्तार-कार्यकर्ता के लिए जरूरी गुणों के मूल्यांकन करने का रास्ता बना चुके हैं, विस्तार-कार्यकर्ताओं के पाने के आधार और दोनों महान् स्रोतों पर एक नजर डालना जरूरी समझते हैं, यद्यपि बहुत से ऐसे स्रोत भी हैं जो इन दोनों के मध्य में पड़ते हैं :—

१—युवक या युवती के पेशा चुनने का समय : यह स्कूल की शिक्षा के बाद या अधिक से अधिक डिग्री की शिक्षा के पहले वर्ष तक विशेष योग्यता के लिए किसी विषय को चुनने के पहले की वयस्कावस्था होती है।

इस वर्ग से ही ग्रामसेविकाओं और ग्रामसेवकों का अधिक संख्या में चुनाव होता है। उचित ढंग के लोगों के, जो कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हों, चुनाव के लिए यह जरूरी पाया गया है कि शैक्षिक योग्यता के लिए परवाह कम ही की जाय। गांवों में काम करने वाले बहुत से ऐसे विस्तार-कार्यकर्ता भी हैं जो सातवीं कक्षा तक भी नहीं पढ़े हैं। गांधी-वादी ढंग से रहने वाले बहुत से रचनात्मक कार्यकर्ता भी हैं। हमें अपने

इलाहाबाद के अनुभवों से पता चला है कि कृषि-शास्त्र में डिगरी प्राप्त लोगों में इनका बहुत ही अच्छा समन्वय है। गांवों में काम करने के लिए किसी भी पुरुष या महिला को योग्य ठहराने में काम के प्रति लगन का निर्णयकारी हाथ रहता है।

प्रशासकीय और विशेषज्ञ विभाग में जहाँ से गांव में काम करनेवाले विस्तार कार्यकर्ता को सब तरह की सहायता मिलती है, काम करनेवाले विस्तार कार्यकर्ताओं की पारस्परिक प्रभावशीलता को नापना बहुत ही अधिक कठिन काम है। यहाँ तक कि गांव के बाहर काम करनेवालों की शैक्षिक योग्यता के विषय में प्रायोगिक सुझाव भी नहीं दिया जा सकता है। सम्भवतः इस दिशा में किसी प्रकार का निश्चित निर्णय देना समय के बहुत पहले है।

विस्तार कार्य के उच्चतर स्तर में जहाँ पर बहुत ही पेचीदी नीति और किस्म के संगठन और देख-भाल की जरूरत है, यह कहा जा सकता है कि ऐसे पदों पर जीवन शुरू करनेवाले लोगों को नियुक्त करना न तो सम्भव रहा है और न सम्भव रहेगा।

२ - अनुभवी महिला या पुरुष, जो किसी दूसरे पेशे में थे परन्तु वे विस्तार सेवा में या तो नियुक्त किए जाने वाले हैं या नियुक्त किये जा चुके हैं। कुछ वर्षों तक हमें इस दूसरे वर्ग से ही विस्तार सेवा के ऊँचे स्तर के अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए। जब तक हमारे विश्वविद्यालयों में विस्तार प्रशिक्षण की जिसमें व्यावहारिक क्षेत्र ज्ञान भी हो पूरी सुविधा नहीं होती, जिससे दसवीं कक्षा पास या कालेज के पहले साल के विद्यार्थी को विस्तार के पेशे के योग्य नहीं बना दिया जाता है, हमें इस दूसरे वर्ग पर ही विस्तार कार्य के संगठन, प्रचलन और नियमित करने तथा उन सभी विशेष कार्यों के लिए जिनकी हमें विस्तार, कृषि अथवा अन्य विभाग के क्षेत्रों में जरूरत पड़ती है, भरोसा रखना होगा। यह पूरा विषय ही इस पुस्तक की परिधि के बाहर पड़ता है।

अभी हमको कुछ दिनों तक विस्तार प्रशासकों, संगठन करनेवालों और विशेषज्ञों को, कुछ को छोड़ कर, या तो विदेशों से रखना है या उन प्रौढ़ भारतीयों को रखना है जिन्हें इस पेशे का कोई अनुभव नहीं है। सम्भवतः यह दशा एक या दो पीढ़ी तक बनी रहेगी।

वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं के चुनाव की सम्भावना यहाँ बहुत व्यापक है परन्तु यह हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत से लोग अपना पेशा बहुत बाद में अपनाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ५० वर्ष की अवस्था के बाद अपनी

लगनवाले काम शुरू करते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए हम भारतीय प्रशासन के कर्मचारियों अथवा समाज सेविकाओं को रख सकते हैं जो अपने जीवन भर विस्तार के काम से अलग रहे, जिन्हें इसके लिए उचित अवसर ही नहीं मिला। सम्भवतः उन्हें प्रशासन के नए ढंगों को सीखना पड़े, जिनपर उन्हें आश्चर्य भी हो। और उन्हें मूल्यांकन के व्यावहारिक पहलू को भी समझना पड़ेगा जो, विशेपतया एक अधेड़ व्यक्ति के लिए, नया सिरदर्द हो। परन्तु इन परिवर्तनों से ही सच्ची निष्ठा की परीक्षा हो जायेगी और वह अधिक दृढ़ हो जायेगी। अव समस्या यह है कि हम चुनाव की समस्या को किस तरह इस स्तर पर लावें कि जिसमें उस व्यक्ति विशेप की निप्ठा के आधार पर ही यह निर्णय हो सके कि वह महिला या व्यक्ति, अपने जीवन के शेप समय में विस्तार कार्य में लगी रह सकती है अथवा नहीं।

ऊपर वताए गए विस्तार कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अव हम विस्तार के **सभी कार्यकर्ताओं** के लिए निष्ठा की परिभापा दे सकते हैं। यहाँ पर निपेधों से चलना आसान पड़ता है।

अच्छे वेतन या भविष्य से ही, जिसमें एक राप्ट्रीय जरूरत को पूरा करने के लिए काम को शुरू करने में उठाई हुई कठिनाइयों के वदले आदर और सम्मान पाने की आशा भी है, विस्तार के लिए अच्छे और योग्य कार्य-कर्ता नहीं मिल जायेंगे। विस्तार के नीचे स्तर पर वेतन, वर्तमान समय में, वहुत आकर्षक नहीं है परन्तु इसे और अधिक कर देने से भी अच्छे कार्य-कर्ताओं का चुनाव नहीं हो जायगा। उच्चतर स्तरों पर शायद सम्मान का अधिक महत्व है। यदि हम इस सम्मान या प्रतिप्ठा को सम्पर्क या प्रचार आन्दोलनों द्वारा वढ़ा भी दें तो भी उचित ढंग के लोगों को विस्तार सेवा में आर्कषित नहीं किया जा सकता है।

उच्चतर स्तरों पर भी विचारणीय योग्यता के, विशेपतया राजकीय सेवा के, जिसमें कि नये और समस्यात्मक काम करने पड़ते हैं, आधार पर भी उचित ढंग के कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं हो सकता है। ऊँचे ढंग की योग्यता, विशेप तरह का उत्साह, प्रशासकिय गुण तथा अन्तर-सेवा में चतुराई जैसे—गुण इसके लिए धरोहर होते हैं, परन्तु ये सभी गुण एक अच्छे विस्तार-कार्यकर्ता का पूरा पूरा चित्र उपस्थित नहीं करते हैं, और विशेष प्रशिक्षण भी, चाहे किसी भी अवस्था में कितना भी क्यों न दिया जाये, लगन जागृत नहीं कर सकता है।

जैसा कि पहले वर्ग के सम्वन्ध में ऊपर स्पष्ट किया गया है इलाहावाद के हमारे अनुभवों मे पता चलता है कि गांधीवादी ढंग से रहने वाले रचनात्मक कार्यकर्ता भी टेक्निकल शिक्षा प्राप्त लोगों की तरह ही वहुत अच्छे विस्तार कार्यकर्ता होते हैं। परन्तु अव लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि गांधीवादी ढंग मे रहने के नाते ही किसी व्यक्ति में गांव की सेवा करने की लगन होना जरूरी नहीं है। कोई भी महिला या पुरुष, आज़ादी की लड़ाई में, समाज की भलाई के कामों में, या अहिंसा के रास्ते पर चलने में स्वार्थत्याग करने के नाते ही जीवन भर विस्तार कार्यकर्ता बने रहने की लगन रखने वाला नहीं कहा जा सकता है।

सम्भवतः अभी ऊपर वताए गए तरह के लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी आन्तरिक लगन का सही सही मूल्यांकन करें। सौभाग्य से वे इस तरह के लोग होते हैं जिनका झुकाव अपनी अन्तरात्मा ढूँढ़ने की ओर सदा रहता है। इस प्रकार के आत्म-जागरण के कारण वहुत ही सरल हैं। गांधीवाद ऐसी भावनायें जागृत करता है जो अपने आदर्श की महानता के अनुसार ही दृढ़ होती है। गरीबी को दूर करने तथा इससे सामाजिक बुराइयों को सुधारने के लिए गांधीवादियों का निजी दृष्टिकोण, भले ही वह बौद्धिक क्यों न हो, शायद ही कभी विषयोन्मुख हो, परन्तु इतना तो है कि इन कामों की ओर इनका दृष्टिकोण औसतन आत्मिक होता है। उस शक्तिशाली भावना के, जो गांधीवादी तथा इस कार्य के प्रति उसकी आत्मिक विचारधारा को संचालित करती है यह दोनों तत्व ऐसे हैं जिनसे हम किसी भी समय विस्तार में सेवा के लिए सच्ची लगन के धोखे में पड़ सकते हैं।

ड — मानवीय सम्पर्क : एक स्पष्ट अंग

कोई जहाँ तक कार्य के अस्पष्ट तथ्यों का विश्लेषण करता है, यह मानवीय सम्पर्क के अस्पष्ट क्षेत्र में ही मिलते हैं। एक स्कूल का कोई भी अच्छा अध्यापक दूसरे मनुष्यों में भी इस प्रकार की विशेष रुचि रखता है, परन्तु तो भी प्रौढ़ों की अपेक्षा वच्चों और वयस्कों में उसकी रुचि अपेक्षातकृत अधिक होती है। सम्भवतः छोटे वच्चों की समस्याओं का हल निकालना आसान है अथवा कम से कम कोई भी स्वयं ही यह गलत धारणा वना सकता है कि उसने समस्या का हल निकाल लिया है। परन्तु प्रौढ़ों के साथ इस प्रकार आसानी के साथ किसी भी समस्या का हल निकालना आसान नहीं है।

मानवीय सम्पर्कों में विस्तार-कार्यकर्ता की दिलचस्पी के लिए दो तत्व ज़रूरी हैं :—

१ — **वर्ग मनोविज्ञान** — कुछ ऐसे लोगों को चुन लेना संभव है जिन्हें एक विशेष तरह का प्रशिक्षण देकर अच्छे जन-सम्पर्क अधिकारी बनाया जा सकता है। एक अच्छे जन-सम्पर्क अधिकारी के लिए वर्ग-चिन्तन को समझने की शक्ति ज़रूरी है। उन्हें आम-भावनाओं तथा शीघ्र ही बदल जाने वाली उनकी चालों के बारे में तुरन्त प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षण से उसकी इन सब के समझने की शक्ति तेज हो सकती है, इसकी सहायता से विविध वर्ग के लोगों को पहचान सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है और उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार कर सकता है। परन्तु लोगों का अपने ही वर्ग में दृष्टिकोण प्रमुख गुण होता है जिसे प्रशिक्षण द्वारा ग्रहण नहीं कराया जा सकता है। इस गुण को, जिस किसी में भी हो, स्पष्ट किया जा सकता है और जरूर स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब गुण-वाले को अपने इस गुण का पता लग जाय तो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। जन-सम्पर्क और विस्तार सेवा दोनों ही कार्यो के लिए वर्गों के साथ काम करना जरूरी है परन्तु निश्चय ही विस्तार सेवा के लिए दूसरी तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है।

किसी भी विस्तार कार्यकर्ता में वर्गों के गुणों की खोज करने की क्षमता का खासतौर से होना जरूरी है। यदि विस्तार कार्यकर्ता सामूहिक रूप से कार्य न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग काम करना आसान समझता है तो भारतीय ग्रामीणों के साथ कार्य करने में असमर्थ होगा। इसके बाद ही दूसरा अधिक कठिन तत्त्व, जिसका वर्णन बाद में किया गया है, विस्तारकार्य में लगन के लिए अधिक अनिवार्य ह। परन्तु यह तत्त्व तब तक अकर्मण्य बना रहेगा जब तक कि कार्यकर्ता में वर्गों में संगठित लोगों की भावनाओं को समझ लेने की मौलिक शक्ति न हो।

२ — **व्यावहारिक सहानुभूति** — ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ़ना और भी अधिक मुश्किल है जो दूसरों को, जिन्हें सहायता की जरूरत है, सहायता देने में अपने को भूल जाते हों और दूसरों के काम को अपना ही काम समझते हों। इतना तो निश्चित है ही कि हर एक महिला या पुरुष अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार, जब वे प्रेम-पाश में बंधते हैं,

समान स्वार्थ-हीनता का परिचय देते ही हैं। पढ़े-लिखे लोगों में बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों के प्रेम-पाश में बंधने की तरह ही स्वाभाविक व अवश्यम्भावी रूप से उनकी **सेवा करने की भावना** जाग न उठती हो जो जीवन में किसी अच्छी स्थिति में नहीं हैं।

इस प्रकृति को उन्हीं लोगों में जगाया जा सकता है जिनमें पहले से ही यह बनी रहती है। परन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से पैदा नहीं की जा सकती है। जिन लोगों में सेवा करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और यदि एक बार भी उनकी सेवाओं को मान्यता मिल गई तो वे सेवा करने में पूरी दिलचस्पी लेंगे। इस कार्य के बिना वे रह नहीं सकेंगे। किसी प्रकार के प्रतिघात उन्हें दूसरों की सेवा करने से रोक नहीं सकेंगे। आप इस तरह का अनुभव उस समय करेंगे जब आप किसी जन्मजात गायक को संगीत से विमुख करें। परन्तु विस्तार या प्रौढ़ शिक्षा के लिए लगन रखने वाले व्यक्ति की इस प्रकार की सेवाओं के लिए वे गुण नष्ट भी हो सकते हैं। ज्योंही उसमें किसी प्रकार के कर्तव्य करने या स्वार्थत्याग की भावना आती है रही सही पेशेवर लगन भी खत्म हो जायगी।

बहुत से लोगों की भावना गरीबी देख कर ही पिघल जाती है, परन्तु इस अस्थायी भावना को ही किसी में सेवा की लगन नहीं समझ लेना चाहिए। अपने से कम सम्पन्न स्थिति के लोगों के प्रति सत्य-स्नेही व्यक्ति उन सब के, या बिलकुल सच कहें तो, कुछ के सुखदुख में हिस्सा बँटाता है। गरीबी के बारे में नियंत्रित रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही हम किसी भी लगनशील को पहचान सकते हैं और यह दृष्टिकोण तो उसी तरह है जैसा भारतीय-ग्रामीण अपनी ही दशा के बारे में रखता है। ऐसे पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्तियों में जिनमें दूसरों की सहायता करने की सच्ची लगन है, यही दृष्टिकोण ही ग्रामीणों की सभी समस्याओं का हल निकालने में तत्पर रखता है। फिर भी यह सम्भावना नहीं रहती है कि वह किसी भी प्रकार की निराशा या आशा में पड़कर सेवा कार्य से विमुख नहीं हो सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो पूरे तौर से निस्वार्थ होकर हर एक ग्रामीण के साथ किसी तरह का भेद-भाव रखे बिना अथक सहिष्णुता का वर्ताव करेगा वह भगवान् बुद्ध की तरह पूजा जायगा। यह सच है कि

हमें अपने विस्तार कार्यकर्ताओं का चुनाव बोधिसत्वों में से करने की आशा नहीं करनी चाहिए। इस पेशे में जो लोग आना चाहते हों उनकी सेवा करने की भावना चाहे कितनी ही पवित्र और सरल क्यों न हो, हमें इन्हीं लोगों में से अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव करना होगा। फिर भी भारत में अभी परम्पराएं इतनी मजबूत हैं कि हम सभी जाति के सुगठित परिवारों में से, जिनकी सच्ची निष्ठा रही है, और जो अपने इस गुण को विस्तार सेवा की ओर मोड़ सकते हैं, उम्मीदवारों की बहुत अधिक संख्या पा सकते हैं। जिससे हमारा यह चुनाव गांव के सभी वर्गवालों का प्रतिनिधित्व कर सके जिनसे उनका सम्पर्क होता है।

य – पेशेवर लगन की भावना जरूरी क्यों ?

किसी भी व्यक्ति को विस्तार कार्य को अस्थायी समय के लिए नहीं अपनाना चाहिए भले ही प्रारम्भिक दिनों में यह व्यावहारिक ही क्यों न लगे या सम्भव ही क्यों न हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह एक ऐसा पेशा है जिसे सारे जीवन के लिए, या जीवन के शेष समय के लिए अपनाना चाहिए अथवा इसे अपनाना ही नहीं चाहिए। इस पेशे की ओर झुकाव और इसे अपनाने का विचार न होने पर भी विस्तार कार्य को प्रयोग के रूप में करना अपने और विस्तार सेवा में अपने साथियों, दोनों ही के प्रति, अनुचित होगा। काम मिलने की सुविधा के नाते ही और काम को सोचे विचारे बिना ही इसे स्वीकार कर लेना अपने लिए और अपने साथियों के लिए भी दु:ख मोल लेना है। यदि कोई यह महसूस करे कि इस पेशे के लिए, अपनी लगन की जांच के लिए, उसे प्रयोग करना ही चाहिए, तो उसे चाहिए कि वह इस प्रयोग के लिए समय की उचित सीमा बना ले, एक या दो वर्ष उचित होगा।

यह पेशा नया है, यदि कोई चाहे तो मौजूदा जीवन का दस गुना समय होने पर भी इसके सभी पहलुओं की पूरी जानकारी नहीं पा सकता है। यही एक मुख्य कारण है कि किसी को अपने जीवन के शेष समय के लिए यह पेशा क्यों अपनाना चाहिए। दूसरों की सहायता करना और प्रौढ़ों को अपना जीवन सुधारने का रास्ता दिखाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है।

विस्तार के लिए अपनी निष्ठा को पहले से ही तय कर लेने का दूसरा कारण, यद्यपि यह बहुत ही मामूली है, यह है कि यह काम बहुत ही कठिन

है; साधारणतया इसके लिए कठिन शारीरिक व मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है; सामान्यतः यह सबसे अधिक निराशाजनक है, इसमें कल्पना से भी अधिक सहनशीलता चाहिए। इस जीवन में गांव के फीके तथा उदासीन वातावरण में ही रहना पड़ेगा और इसी तरह के जीवन में ही पूर्ण विश्वास रखना होगा।

किसी भी विस्तार कार्यकर्ता को अपनी लगन की शक्ति का मूल्यांकन करने में तब सबसे बड़ी कठिन सहनशीलता का परिचय देना पड़ेगा जब वह गांवों में काम करने जायगा। यह सही है कि ग्रामीण भाई–तथा अन्य लोग भी – किसी कार्यकर्ता के गांव में जाने पर और कुछ काम की बातें करने पर कर्तव्य, अच्छाई, स्वार्थ-त्याग, कृतज्ञता और इसी तरह अन्य आदर्शों की थोथी बातें करेंगे और वे सभी बातों की हामी भरते जायेंगे। परन्तु एक अच्छा विस्तार कार्यकर्ता यह तुरन्त जान लेगा कि यह तो ग्रामीणों की बात करने की पहली ही बात है जिससे काम न करने का बहाना मिल जाय या यह टल जाय या कोई नया काम या नई विचारधारा पर अमल न हो सके। परन्तु कार्यकर्ता तो ग्रामीणों की विचारधारा में ही स्वेच्छा से अपना रास्ता चुनने की शक्ति पैदा करेगा जिससे वह अपने अन्तिम लक्ष्य को पा सके। साथ ही, उसे यह भी महसूस करना चाहिए कि **यह व्यवहार एक ऐसी प्रथा बन गई है जो ग्रामीणों द्वारा स्वाभिमान को रखने के लिए अनिवार्य रूप में प्रयुक्त होती है।**

श्रोता द्वारा बातों को चुपचाप और मुस्कराहट के साथ सुनना, जैसे वह पूरा पूरा मानता ही जा रहा है, गांव वालों की एक विधि बन गई है, जिसमें ग्रामीण पूरे तौर पर उसी तरह विश्वास करता है जितना वह सम्पूर्ण क्रिया में विश्वास करता है। यदि विस्तार कार्यकर्ता इस असत्यता और आत्म-प्रवंचना के विरुद्ध आलोचना का एक शब्द भी नहीं कहता है तो वह सच्चे ध्येय और सच्चाई के रास्ते से अपने को अलग हटाता है, और विस्तार कार्यकर्ता के येही सबसे कठिन काम हैं।

वास्तव में विस्तार का मतलब तो यह है कि सभी वस्तुएं सभी के हित के लिए हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी हैं जो किसी भी तरह से गांव-वालों की सहायता के लिए किये गए किसी के व्यावहारिक कार्य में बाधक मालूम होते हैं। हर एक के लिए विस्तारकार्य जीवन भर के लिए अपना लेना सम्भव नहीं है। जब तक कि उसमें उन लोगों की स्वार्थशून्य सेवा में ही, जो लोग उससे निचले स्तर में हैं, अपने को लगा देने की आन्तरिक-प्रेरणा जागृत न हो गई हो। जब स्वार्थहीनता की भावना इतनी तीव्र

होती है तभी सच्ची 'लगन' हो सकती है जिससे इस रास्ते में आनेवाली सभी वाधाएं और कठिनाइयां आसान वन जाती हैं।

विस्तार का विकास इस पेशे के लिए योग्य और उचित लोगों के चुनाव पर ही निर्भर है। येही लोग ऐसे होते हैं जिनमें विस्तार के प्रति लगन की भावना होती है, ये ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी महान आदर्श से प्रेरित होते हैं, जिनमें अच्छी मानवीय सम्पर्क शक्ति विकसित करने की क्षमता होती है, और जो अपने साथियों की सेवा में लगे रह कर अपने आप को और अपने स्वत्व को भी भूल जाते हैं।

वादविवाद के लिए वातें :

१ – अच्छे विस्तार कार्यकर्ता की मौलिक योग्यतायें क्या हैं?

२ – विस्तार कार्यकर्ता को लोगों के बाबत भली जानकारी होनी चाहिए, इस वक्तव्य का पूरा पूरा अर्थ क्या है?

३ – विस्तार कार्य में पिल पड़ना है, इस भावना का क्या अर्थ है?

छठा अध्याय

इसकी व्यवस्था

विस्तार के पांच मूल तत्वों में तीसरा तत्व — एक सुव्यवस्थित संगठन और सक्रियता

यहाँ पर हम अब उस व्यवस्था का वर्णन करेंगे जिसके अनुसार विस्तार अपने कार्यक्रमों को पूरा करता है। हम यहाँ पर विस्तार कार्यकर्ताओं के चुनाव, प्रशिक्षण, प्रशासन कार्यक्रमों और बजट के विकास और पूर्ति जैसे विषयों पर प्रकाश डालेंगे। इस अध्याय में इन महत्वपूर्ण विषयों की केवल व्याख्या करेंगे क्योंकि इन दिशाओं में हमारा अनुभव अभी उतना पूरा नहीं हो सका है जितना कुछ समय बाद हम कर लेंगे। हम यहाँ, इलाहाबाद में स्वयं ही देखते है कि हमें प्रति दिन अपनी योजना की कार्यवाही में किसी न किसी तरह का हेर-फेर करना ही पड़ता है। फिर भी इसके मौलिक सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं होता। हम इस अध्याय में इन्हीं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।

अ—गांवसाथी कौन है ?

विस्तार कार्यकर्ता कई नामों से पुकारे जाते हैं। कुछ जगहों पर ग्राम सेवक और कुछ जगहों पर गांव स्तर के कार्यकर्ता कहा जाता है। **जमुना-पार पुनर्निर्माण** में भी हम लोगों ने ऐसा शब्द ढूंढ़ने की कोशिश की जिसमें गांववालों से अधिक निकटता झलकती हो और ऐसा भाव भी निकले जो विस्तार कार्यकर्ता के कामों के अनुसार ही हो। इसीलिए हमने इनका नाम **गांवसाथी** अर्थात् गांव का साथी रखा।

गांवसाथी — गांववालों का साथी होता है, दोस्त के रूप में यह गांववालों के साथ ही रहता है, उनके साथ इस तरह मिल कर काम करता है कि गांववालों की कठिनाइयों को वह अपनी कठिनाइयां समझे जिन्हें गांववाले अपने ही प्रयत्न से हल कर सकते हैं। यह पहले गांववालों से दोस्ती बढ़ा कर ही आगे नये तरीकों का प्रचार करता है जिससे उनका ग्रामीण जीवन अधिक सुखमय और पूर्ण हो सके।

गांवसाथी के विश्वास

- मैं विश्वास करता हूँ कि गांव का जीवन सब तरह से सुखी हो सकता है।
- मैं विश्वास करता हूँ गांव के कुटुम्ब में जो कि प्रेम और आदर के आधार पर बना हुआ हो।
- मैं विश्वास करता हूँ गांव के नवजवानों में और यह कि वे पढ़ने-लिखने, ताकतवर और ईमानदार बनने का मौका पायें।
- मैं विश्वास करता हूँ गांव के लोगों में, उनकी अपने मसलों को तय करने की योग्यता में और अपने जीवन-सुधार की शक्ति में।
- मैं विश्वास करता हूँ अपने काम में, जो हमें दूसरों की सेवा करने का मौका देता है। क्योंकि,

सभी लोगों को जरूरत है आत्म सम्मान की, मित्रता की, मान्यता की, अवसर की,

और इसलिए मैं अपने काम में सब के प्रति मैत्रीपूर्ण, ईमानदार, नम्र, और निष्कपट रहूंगा।

० मैं ईनामदारी से गांव के हर एक पुरुष, स्त्री और बच्चे के साथ काम करते हुए अधिक पैदावार, स्वस्थ तथा साफ घरों और अधिक संतोषप्रद सामूहिक कार्यों द्वारा उनके जीवन को सब प्रकार से सुखी बनाने में सहायता कर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और इसलिए कि मुझे इन सभी बातों में विश्वास है, मैं उनको पूरा करने की भरसक कोशिश करूंगा।

मैं गांवसाथी बना हूँ

गांववालों का साथी और दोस्त होने के नाते वह अपने ग्रामीण दोस्तों तथा पूरे गांव की भी कमजोरियां या कमियों और शक्तियों को खूब पहचानता है। साथी और दोस्त होने के नाते वह उनकी शक्ति पर और अधिक जोर देता है यह इसी के आधार पर निर्माण करने में सहायता देता है। वह हमेशा उनकी आलोचना करने में अनिच्छा दिखाता है और उनके गुण गाने के लिए तैयार रहता है यदि उसे कभी आलोचना करनी ही पड़ जाये तो वह इसे अप्रत्यक्ष रूप से करता है जो एक ऐसा ढंग है जो अधिकांश भारतीयों में परम्परा से उनके आपसी वर्ताव में अपने आप आ जाता है।

गांवसाथी गांववालों की समस्याओं के हल के लिए किसी भी तरह का सुझाव रखते समय हमेशा अपने को अगुआ बनाने से दूर रखता है और गांववालों को यह महसूस कराता है कि सुधार की यह धारा तो उन्हीं में से निकली है। यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि गांववालों में अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति है। और उन्हें अपने को अधिक हितकारी कामों में लगाने के लिए अपनी स्वतन्त्र बुद्धि का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। गांवसाथी का दृढ़ विश्वास है कि गांव में किसी भी प्रकार का हेर-फेर तब तक सफल नहीं कहा जा सकता है जब तक कि यह गांववालों की ओर से ही नहीं होता है। उसका इसमें भी विश्वास है कि यदि गांववालों के जीवन में किसी तरह का स्थायी हेर-फेर लाना है तो सबसे पहले उनकी हेर-फेर की भावना को जगाना चाहिए। इसे वह अपना मौलिक या प्रथम कर्तव्य समझता है। वह गांववालों को इतना अधिक चाहता है कि उनमें किसी भा प्रकार से हेर-फेर की भावना को जगाने के पहले ही वह यह देख लेना है कि हेर-फेर के लिए पर्याप्त साधन और सामग्री आसानी से उपलब्ध हैं? क्योंकि वह यह भी जानता है कि किसी प्रकार की मांग होने पर यदि पूर्ति न हुई तो इसकी गहरी प्रतिक्रिया गांववालों पर होती है। मांग पैदा हो जाने पर उनकी ठीक से पूर्ति न होना बहुत ही बुरा होता है।

अपने काम और ग्रामीण मित्रों से सम्बन्धित और भी बातें हैं जिनमें वह विश्वास करता है उन्हें हम **गांवसाथी के विश्वास** कहते हैं। (देखो पृष्ठ ४९) गांव के लोगों में और अपने आप में विश्वास के सूक्त गांवसाथियों द्वारा ही योजना के दिनों में वने और योजना के सभी अंगों में पूरा गौरव, ध्येय और सहयोगिता की भावना पैदा करने में बहुत ही वहुमूल्य रहे हैं।

एक दोस्त और साथी के रूप में गांवसाथी अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह पहचानता है और कभी इनको छिपाने की कोशिश नहीं करता है। वह हर एक सवाल का उत्तर नहीं जानता है। और सभी काम को अच्छी तरह से पूरा कर लेने की क्षमता उसमें नहीं है, इसको सच्चाई के साथ अंगीकार कर लेना ही उसकी एक बड़ी शक्ति है। यह, और गांव के अपने साथियों से सीखने का प्रयत्न, ही दो ऐसे कारण हैं जिससे गांव-वाले भी उसकी बातों को हमेशा मानने को तैयार रहते हैं।

गांववालों का साथी और दोस्त होने के नाते हमेशा वह सारे गांव की भलाई करने का ध्यान रखता है। यद्यपि गांवों में किसानों की ही आबादी अधिक है फिर भी गांवसाथी का ध्येय केवल उन्हीं की भलाई करना नहीं है, क्योंकि वह मानता है कि गांव में सभी सरकारी या गैरसरकारी लोग जैसे सुनार, जुलाहा, चमार या दूकानदार ये सभी गांव के ही अंग हैं। इनके दृष्टिकोणों में हर एक में हेर-फेर करने का काम गांवसाथी का है जो किसानों की भलाई और साथ ही सारे गांव की भलाई के लिए काम करने में किसान का मुख्य सहायक होता है। अपने कामों के बारे में किसानों पर अच्छा प्रभाव डालकर और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सहायता देकर **गांवसाथी** यह काम बहुत आसानी से कर सकता है।

साथी और दोस्त के रूप में ही गांवसाथी गांववालों के पास तक उन निर्णयों और अनुसन्धान विषयों को, जो कहीं दूसरी जगह किये जाते हैं, पहुँचाता है। वह दूसरे गांववालों द्वारा अनुभूत अच्छे प्रयोगों को भी उन तक पहुँचाता है और इस प्रकार वह एक दूसरे गांववालों के यहाँ से संवहन का एक अच्छा साधन बन सकता है। ये अनुसन्धान और प्रयोग जीवन की नई बातें हैं जिनकी सहायता से गांव की समस्याएं हल हो सकती हैं और गांव के जीवन को सुखमय और शान्तिपूर्ण बनाया जा सकता है। गांवसाथी इन नये प्रयोगों और विचारों को गांववालों में इस चतुराई से फैलाता है कि वे इन्हें समझ सकें, याद कर सकें, और व्यवहार में ला सकें। गांववालों द्वारा इन नई बातों को, जिनसे वे अपने घर, अपने परिवार और अपने गांव को और अधिक अच्छा बना सकते हैं, समझ और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांवसाथी बहुत से साधनों को प्रयोग में लाता है।

साथी और दोस्त के रूप में गांवसाथी गांव की समस्याओं के प्रति पूरे तौर से जागरूक रहता है। वह इन समस्याओं को गांव से दूर विशेषज्ञों को इस तरह समझाता है जिसे वे पूरे तौर से समझ सकें और हल निकालने के लिए कोशिश कर सकें। इस काम में वह यह भी महसूस करता

है कि ग्रामीण समस्याओं के हल निकालने के बहुधा वैज्ञानिक-अनुसन्धान का प्राचीन ज्ञान के साथ समन्वय करना जरूरी होता है।

एक साथी और दोस्त के रूप में वह यह समझता है कि वह गांव की दलबन्दी की दलदल में अपने को न डाले या किसी भी तरह से किसी का पक्षपात न करे। वह पूरे तौर से निष्पक्ष व्यक्ति रहता है क्योंकि वह यह जानता है कि वही गांव अधिक शक्तिशाली होता है जो संगठित होता और कई पक्षों या दलों की दलदल में नहीं फंसा हुआ है। गांवसाथी गांव के सभी व्यक्तियों के सहयोग से काम करता है और बराबर अपनी दोस्ती को बढ़ाता जाता है जिससे वह सारे गांव को आगे बढ़ा सके।

गांवसाथी गांव का दोस्त है। गांववालों के साथ दोस्ती के व्यवहारों में ही गांव की समस्याओं को हल करने और ग्रामीण भारत के लिए एक नया जीवन लाने के ढंगों को ढूंढ़ निकालता है।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – गांवसाथी के विश्वासों (पृष्ठ ४९) के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है? आप इनमें कौन सा हेर-फेर या सुधार चाहते हैं? ऐसे विश्वासों को रखने का लक्ष्य क्या है?

२ – कुछ लोगों की राय है कि विस्तार कार्यकर्ता कभी किसी भी विषय में अपनी अज्ञानता न दिखाये क्योंकि ऐसा करने से वह गांववालों का विश्वास खो सकता है। आपकी क्या राय है?

ब–विस्तार कार्य के लिए योग्य व्यक्ति

यह स्पष्ट है कि ग्रामीण भारत को सुधारने में बाधा डालनेवाली समस्याओं का हल निकालने का भार गांवों में रहनेवालों पर और गांवों से दूर, शहरों में रहनेवाले उन लोगों पर है जो इन समस्याओं का हल निकालने में जुटे हों। हमारा यह अनुभव है कि ग्रामीणों के सुधार कार्य में गांव में ही रहते हुए काम करनेवालों की अपेक्षा बाहर से आकर काम करनेवालों को ही गम्भीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाह्य जगत का प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्ति में इसी लिए विस्तार के वाञ्छनीय गुण नितान्त रूप में अपेक्षित हैं।

गांवसाथी के लिए तो यह विशेप रूप से अनिवार्य है क्योंकि भारत में इस समय इन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम करना है। ग्रामीण लोग ही ग्रामीण विकास का सर्वागीण कार्यक्रम स्वयं ही बना लेंगे अभी ऐसी आशा करना बहुत अधिक होगा।

गांवसाथी जिन गांवों में काम करता है वहाँ के सर्वागीण विकास के लिए अभी वह केन्द्रविन्दु है और आने वाले वर्षो में भी कुछ वर्षों तक केन्द्र-विन्दु बना रहेगा। विस्तार सेवा के अन्य कार्यकर्ता तो केवल गांवसाथी के कामों को प्रोत्साहित और समन्वित करने के लिए हैं। हमने विस्तार के इस पथ पर केवल एक योग्य व्यक्ति को ही रखने पर इतना अधिक जोर दिया है क्योंकि विस्तार कार्यकर्ताओं में गांवसाथी की स्थिति अद्वितीय और अनिवार्य है और विस्तार की सफलता गांवसाथी की विश्वसनीयता, उत्साह, और सही सही रिर्पोट देने पर ही बिल्कुल आश्रित है।

इस कार्य के योग्य और सही व्यक्ति को ढूंढ़ना किसी भी तरह आसान काम नहीं है। अभी तक किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता की जांच लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, योग्यता-परीक्षण और निजी बात-चीत से की जाती रही है। आशातीत सफलता के लिए इन परम्परा से चले आनेवाले योग्यता-परीक्षणों में काफी कमियां देखीं गईं। अप्रैल १९५२ में इलाहाबाद कृपि विद्यालय के विस्तार विभाग के सामने सात सौ से आठ सौ तक प्रार्थियों में से गांवसाथियों के चुनाव की समस्या थी। इन प्रार्थियों ने नीचे लिखे विज्ञापन के आधार पर ही आवेदन किया था :

> ‘इलाहाबाद के निकट तीन वर्ष की ग्राम विकास (विस्तार) योजना में कार्यकर्ता वनने के लिए आवेदन पत्र भेजें। इसके लिए मौलिक योग्यता ग्राम विकास में दिलचस्पी, देहात में ही रहने के लिए तैयार होना और हिन्दी की जानकारी है। कम से कम हाई स्कूल की परीक्षा पास होना जरूरी है। नीचे लिखे विषयों में से एक या उससे अधिक को अतिरिक्त या विशेष योग्यता समझा जायगा। कृपि महाविद्यालय की सनद, उत्तर प्रदेश की कृपि माध्यमिक परीक्षोत्तीर्ण, बी. एस्सी. (कृषि), बी. एस्सी. (कृषि-अर्थशास्त्र), अंग्रेजी की जानकारी, ग्रामीण-शिक्षा और जन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी या अन्य विकास-कार्य के अनुभव।
> वेतन ७५–१०–१७५ रुपये या २००–१०–२५० रुपये योग्यतानुसार दिये जायेंगे जिसमें प्रति वर्ष वृद्धि दी जायगी और कभी कभी बहुत अच्छे काम के लिए दूनी या तिगुनी वृद्धि भी दी जा सकेगी।’

कुछ बिल्कुल ही अयोग्य प्रार्थियों को छांटने के लिए मोटे तौर पर वर्गीकरण किया गया :–

(१) उम्र–प्रौढ़ता की दृष्टि से २१ वर्ष से कम उम्रवाले छात्रों के आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गए।

(२) शैक्षिक योग्यता–उन प्रार्थियों का, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा तक का अध्ययन न किया था, आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया।

(३) अनुभव–नये हाई स्कूल पास हुए आवेदकों के आवेदन पत्र रद्द कर दिये गए।

इस तरह केवल १२० उम्मीदवार चुने गए और उन्हें पांच दिन के नियुक्ति-पूर्व-प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया।

नियुक्ति-पूर्व-प्रशिक्षण[१]–किसी भी कार्य विशेष के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता की सही जाँच करके यह देखना जरूरी है कि उन परिस्थितियों में किस तरह व्यवहार करता है जिस तरह की परिस्थितियों का उसे अपने काम में सामना पड़ने की सम्भावना है। इसी तरह की परिस्थितियां लाना ही नियुक्ति-पूर्व-प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय था। प्रार्थियों के सामने लगभग बिल्कुल उसी तरह की परिस्थितियां लाने की कोशिश की गई जिस तरह की परिस्थितियों का सामना उन्हें 'गांवसाथी' के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में औसतन करना पड़ता। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति के लिए विशेष प्रकार के परीक्षण किए गये। प्रत्येक जाँच में प्रार्थियों के रुख, अनुभव और प्रयोगों के आधार पर ही उनकी क्रमानुसार चयनिका बनी और इस प्रकार अन्त में सारे वर्गों को एक साथ क्रम-बद्ध किया गया।

प्रार्थियों को तीन बार चालीस चालीस के दलों में बुलाया गया। यहाँ पर उन्हें पांच की टोलियों में बाँट दिया गया। प्रत्येक टोली के साथ विस्तार विभाग का एक अध्यापक कर दिया गया जो पांचों दिन उसके कामों का अगुआ और मूल्यांकन करने वाला रहा।

प्रत्येक उम्मीदवार की व्यक्तिगत जाँच हुई कि वह कुछ कामों को किस तरह सीखने और समझने की कितनी क्षमता रखता है तथा वह किस तरह खुद सीखे हुए गुणों को या ज्ञान को गांववालों में फैलाता है। दूसरे परीक्षण ने तथाकथित तुच्छ कामों के प्रति, जैसे पशुपालन की सफाई, या कम्पोस्ट

---

[१] नियुक्ति-पूर्व-प्रशिक्षण का विस्तृत वर्णन विस्तार पत्र नं० ३ (अंत में), दिया गया है।

गढ्ढे को खोदना, उसके रुख का मूल्यांकन किया। उसे १० मील तक पैदल और १५ मील साइकिल से चलाया गया जिससे शारीरिक मेहनत करने की रुचि का पता लगा। किसी भी भाषण से ठोस बातों को लिख लेने की और सही रूप में मौलिक सन्देश ले जाने की योग्यता की भी जाँच हुई। आकस्मिक दशाओं में उनका व्यवहार देखा गया और किसी भी प्रकार की पूर्व जानकारी बिना ही उन्हें रात में गांव में भेजा गया। अपने साथ काम करनेवालों के साथ रुख और व्यवहार, ग्रामीण लोगों के मनोरंजन के साधन जुटाने और संगठन करने की शक्ति और बातचीत करने में उसके बात-व्यवहार आदि का भी मूल्यांकन किया गया।

प्रत्येक उम्मीदवार के कामों का मूल्यांकन गणनापत्र पर लिखा गया (देखो अगले पृष्ठ पर)। नियुक्ति-पूर्व-प्रशिक्षण के बाद ही अन्तिम रूप से गांवसाथियों का चुनाव करने के लिए उन सभी अध्यापकों की एक बैठक हुई जो टोलियों के अगुवा रहे और चुनाव का आधार उनके कामों के मूल्यांकन को ही रखा गया।

गांव में काम करनेवालों का चुनाव करने के लिए, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है, नियुक्ति-पूर्व-प्रशिक्षण का यह तरीका सम्भवतः सारे हिन्दुस्तान में पहली ही बार अपनाया गया है। इसकी सफलता का प्रमाण यह है कि अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों में केवल चार उम्मीदवार ही अच्छे गांवसाथी नहीं बन सके। गांवसाथी का चुनाव करने में यह जरूरी है कि जाँच कड़ी हो और उसे उतनी कड़ी की जाय कि किसी भी व्यक्ति के लिए सफल होना मुश्किल हो। जब उम्मीदवार जाँच में सफल हो गया हो और गांवसाथी के लिए चुन लिया गया हो तो यह भी पहले जैसा ही आवश्यक है कि हम उस पर भरोसा रखें जिससे वह यह समझे कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। लोग समझते हैं कि गांवसाथी होने के नाते उस पर देख-भाल रखी जायगी परन्तु ऐसी बात नहीं है। उस पर किसी अधिकारी की देख-भाल नहीं रखी जाती है वरन् उसे तो सहायता दी जायगी, प्रोत्साहित किया जायगा और जरूरत पड़ने पर उसे राह दिखाई जायगी। किसी प्रकार के उच्च अधिकारी द्वारा उसके कामों की देख-भाल के कारण वह अपने कामों में लगा नहीं रहता वरन् गांववालों के साथ काम करने में उसका आत्म-विश्वास, साहस और उसकी दिलचस्पी ही उसे अपने काम में लगाये रखती है। उसे अधिकारियों या निरीक्षकों से किसी तरह का डर नहीं रहता। इस तरह अपने को उन्नत करते हुए ही अपनी आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने का उसे अच्छा

उम्मीदवारों का गणनापत्र

नाम ____________________________________

१ – अच्छा मिलने वाला (सामान्य)	अ ब स द ०
" " " (ग्रामीण)	अ ब स द ०
२ – शिष्टाचार	अ ब स द य
३ – जोर से कहने की प्रतिक्रिया	
उत्साह	अ ब स द य
आरम्भ	अ ब स द य
परिवर्तन-शीलता	अ ब स द य
सलग्नता	अ ब स द य
उपयुक्तता	अ ब स द य
४ – दूसरों में अभिरुचि	
सन्यतापूर्ण अभिरुचि रखना. यह अपनी अपनी और दूसरों की भलाई के लिए सनुलित अभिरुचि रखता है और जो कुछ इसके लिए वह कर सकता है करता है।	अ
सन्यतापूर्ण अभिरुचि रखता है परन्तु स्वयं आरम्भ नहीं करता है।	ब
व्यक्ति गत – जब तक उसे प्रभावित नहीं करती है तब तक अभिरुचि नहीं लेता है।	स
अभिरुचि लेता तो है पर इसके लिए करता कुछ नहीं है।	द
दूसरो में थोडी या बिलकुल अभिरुचि नहीं रखता है।	य
५ – सामान्य प्रभाव (व्यक्तित्व)	अ ब स द य
६ – जाति, श्रेणी, समाजिक स्थिति बोध (प्रत्येक समय विचारणीय)	अ ब स द य
७ – नवीन युक्तियों को सीखने की योग्यता	अ ब स द य
८ – पढ़ाने का सामर्थ्य (युक्तिया तथा विचार)	अ ब स द य
९ – शारीरिक अनुकूलता	अ ब स द य
१० – शारीरिक श्रम की ओर रुझान – (पशुपालन), खाद का गढ़ा साफ करना आदि – हाथ से काम करना स्वीकार करता है।	अ
हिचक के साथ हाथ से काम करना स्वीकार है।	ब
आधे मन से हाथ से काम करना स्वीकार है।	स
हाथ से काम करना स्वीकार है किन्तु गन्दा काम नही।	द
हाथ से काम करने से इन्कार करता है।	०
११ – संदेश – ले जाना	अ ब स द य
संदेश – ले आना	अ ब स द य

दिनाक ____________________ ____________________

(अंक प्रदाता का नाम)

अवसर मिलता है और योजना के कार्यक्रम के जोरदार और सफल बनाने में वह स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक कोशिश करता है। इसलिए वह अपने काम में मन इसलिए नहीं लगाता है कि वह इसे खो देगा वरन् वह इसे सारे विस्तार का एक महत्वपूर्ण अंग समझ कर ही पूरा करता है। वह वही काम कर रहा है जिसे करने की उसकी इच्छा है और उसे पूरा करने में उसे प्रसन्नता होती है।

गांवसाथी का चुनाव बहुत ही अधिक सावधानी से और ऐसे ढंग से करना चाहिए जिससे जरूरी गुणों को सीखने में उसकी क्षमता, दूसरों को समझाने की उसकी योग्यता, नई परिस्थितियों में उसकी अनुकूलता और अपने साथियों और गांववालों के साथ रहन-सहन और काम के ढंग की साफ साफ जानकारी हो जाय।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – विस्तार कार्यकर्ताओं के चुनाव का ढंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

२ – क्या जमुनापार पुनर्निर्माण योजना में प्रयुक्त कार्यकर्ताओं के चुनाव के ढंग में आप कुछ सुधार बता सकते हैं?

स—व्यवसाय से ही ज्ञान

वर्तमान युग में किसी भी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण जरूरी हो गया है। चूँकि भारत में विस्तार कार्य बिल्कुल नया व्यवसाय है इसलिए इसे पुष्ट आधार पर संगठित करना विशेष रूप से जरूरी है। प्रशिक्षण की एक व्यवस्था निर्धारित हो जाने पर सम्भव है कि यह बहुत दिनों तक चालू रहे।

विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में कम से कम तीन मुख्य तथ्यों का ध्यान रखना जरूरी है :–

(१) भारत की राजनीतिक आजादी मिलने के बाद ही विस्तार कार्य यहाँ शुरू हुआ इस नाते भारत में इसे एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी पूरी करनी है। यहाँ के विस्तार कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण व्यवस्था में दूसरे देशों की नकल करने की जरूरत नहीं है, उसे यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल रखने की जरूरत है।

(२) साथ ही दूसरे देशों के विस्तार परीक्षण से भी बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है।

(३) लोग स्वयं कार्य करके अपेक्षाकृत बहुत ही जल्दी सीखते हैं। यह सभी जानते हैं कि किसी चीज की जानकारी का सबसे सरल उपाय उसे व्यवहार में लाना और तुरन्त ही उस विषय की शिक्षा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है।

विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के आमतौर से दो अंग हैं। एक ढंग तो यह है कि सबसे पहले यह तय कर लिया जाय कि लोगों को कितने प्रशिक्षण की जरूरत है, और इसके बाद उन्हें काम करने तक के सभी जरूरी विषयों का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। दूसरा ढंग यह है कि लोगों को कम से कम जरूरी शिक्षा दी जाय और उसके बाद व्यवस्था की जाय कि लोग काम करते रहें और व्यावहारिक जानकारी लेते जांय।

इस दूसरे ढंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था को अंग्रेजी में **इन सर्विस ट्रेनिंग** या **काम में ही प्रशिक्षण** कहते हैं। इसके तीन लाभ हैं :–

(१) प्रशिक्षणार्थी तुरन्त प्रशिक्षण के प्रत्येक अंग की आवश्यकता को समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही अनुभवों में मिलनेवाली समस्याओं से इसके सम्बन्ध का पता चलता है। ये अनुभव उन्हें अपने वर्तमान काम से ही होते हैं।

(२) किसी भी विषय की जानकारी के बाद ही इसे व्यावहारिक रूप देना काम और गांववालों को दिए जानेवाले ज्ञान दोनों की निपुणता में वृद्धि करता है।

(३) काम करने के कुछ ही दिन पूर्व नए तथ्यों की जानकारी होती है। इसी कारण विस्तार कार्यकर्ता के, जब एक अपने कार्य क्षेत्र में उतरता है, मस्तिष्क में सभी बातें साफ और अच्छी तरह से याद रहती हैं।

जमुनापार पुर्नानिर्माण – में भी काम के साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। शुरू में यह स्वाभाविक ही था क्योंकि विस्तार-विधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हमें विदेशों की ओर, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था पहले से ही है, देखना पड़ा। यही स्वाभाविक था क्योंकि इसके लिए हमको जो भी अनुभव प्राप्त था, जिसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय की सामग्री के रूप में विस्तार विधि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था, अन्य देशों से या भारत की भिन्न प्रकार की योजनाओं से प्राप्त हुआ। इसलिए काम करने के लिए भेजने के पूर्व लोगों को पूरी तरह प्रशिक्षित करने के

लिए हमें दूसरों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा रखना पड़ा, परन्तु जो कुछ बताया गया है वह उनके काम पर लग जाने के बाद भी लाभदायक ही होगा इसका पूरा विश्वास नहीं है।

दूसरी ओर काम में ही प्रशिक्षण व्यवस्था पर भरोसा रखने से एक महान् मानसिक लाभ यह है कि विस्तार कार्यकर्ता इस बात पर गर्व करते हैं कि वे **प्रारम्भिक आन्दोलन का ढांचा तैयार कर रहे हैं।** यदि शुरू में ही उन्हें बता दिया जाय कि वे एक ऐसा नया काम शुरू कर रहे हैं जिसे उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया है और न किसी को यही मालूम है कि उसे किस तरह किया जाता है और उसके कर्तव्यों में एक यह भी है कि वे अपने ही अनुभवों से ही काम सीखें, तो उनका कार्य ही उन्हें पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करता है, और इससे उनकी शिक्षा भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है।

दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण

गांवसाथियों के चुनाव के बाद, गांव में जाने के पहले ही उन्हें दो सप्ताह का समय आपस में सम्मेलन करने के लिए दिया गया। इस काल में उन्हें किसी भी प्रकार का व्याख्यान नहीं दिया गया। सम्मेलनों में विचार-विमर्श का ढंग ही अपनाया गया।

सम्मेलन करने के चार ध्येय थे :

(१) **आत्म-निरूपण** – सबसे पहले प्रशिक्षणार्थियों से कहा गया कि वे गांवसाथी के रूप में काम करने के लिए सभी स्थितियों का निरूपण करें। इसमें उन्हें गांववालों के प्रति अपनी इस स्थिति पर भी विचार करना पड़ा तथा आपस के इस विचार-विमर्श के बाद वे इस निर्णय पर पहुँचे कि गांववालों को बहुत से विषयों की पूरी जानकारी और योग्यता है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर ही यह माना कि लोग उन कार्यक्रमों का विरोध करते हैं जो उन पर ज़बरदस्ती लादे जाते हैं और जब वे यह समझते हैं कि हमसे यह उम्मीद की जाती है तो वे साधारणतया अपनी जिम्मेदारी समझ कर उस काम को अच्छी तरह पूरा करते हैं। इन सम्मेलनों में प्रशिक्षणार्थियों को यह भी पता लग गया कि काम को स्थायी असर रखने-वाला बनाने के लिए गांवसाथी की जानकारी पूर्ण और विविध होनी चाहिए। गांवसाथी को कुछ व्यवहारिक सुधारों की भी जानकारी होनी चाहिए। उसमें लोगों को समझने की शक्ति होनी चाहिए। उसे यह

विश्वास होना चाहिए कि उसका काम तभी असरदार हो सकता है जब वह लोगों को आज्ञायें न देकर केवल जानकारी करावे और एक साथी की तरह, उनकी शक्ति में विश्वास रखते हुए, उन्हें उत्साहित करता रहे। इन साधारण विषयों पर ही कई सम्मेलनों में विचार-विमर्श होता रहा। इन्हीं सम्मेलनों में गांवसाथियों के विश्वासों को निर्धारित किया गया। समूचे पुनर्निर्माण योजना के लिए ये विश्वास ही मुख्य नींव बन गए हैं।

(२) **कार्यक्रम-निर्धारण** – इस प्रारम्भिक सम्मेलन काल का दूसरा ध्येय योजना के कार्यक्रम को निर्धारित करना था जिसके आधार पर कार्यक्रम शुरू किया जाय। गांवसाथी पहली बार गांवों में काम करने को तैयार थे। उनका सबसे पहला काम लोगों का विश्वासपात्र बनना है। परन्तु गांववालों का विश्वास केवल वहाँ जाने से ही नहीं मिल सकता है। इसके लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। इसलिए यह जरूरी है कि गांवसाथी के पास गांव में जाने के पहले कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य हो। इसलिए क्या क्या किया जायगा इन सब की योजना एक महीने पहले के लिए पहले सम्मेलन में ही तैयार कर लेना जरूरी है। शुरू में गांववालों से किन विषयों पर बातचीत आरम्भ करें? गांवसाथियों के बारे में गांववाले क्या कहते हैं?

(३) **तथ्य-संकलन** – इसका तीसरा ध्येय यह था कि गांव में जाने पर गांवसाथी गांववालों को जो सुझाव देगा उसके बावत पूरी जानकारी मिल जाय। कई सम्मेलनों में हरी खाद, मलेरिया, सुधरी मूंग के प्रयोग के चुनाव पर विचार-विमर्श किया गया और जब तक कि प्रत्येक गांवसाथी इन समस्याओं पर थोड़ी बहुत जानकारी नहीं प्राप्त कर चुका तब तक यह होते रहे।

(४) **गांव में ही गांववालों की तरह रहना**—इस आरम्भिक सम्मेलन काल का चौथा ध्येय गांवसाथियों की उन निजी समस्याओं पर, जिनका उसे गांव में बसने पर सामना करना पड़ेगा, विचार-विमर्श करना था। उन्होंने गांव में रहने की जगह ढूंढ़ने, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के साधन पैदल या साइकिल से, साइकिल खरीदवाने में योजना का प्रशासन किस प्रकार सहायक हो सकता है, और उनके तथा उनके परिवार के बसने की इसी तरह की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

इस दो सप्ताह के आरम्भिक सम्मेलनों के बाद प्रत्येक गांवसाथी अपने क्षेत्र में गया और अपना निवास स्थान ढूंढ़ने निकला।

सामयिक प्रशिक्षण सम्मेलन

यह स्पष्ट है कि दो सप्ताह में ही किसी को भी विस्तार कार्य के लिए पूरे रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। काम करते हुए समय में ही प्रशिक्षण के सिद्धान्त ये हैं :—

(१) खेतों में आनेवाली समस्याओं का अध्ययन करने में भविष्य में आनेवाली क्षेत्रीय जिम्मेदारी के अध्ययन की अपेक्षा लोग बहुत जल्दी सीखते हैं जो स्थायी भी रहता है। (२) और काम शुरू होने के पहले एक ही बार के पूरे पूरे प्रशिक्षण की अपेक्षा काम की पूरी अवधि में सामयिक प्रशिक्षण अधिक स्थायी और असरदार होता है। इसलिए पहले साल में सभी गांवसाथियों का तीन दिन का पाक्षिक सम्मेलन और बाद के सालों में प्रति तीन सप्ताह बाद सम्मेलन करने की व्यवस्था की गई[1]।

इन प्रशिक्षण सम्मेलनों के मुख्य काम ये हैं:—

(१) **पिछले प्रशिक्षण सम्मेलन के बाद से सम्मेलन होने तक की घटनाओं पर विचार-विमर्श, उन प्रश्नों की—गांवसाथी जिन पर विचार-विमर्श करना चाहता है—सूची तैयार करना और उन बातों पर—जिनमें गांवसाथी दूसरों की सहायता लेना जरूरी समझता है—विचार-विमर्श करना।** सम्मेलन का यह भाग आम बैठक है जिसमें प्रत्येक गांवसाथी बारी बारी से पिछले सम्मेलन से अब तक हुई अपने क्षेत्र की मुख्य घटनाओं से परिचित कराता है। वह इस काम में आई हुई कठिनाइयों तथा आगे आनेवाली कठिनाइयों को भी सम्मेलन के सामने रखता है। इन रिर्पोटों को देने के लिए किसी भी प्रकार से समय निर्धारित नहीं किया गया है। आम तौर से

---

[1] जमुनापार पुनर्निर्माण योजना के शुरू में यह उचित समझा गया कि योजना के पहिले तीन वर्ष तक प्रति दो सप्ताह में एक बार काम में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। परन्तु एक साल में गांवसाथियों ने महसूस किया कि प्रति दो सप्ताह बाद ही केन्द्र में आने से गांवों के कार्यक्रम में बहुत अधिक बाधा पड़ती है। इसलिए दो सप्ताह की अवधि बढ़ा कर तीन सप्ताह कर दी गई। यह नई व्यवस्था योजना के दूसरे साल भी चलती रही और संतोषजनक मालूम हुई है। यदि अभी हमें कहीं पर नई योजना चलानी पड़े तो हम दो सप्ताह में ही प्रशिक्षण सम्मेलन की व्यवस्था पहले वर्ष करेंगे जिससे गांवसाथी योजना के प्रारम्भिक साल में शीघ्र ही सीख सकें।

इसमें तीन मिनट से लेकर १० मिनट तक का समय लगता है। गांवसाथी के रिर्पोट देते समय बीच बीच में दूसरे गांवसाथी प्रश्नों के रूप में बहस भी कर लेते हैं परन्तु इसका संचालक सम्मेलन का अध्यक्ष (जो हमेशा गांवसाथियों में से ही चुना जाता है) इस तरह करता है जिससे १० गांवसाथी एक घंटे में अपनी रिर्पोट दे दें। इस तरह ४५ गांवसाथीवाली एक योजना में इस प्रकार के साधारण सम्मेलन के लिए साढ़े चार घंटे का समय मिलना चाहिए। सारे सम्मेलन में इस बैठक का बहुत अधिक महत्व है। यदि किसी गांवसाथी की कोई विशेष समस्या उसे नई मालूम पड़ती है तो उसे इस साधारण बैठक में पता लग जाता है कि इस तरह की समस्या किसी अन्य गांवसाथी के सामने आ चुकी थी और वह उसे हल भी कर चुका है। कभी यह भी पता लगता है कि एक गांवसाथी ने किसी समस्या को हल कर लिया है जब कि अन्य लोग उसे नहीं हल कर सके हैं। इस तरह अनुभवों के आदान-प्रदान से गांवसाथी की व्यावहारिक जानकारी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूपों में बढ़ती है।

गांवसाथी के प्रशिक्षण का बहुत सा भाग उसके निजी और दूसरे गांवसाथियों के अनुभवों से पूरा होता है। यह साधारण बैठक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे यह प्रशिक्षण पूरा होता है। यह उन समस्याओं को भी स्पष्ट करती है जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इससे उन बातों का भी पता लग जाता है जिन्हें आगे आनेवाले प्रशिक्षण सम्मेलनों में विचारणीय समझा जाता है। इससे एक लाभ यह भी है कि यह प्रशिक्षण सम्मेलनों को बहुत अधिक साधारण और सैद्धान्तिक नहीं होने देती।

(२) **उन विषयों का प्रशिक्षण जो गांवों के समय-विशेष की कार्यवाहियों से पूरे तौर से सम्बन्धित हो।** आम तौर से एक सम्मेलन में दो विषयों से अधिक विषयों पर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। परन्तु हमेशा ऐसे दो विषय रखे जाते हैं जिन पर गांवसाथियों को एक या दो दिन बाद अपने क्षेत्रों में पहुंचने पर कार्यवाही करनी है। उदाहरण के लिए पहले वर्ष की वर्षा ऋतु के पहलेवाले प्रशिक्षण सम्मेलन में गांवसाथियों को हरी खाद के विषय में पूरी जानकारी कराई गई। यह काम वर्षा के बहुत पहले किया गया जिससे गांवसाथियों को कम से कम इतना समय मिल सके जितने में वे उन किसानों को, जो नई व्यवस्था के अनुसार खेती के लिए तैयार हों, पूरी पूरी जानकारी करा सकें और उनके सामने प्रदर्शन कर सकें। इस प्रकार गांवसाथी के प्रशिक्षण में कृषि महाविद्यालय के खेतों में प्रदर्शन और प्रत्येक गांवसाथी द्वारा हरी खाद के लिए अर्द्ध विकसित

फलोंदार पौधों को जमीन में दवाने के लिए लोहे के हल का प्रयोग करना है। इस व्यवहार का अधिक वर्णन सोदाहरण पृष्ठ ८२ पर देखें।

इस प्रशिक्षण सम्मेलन में अध्ययन का दूसरा विषय कतार में बुवाई का था जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि कतार में वुवाई करने से एक ही खेत में दो तरह की फसल कितनी आसानी से बोई जा सकती है। गांव-साथियों के प्रशिक्षण में इस विषय को उस समय इसलिए नहीं रखा गया कि वे गांवों में जाकर तुरन्त इस विधि का गांववालों में प्रचार करेंगे बल्कि इसलिए रखा गया कि यही एक ऐसा मौसम था कि जिसमें इस विधिका प्रदर्शन खेतों में ही किया जा सकता था जिससे अगले वर्ष वर्षा ऋतु के आने पर इन्हें इस विषय में काफी अनुभव हो जाय।

(३) **विस्तार विधि और कला की उपयोगिता पर प्रयोग**—काम में प्रशिक्षण के पहले सम्मेलन में विस्तार कला के उस अंग पर विचार किया गया है जिससे गांववालों के साथ साधारण बातचीत होती है। हरी खाद के बारे में बातचीत करने का सबसे जोरदार ढंग कौन सा है? क्या कहना चाहिए, क्या न कहना चाहिए? गांवसाथी के बातचीत की सीमा कौन सी होनी चाहिए और उन्हें कहाँ तक दूसरों की बातों को सुनना चाहिए? क्या किसी गम्भीर विषय को समझाने के लिए बात चीत करने में हंसी लाना बुद्धिमानी होगी या नहीं? किसी एक किसान के साथ ही हरी खाद पर बातचीत कितनी देर तक होनी चाहिए? इसी तरह की और भी साधारण बातों पर विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद गांव-साथियों ने आदर्श बातचीत का नमूना रखा जिसमें एक गांवसाथी किसान बन गया और दूसरा गांवसाथी उससे बातचीत कर रहा था। दूसरे लोग बातचीत सुन रहे थे जिसके बाद इन लोगों ने गांवसाथी की इस बातचीत की कला पर भी विचार-विमर्श किया।

इसी तरह के दूसरे सम्मेलन में पहले बताये ढंग से ही 'रीति' प्रदर्शन पर विचार-विमर्श और अध्ययन किया गया। हर एक गांवसाथी ने अपने अपने ढंग की बातचीत का प्रदर्शन किया जिसके बाद ही हर एक ढंगों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके लिए काम में लाई गई विधि में किसी कला का प्रदर्शन जैसे जुताई, या एक बैल को **गलाघोटू बुखार** के लिए टीका लगाना आदि है। विकल्प से, यह एक ऐसी विधि हो सकती है जिसके द्वारा किसी भी भावना को प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कतार में बुवाई के पक्ष में गांव वालों द्वारा ही अधिक बहस करने के लिए फ्लैनेल-ग्राफ का प्रयोग, या फिलमस्ट्रिप दिखाना और जो चित्र दर्शकों के

सामने आते जायें उन पर टिप्पणी करना जिससे वे धुआंरहित चूल्हें की उपयोगिता समझ लें। हर एक प्रशिक्षण सम्मेलन में आम तौर से केवल एक या दो विस्तार कलाओं का अध्ययन किया जा सकता है और यह कला भी वही होनी चाहिए जिस पर गांवसाथी गांव में जाकर प्रयोग करनेवाले हों।

(४) **विस्तार-सिद्धान्तों और ग्राम-मनोविज्ञान पर विचार-विमर्श**—किसी भी गांवसाथी के लिए, उस विशेष हेर-फेर के, जिसकी सिफारिश गांवसाथी कर रहे हैं और गांव में वे जिस विधि को प्रयोग में ला रहे हैं, अतिरिक्त भी विस्तार कार्य के सिद्धान्तों को और ग्राम-मनोविज्ञान को पूरे तौर से समझने की जरूरत है क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया गांववालों के सीखने के ढंग और गांवसाथी के सुझावों तथा उनके रुख पर होती है। इस तरह सीखने की क्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है। अच्छा गांवसाथी वही है जो अपने जीवन भर अपने काम के सम्बन्ध में और गांववालों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते रहने की चेष्टा करता है। इसलिए हर एक प्रशिक्षण सम्मेलन के कार्यक्रम में इन विषयों को रहना जरूरी है।

योजना के पहले वर्ष में आयोजित प्रायः सभी प्रशिक्षण सम्मेलनों में विस्तार कार्य के सिद्धान्तों और दार्शनिक तत्वों पर बहस के लिए समय रखना अच्छा ही होता है। इसमें से अधिकांश भाषण नहीं होंगे वरन् गांवसाथियों के जो अनुभव गांवों में काम करने पर होंगे उन्हीं को ध्यान में रख कर हर एक मौलिक सिद्धान्त पर ही खासी बहस होगी। बहुत से मौकों पर ऐसा होता है कि गांवसाथी, जो कभी अपने काम में किसी समय असफल होने पर निराश हो उठता है, ऐसी बातों पर अधिक बहस होने से इस निर्णय पर पहुंचता है कि जिस विस्तार कला की उसने शिक्षा पाई है वह ठोस नहीं है। इन बातों पर पहले ही अधिक बहस हो जाने पर ही उसकी स्थायी उन्नति आश्रित है। बहुत अवसरों पर यह देखा गया है कि जब भी कोई गांवसाथी इस तरह की कोई बात प्रशिक्षण सम्मेलन में रखता है तो उसे यह पता चलता है कि दूसरे गांवसाथी उसके इस भ्रम से सहमत नहीं हैं और वह यह सोचने के लिए बाध्य होता है कि सिद्धांत गलत नहीं है वरन् या तो सिद्धान्त को समझने में ही या काम के उसके ढंग में ही कोई न कोई गलती है।

कुछ अवसरों पर यह पता चलेगा कि बहुत से गांवसाथी अपने किसी न किसी सिद्धान्त के बारे में इसी तरह का अनुभव करते हैं। जब कभी ऐसा हो तो यह समझना चाहिए कि योजना के अधिक अनुभवी लोगों को

प्रशिक्षण – गांवसाथियों को लोगों को सिखाने के लिए अपने आप भी सब काम आने चाहिए, चाहे वे खेत के, भट्टी के या सिलाई बिनाई से सम्बन्धित हों।

विज्ञान – हर तीसरे हफ्ते गांव-साथी प्रशिक्षण में आकर वैज्ञानिकों से मिलते हैं। (नीचे) फिर अपने वैज्ञानिक ज्ञान को गांवों में पहुंचाते हैं।

ऐसे सिद्धान्त पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इससे गांवसाथी का अनुभव बढ़ता है और वह उस सिद्धान्त विशेष के बारे में अपनी धारणा बदल सकता है और निश्चित रूप से यह सम्भव है कि हमारे सिद्धान्तों में ही एक या दो ग़लत हों। विस्तार एक नया विषय है, हर एक व्यक्ति इसे अभी सीख रहा है। भ्रम में डालनेवाले सिद्धान्तों को ठीक करने का सबसे सरल और अच्छा उपाय गांवसाथियों में ही विचारों का आपसी आदान-प्रदान है जिन पर गांवों में विस्तार कार्य करने का सच्चा उत्तरदायित्व है।

हमेशा इस बात पर जोर डालना चाहिए कि प्रत्येक प्रशिक्षण सम्मेलन की बहस में अधिक से अधिक गांवसाथियों का ही हाथ हो। एक समाचार-पत्र संवाददाता ने, जो पुनर्निर्माण योजना की कार्यवाही समझने की कोशिश में था, अपने एक लेख में यह कहा कि गांवसाथी अपनी समस्याओं को प्रशासकों के सामने रखते हैं कि वे उन्हें हल करें। तथ्य यह नहीं है। गांवसाथी अपनी समस्याओं को आपसी बहस के लिए ही रखते हैं। सम्भवतः ऐसे सभी मौकों पर गांवसाथियों ने यह देखा कि किसी दूसरे गांवसाथी ने उस समस्या का हल निकाल लिया है। वह यह भी जान लेता है कि हल कैसे निकाला गया है। कभी कभी योजना का कोई सदस्य भी गांवसाथी के बदले बहस करने लगता है। जब कभी योजना का कोई कर्मचारी बहस करता है तो या तो उसका ध्येय बहस को और अधिक बढ़ाना रहता है या एक ऐसा सुझाव देना रहता है जिस पर बहस हो जाना वह जरूरी समझता है। हमेशा गांवसाथी की बात को ही अन्तिम निर्णय होनी चाहिए। यह धीरे धीरे अपने आप ऐसा हो जाता है।

(५) काम के क्षेत्र में ही नहीं वरन् अधिक विस्तृत आधार पर सहयोगिता—हर एक प्रशिक्षण सम्मेलन में कुछ समय तक के लिए मनोरंजक कार्यक्रम रखना चाहिए। इसके सबसे अच्छे निर्णायक गांवसाथी ही हैं कि किस प्रकार का मनोरंजन होना चाहिए। उदाहरण के लिए यह अच्छा नहीं होगा कि जब वे विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम रखना चाहते हों उस समय किसी के द्वारा वालीबाल खेलने की योजना रख दी जाय। गांवसाथियों द्वारा आयोजित मनोरंजक कार्यक्रमों में से ही गांववालों के मनोरंजन की कुछ अच्छी विधियों का पता लगा। स्मरण रहे कि इन मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन गांवसाथी अपने मनोरंजन के लिए ही करते थे न कि योजना के मनोरंजन कार्यक्रम विकास के लिए। बहुत ही निष्ठावान गांवसाथी के लिए भी गांव में रहना कठिन और थकान पैदा करने वाला होता है।

ऐसे व्यक्ति के लिए तो वह और अधिक सही सिद्ध होता है जो गांव के बाहर जीवन के तरह तरह के सुख उठा चुका हो।

बहुधा एक गांवसाथी को गांव के बाहर जाने की आवश्यकता महसूस होती है और अपनी ही जैसी भावना और दिलचस्पीवाले लोगों के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। एक तरह से पूरा प्रशिक्षण सम्मेलन उनके साधारण काम से अवकाश ही समझना चाहिए क्योंकि यह एक नई जगह रखा जाता है और इसमें सम्पन्न होनेवाले काम भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। परन्तु प्रशिक्षण सम्मेलन का कार्यक्रम भी बहुत अधिक व्यस्त या भारी नहीं होना चाहिए। काम के घंटे भी अधिक नहीं होने चाहिए। गांव-साथियों को बहुत अधिक काम से मुक्त समय मिलना चाहिए जब वे एक दूसरे से मिल सकें या बाजार चले जाय या योंही घूम आएं। हर एक प्रशिक्षण सम्मेलन में गांवसाथियों को कुछ समय ऐसा मिलना चाहिए जिसमें वे अपने मन पसन्द के खेल या मनोरंजन में भाग ले सकें। विस्तार विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी विविध मनोरंजन के कार्यक्रमों में, अपनी क्षमता के बारे में शर्म न रख कर और अपने 'पद' का ध्यान न रखते हुए, पूरा पूरा भाग लेना चाहिए। किसी भी प्रशिक्षण-सम्मेलन को तभी सफल कह सकते हैं जब कि गांवोंमें वापस आये हुए गांवसाथियों में नयी स्फूर्ति, दूसरे गांवसाथियों और कर्मचारियों के साथ भाईचारे में दुबारा ताजगी, पुराने मसलों को हल करने के नये विचार, अपने दैनिक कार्यक्रम में प्रयोग करने के लिए विस्तार के नये तरीके और विस्तार के असली प्रयोजन की गहरी जानकारी भली-भाँति प्राप्त हुई हों।

काम के साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था से विस्तार कार्यकर्ता को ऐसा सुनहरा अवसर मिलता है जिसमें वह अपने पूर्व अर्जित ज्ञान और व्यावहारिक काम में सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। योजना के केन्द्रीय कार्यालय में भी वह अधिक प्रशिक्षण के लिए बहुधा आता रहता है, वह गांव की समस्याओं को विवाद के लिए सम्मेलन में रखता है जिसके साथ ही वह अन्य सहकारियों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखता है।

वादविवाद के लिए बातें :

१—इस खण्ड में नौकरी में आने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की वर्णित व्यवस्था से कौन कौन से लाभ हैं?

२–'अपनी क्षेत्रीय समस्याओं पर आपसी विचार विनिमय के लिए समय समय पर क्षेत्रीय कार्याकर्ताओं का जुटना जरूरी है', इस व्यवहार या प्रयोग से कौन कौन से लाभ हैं?

द–अधिकारी जो स्वयं निर्णय या निर्देश नहीं देता

भारत जैसे देश में, जहाँ की सारी व्यवस्था ही इस विचारधारा से चलती हो कि प्रशासक ही सभी प्रकार के निर्णय करता और काम चलाने के लिए दूसरे सभी कर्मचारियों को आदेश देता है, यह सोचना भी दूर की बात है कि इससे भी भिन्न व्यवस्था से प्रशासन चलाया जा सकता है। सामुदायिक विकास की हमारी पिछली कोशिशों की असफलता का या वांछित फल न देने का कारण यह है कि निर्देश देने वाले व्यवस्थामय पुराने ढांचे को ही अपना कर सफलता पाने की कोशिश की गई। इस तरह की व्यवस्था की एक सबसे बड़ी कल्पना यह है कि गांव के लोग अपनी समस्याओं को स्वयं नहीं हल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यह बताने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना चाहिए।

इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ हमें आजादी-पूर्व भारत की परिस्थितियों का निरूपण करना चाहिए। हमने अपने संविधान द्वारा भारत में एक गणतन्त्रीय प्रशासन संगठित करने की घोषणा की है। इस तरह की सरकार की सफलता के लिए यह जरूरी है कि देश के नागरिक, जिसमें गांववालों की ही संख्या अधिक है, अपनी भलाई के लिए तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता के लिए निर्णय करने के योग्य हों। यदि एक सिद्धान्त को मान लिया जाय, जैसा कि स्वीकार किया गया है, तो यह स्पष्ट है कि प्रशासन के इस ढांचे की जरूरत नहीं है जैसी कि थी।

इसलिए प्रशासन के एक नये ढांचे की जरूरत है। सम्भवतः विस्तार क्षेत्र में और क्षेत्रों की अपेक्षा इसकी अधिक जरूरत है क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार का वाञ्छित और स्थायी हेर-फेर करने की सम्भावना बहुत ही कम होती है। हमने प्रशासन के लिए नये ढांचे को अपनाया है, यह उस विस्तार की धारणा पर आधारित है जिसका वर्णन इस पुस्तक में पहले ही दिया जा चुका है। यहाँ हमने कहा है कि विस्तार कार्य में कोई अधिकारी नहीं होता है। सभी कर्मचारी मिल जुल कर काम करते हैं। हर एक कर्मचारी अपनी अपनी योग्यतानुसार भिन्न भिन्न तरह का

काम करता है परन्तु बिल्कुल मिलजुल कर काम करने की नीति पर हमेशा बल दिया जाता है जिसमें उनके जरूरी नियम और काम की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। किसी भी टीम में ऊँचे और नीचे वर्ग के अधिकारियों का न होना स्वाभाविक है इसलिये कर्मचारी भी ऊँचे और नीचे स्तर या पद की भावना नहीं ला सकते हैं। परन्तु एक मौलिक बात याद रखने की यह है कि लक्ष्य को पाने में हर कर्मचारी का काम समानरूप से जरूरी है। दल (टीम) सदैव अपने सदस्यों के अनुसार ही शक्तिशाली होता है।

इस तरह टीम की भावना भरने के लिए और टीम में ही प्रेरणा पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि हर वक्त कार्यकर्ता को उसके काम की अनिवार्यता को महसूस कराया जाय। अपनी योजना में हमने इस प्रकार की ही टीम की भावना पर आधारित एक प्रशासन ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है।

अपनी योजना के विविध कर्मचारियों को पद देने में भी हमने ऐसे पदों का उपयोग किया है जिसमें उनमें ऊँचे और नीचे अधिकारी की भावना ही न उठे। हम गांव के कर्मचारियों को **गांवसाथी** और मुख्य कार्यालय के कर्मचारी को '**साथी**' कहते हैं। दूसरे वर्ग के साथियों को गोदाम और पूर्ति-साथी, वितरण और संवहन-साथी, संयोजन-साथी आदि कहते हैं। साधारण बैठकों में साथी और गांवसाथी एक घेरे में बैठते हैं। जिसका मतलब यह होता है कि सभी बराबर हैं। यह बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की प्रेरणा देता है। क्षेत्र और प्रधान कार्यालय दोनों ही जगह किसी प्रकार के अधिनायकत्व की भावना से निरीक्षण नहीं होता है। परन्तु योजना के उन लक्ष्यों को, जिन्हें सभी कर्मचारियों की सामूहिक सलाह से निर्धारित और निश्चित किया जाता है, पूरा करने में मैत्रीपूर्ण उत्साह और नीति बताई जाती है। गांवसाथी ही गांववालों को व्यक्तिगत रूप में अच्छी तरह जान सकते हैं। जहाँ पर सलाह की जरूरत है वहाँ वे उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं और साधारण तौर पर उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। किसी भी गांव में किसी गांवसाथी के काम में कोई साथी हस्तक्षेप नहीं करता है। कभी कभी गांव में जाने से यह देखने का मौका मिलता है कि गांवसाथियों को सभी तरह की शिक्षा के साधन मिल चुके हैं या नहीं ? और उनका सदुपयोग हो रहा है या नहीं ? प्रधान कार्यालय में सभी साथी साप्ताहिक बैठक करते हैं जिसमें सभी गांवसाथी भी भाग लेते हैं और जिसमें सभी गांवसाथी

या गांवसाथिनी अपने काम में आनेवाली कठिनाइयों को एक दूसरे के सामने रखने का अवसर पाते हैं और विचार-विनिमय करते हैं।

इस तरह यह स्पष्ट हो गया है कि जमुनापार पुनर्निर्माण में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के परम्परागत ढंग का निरीक्षण नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी को उसी की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह अपने काम को जिम्मेदारी और सफलता के साथ पूरा करे, न कि वह अपने निरीक्षक को संतुष्ट करने के लिए कागज की खानापूरी कर ले। लोग यह सोचते हैं कि ऐसी व्यवस्था में काम कम होगा परन्तु हमारा अनुभव इसके विपरीत है, काम कम होने के विपरीत इस व्यवस्था ने गांवसाथियों को अपेक्षाकृत बहुत अधिक काम करने को प्रोत्साहित किया है, जितना कि वे औसतन न कर सके होते। हम इससे सम्बन्धित बातों का उल्लेख करना यहाँ जरूरी समझते हैं।

१ – पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि गांवसाथियों और अन्य कर्मचारियों के चुनाव का हमारा तरीका बहुत ही कठिन है और अधिक छानबीन के बाद होता है। इस छानबीन में हमेशा हम उम्मीदवारों में उन गुणों की खोज करते हैं जिनकी ऊपर की व्यवस्था के लिए ज़रूरत होती है। इस चुनाव के बाद हम अपने नये सम्बन्धों में पूरी आस्था रखते हैं और उसे यह महसूस करा देते हैं कि हम उसकी सचाई और चारित्र-बल पर विश्वास करते है और वह हमारी सचाई और चारित्र-बल पर विश्वास करे। इस प्रकार व्यवहार में आत्मा ही इसके काम की निरीक्षक हो जाती है और यह किसी भी बाहरी निरीक्षक की अपेक्षा अधिक ताकतवर सिद्ध होती है।

२ – हमारे अपने अलग ढंग हैं जिनसे हम किसी भी व्यक्ति के विशेष कार्यों को मान्यता देते हैं। हर एक साथी के काम का साल के अन्त में मूल्यांकन करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति है। इस मूल्यांकन के आधार पर ही जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है उन्हें दूसरे वर्ष उनके वेतन में एक से अधिक बढती दी जाती है। इसी मूल्यांकन के आधार पर ही उच्च वेतन स्तर पर भी तरक्की दी जाती है। यदि ऊँचे वेतन स्तर से इस तरह की मान्यता नहीं दी जा सकती है तो हमारा विश्वास है कि एक मान्यतापत्र या किसी भी तरह के जन-समारोह में वर्ष के विशेष कार्य के लिए सम्मान देने से कर्मचारियों को आने वाले वर्ष में और अधिक अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

किसी भी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के कार्य में निर्देश देने के बदले प्रशासन की ओर से सुविधाएं मिलने पर और कार्यक्रम की गतिविधि की

कार्यकर्ताओं द्वारा रचनात्मक आलोचना को ही प्रोत्साहित करने पर कार्यक्रम को ही बल मिलता है। इस तरह की रचनात्मक आलोचना तभी सम्भव है जब कि कार्यकर्ताओं में डर की जगह आज़ादी की भावना रहे। जमुना-पार पुनर्निर्माण में स्वतंत्र वाद-विवाद, प्रशासकीय और योजना की सामान्य गतिविधि पर नये सिरे से विचार और आलोचना का मौका उन साधारण बैठकों में बराबर मिला करता है जो साल भर प्रत्येक तीसरे सप्ताह हुआ करती हैं। साथियों और गांवसाथियों का तीन दिन के लिए एक वार्षिक सम्मेलन भी होता है। आमतौर से यह सम्मेलन योजना-क्षेत्र के बाहर किसी अच्छे नैसर्गिक वातावरण में रखा जाता है। इन सम्मेलनों और वार्षिक सम्मेलन में ही हम भविष्य के कार्यक्रम निर्धारित करते हैं जैसे विस्तार विषय और उसके सम्बन्धित तथ्यों को निर्धारित करना, ग्रामीण जीवन के उन पहलुओं का चुनाव करना जिन्हें समय के अनुसार कार्यक्रम में अधिक महत्ता मिलनी चाहिए, और यदि जरूरत समझी जाय तो चालू कार्यवाइयों में भी हेर-फेर करना।

नए प्रशासकीय सिद्धान्त

ऊपर बनाए गए ढांचे के सिलसिले में ही अच्छे प्रशासक के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें हम आगे बता रहे हैं:–

१ – प्रशासक लोगों में विश्वास पैदा करे। उसका यह कर्तव्य है कि योजना के किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की हिचक या विश्वास की कमी न दिखाए। यदि वह विश्वास की कमी दिखायेगा तो अन्य कर्मचारियों का साहस और उत्साह कम होगा।

२ – प्रशासकीय विभाग के कर्मचारियों को सभी प्रकार की औद्योगिक जानकारी रखनी चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। प्रगति करने की कितनी ही इच्छा या अभिलाषा होने से ही किसी भी कार्यक्रम में सफलता नहीं पाई जा सकती है।

३ – अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी सचाई रखना नितांत जरूरी है। एक सच्चे प्रशासक को गांववाले बहुत आदर से देखते हैं इसलिए उन्हें कभी भी हतोत्साह नहीं करना चाहिए। यह दूसरी अनजान बातों के विषय में भी सही है। किसी भी समस्या की पूरी जानकारी किसी को भी नहीं होती है, यह सब को सच मान लेना चाहिए न कि ग़लत ग़लत उत्तर दिया जाय।

४–प्रशासन को बहुत अधिक लचीला होना चाहिए न कि वह किसी प्रकार की ऐसी बड़ी व्यवस्था का पालन करे जिसे या तो प्रशासन ने स्वयं ही या किसी ऊँचे अधिकारी ने निर्धारित किया हो। सभी कार्यक्रमों में, और विस्तार कार्यक्रम में तो और अधिक, जरूरत इस बात की है कि कार्यक्रम में मिले-जुले हुए नए अनुभवों या गांव या समाज या दल विशेष की परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रमों में भी हेर-फेर शीघ्र ही कर दिया जाय। प्रशासन के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वह जरुरी हेर-फेर जल्दी से और उचित समय पर करें, परन्तु इस हेर-फेर करने में विस्तार-योजना के परम लक्ष्य के हित का ध्यान हमेशा रखना चाहिए।

५–कर्मचारियों में अच्छे मानवीय सम्पर्क व व्यवहार का वातावरण पैदा करना प्रशासन को अधिक आसान और सुगम बना देता है। बहुत सी सफल योजनाएं बाहर से देखने में बहुत ही कम संगठित दिखाई देती हैं। इनमें उच्च अधिकारी 'बहुत ही कम' आज्ञाएं देते हैं, इसमें कर्मचारियों को तब तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती जब तक कि उच्च कर्मचारी नहीं आता है और निर्देश नहीं देता है। उन्हें अपने काम को निर्धारित नीति के मोटे तौर में जाकर पूरा करने की आत्म-निर्भरता होनी चाहिए। अपने कार्य-क्षेत्र की विविध परिस्थितियों के अनुकूल कार्यवाही करने की उन्हें समुचित आज़ादी मिलनी चाहिए।

गणतंत्रीय भारत में सर्वोत्तम किस्म का विस्तार-प्रशासन वह होगा जिसमें योजना के सभी कर्मचारियों में साथ साथ मिल जुल कर काम करने और पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना का उत्तरोत्तर विकास होता जायगा। इस तरह का प्रशासन अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से सम्पन्न करने में कर्मचारी का सहायक ही नहीं होता वरन् उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।

वादविवाद के लिए बातें:

१–प्रजातंत्र का विकास जनता की अपनी भलाई के लिए निर्णय करने की क्षमता पर निर्भर है। प्रशासन के कुछ तरीके किस तरह इसमें बाधक होते हैं?

२–'अधिकारी' की हैसियत का दबदबा दिखाये बिना ही प्रशासक किस तरह अपना उत्तरदायित्व संभाल सकता है?

३–विस्तार-कार्यकर्ता को प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की बाधा बिना ही अपने काम को पूरा करने की आज़ादी होनी चाहिए। विस्तार के इस सिद्धान्त के विरुद्ध कौन सी आपत्तियां हैं?

४–इस खण्ड में निर्धारित प्रशासकीय ढंगों के कौन कौन से लाभ हैं? इससे कौन कौन सी हानियां हैं?

य–आदान प्रदान

अब हम विकास और विस्तार कार्यक्रम की गतिविधि में लचीलेपन की आवश्यकता पर विचार-विनिमय तथा इसी से निकट सम्बन्ध रखनेवाली एक बहुत ही बड़ी जरूरत की ओर बजट के मामले में लचीलेपन की थोड़ी चर्चा करेंगे।

१. कार्यक्रम में क्रमबद्धता के साथ लचीलापन

इसके पहले इसी पुस्तक में ही यह सुझाव दिया जा चुका है कि ग्राम-सुधार या विकास की व्यवस्था और गति को गांववाले स्वयं ही किस प्रकार निर्धारित करें। परिणाम स्वरूप विस्तार पर सबसे पहली जिम्मेदारी गांववालों से ही इस बात का पता लगाना है कि उनके वर्तमान रीतियों में किसमें सुधार की जरूरत है, इन वाञ्छित आवश्यकताओं की पूर्ति का क्रम क्या होना चाहिए, और उन्हें इस प्रकार का हेर-फेर करने में कितना समय लेना चाहिए, हाँ, यह भी वही तय करेंगे कि हेर-फेर वाञ्छित और व्यावहारिक है या नहीं? यह निश्चय गांववाले विस्तार द्वारा सुझाये गए सम्बन्धित सुधारों पर विचार करने के बाद ही करेंगे। हम इसे सबसे पहली जिम्मेदारी कहते हैं, परन्तु यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो ग्रामीण लोगों के मस्तिष्क में प्रमाणों की आलोचना की योग्यता लाने की शैक्षिक व्यवस्था के साथ साथ आगे बढ़े, और सम्भवतः यह कई पीढ़ियों तक चले।

गांव के बाहर रह कर गांवों की भलाई के लिए कोई भी अच्छी योजना तैयार नहीं की जा सकती। इस पुस्तक के ७ वें अध्याय के 'ब' भाग में हमने यह बताया है कि गांववालों को अपनी भलाई की योजनाएं तैयार करने में कैसे लगाया जाय। इस तरह गांववालों को विशेष प्रकार की

शिक्षा देने के साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा के लिए योजना तैयार करने में भी विस्तार की सहायता की जरूरत है। विस्तार-कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीणों की शिक्षा को आगे बढ़ाने की ही योजना है, जिसके तैयार करने में गांववालों ने भी अनिवार्य रूप से सक्रिय भाग लिया हो।

इस तरह यह जरूरी दीखता है कि प्रत्येक गांवसाथी को गांववालों के एक मत या बहुत को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए और जिन जिन गांवों का काम उस गांवसाथी को सौंपा गया हो उस वर्ग के निवासियों की इच्छाओं का समन्वय करना चाहिए। जिस तरह हर एक ग्रामीण को अलग अलग विशेष तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती है उसी तरह हर एक गांव के लिए अलग अलग शिक्षा योजना भी नहीं हो सकती। वाञ्छित आवश्यकताओं की पूर्ति के मुख्य तरीकों को किसी भी समय में कम से कम एक सौ गांव के एक गुट के लिए निर्धारित करना होगा। सौ गांवों में अलग अलग सौ योजनाएं रखना, या पुनर्निर्माण के प्रत्येक गांवसाथी के कार्य-क्षेत्र में ही १५ योजनाएं भी रखना समय, प्रयत्न और धन सभी का अपव्यय करना होगा जब कि सभी गांवों के लिए एक ही विस्तार योजना में थोड़ी बहुत स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हेर-फेर करने से ही काम अच्छी तरह चल जायगा। इलाहाबाद के हमारे अनुभव से पता चला है कि एक सौ गांवों की एक टुकड़ी की 'वाञ्छित जरूरतें' और ग्रामीणों के लिए उनकी क्रमिक प्राथमिकता और उन्हें प्राप्त करने के समय में हर गांव के लिए विशेष अन्तर नहीं होता। इस अनुभव से दो सिद्धान्त बनते हैं।

(१) कार्यक्रम का प्रत्येक अंग अनिवार्य रूप से लचीला हो

अ – गांवों में शिक्षा के ऐसे विषय[१] चुने जांय जो योजना क्षेत्र के सभी गांवों के लिए लागू हो सकें। परन्तु इनका चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जिससे इनमें गांव-विशेष या गांवों के समूह विशेष की जरूरतों के अनुसार गांवसाथी स्वेच्छापूर्वक विषयों को घटा-बढ़ा सके।

ब – हर एक गांव के लिए निर्धारित विषय एक ही समय में भिन्न भिन्न होना चाहिए और यह भिन्नता वहाँ के लोगों की जनता की सहमति से होनी चाहिए। लेकिन इसमें इसका ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि निर्धारित समय में ही चुने गए सभी विषयों की शिक्षा पूरी हो जाय।

---

[१] 'विषय' की परिभाषा के लिए इसी अध्याय के पृष्ठ ८५ को देखें।

स – हर एक विषय की शिक्षा में निर्धारित समय ही लगना चाहिए जिसमें हर एक ग्रामीण की सीमित शक्ति का भी ध्यान रखा जाय। दूसरे इस व्यवस्था में गांवसाथी के जिम्मे भी काम का बोझ बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।

(२) कार्यक्रम में क्रमबद्धता हो

सभी गांववालों और गांवसाथियों को भी कार्यक्रम का कोई भी समय, जिसकी आयोजना उन्होंने पहले से ही कर ली है, बेकार नहीं खोना चाहिए।

अ – यदि किसी समय ऐसी परिस्थिति आ जाय जिसमें किसी विषय को पूरा न किया जा सके तो ऐसी दशा में गांवसाथी और गांववाले दोनों ही मिल कर इसके कारण की जांच करें। सम्भव है कि शैक्षिक योजना की कोई इकाई पहले प्रयास में गांव वालों की शक्ति की सीमा के बाहर दीखे या विस्तार विभाग को ही इसकी प्रसार शक्ति कार्य-शक्ति के बाहर लगे। यदि ऐसा हो तो इसका सामना करना ही चाहिए और कुछ अन्तिम निर्णय करके उसे अगले मौसम में पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए।

ब – यदि किसी गांवसाथी ने काम का बोझ अधिक उठा लिया है और कार्यक्रम के अनुसार वह अपनी सारी शैक्षिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता है, या गांववाले स्वयं ही विस्तार से सीखने के लिए उतना समय नहीं लगा पा रहे है जितना समय लगाने की उन्होंने कल्पना की थी, तो ऐसी दशा में इस कार्यक्रम को अगले साल की (उसी) ऋतु के लिए तैयार होने वाले कार्यक्रम में रख देना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए।

अ–लचीलापन : प्रशासक के लिए यह बोझ न हो

गांवों के किसी एक गुट में विस्तार योजना लागू करने के समय के बाद-वाले समय में ये योजनाएं धीरे-धीरे गांववालों की ही योजनाएं बनती जाती हैं। गांववालों की सदिच्छाओं से दिनदिन उनका विकास होता जायगा और कार्यक्रम पूरा होता जायगा। आरम्भ से अन्त तक विस्तार सेवा के विकास के किसी भी स्तर पर ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसे गांववाले अपनी जरूरत समझते हों। इस तरह यदि उन्हें परिणाम में आशानुकूल सफलता मिली तो इससे वे सन्तुष्ट होंगे और यदि उन्हें आशा-नुकूल सफलता न भी मिली तो भी इससे वे हतोत्साह नहीं होंगे।

किसी भी विस्तार कार्यक्रम के तैयार करने में गांववालों के निर्णय को ही बढ़ावा देना सबसे अच्छा होता है जिसके दो बहुत ही ठोस कारण हैं :–

१ – अपने चुने हुए कार्यक्रमों से लोग बहुत सी बातें सीखते हैं जिनमें कार्यक्रमों के विषय, इनके चुनाव के ढंग और जिम्मेदारी लेने के तरीके मुख्य हैं।

२ – यद्यपि किसी भी कार्यक्रम के लिए गांववालों द्वारा चुने गए विषयों का क्रम प्रशासक या आयोजक से भिन्न होता है फिर भी ग्रामीणों द्वारा चुनाव के विषयों का क्षेत्र उतना ही होगा जितना कि विस्तार कार्यक्रम का क्षेत्र हो सकता है क्योंकि उनकी दिलचस्पी खास तौर से कृषि, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और ग्रामीण संगठन में रहती है।

गांव के लोग अपने लिए जिस विस्तार-कार्यक्रम की तैयारी में भाग लेते हैं ऐसे ही कार्यक्रम से वे एक सीख पा सकेंगे और वांछित फल के लिए जिम्मेदारी उठा सकेंगे।

कुछ प्रशासक इस तरह के कार्यक्रमों से आशंकित हो उठते हैं। उनके कभी कभी आशंकित होने का कारण यह है कि वे गांववालों से इस दृष्टि से अधिक जानकारी रखते हैं कि किस काम की जरूरत है? चाहे जो हो, कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण-निर्णय को प्राथमिकता दी गई है, तैयार करने के हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि ग्रामीण लोग बहुत अच्छा चुनाव करते हैं। बहुधा वे भी उन्हीं विषयों का चुनाव करते हैं जिनका सम्भवतः प्रशासक भी चुनाव करता। इस तरह के कार्यक्रम के दो गुण हैं : इसमें प्रशासक द्वारा चुने गए कार्यक्रम के गुण तो होते ही हैं, सबसे बड़ा गुण तो यह है कि यह **गांववालों** का ही कार्यक्रम है, उन्होंने ही निश्चित किया है कि कौन सा काम होगा। इसलिए उनकी इच्छा सदा यही रहती है कि काम में सफलता मिले।

यह सही है कि कभी कभी गांव वाले ऐसे कार्यक्रमों के लिए मत प्रकट करते हैं जो उस कार्यक्रम से बिल्कुल भिन्न होता है जिसे प्रशासकों ने चुना होता। यदि ऐसा होता है तो बुद्धिमत्तापूर्ण और बुद्धिमत्ता से रहित–दोनों प्रकार के चुनाव होने की सम्भावना है। यह बुद्धिमत्तापूर्ण इस तरह हो सकता है कि बहुधा देखा गया है कि गांववालों की जानकारी प्रशासकों से कहीं अधिक होती है। ऐसी दशा में प्रशासक गलतियां करने से बच जायगा। या गांववालों द्वारा चुना गया कार्यक्रम इसलिए भी अच्छा होगा कि वे ऐसा कार्यक्रम चुनते हैं **जिसे पूरा करने के लिए वे तैयार रहते**

हैं। कोई भी विस्तार कार्यक्रम तभी सफल होगा जब कि लोग इसे पूरा करने के लिए तैयार हों।

यदि किसी अच्छे स्तर से देखा जाय तो, कदाचित् यह पता चले कि गांवों के एक दल को उस कार्यक्रम की अपेक्षा जिसका उन्होंने चुनाव किया है, किसी दूसरे कार्यक्रम की ज़रूरत है। सम्भवतया किसी भी गांव में एक सड़क बना लेना सोख्ता गड्ढा बनाने से कहीं उपयोगी है। परन्तु यदि गांववाले पहले सोख्ता गड्ढा ही बनाना चाहते हैं, तो तत्काल के लिए वही कार्यक्रम सबसे अधिक उपयोगी होगा और इसी से उनकी जानकारी बढ़ेगी तथा वे अधिक तरक्की करेंगे। पढ़ना सीखने से लाभ होता है परन्तु तब तक वे अधिक उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि वे इसके लिए पढ़ना सीखना नहीं चाहते और जब तक वे इसके लिए तैयार नहीं होते। उत्पादन तभी बढ़ता है जब जमीन की ही उर्वराशक्ति बढ़ाई जाती है। परन्तु किसान हरी खाद या दूसरी तरह की खाद का प्रयोग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वे इस प्रयोग की उपयोगिता नहीं जान लेते और वे अपनी इच्छा से इसे अपनाना नहीं चाहते।

उदाहरण—पुनर्निर्माण क्षेत्र के एक गांव में बीड़ी का एक कारखाना है। इसके अधिकांश कर्मचारी किशोरावस्था के लड़के हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि ये लोग पढ़े-लिखे होते तो वे अपनी नौकरी के सम्बन्ध में कारखानों के मालिक पर अच्छा नियंत्रण रखते जब कि हम लोगों को, जिन्हें श्रमिक और मालिक से नियन्त्रित सम्बन्धों की जानकारी है, यही लगेगा कि कारखाने का मालिक मनमाना काम करता है। कर्मचारी भी इसे समझ सकते हैं और पहले उन्होंने साक्षरता आन्दोलन के लिए बहुत अधिक उत्साह भी दिखाया। परन्तु जब उन्हें यह पता लगा कि उन्हें अपने इस विकासोन्मुख और नई योग्यता (पढ़ने-लिखने) की पूर्ति और विस्तार के लिए, अखबार, पुस्तिकाएं, या दूसरी चीजों की जरूरत होगी और कुछ पैसे भी खर्च होंगे तो यह उत्साह ठन्डा पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम यही पैसा अपने अखाड़े की मरम्मत में और एक उस्ताद (पहलवान उस्ताद) रखने में खर्च करेंगे। कारखाने में काम करने के बाद बचनेवाला उनका समय ऐसे ही कामों में बीतता था। पहलवानी से उन्हें कोई ऐसा लाभ नहीं होता था जिसकी वे कल्पना कर सकते। इन किशोरों को भोजन भी जीवनोपयोगी तत्वों से पूर्ण और उचित मात्रा में नहीं मिलता था जिससे कि वे कारखाने की मजदूरी के बाद किसी भी तरह का काम कर सकें और पहलवानी से, जो जमुनापार वालों में बहुत लोकप्रिय है,

तो उन पर ज़रूरत से ज्यादा बोझ पड़ता था। परन्तु वे यही चाहते थे। गांवसाथी ने भी साक्षरता आन्दोलन पर जोर देना स्थगित कर उनके अखाड़े के सुधार में सहायता करना आरम्भ कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप वहाँ पर यह एक ऐसा केन्द्र स्थापित हो गया है जहाँ पर उस कारखाने में काम करनेवाले कर्मचारी अपने काम के बाद मिलते-जुलते हैं और आमोद-प्रमोद करते हैं जो बिल्कुल गतिहीन होता है। वे अपने खेल-कूद से ही प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने अखाड़े के आधार पर ही एक दल बना लिया जिसमें वे अखाड़े के अलावा ऐसी दूसरी जानकारी भी पाते हैं जिन्हें गांव-कार्यक्रम में रखा गया है। प्रशासन ने पहले ग़लत चुनाव किया और लड़कों ने अपनी जरूरतों की अच्छी जानकारी के आधार पर ही इसमें सुधार किया। वे ही इसे ठीक रास्ते पर लाये जो सम्भवतया इस मामले में मनोवैज्ञानिक ही अधिक रहा। लोग अपने बारे में तो अधिक जानते ही हैं कि स्वाभाविक ज्ञान बहुधा विश्लेषणात्मक ज्ञान से अधिक ठोस होता है, लड़कोंने अपनी भावनाओं को सही रूप में जाहिर या स्पष्ट किया जब कि विस्तार योजना मासिक विश्लेषण से ही कार्यक्रम निर्धारित कर रही थी।

१ – विस्तार प्रत्येक लोगों का अगुवा हो – एक अच्छे विस्तार कार्यक्रम का एक मुख्य अंग उन विषयों या व्यवहारों का प्रदर्शन है जिनकी उपयोगिता को लोग समझ लें और यह भी जान लें कि इस विधि को व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है और यह लोगों के लिए सहायक है। वस्तुतः जब तक ग्रामीणों में इसके प्रयोग की विधि जानने की आन्तरिक इच्छा जागृत न हो तब तक इस तरह के प्रदर्शनों को बहुत ही छोटे पैमाने पर रखा जाय। इटावा योजना के शब्दों में, किसी भी अच्छे विस्तार कार्यक्रम में ऐसे प्रणाली-प्रदर्शन रखने चाहिए जिनके लिए ग्रामीण तैयार भी न हों। परन्तु 'परिपूर्ण कार्यक्रम' में विधि विशेष के व्यवहार को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने का प्रचार तब तक के लिए रोक रखना चाहिए जब तक कि गांव के लोग इसे भली-भाँति समझ बूझ कर कार्यक्रम का मुख्य अंग नहीं मान लेते हैं और अपने आप ही इसमें हाथ नहीं बढ़ाने लगते हैं।

२ – गांव के लोग और विस्तार-कार्यकर्ता दोनों ही अपनी असफलताओं से सीखते हैं – यदि किसी समय गांववालों का निर्णय ही ग़लत सिद्ध हो तो क्या किया जाय? कार्यक्रम का यदि यह अंग असफल होता है तो भी कम से कम इसके चुनाव की जिम्मेदारी तो गांववालों पर ही रहती है और केवल इस चुनाव के नाते ही वे बहुत से बहुमूल्य अनुभव प्राप्त कर

लेते हैं। हम सभी ही अपनी असफलता से भी उसी तरह जानकारी हासिल करते हैं जिस तरह हम अपनी सफलता से हासिल करते हैं। यदि गांव-साथी और गांव के लोग दोनों ही मिल कर किसी काम की योजना बनाते हैं तो इसमें सफलता या असफलता दोनों ही दशाओं में दोनों ही अनुभव प्राप्त करते हैं। सच तो यह है कि जब एक सुनियोजित योजना और सुनिर्धारित कार्यक्रम असफल होता है तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर गांववाले अपने उत्तम गुणों को दर्शाते हैं। असफलताओं के प्रति गांववालों के साहसी अनुभवों से विस्तार प्रशासक को सीखने के लिए बहुत कुछ है। असफल होना गांववालों के लिए कोई नई बात नहीं है, असफलताओं में ही तो वे रहते हैं और कदाचित् यह भी एक कारण है कि भारत में परम्परा से आनेवाले सांस्कृतिक ढंग ने सफलता से मिलने-वाले प्रोत्साहन को बहुत निम्न स्तर में रखा है। कर्मयोगी वह है जो काम को पूरा करने में जुटा रहता है उसे फल-प्राप्ति के लिए जितना सम्भव हो उतना ही कम सोचना चाहिए। यदि लोगों में इस तरह की भावना और उत्साह पैदा कर दिया जाय तो निश्चय ही असफलताओं से भी बहुत अधिक सीखा जा सकता ह क्योंकि हतोत्साह होने की भ्रामक भावना बहुत ही कम हो जाती है। ऐसी दशा में दिमाग आगे की असफलता की उपेक्षा करने के लिए पूर्णतया तैय्यार रहता है।

उदाहरण – पुनर्निर्माण के गांवों में एक गांव ने, जो इलाहाबाद से रीवां जानेवाली सड़क के किनारे है, कुछ फर्लांग लम्बी सड़क, जो मुख्य सड़क से मिल जाय, बनाने का निश्चय किया। उन्हें अपने इस निश्चय पर बहुत गर्व था। सामूहिक कार्य का यह विचार उस गांव के लिए नया ही नहीं था परन्तु जो मुख्य बाधा भू-स्वामित्व की थी और जो हमेशा आया करती थी उसे उन्होंने हल कर लिया था। कुछ हद तक गांवसाथी ने भी लोकमन को उभाड़ा और गांव के सबसे धनी आदमी को भी जो कभी ख्याति प्राप्ति के लिए कुछ भी देने को तैय्यार नहीं होता था, अपनी जमीन का दान करने के लिए समझा कर तैयार किया गया।

इस गांव के लोग और गांवसाथी भी इतने प्रमुदित थे कि वे जल्दी से जल्दी ही सड़क को तैयार कर लेने को उत्सुक थे। यद्यपि यह बहुत ही थोड़े दिन की कोशिशों का फल था फिर भी इसकी कीमत 'आन' के रूप में अधिक थी, न कि इसकी बहुत अधिक उपयोगिता बढ़ जाने के रूप में। वे सब लोग इसे इतनी जल्दी तैयार करना चाहते थे कि वे जन-निर्माण विभाग के इंजीनियर से सड़क बनाने के विधि पर भी कुछ सुनने के लिए

इन्तजार नहीं कर सके। गांवसाथी जो अपने यहाँ की परिस्थिति को भली-भाँति जानता था गांव वालों के उत्साह को जल्दी ही व्यावहारिक रूप देना चाहता था और उसका यह अनुमान ठीक भी था कि जन-निर्माण विभाग के इंजीनियर को कार्य-विषय के लिए सलाह देने के लिए गांव तक पहुँचने में कई सप्ताह लग जायेंगे और तब तक गांववालों का उत्साह ही ठंडा पड़ जायगा। परिणाम का भी अनुमान किया जा सकता था। सड़क के बनने में बीच में एक नाला भी था। सड़क निर्माण के समय यह सूखा था और वे यह कल्पना नहीं कर सके कि भारी वर्षा होने से यह सड़क एक बांध के रूप में हो जायगी और इसके एक तरफ खेतों में पानी जमा हो जायगा। यदि कोई इंजीनियर आता तो वह जरूर सलाह देता कि वहाँ पर या तो ईंट की पुलिया बना ली जाय या वहाँ एक ह्यूम-पाइप रख दिया जाय जिससे एक तरफ खेतों में पानी इकट्ठा होने की सम्भावना न हो। अगली वर्षा ऋतु में सड़क के एक तरफ पानी भर गया, कुछ खेत डूब गये, सड़क पर मिट्टी बहुत कम पड़ी थी, और इसे अच्छी तरह दुर्मुट भी नहीं किया गया था और न इसमें कंकरीट या पत्थर के टुकड़े ही डाले गए थे कि जिनके साथ मिट्टी रुकी रहती। परिणाम यह हुआ कि पहली वर्षा के बाद ही सड़क दलदल हो गई और इस तरह सामूहिक रूप से निर्मित सड़क असफल सिद्ध हुई।

गांव में केवल एक व्यक्ति, जो इस सम्बन्ध में बहुत अधिक हतोत्साह हो गया था, वह गांवसाथी था। गांववालों की उदासीनता से पुनर्निर्माण प्रशासन इतना प्रभावित हुआ कि गांवसाथी से इस सम्बन्ध में पूछ-तांछ की गई। गांवसाथी से गांववालों के साथ कदम ब कदम चलने और इस बात का पता लगाने के लिए कहा गया कि उस काम में कहाँ पर और किस तरह भूल हुई। अन्त में योजना की दूसरी वर्षा ऋतु में पुरानी जगह पर ही इंजीनियर की सलाह से सड़क दुबारा बनाई गई जिसमें गांववालों ने पहली बार की अपेक्षा बहुत अधिक उत्साह दिखाया, यद्यपि सही ढंग से काम करने में उन्हें बहुत अधिक समय लग गया। स्वाभाविकतया अब वे यह महसूस करते हैं कि वे अच्छे और कुशल सड़क बनानेवाले हो गए हैं और अब गांवसाथी ने भी एक बहुत ही बड़ी बात सीखी है कि गांववाले उससे कहीं अधिक साहसी और धैर्यवान हैं।

३ – लचीलेपन के लिए अन्तिम और अधिक तर्क : किसी भी योजना का विस्तार कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लचीला होना चाहिए अर्थात् उसमें आवश्यकतानुसार समय पर परिवर्तन करने की सुविधा होनी चाहिए।

क्योंकि एक अच्छे कार्यक्रम को अनिवार्य रूप में गांववालों की सुविधाओं के अनुसार ही होना चाहिए, लचीलेपन के पक्ष में दो और कारण हैं :–

अ – गांवसाथियों और स्वयं प्रशासकों के अनुभवों की उत्तरोत्तर बढ़ती के लिए ही यह आवश्यक है। हममें से कोई भी इस भावना के साथ कि हम सम्बन्धित क्षेत्र, वहाँ के लोगों और उनकी जरूरतों को बचन पूरी तौर से जानते हैं, विस्तार योजना नहीं चला सकते हैं। आम तौर से देखा गया है कि हममें से अधिकांश – जो विस्तार कार्यक्रम में लगे हुए हैं गांवों की जरूरतों और साधनों को पूरी तौर से नहीं जानते है, विस्तार योजना नहीं चला सकते हैं और शक्ति से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। इसके बाद ज्ञान का वह क्षेत्र, जिसकी गांववालों के पास वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने की जिम्मेदारी हम पर समझी जाती है (देखिये अध्याय १, पृष्ठ १८-१५), इतना विस्तृत है कि हम अपनी ही वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं। निश्चय ही हम सीखेंगे, परन्तु सभी कुछ हम कभी सीख ही नहीं सकते हैं।

हममें से सभी बहुत से ग़लत निर्णय करते हैं और आगे भी बहुत सी गल्तियां होने की हममें सम्भावना है। और जब हम यह समझ लें कि हमारा पहले का रास्ता ग़लत था और उसे करने का एक सही ढंग भी है तो हम उस ग़लत रास्ते में बन्धे न रहें। हमें अपनी गल्तियों से सीखना चाहिए और इसीलिए हमें अपने कार्यक्रमों में, अपने काम के ढंगों में, या दोनों में ही बहुत थोड़े समय में ही परिवर्तन करने की सुविधा होनी चाहिए।

ब - हर एक तहसील के विविध क्षेत्रों के ग्रामीणों के निर्णयों में भेद होता है। यहाँ तक कि लगभग ४ सौ गांवों की एक योजना में ही विविध गांवों के लिए कार्यक्रमों में विविधता होनी चाहिए जिससे विशेष विषयों पर स्थानीय रूप से जोर देकर ही गांववालों का उत्साह बढ़ाया जा सके। जमुनापार पुनर्निर्माण के लगभग सौ गांवों के क्षेत्र के कार्यक्रमों में हम एक समता बनाए रखने की कोशिश करते हैं परन्तु चारों क्षेत्रों के कार्यक्रमों में विभिन्नता की काफी छूट देते हैं।

व–अविच्छिन्नता : हर एक विस्तार कार्य की एक असली समस्या

किसी भी कार्यक्रम को गांववालों के लिए हितकारी बनाना है तो उसमें गांववालों का पूरा पूरा सहयोग हो और वह लचीला हो, परन्तु इसके

ग्रामीण – पशुओं को टीका लगाना, पम्प से चूहे मारना, नई रीति से कलम बांधना ग्रामीणों को सिखाया जाता है। साथ ही स्त्रियां भी जुओं से बचने के उपाय सीखती हैं।

आविष्कार – एक्सटेन्शन द्वारा पुराने ढंग से पानी खींचने की रीति त्याग कर (नीचे) ग्रामीण नवीन अच्छी रीति काम में लाना सीख रहे हैं।

साथ ही उसे जोरदार या प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसमें अविच्छिन्नता लाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हर एक विस्तार कार्यकर्ता को अपनी इच्छाओं का पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। गांववाले यह जानते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और अच्छे कुशल विस्तार कार्यकर्ता वह ढंग जानते हैं जिससे गांववालों की वांछित जरूरत पूरी की जा सकती है। इन ढंगों में कृषिशास्त्र, चिकित्सा या दवा-दारू और गृह-अर्थशास्त्र की विविध विधियां शामिल हैं। अन्य तरीकों में प्रशिक्षण कला के ऐसे ढंग भी हैं जिसके माध्यम से लोग सबसे जल्दी और कम से कम प्रयास में सीखते हैं।

गांववाले अपनी जरूरतों को भली-भाँति जानते हैं परन्तु साधारणतया वे यह नहीं समझ पाते हैं कि कितने समय में और किस तरह की कार्य-वाहियों से वे अपने ध्येय को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि स्वाभाविक है और हम सभी लोग फल-प्राप्ति के लिए अधीर हो उठते हैं उसी तरह वे लोग भी फल पाने के लिए अधीर हो उठते हैं और नई योजना शुरू करने के फेर में पुरानी योजना को अधूरा ही छोड़ देते हैं; या वे कड़ी मेहनत सोचकर ही या खर्चे का ही अनुमान कर घबड़ा जाते हैं और अपने ही प्रस्तावों को, उनका उचित परीक्षण किए बिना ही, छोड़ देना चाहते हैं।

इस कारण से ही हमने 'समाचार समारोह' का आयोजन करने की जगह पर 'सम्पन्न समारोह' का आयोजन करना अधिक अच्छा पाया है। किसी भी काम के, जैसे सड़क या पाठशाला का निर्माण, आरम्भ में यदि किसी तरह के समारोह या जलसे का आयोजन किया जाता है, तो ऐसी दशा में जब काम अधिक थकानवाला होने लगता है उस समय लोगों में काम की दिलचस्पी धीरे धीरे कम होती जाती है। परन्तु काम के आरम्भ होने से लेकर उसके पूरा होने तक अगर कोई समारोह नहीं किया जाता है तो इसकी अधिक सम्भावना रहती है कि गांव के लोग काम पूरा होने तक बहुत ठीक ढंग से पूरा पूरा सहयोग देते रहें। यदि किसी गांव में कोई पुस्तकालय या वाचनालय खुलनेवाला हो तो तब तक किसी भी प्रकार का समारोह नहीं करना चाहिए जब तक कि वह सुचारु और नियमित रूप से चालू न हो जाय। यह समय महीने भर का रखा जा सकता है क्यों कि पुस्तकालय के खुलने की अपेक्षा उसका सुचारु और नियमित रूप से संचालित होना अधिक जरूरी है।

उदाहरण – बहुत से किसानों ने मौसम के बहुत पहले ही मूग (एक ऐसी दाल जिसमें बहुत अधिक हरी लता होती है) या सनई (जिसे अंग्रेजी में हैम्प कहते हैं) बोया, उनकी इच्छा थी कि इसे तैयार होने के पहले ही कटवा कर खेत में जुताई कर दें जिससे यह हरी खाद के रूप में खेत को रबी की फसल के लिए अधिक उपजाऊ बना सके। हरी खाद के पौधों की बुवाई वर्षा ऋतु के आरम्भ काल में हो जाती है। बुवाई के लगभग छः सप्ताह बाद ही खेत को जोत कर इसे पलट दिया जाता है। यह उस खेत में बोई जाती है जो परती पड़ा रहता है। ऐसे खेत में अधिक से अधिक खरीफ का चारा लिया जा सकता है।
जब मूंग के पौधों को जमीन में दबा देने का समय हुआ, उस समय बहुत से किसान उसकी फली को ही देख कर लालच में पड़ गए और उसे जमीन में दबाना नहीं चाहते थे। इस तरह उन्होंने अपने खेत में हरी खाद देने का विचार ही छोड़ दिया और सोचा कि मूंग की फसल ही तैयार होने दें जिससे हाल की अच्छी फसल तैयार हो जाय परन्तु वे फसल के मुख्य अन्न के उत्पादन को भूल गए।

कार्यक्रम के नियोजन में गांववालों को पूरा पूरा अवसर देने के बावजूद भी गांवसाथियों और प्रशासकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यक्रम में एक ही समय में बहुत अधिक कार्यवाहियों को पूरा कर देने का बीड़ा न उठा लिया गया हो। उन्हें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि यदि कोई कार्य शुरू किया जाय तो उसमें पर्याप्त समय अवश्य मिल जाय कि उसके पूरे हो जाने की पूरी सम्भावना रहे। उन्हें धैर्य को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे लोग काम के पूरा होने तक उसमें जुटे रहें।

इस तरह कार्यक्रम के लचीलेपन में ही जरूरी है कि विस्तार के अनुभवों से कितनी अधिक तीव्रता से और एक बार योजना के प्रारम्भ होने पर उसे चलाने के लिए कितने समय में उसे संयोजित किया जाय। यही बात किसी भी विस्तार विधि विशेष की अविच्छिन्नता, परिवर्तन और तत्परता के लिए भी सही है।

स – गांवसाथी का दैनिक कार्यक्रम : कार्यक्रम और लचीलापन

लचीलापन और अविच्छिन्नता की कड़ियों का इसी तरह का संयोग हर एक गांवसाथी को अपने दैनिक कार्यक्रम में भी रखना होता है। विस्तार

की एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि किसी भी गांवसाथी के पास कोई बाहर से निर्धारित कार्यक्रम तालिका नहीं है जिसके अनुसार वह अपना काम करे। स्कूल या कालेज के छात्र-छात्राओं और अध्यापकों को कक्षा में बुलाने के लिए जिस तरह घंटे बजते हैं, उस तरह का कोई घंटा गांवसाथी को काम पर बुलाने के लिए नहीं बजता है। इनके लिए सरकारी कार्यालयों के या व्यावहारिक ढंग पर ही काम पर आने और समाप्त करने का कोई समय नहीं निर्धारित है और न वहाँ पर कोई उसका सहयोग ही देखने के लिए है कि वह समय से आया था या देर कर के आया। उसे काम पर लगा रहने का निरीक्षण करने के लिए कोई उच्च अधिकारी भी वहाँ नहीं जाता है। वह स्वयं ही अपना पूरा स्वामी है। उसके कार्य का एक ढंग दैनिक कार्यक्रम के रूप में निर्धारित है और इसी तरह काम जोरदार रूप में होता है और हर दिन एक नया कार्यक्रम बनाने में या अगले सप्ताह के कार्यों के लिए तैयार रहने के लिए आज क्या करना चाहिए इसको पहले से ही न समझ लेने की असफलता से उसका समय बर्बाद नहीं होता है।

गांववालों का दोस्त और साथी होने की स्थिति यह मांग करती है कि जब कभी जरूरत पड़े, उसे हमेशा अपने कार्यक्रम में आवश्यक हेर-फेर करने को तैयार रहना चाहिए। उसका कार्यक्रम ऐसा दृढ़ नहीं होना चाहिए कि जब उसके गांव के लोग किसी काम की जरूरत समझें उस समय वह अपने निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़ नहीं सकता है। फिर भी उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हेर-फेर इतनी बार न हो जाय कि उसका सारा कार्यक्रम ही चौपट हो जाय। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग लचीलेपन की इस जरूरत को किसी भी तरह का नियमित कार्यक्रम न रखने का एक बहाना न बना लें। उसे इसके लिए काफी सतर्क रहना चाहिए कि वह आकस्मिक घटनाओं के कारण पहले किए गए वादे को न तोड़े जिससे वह किसी समय किसी ध्येय से कुछ लोगों का साथ दे सके। इस तरह गांववालों को उदाहरण स्वरूप अपने दायित्व समझने का भी अवसर मिलता है।

उदाहरण – गांवसाथी का एक यह भी कर्तव्य है कि वह अपने ग्रामीण दोस्तों के समारोहों और विवाह तथा निधन के समय निश्चय ही भाग ले। किसी भी वर्ग में मौत होना एक 'आकस्मिक घटना' है परन्तु यदि गांवसाथी गांव में है और वह किसी की मौत हो जाने पर उसके मरण-संस्कार तक के सभी आयोजनों में हिस्सा नहीं लेता तो मित्रता के साथ

विश्वासघात करता है। इसी कर्तव्य से गांवसाथी के कर्तव्यों की इति-श्री नहीं हो जाती है। उसके अन्य कर्तव्य भी हैं।

एक गांवसाथी ने अपने एक ग्रामीण दोस्त के खेत में गांव के सभी लोगों को एकत्र करने की व्यवस्था की थी। जिससे वे सभी लोग आयोजित प्रदर्शन देख सकें। प्रदर्शनवाले खेत को दो भागों में बाँटा गया था। एक हिस्से में जुआर की बुवाई कतार में और दूसरे में छींट कर की गई थी। कतार में बुवाई किए गए जुआर में से कमजोर जुआर के पौधों को उखाड़ लेने का समय आया जिससे भूमि की उर्वराशक्ति पर अधिक जोर न पड़े। इसके प्रदर्शन के लिए किसी दिन का एक निश्चित घंटा तय किया गया। इसे देखने के लिए कई गांवों से किसान ही नहीं वरन् वे मज़दूर भी आये जिन्होंने प्रदर्शनवाले खेत में बुवाई के समय काम किया था। वे कमजोर जुआर के पौधों को निकालने की कला को देखने के लिए उत्सुक बैठे थे। सभी लोगों को कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि गांवसाथी को किसी ग्रामीण दोस्त ने प्रदर्शन के लिए जाने के पहले ही एक दूसरे आक-स्मिक कार्य के लिए रोक लिया था जिसने यह बताया था कि उस परिवार का मालिक पहली रात में स्वर्ग सिधार गया और वे लोग उसे श्मशानघाट ले जा रहे हैं। इस तात्कालिक जरूरत में सम्बन्धित परिवार के प्रति अपनी मैत्री की भावना का प्रमाण देने को गांवसाथी आकुल हो उठा और सम्भवतया उसने सोचा कि जुआर की निराई का काम तो दूसरे दिन भी हो सकता है। गांवसाथी को उस समय दूसरे बहुत से लोगों की इन्तजारी की तकलीफ उतना आकर्षित नहीं कर सकी, नहीं तो वह सम्बन्धित परिवार को इस तरह भी समझा सकता था कि 'भाई' यह तो दुनिया की रीति है। अभी देश को खाद्यान्न की अधिक जरूरत है, इसके लिए हमें आज्ञा दें कि हम जाकर अधिक अन्न पैदा करने के साधनों में से एक का प्रदर्शन लोगों को दिखा आएं।

गांवसाथी लगभग तीन घंटे बाद प्रायोगिक खेत पर पहुँचा। वहाँ पर उसने कुछ लोगों को काम करते हुए देखा। प्रायोगिक खेत के मालिक के एक बेटे ने यह सोचा कि इन पौधों को कम करना तो मैं जानता ही हूँ वह इन्तजार करते करते थक चुका था, इसी तरह और दूसरे लोग भी थक चुके थे, और उसने अपने पिता से पूछा कि नए पौधों को कम करने का काम शुरू कर दें और वह आज्ञा पा भी गया।

दुर्भाग्यवश निराई करने के लिए मजदूरी पर बुलाई नई महिलाओं ने, जो गांवसाथी को इस विषय पर विशेषज्ञ समझतीं थीं, उस किसान के

बेटे की बात को नहीं माना। उनके दिल में यही बात थी कि पौधों को कम करने का मतलब मूल्यवान खाद्यान्न-उत्पादन को रोकना है। पौधों को कम करने की कार्यवाही ज्यों ही शुरू हुई एक बुढ़िया दौड़ती हुई और गुस्से में चिल्लाती हुई किसान के बेटे की तरफ बढ़ी और कहा कि 'क्यों जीव-हत्या कर रहे हो' इस तरह खेत पर ही दलबन्दी हो गई और वहाँ पहुंचने पर गांवसाथी ने देखा कि उसका प्रदर्शन-खेत ही वागयुद्ध का एक अखाड़ा बन गया है। उसके सामने और कोई चारा न था कि वह उन सबों को ही समझा बुझाकर क्षमा-याचना के बाद घर वापिस भेज दे। जब वे सभी लोग चले गए तब गांवसाथी ने उस किसान और उसके बेटे के साथ ही मिल कर पौधों को कम करने का काम पूरा किया। इस तरह प्रदर्शन का एक मौका हाथ से निकल गया और इस तरह एक पूरे मौसम के प्रदर्शन का मौका चला गया क्योंकि इस तरह के प्रदर्शनों का शैक्षिक महत्व तभी है जब कि प्रायोगिक पौधे के तैयार होने तक हर जरूरी समय पर प्रदर्शकों का एक तांता बांध दिया जाय और कोई भी प्रदर्शन छूटे नहीं। गांव के लोग उस समय अधिक सुखी हुए होते यदि गांवसाथी ने उस दुखी परिवार के प्रति, जिस के साथ उसने मृतक क्रिया में अपना सहयोग दिया था, समवेदना प्रकट करने की जगह पर प्रदर्शन के काम को अधिक महत्व दिया होता।

द – विस्तार कार्यक्रम के पारिभाषिक शब्द

अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी परिभाषाएं देना चाहते हैं जिनसे उन शब्दों का इलाहाबाद में प्रयुक्त होने वाला अर्थ स्पष्ट हो जायगा, जिनका प्रयोग सारे भारतवर्ष के विस्तार विभागों में काम करनेवाले लोग करते हैं, परन्तु उनका प्रयोग तरह तरह से और विविध अर्थों में किया जाता है। हम लोग स्वयं ही तीन शब्दों का प्रयोग विविध रूप से करते रहे हैं।

१ – विस्तार प्रकरण – हम पुनर्निर्माण योजना में प्रकरण का प्रयोग उसी माने में करते हैं जिसमें एक अध्यापक 'विषय' का प्रयोग यह बतलाने के लिए करता है कि वह क्या पढ़ाने जा रहा है। और अधिक स्पष्ट रूप से हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब पुनर्निर्माण योजना का कोई भी विस्तार कार्यकर्ता गांववालों के सामने कोई प्रस्ताव रखना चाहता है जो प्रयोग की नई भावधारा लाती है, या नई भावधारा के आधार पर किसी नए प्रयोग का प्रस्ताव करना चाहती है तो इसे ही हम 'प्रकरण' कहते हैं।

इस तरह हरी खाद का देना 'एक प्रकरण' है, यद्यपि खेत में हरी खाद बोने के लिए झाड़वाले पौधों का चुनाव का तरीका बहुत लम्बा है और जिसका प्रादुर्भाव खेत में अधिक उत्पादन के लिए खेत में खाद देने की भावना से ही शुरू हो जाता है। इस तरह काम पूरा होने तक केवल एक ही प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें यह सभी बातें आ जाती हैं कि कब, कौन सा पौधा लगाया जाय और उसे हरी खाद के लिए कब ज़मीन में दबा दिया जाय।

यह सही है कि यह प्रकरण अन्य प्रकरणों से अभिन्न रूप में सम्बन्धित है, खेतों में विविध प्रकार की खादें मिलने के परिणाम की परीक्षा करनेवाले प्रगतिशील प्रयोगों को इनमें सम्मिलित किया जा सकता है। इसके बाद कतार में बुवाई और एक ही खेत में दो तरह की फसल की साथ साथ बुवाई, कम्पोस्ट खाद या रसायनिक खाद आदि के प्रकरण स्वयं ही आ जाते हैं।

२ – विस्तार किन चीजों पर जोर देता है (या प्रधानीकृत प्रकरण) – कभी कभी 'जोर' शब्द का प्रयोग यों ही किया जाता है। इसका मतलब होता है गांववालों के साथ किसी विस्तार प्रकरण या प्रकरणों पर काम करते समय विस्तार कार्यकर्ता द्वारा किसी प्रकरण विशेष पर दिया जानेवाला जोर। जब किसी विस्तार कार्यकर्ता द्वारा असम्बन्धित विस्तार प्रकरणों पर विशेष जोर डाला जाता है तो हम उसे इस क्षेत्र या ऋतु या उस भाग पर योजना द्वारा 'जोर देना' कहते हैं। 'जोर देने' का मतलब केवल यही होता है कि उस प्रकरण विशेष या प्रकरणों विशेष पर अन्य प्रकरणों की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है। उसमें गुण सम्बन्धी जोर पर अधिक ध्यान दिया जाता है परन्तु 'जोर' शब्द के क्षेत्र विशेष या समय-विशेष में किसी तरह का पारिमाणिक जोर नहीं समझा जाता है।

३ – विस्तार लक्ष्य – किसी विस्तार योजना द्वारा या इसके किसी बड़े भाग द्वारा आयोजित विस्तार प्रकरण पर ग्रामीणों की सहमति होने पर भी विस्तार कार्यक्रम द्वारा जोर देना या जोर न देना दोनों ही हो सकते हैं। किसी भी हालत में कोई भी सहमति-प्राप्त प्रकरण अपनी इस स्थिति के कारण ही 'जोर' पाने योग्य है। पुनर्निर्माण में हम 'जोर' की मात्रा उसी अनुपात में निर्धारित करते हैं जिस अनुपात में हम हर एक मौसम के लिए विस्तृत विस्तार कार्यक्रमों के तैयार करने में गांववालों का सहयोग ले सकते हैं, फिर भी गांववाले कार्यक्रम तैयार करने के दूसरे स्तर में सहयोग नहीं कर सकते हैं।

उद्देश्य की इस दूसरी अवस्था का कार्य है हर एक **गांवसाथी** या योजना के किसी बड़े भाग के लिए कार्य निर्धारित करना। किसी भी विस्तार प्रकरण में काम करने की फल प्राप्ति का यह परिणाम सम्बन्धी पैमाना है। इसके दो रूप हो सकते हैं :–

अ – हर एक गांवसाथी को किसी भी विशेष प्रकरण को किसी विशेष विधि द्वारा गांववालों को समझाने के लिए प्रति तीन सप्ताह के समय में या प्रति दिन गांववालों से कई कई बार बात करनी पड़ती है : उदाहरण के लिए, गर्मी के मौसम में स्पात के हल से जुताई करने के लिए तीन सप्ताह में चार प्रदर्शन करना और दूसरा उदाहरण है रबी की फसल के बाद, जब कि फसल काटी जाती है, अच्छे ढंग के गल्ले के गोदामों में गल्ला रखवाने के लिए फिलमस्ट्रिप दिखाना।

ब – हर एक गांवसाथी या हर एक सौ गांवों के क्षेत्र को अपने दैनिक रेकार्डों के उन ग्रामीणों की संख्या रखनी है जिन्होंने उस मौसम में सुधरी हुई विधि को समझ लिया है और उसे प्रयोग में ला रहे हैं। उदाहरण के लिए, अक्टूबर से अप्रैल तक की रबी की फसल के समय में १०० गांवों के एक क्षेत्र द्वारा कम से कम ८० धुआंरहित चूल्हे तैयार करने हैं।

विस्तार प्रकरण की दूसरी परिणाम सम्बन्धी व्यवस्था को हम 'लक्ष्य' कहते हैं।

४ – विस्तार के ध्येय – अभी तक इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग इलाहाबाद में बिल्कुल ठीक ठीक नहीं हुआ है परन्तु अब यह एक निश्चित रूप ले रहा है। ध्येय को हम उस प्रमाणपत्र के समक्ष रखते हैं जिसे पाने के लिए कालेज या विश्वविद्यालय का हर एक छात्र उत्सुक रहता है। ध्येय शब्द का प्रयोग हम गांवों में उस अर्थ में करते हैं जिसमें विश्वविद्यालय डिगरी पानेवाले को यह प्रमाण देता है कि वह जानकार और तर्कशील व्यक्ति है, जो अपने को और अधिक विज्ञ बना सकता है तथा जो और अधिक तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने और उपयोगी बातों को व्यावहारिक रूप देने के परिपूर्ण उपयुक्त है। बी. ए., बी. एससी., या बी. एस्सी. (एजी.) का मतलब होता है, कि प्रमाण पत्रों को पानेवालों की योग्यताएं उनके अनुसार ही होती हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि परीक्षार्थी का बौद्धिक विकास व्यावहारिक जीवन में उपयोग करने की अवस्था का हुआ है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी विस्तार योजना ही गांववालों को मानसिक विकास के सही स्तर पर ला सकती है यद्यपि उनका

कार्य क्षेत्र और जीवन बिल्कुल ही भिन्न रहेगा। हम महसूस करते हैं कि हमारा ध्येय हर गांव में ऐसे गांववालों को तैयार कर देना है जो बढ़ती हुई जानकारी और इसके व्यावहारिक रूप की मशाल लेकर बिना किसी प्रकार की विस्तार सहायता के ही आगे बढ़ते जायेंगे। उन्हें भविष्य के विस्तार कार्यक्रम की जरूरत पड़ेगी कि वह नये ज्ञान और कला को सरल शैक्षिक ढंग से उन तक पहुँचाये। गांववालों की यह सेवा सदैव बढ़ती और जारी रहे। जब हम यह कहते हैं कि हमारा ध्येय अभी इतने ही गांवों में विस्तार कार्यक्रम चालू करने का है तो इससे हमारा मतलब यह होता है कि हर गांव में ऐसे पुरुषों, महिलाओं और लड़कों की संख्या पर्याप्त हो जो अधिकांश लोगों में फैले हुए **अन्ध विश्वासों** की जंजीर को तोड़-ताड़ कर चकनाचूर कर दें। यहाँ पर इतने दृढ़ चरित्रवान लोगों की पर्याप्त संख्या तैयार कर देनी है जो गांववालों के स्तर में रह पाते हों और उनके कारण यह निश्चित हो सके कि वहाँ पर विस्तारसेवा का पूरा पूरा सदुपयोग किया जा रहा है, भले ही विस्तार-कार्यकर्ता गांवों के निवासी न हों। **जमुनापार पुर्ननिर्माण में** यही हमारा **अन्तिम ध्येय है।**

य – लक्ष्य और लचीलापन

उल्लिखित शब्दों में सबसे अधिक भ्रम पैदा करनेवाला शब्द 'लक्ष्य' है। पारिमाणिक सामान्य विचार ही प्रकरणों और उन दिये गए जोर की अविच्छिन्नता को बनाये रखता है, परन्तु यह कार्यक्रम के अनिवार्य लचीलेपन को समाप्त भी कर देता है। पाठक ने यह देखा होगा कि हमने विस्तार कार्यवाही में 'लक्ष्य' शब्द का प्रयोग दो पहलुओं से किया है:—
१ – हमने हर गांवसाथी की दैनिक परिपाटी को तैयार करने के लिए किया है क्योंकि १०० गांव के लिए एक निश्चित कार्य रक्खा है जहाँ १५ गांवसाथी कार्य कर रहे हैं, पूरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर एक गांवसाथी को कुल लक्ष्यों में से कुछ न कुछ अंश, पहले या पीछे सौंपना जरूरी है,
२ – हमने इस शब्द का प्रयोग गांववालों द्वारा हेर-फेर करने की तीव्रता के लिए अपनी आशा प्रकट करने के लिए भी किया है: यद्यपि यह प्रयोग और भी अनिश्चित-सा है। क्योंकि किसी भी निगूढ़ सिद्धान्त की परिभाषा देना बहुत ही कठिन है जिसके आधार पर ही हम यह कह सकें कि एक सुधरे हुए प्रयोग को लोगों ने स्वीकार कर लिया है और यह बहुत दिनों तक स्थायी रहेगा। हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें सम्पन्न

परिवारवालों ने बोर-होल पायखाना बनवाया, केवल अपनी अच्छी रुचि का दिखावा करने के लिए क्योंकि वे इसे व्यवहार में कभी नहीं लाये।

१ – लक्ष्य निर्धारित करने से हानियां

यहाँ पर हम उन बातों पर विस्तार से विचार करेंगे जिन्हें अभी हमने गांवसाथियों द्वारा लक्ष्यों की ओर उन्नति की नाप के लिए व्यवहार में बताया है।

अ – गांवसाथी की दैनिक कार्य परिपाटी निर्धारित करना :

हमने पिछले भाग में हर एक गांवसाथी के लिए अपनी दैनिक कार्य परिपाटी निर्धारित कर लेने की जरूरत पर प्रकाश डाला है। जब वह अपने सहकारियों और गांववालों के सहयोग से किसी एक अवधि के लिए जोर दिए जाने वाले कार्यक्रम को निर्धारित कर ले, उस समय उसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उस अवधि भर के लिए अपने कार्यक्रम की परिपाटी निर्धारित कर ले।

यदि यह निश्चित किया जा चुका है कि कतार में बुवाई का प्रदर्शन खेतों में किया जाय तो एक सबसे जरूरी प्रश्न यह उठता है कि 'कितने खेतों में?' यदि यहाँ निश्चित हो कि हर एक गांवसाथी के कार्य क्षेत्र में छ: प्रदर्शन किए जांय तो यही लक्ष्य बन जाता है। क्या प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देने की कार्यवाही जारी रहेगी? यदि हां, तो इस कार्य में कितना समय लगाना है? हर एक गांव में प्रति सप्ताह कितनी कक्षाओं का आयोजन करना है? यदि तीन, तो यही लक्ष्य बन जाता है।

उल्लिखित अर्थ के प्रयोग में, लक्ष्य किसी भी अवधि के लिए जोर दिए जाने वाले विषयों का गांवसाथी के समयानुसार बँटवारा कर देना है। किसी भी गांवसाथी को सफलता के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वह इनको ठीक ठीक व्यवस्थित रक्खे और इन्हीं व्यवस्थाओं द्वारा अपने दैनिक कार्यक्रम की परिपाटी को चलाये।

ब – गांववालों की प्रगति का अनुमान करना :

गांववालों की उस संख्या को जानने के लिए यह आशा की जाती है कि, किसी निर्धारित समय या अवधि में ही किसी विशेष रीति को बदल दें, विस्तार विधि के विविध भागों में यह जानने के लिए लक्ष्य का उपयोग किया जाता है। यह बिल्कुल ही भिन्न है। यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है कि गांवसाथी किस प्रकार अपने लक्ष्य

का बँटवारा करेंगे। यह एक पारिमाणिक आशा है कि गांव के लोग क्या करेंगे। और आम तौर से यह हर एक गांवसाथी की सफलता का और सम्पूर्ण योजना का भी मापदण्ड बन जाता है।

इस तरह लक्ष्यों के प्रयोग में बहुत सी शंकाएं आ सकती हैं। सम्भव है कि वे लोग विस्तार योजना के शैक्षिक पहलू के महत्व को भूल जांय और जितना बल इस पर पड़ना चाहिए वह इस पर न पड़े और **जिस तरह से भी हो सके सुधरी हुई विधियों को व्यवहार में लाया जाय** और सफलता का यही एक भाव मापदण्ड मान लिया जाय। गांवसाथी की स्वस्थ भावनाएं अस्वस्थ भावनाओं में बदल सकती हैं, उसे यह सोचना चाहिए कि अपने क्षेत्र के गांववालों के साथ मुझे दोस्ती का व्यवहार करना है, उन्हें सभी तरह की जरूरी सूचना देना, प्रोत्साहित करना और अपने ही हाथों से सहायता देना है क्योंकि गांवों में किसी भी तरह की हेर-फेर करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है, परन्तु ऐसा सोचने की जगह उनका रुख इस तरह हो सकता है कि मेरा काम यह निश्चित कर देना है कि ५० सोख्ता गड्ढ़े बन जायं, दो सौ लोग साक्षर हो जायं, और ५० एकड़ भूमि में बुआई कतार में हो, भले ही यह परिणाम किसी भी तरह प्राप्त किया जाय। इस प्रकार इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करना विस्तार कार्य में ही ऐसी ऐंठन डाल सकता है जिससे विस्तार कार्य गांववालों से सामीप्य स्थापित करने के गुण से वंचित हो जायगा और जल्दी से जल्दी फल प्राप्ति करने पर अनुचित जोर पड़ेगा। और निश्चित ही इस रीति से उल्लिखित ध्येय की प्राप्ति की आशा ही जाती रहेगी।

स – लक्ष्यों के लिए पूरक निर्देशन :

यदि ठीक से समझा जाय तो किसी भी कार्यक्रम के पूरा होने से जितने भी सुधरे हुए तरीके काम में हों उनके सही सही सविस्तार लेखा-जोखा बहुत ही उपयोगी होते हैं। यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ) ने अपने मौलिक शैक्षिक साहित्य में इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है। वे ऐसे लेखा-जोखा को 'निदर्शक' कहते हैं। किसी भी रुख में परिवर्तन की धारा को बतानेवाले निदर्शक के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे यह भी पता चल सकता है कि कार्यक्रम में कितनी शीघ्रता से सुधरे हुए तरीकों के फल लग रहे हैं। परन्तु इससे कार्यक्रम

की सही सही सफलता का मूल्यांकन तभी हो सकता है जब कि शैक्षिक सामीप्य की प्रकृति ऊँचे स्तर पर हो। उस तरह हम समय विशेष में किसी क्षेत्र विशेष के गांवों में आभासतः सुधरे हुए तरीकों की संख्या का लेखा-जोखा कर सकते हैं **इससे सफलता का पारिमाणिक माप नहीं होगा**, और जिसको हम लक्ष्य कह देते हैं, **परन्तु इसके बदले हमें एक निदर्शक मिल जायगा जिसके साथ एक पारिमाणिक खण्ड है जिससे हम उस गांववालों के रुख में परिवर्तन की धारा का पता लगा सकते हैं।**

२ – लक्ष्यों का व्यावहारिक रूप, निदर्शक या अन्य रूपमें

पुनर्निर्माण का हर एक गांवसाथी अपनी प्रति दिन की कार्यवाहियों का **लेखा-जोखा** इसी तरह रखता है। योजना में साल के अन्त में इस दैनिक लेखा-जोखा का कुल योग निकाला जाता है। इन सारांशों से पता लगता है कि योजना-क्षेत्र में दैनिक परिपाटी के रूप में ही कितना काम हो रहा है और उसी तरह की विधियों को व्यवहार में लाने पर कितना काम हो रहा है, और फिर भी सुधरे हुए तरीकों की संख्या में काफी अंतर होता है, और इस पर विचार करना तथा अनुसंधान करना जरूरी है। सम्भवतया यह अन्तर ऐसे कारणों से है जो गांवसाथियों के काबू के बाहर है। (यह एक ऐसी बात है जिस पर एक स्वतंत्र निरूपण-कर्मचारियों का दल सहायक सिद्ध हो सकता है। यह सुधरे हुए तरीकों के निदर्शक अंशों की विविधता का कारण बनाने में समर्थ हो सकता है। यह पहलू बनाने में भी सहायक हो सकता है कि कोई गलती कर रहा है या सम्बन्धित परिस्थितियों में किसी अपरिचित खण्ड पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है) किसी भी दशा में इस तरह प्रयोग में आने पर सुधरे हुए तरीकों को व्यवहार में लाने का लेखा-जोखा निदर्शक का ही है, अच्छे प्रशासन के लिए ये सहायक हैं, परन्तु वे मूलतः सफलता के मापदण्ड नहीं हैं। यह विषय बहुत ही पेचीदा है, इससे हम 'ब' भाग के परिणाम को यहाँ दुहरा रहे हैं।

अ – गांवसाथी लक्ष्यों को अपनी दैनिक कार्य परिपाटी तैयार करने के एक साधन के रूप में व्यवहार में लाते हैं। किसी भी अवधि विशेष में विस्तार कार्यक्रम के विविध प्रकार के जोर दिये जानेवाले विषयों में किसी की शक्ति को बाँटने में यह एक जरूरी सहायक और अच्छा उपयोग है।

ब – सारी योजना ही लक्ष्यों का अस्थायी ध्येय, अथवा हमारी इस आशा का मापदण्ड है कि गांवसाथी और गांववाले को किसी अवधि में एक साथ काम कर कितनी सफलता मिल सकती है। लक्ष्यों का यह व्यवहार नियमित परन्तु ख़तरनाक है। इसे नियमित इस-लिए कहा जाता है क्योंकि तात्कालिक लक्ष्य हमेशा नियमित होते हैं, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ाता और हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। यह ख़तरनाक इसलिए है कि इस तरह के लक्ष्य हमें किसी भी तरह से फल पाने के लिए लालायित कर सकता है। इस तरह हम अपने कार्यक्रम के शैक्षिक पहलू को छोड़ कर एक सीधे ढंग को, जैसा हम लोग आम तौर पर सोचते हैं, अपनाने को लालायित हो उठेंगे। इस ध्येय के लिए ही इन्हें निदर्शक कहना अधिक अच्छा होगा।

स – कुछ विस्तार योजनाएं लक्ष्यों को ही (या अधिक सही शब्दों में, पूर्ण किये लक्ष्यों के प्रतिशत भाग को) सफलता का मापदण्ड समझती हैं। सभी व्यवहारों से यह व्यवहार सबसे कम नियमित है। यह तर्कसंगत सफलता या असफलता का पहले से ही अनुमान कर लेता है। विविध गांवों या क्षेत्रों में सफलता मिलने में आनेवाली कठि-नाइयों का अनुमान नहीं कर सकता है। यह ऐसे विस्तार कार्यों के सच्चे गुणों में पाए जाने वाले भेद-भाव की अवहेलना करता है जैसे :–

(१) गांववालों ने कितनी स्वेच्छा से हेर-फेर किया?
(२) उसके कितने बदले और विकल्प रखे गए?
(३) फल-प्राप्ति में गांवसाथी या गांव के दूसरे प्रभावशाली लोगों का क्या हिस्सा रहा?

हमारा अनुभव यह बताता है कि अनुमानित फल का लक्ष्य और प्राप्त फल में तुलना के प्रयोग को सफलता का मापदण्ड बना देने से कुछ गांवसाथी अपने काम को अच्छा दिखाने के लिए अपना लेखा-जोखा भी ग़लत करने को लालायित हो उठते हैं।

जमुनापार पुनर्निर्माण में उल्लिखित पहले दो अर्थों में ही लक्ष्य का प्रयोग होता है, तीसरे में नहीं।

जैसा पहले बताया जा चुका है हम अपने कार्यक्रम में सुधरे तरीकों पर हर एक बार के जोर दिये जाने का दैनिक लेखा-जोखा करते हैं। हर एक अवधि की समाप्ति के बाद इन सुधरे हुए तरीकों की संख्याओं की

अनुमानित फल-प्राप्ति के लक्ष्य से तुलना की जाती है। इससे जो अन्तर या भेद मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा उसी तरह उसी अवधि में एक गांवसाथी और दूसरे गांवसाथी के क्षेत्रों में भी इसी तरह के अन्तर का पता लगाया जाता है और उनकी तुलना की जाती है। परन्तु इन तुलनाओं को गांवसाथियों की सफलता का विश्वसनीय मापदण्ड नहीं माना जा सकता है। बल्कि इनसे दो कार्य सिद्ध होते हैं :–

(१) अपने लक्ष्य की तर्क-संगतता की परीक्षा

(२) कार्यक्रम में ऐसी बातों की सूचना जिन पर या तो अधिक ध्यान देने की जरूरत है, या योजना क्षेत्र के किसी हिस्से में दूसरे हिस्से की अपेक्षा अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इन तुलनात्मक अध्ययनों को गांवसाथियों के अपने ढंगों को सुधारने में लगाया जाता है। सुधरे हुए तरीकों की संख्या इसकी निर्देशिका है कि हेर-फेर कितनी तेजी से हो रहा है परन्तु उन्हें फल-प्राप्ति के मापदण्ड की आंशिक रूप से नियमितता देने के लिए अपने में अन्य गुणों को भी साथ साथ रखना होगा।

३ – लक्ष्यों को एक ढांचा मानकर ही किसी कार्यक्रम को लचीला कैसे रखा जाय

आइए, अब हम कार्यक्रम में लचीलेपन के मूल प्रश्न पर विचार करें। हमने बार बार इस बात पर ही जोर दिया है कि गांववालों के लिए विस्तार कार्यक्रम निर्धारित करने में उन्हें पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। यदि व्यवहार रूप में इस दिशा में सफलता मिल गई तो विस्तार-प्रशासन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कार्यक्रम लचीला रहे, और समय पड़ने पर आसानी से उसमें हेर-फेर किया जा सके। यह सही है कि विशेषज्ञों और कलाविदों से पूरी पूरी सहायता मिलने के लिए यह जरूरी है कि योजना के सम्पूर्ण हिस्से में कार्यक्रम में अनिवार्य एकरूपता रखी जाय। परन्तु यह मामूली सी शर्त है और कभी एक रूढ़ कार्यक्रम अपनाने का इसे एक बहाना नहीं बनाया जाय।

यह हो सकता है कि लक्ष्यों की दृढ़ता लचीलेपन की इस अनिवार्यता के विरुद्ध दीखे और यह सबसे बड़ा खतरा है। इससे कोई यह निर्णय निकाल सकता है कि कोई भी या तो

(अ) कार्यक्रम में लचीलापन रखे

(ब) रूढ़ कार्यक्रम रखे, जिसका लक्ष्य अलग अलग निश्चित हो, परन्तु दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं।

जो भी हो यह स्मरणीय है कि कार्यक्रम निर्धारित करने में गांववालों को अनिवार्य रूप से मौका देने के साथ साथ विस्तार कर्मचारियों का यह एक कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि यदि कार्यक्रम के किसी भी अंग पर जोर दिया जाय तो उसकी सफलता के लिए तर्कसंगत या, न्यायोचित मौका अवश्य दिया जाय। यहाँ तक कि लचीले कार्यक्रमों में भी ऐसे अवसरों पर लक्ष्य सहायक ही होते हैं। वे हमें अपने काम पर तब तक लगाए रखते हैं जब तक कि उस काम में, जिसका बीड़ा हमने बहुत पहले उठाया है, असफलता मिलने पर भी इस कठिन पाठशाला में हम कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं।

जरूरत तो एक ऐसे विस्तार कार्यक्रम की है जो इतना अधिक लचीला हो कि योजना नियोजन में गांववालों को भाग लेने का अधिक से अधिक मौका मिले और गांववालों में इतना अधिक विश्वास पैदा कर दे कि उनके सुझावों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है; इसके साथ ही इसमें गांवसाथी के अनुभवों पर आधारित अधिक से अधिक अविच्छिन्नता हो कि जिस किसी भी बात पर जोर दिया जायगा वह पूरा हो जायगा। उन लक्ष्यों द्वारा ही, जिनसे गांवसाथी की दैनिक कार्य परिपाटी निर्धारित होती है, कार्यक्रम की एक ऐसी परिपाटी बनती है जिससे कार्यक्रम को स्थायित्व और अविच्छिन्नता मिलती है। हम इसे यों भी कह सकते हैं कि गांवसाथी की परिपाटी ही वह ढांचा है जिस पर कार्यक्रम-रूप शरीर पनपता है।

२. बजट में लचीलापन

किसी तरह विस्तार कार्यक्रम की द्वितीय व्यवस्था निश्चित तौर से कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि किसी भी योजना के क्षेत्र के कार्यक्रमों में गांववालों की जरूरतों के अनुसार हेर-फेर की व्यवस्था हो तो बजट की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि यह कार्यक्रम की हेर-फेर की जरूरतों को पूरा कर सके। हम यह मानते हैं कि सभी मदों के खर्चे को पहिले से अन्दाजन वार्षिक बजट के रूप में कर लेना चाहिए और हम इस परम्परा को भी मानते हैं जिसके अनुसार पूरे बजट को कई भागों में बाँट दिया जाता है। इस तरह हर एक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही हर एक मदों के खर्चे और सभी मदों के कुल खर्चों को भी

अधिकतम सीमा तक निर्धारित कर लिया जाता है, जिनसे यह स्पष्ट रहता है कि उस वर्ष में यह विशेष और कुल बजट में अधिक से अधिक निर्धारित धन ही व्यय कर सकते हैं। कार्यक्रमों के हेर-फेर के अनुसार ही बजट को भी नियन्त्रित रखना उस समय अधिक आसान होता है जब कि अनुमानित व्यय के तख्मीने को चालू कार्यक्रम के या कार्यक्रम के पूर्व अनुभवों पर आधारित किया जाय।

यह जरूरी मालूम पड़ता ह कि इस बारे में उल्लिखित परम्परागत विधि का ही पालन किया जाय ; विशेषतया हर मद का मासिक जोड़ निकाल लिया जाय और इस तरह वार्षिक आंकड़ों से उनकी तुलना की जाय। इस तुलना से तुरन्त यह पता लग जायगा कि बजट के मद विशेष में अनुमानित व्यय से अधिक अथवा कम व्यय हो रहा है। अधिक व्यय से बचने का एक और भी लाभदायक तरीका यह है कि बजट रखने वाला उन तमाम कार्यों के व्यय का तख्मीना ले सकता है जिनका पूर्वनिर्धारित बजट में कोई ब्यौरा न हो।

अनुभवों से यह जरूरी सिद्ध हो सकता है कि साल में कम से कम एक बार ही बजट को नए सिरे से दोहरा लिया जाय क्योंकि खरीफ या रबी की फसल के अनुभवों के अनुसार अधिक हेर-फेर की सम्भावना हो सकती है, इनमें से चाहे जिससे भी वित्तीय वर्ष शुरू हो, और साल के आरम्भ में बजट का तख्मीना निश्चित ही अर्ध वर्ष बीतने के बाद के तख्मीने से बिल्कुल भिन्न होगा।

बजट में हेर-फेर की मदों के व्यय पर नियंत्रण रखना इस तरह बहुत ही सरल हो जायगा ; इस दशा में तीन ऐसी विधियां हैं जिनका पालन किया जा सकता है जिससे बजट बनाना और उसे दुहराना दोनों ही आसान लगे।

१ – हर एक मद के लिए व्यय का अधिकतम और न्यूनतम धन निश्चित कर लिया जाय। इससे हमें यह भी पता चल जायगा कि किस मद में उतनी अधिक कार्यवाही नहीं हो रही है जितना अनुमान किया गया था।

२ – हर एक मद में, जिनमें बजट बनाते समय सविस्तार काम का अनुमान लगाना कठिन हो, कुछ न कुछ संरक्षित धन रखा जाय जिससे उस जरूरत की पूर्ति की जाय जिनका तख्मीना पूर्व निर्धारित नहीं था। हमेशा तख्मीने का ध्यान रखें और जब इनका पता लग जाय तो इन्हें बजट में अंकित कर दें और संरक्षित धन में उतनी ही कमी कर दें।

३ – बजट के कुल टोटल में पर्याप्त संरक्षित धन रखें जिनके लिए कोई व्यय निर्धारित न हो। बजट के हर एक मद के लिए अलग अलग अधिकतम या न्यूनतम की व्यवस्था होने से ही काम नहीं चल जाता, परन्तु ऐसे व्यय के लिए, जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और चाहे ये किसी भी मद में हों जिनकी बजट बनाते समय कल्पना ही न की जा सकी हो, कुछ संरक्षित धन रखना बहुत बड़ी सुरक्षा है।

यदि यह मालूम पड़े कि किसी मद में अनुमानित व्यय से असली व्यय कम हो रहा है तो इसका कुछ उचित धन किसी दूसरे मद में डाल दिया जाय जिसमें अधिक खर्च की सम्भावना हो। किसी भी बजट को लचीला रखने के लिए दो मुख्य सिद्धान्त है :–

१ – जब तक बजट का कुल अनुमानित धन नहीं बढ़ता है तब तक एक मद से दूसरे मद में धन को घटाने बढ़ाने की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। साल के लिए कुल बजट को ही व्यय का एक प्रमाण रहने दिया जाय।

२ – यदि किसी वित्तीय वर्ष में कुछ धन खर्च होने से बच जाता है तो उस वर्ष के बजट के उस धन को कम न होने दें। यह तो कृत्रिमता और अपव्ययिता है। हमेशा एक वर्ष के बजट के बचे हुए धन को दूसरे वर्ष के बजट में शामिल करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

जमुनापार पुनर्निर्माण के एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि बजट में लचीलेपन की क्या जरूरत है। पहले वर्ष महिलाओं में काम करने के लिए कुछ धन निर्धारित किया गया। एक महिला की नियुक्ति इस काम के लिए की गई कि जो भी गांवसाथी अपने क्षेत्र में कम से कम आठ महिलाओं को सिलाई-बुनाई और गृह-विज्ञान की दूसरी बातें सीखने को तयार कर ले तो वह महिला उस गांवसाथी की सहायता करेगी। बजट बनाते समय यह सोचा गया था कि महिलाएं इसमें इतनी अधिक दिलचस्पी भी नहीं दिखाएंगी कि इस कार्य के लिए अधिक धन निर्धारित किया जाय। परन्तु हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि महिला द्वारा सहायता की गांवसाथियों की मांग बहुत अधिक होने लगी और मांग इतनी अधिक होती गई कि साल के अन्त तक तीन और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी पड़ी। इस तरह महिलाओं के कार्य के लिए अनुमानित व्यय चौगुना बढ़ गया। तुरन्त ही बजट को दुहराया गया। जिसमें कुछ मदों के खर्चे बहुत ही घटाये गए और महिलाओं के कार्यों के लिए व्यय बढ़ा दिया गया।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – विस्तार कार्यक्रम का लचीला होना क्यों जरूरी है ? इसके कौन से कारण हैं ? इस सिद्धान्त के व्यावहारिक प्रयोग में कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं ?

२ – 'विस्तार को ग्रामीण जनता के समर्थन और सहयोग से ही चलना चाहिए, फिर भी इसे हमेशा आगे होना चाहिए' क्या इसमें विरोधाभास है ? किस ढंग से विस्तार कार्यक्रम इन दोनों ही बातों की पूर्ति कर सकता है ?

३ – बहुत-सी ग्रामीण योजनाएं और कार्यक्रम कभी पूर्ण नहीं हो पाते, ऐसा क्यों ? कोई विस्तार कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में अपूर्णता का निवारण कैसे कर सकता है ?

४ – अ – क्या इस विस्तार सिद्धान्त में कोई विरोध है जिसमें कहा गया है कि विस्तार कार्यकर्ता को एक लचीले कार्यक्रम को विकसित करने और लक्ष्य निर्धारित करने की आजादी होनी चाहिए ?

ब – विस्तार कार्यकर्ता किस तरह केवल समय सूचक परिणाम में ही सफलता मिलने की गलती से बच

सकता है तया साथ ही अपना लक्ष्य भी पूरा कर सकता है ?

२—नए रास्ते

गांवसाथी का एक यह भी कर्तव्य है कि वह गांववालों में अच्छी दिशा में परिवर्तन की भावना जागृत करे। इस तरह की बहुत सी परिवर्तनों की इच्छाओं के साथ साथ पूर्ति और सेवा की समस्या उठ खड़ी होती है जिसका सामना करने के लिए गांवसाथी को तैयार रहना चाहिए। उसे इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि वह तब तक नई हेर-फेर की इच्छा न जागृत करे जब तक निश्चित रूप से यह न जान ले कि उस इच्छा की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि अतृप्त इच्छाओं से ही उदासीनता पैदा होती है और इस प्रकार उसमें निहित गांववालों की आस्था जाती रहेगी और कभी कभी गांववालों को विद्रोह और बदले के लिए उकसायेगी।

सदियों से गांववाले तरह तरह की झूठी आशाओं के शिकार होते रहे हैं, जब कि इसके विपरीत वे सच्चे किसान रहे हैं और जिनका भाग्य ही असंख्य पुश्तों से देश के किसी एक कोने से बंध गया है और अब विदेशियों द्वारा दिलाई गई झूठी झूठी आशाओं या आंशिक रूप से तृप्त आशाओं ने उनकी शिकायत को अधिक दृढ़ कर दिया है। भारत में विस्तार सेवा के आरम्भ करने में पड़नेवाली कठिनाइयों में यह भी एक मुख्य कारण है। गांवसाथी जब काम आरम्भ करता है तब सब से पहले शिक्षित या पढ़े-लिखे लोगों के प्रति गांववालों में फैले हुए अविश्वास को दूर करना पड़ता है, और खास तौर से उन लोगों के प्रति जो गांववालों को तरह तरह की आशाएं दिखाते हुए आते हैं। गांववालों को एक बार और हतोत्साह या निरुत्साह बना देना किसी भी विस्तार योजना के लिए आतंक सिद्ध होगा।

यद्यपि गांवसाथी का ही वस्तु-पूर्ति और सेवा से सीधा सम्बन्ध है, फिर भी इनके लिए उसे पूरा पूरा उत्तरदायी नहीं बना देना चाहिए। जब वह वस्तु-पूर्ति का उत्तरदायित्व या किसी भी तरह के नियंत्रण का अधिकार लेगा तो निश्चय उसके परम शैक्षिक कर्तव्य में बाधा पड़ेगी। और भी यदि गांवसाथियों को वस्तु-पूर्ति व सेवा का काम दिया गया होता तो इनकी मांग इतनी अधिक होती कि वह किसी अन्य काम के लिए समय ही बहुत कम

पाता। इसीलिए निपुण पूर्ति का उत्तरदायित्व किसी दूसरे सूत्र को, चाहे वह सरकारी हो, या गैर सरकारी हो, या दोनों को ही, सौंपा जाना चाहिए।

अब भी, गांवों में बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो गांववालों की जरूरत की चीजों की पूर्ति करते हैं। गांववालों को इन सूत्रों का सही सही और पूरा सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह गांव-साथी को, जो चेचक या अन्य रोगों के विरुद्ध शैक्षिक आंदोलन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि वह अपने शैक्षिक कार्यक्रम को, सरकारी टीका लगानेवालों के साथ सम्बन्धित कर सके या जोड़ सके।[१] गांवसाथी, जो गांववालों से अच्छी खाद देने के सुधरे हुए तरीकों के लिए अनुरोध करता है, गांववालों को इसके लिए प्रोत्साहित करे; वे सरकारी सहायता से और उस कार्य के लिए पूर्ति व्यवस्था से पूरा पूरा लाभ उठायें।

गांववालों के साधनों को दृढ बनाना

स्थानीय वितरक :

जमुनापार पुनर्निर्माण क्षेत्र में, गांवसाथी गांववालों की जरूरतों की पूर्ति उन्हीं सूत्रों से कराने में सहायता पहुँचाता है जो गांवों में पहले से ही हैं। मलेरिया निरोधक दवाइयों के व्यवहार का प्रचार करने के साथ ही गांवसाथियों ने गांवों के दूकानदारों से भी सहायता ली और उन्हें समझा बुझाकर इन सब दवाइयों को बिक्री के लिए रखने को तैयार कर लिया, उपभोग की वस्तुओं को बेचना ही उनका पेशा या व्यवसाय है और वे इसके बाबत दूसरों की अपेक्षा अधिक जानकारी रखते हैं। गांवसाथियों ने गांव के दूकानदारों को यह भी समझाया कि इस तरह की जरूरी चीजों को कम मुनाफे में उपलब्ध बना देने से वे उचित मुनाफा ही नहीं उठाते

---

[१] हमने देखा है कि जमुनापार पुनर्निर्माण में टीका लगानेवालों की मांग इतनी बढ़ गई कि यह उसकी पूर्ति मुश्किल से कर पाता है इसलिए हमने कुछ गांवसाथियों को टीका लगाने का प्रशिक्षण दिलवाया और उन्हें इसकी सनद दिलवाई जिससे वे इस मांग की पूर्ति कर सकें। निश्चय ही, हम यह परिस्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते थे।

हैं वरन् वे समूचे गांव को अपने लिए, अपने परिवारवालों के लिए, और गांव के अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद बनाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे।

गांवों में वर्तमान पूर्ति के साधनों को ही अधिक व्यापक बनाकर गांवसाथी उन्हें मजबूत करें। इस तरह जमुनापार पुर्ननिर्माण क्षेत्र में लोहा के सामानों को बेचनेवाले शीघ्र ही खेती के औजार बेचना शुरू कर देंगे। एक स्थानीय व्यापारी तो सुधरे हुए बीज बेचने की योजना बना रहा है।

स्थानीय उत्पादन

गांवसाथियों को चाहिए कि वे गांवों में पूर्ति के नए साधनों को मजबूत करें और पूरक बनावें। जमुनापार क्षेत्र में बहुत से गांववालों ने, जो बागों के मालिक हैं, फलोत्पादन और वृद्धि का प्रशिक्षण लिया है और उन्हें सब्जियों की पूर्ति की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बहुत-से गांववालों को मुर्गीपालन के लिए प्रोत्साहित किया गया जिससे अच्छे किस्म के अण्डे सुलभ हो सकें।

टेक्निकल सेवा

पूर्ति का सेवा से बहुत ही निकट सम्बन्ध है। गांवसाथी गांववालों के गांवों में वर्तमान सेवासूत्र का, जो प्रधानतः सरकारी है, पूरा पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही नई मांगों की पूर्ति के लिए नए पूर्ति सूत्रों के संगठन में गांववालों को सहायता पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए गांवों के बहुत से राजों को धुआं रहित चूल्हा और चौके के बर्तनों को साफ करने के लिए ईंटों की एक पक्की चौकी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विशेष औजारों के किराये पर मिलने की सुविधा

गांववालों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वे पायखाना बनाने, सोख्ता गड्ढा बनाने में मिट्टी ऊपर उठाने के लिए विशेष यन्त्र (बोरर) और चूहों को मारने के लिए साइनोगैस-पम्प को किराये पर मंगाएं जिससे इसकी जानकारी रखनेवाला व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए थोड़ी ही फीस लेकर गांव के दूसरे लोगों की सेवा कर सके।

गांव के कारीगरों या शिल्पियों को अधिक कुशल बनाना

गांवसाथियों को चाहिए कि वे परम्परा से चले आनेवाले सेवा-सूत्रों को और अधिक कुशल बनावें। जमुनापार पुनर्निर्माण क्षेत्र में, स्थानीय दाइयों को अधिक प्रशिक्षित बनाया जा रहा है जिससे वे अपने काम को और अधिक सफाई और कुशलता के साथ कर सकें। इस प्रशिक्षण में कमला नेहरू अस्पताल और कस्तूरबा निधि ने अच्छी सहायता की है। गांव के लोहारों के अनुरोध पर ही लोहारी के काम के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है जिससे वे अपने काम के स्तर को ऊँचा उठा सकें और कम से कम खर्चे में पूरा करें।

हम यहाँ पर उन व्यक्तियों की सेवा की भी चर्चा करेंगे जो गांववालों को पढ़ाना सिखा सकते हैं परन्तु वे परम्परागत माने में 'विशेष' नहीं हैं। हमने यहाँ पर साक्षरता-भवन, प्रयाग के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ दिनों की प्रशिक्षण व्यवस्था भी कर रखी है। जिससे वे अपने काम को अधिक स्थायी और अधिक सन्तोषजनक दशा में कर सकें।

वर्तमान सूत्रों के विकास को ही प्राथमिकता देना

इसी बात पर जोर देने का कारण यह है कि किसी भी नई योजना के लिए यह अनूठा नहीं है कि वर्तमान पूर्ति सूत्रों और सेवा सूत्रों पर ही भरोसा रखे और उसकी जगह लेने की कोशिश करे। इससे अपने काम के पूरा हो जाने की एक गलत भावना आ जाती है क्यों कि, अधिकांशतः ये पूर्ति सूत्र बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं और योजना क्षेत्र में ये छोटे पैमाने पर चलाए गए हैं, उन्हें चलाना भी आसान है और वे वर्तमान सूत्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह और अधिक कुशलता के साथ काम मे आते हैं। यह तथ्य स्मरणीय है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी परख यह है कि वांछित हेर-फेर की ऐसी संख्या कितनी है जो यदि योजना खत्म कर दी जाय, फिर भी जोरदार रहे। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान पूर्ति साधनों और सेवा सूत्रों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाय जिससे ये मजबूत बनें और गांवों में नये सूत्र बन सकें।

कुछ परिस्थितियों में जब कि वर्तमान पूर्ति सूत्र बहुत ही कमजोर हैं यह अच्छा होगा कि विस्तार योजना यह जानते हुए भी कि यह बुरी व्यवस्था होगी, इसकी पूर्ति करे। विस्तार योजना पर ही पूर्ति का भार लाद देना बुरा तो अवश्य है परन्तु पूर्ति के अभाव में किसी भी योजना का असफल होना और भी बुरा है। यही तर्क दिया जाता है। किन्तु यह

एक अर्ध सत्य है क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की गति पूर्ति के अभाव में मन्द हो सकती है जिसमें किसी भी विस्तार योजना के लिए अस्थायी पूर्ति सूत्र बनाना न्यायोचित हो सकता है, परन्तु इस बात की हमेशा कोशिश होती रहे कि यह भार किसी अन्य सूत्र के सुपुर्द कर दिया जाय। ऐसी दशाओं में दो नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना जरूरी है।

(१) जो भी चीज बेची जाय उसके दामों या फीस में पूरी लागत के साथ साथ उचित लाभांश, जितना किसी भी व्यापारी या रोजगारी को होता, भी रहे। इस व्यवस्था से निजी रूप में पूर्ति सूत्र के विकास की सम्भावना रहती है और इससे लोगों को उचित दाम देने की आदत पड़ती है।

(२) पूर्ति और सेवा के लिए योजना का एक अलग विभाग हो जिसमें उसी के कर्मचारी काम करते हों। इसमें गांवसाथियों को कभी फंसाना नहीं चाहिए।

सरकार पूर्ति और अन्य हर एक काम करने में असमर्थ

पूर्ति और सेवा की इसी समस्या से सम्बन्धित यह तथ्य भी है कि इन कार्यों को सरकारी सूत्र भली प्रकार से पूरा नहीं कर सके हैं। यह जरूरी है कि विस्तार विभाग के लोग और गांववाले दोनों ही इस तथ्य को भली-भाँति समझ लें और गांव **पूर्ति** और **सेवा सूत्रों को** अधिक मजबूत करने के लिए कदम उठावें।

किसी भी योजना-क्षेत्र की पूर्ति और सेवा की समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि उस क्षेत्र के व्यापारियों और व्यवसायियों का एक सम्मेलन किया जाय, जो यह निर्धारित कर सकेंगा कि किस वस्तु या किस प्रकार की सेवा की पूर्ति सरकारी सूत्रों द्वारा हो और शेष वस्तुओं की पूर्ति और सेवा की समस्या, जो लगभग सारे भारतवर्ष में समान रूप से है, किस रीति से की जा सकती है। सम्भवतः इनका सबसे सरल उपाय इन सम्मेलनों में ढूंढ़ा जा सकता है जिनमें यह निश्चित किया जा सकता है कि निजी तौर से पूर्ति और सूत्रों की व्यवस्था कहाँ तक हो सकती है। जिसके साथ उसे यह भी आश्वासन मिले कि सरकार इस विषय के व्यवसाय में कम से कम हस्तक्षेप करे। यदि कई योजना क्षेत्रों के व्यापारियों और व्यवसायियों की सिफारिशों की घोषणा इस प्रकार हो, जो सम्बन्धित सरकार के एक प्रदान के रूप में हो और जिसका दृष्टिकोण एक दूसरे की जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण हो, तो सम्बन्धित

ग्रामीण जनता के लिए यह सम्भव होगा कि वे विधान मण्डलों में अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों पर इस बात के लिए जोर डालें कि इस दिशा में उचित कार्यवाई की जाय। यही प्रजातन्त्रीय विधि है।

दूर की जाने योग्य त्रुटियां

गांव के विषयों की पूर्ति व्यवस्था में जिन विषयों के साधनों की पूर्ति व्यवस्था स्पष्ट रूप से गलत है वे इस प्रकार हैं:

अ – पूर्ति

(१) सुधरे और अच्छे किस्म के बीज
(२) कीटाणु-नाशक द्रव या पदार्थ
(३) कृषि के औजार
(४) खाद

ब – सेवाएं

(१) चिकित्सा – जिसमें जन स्वास्थ्य, विशेषतया जल सुरक्षा, सफाई, भी शामिल है।
(२) भवन निर्माण – अधिक कुशल राज और बढ़ई
(३) यंत्र सम्बन्धी ऐसे कारीगर जो उन कारीगरों से अधिक साधन सम्पन्न और ऊँचे स्तर के हों जैसे कि आम तौर पर साइकिल की दूकानों पर पाए जाते हैं।
(४) लुहारगिरी – नट लगाने, ढलाई, तेज करने और सख्त करने की कला में अधिक चातुर्य
(५) ऋण और वित्त व्यवस्था

पूर्ति और सेवा के उल्लिखित विषयों में से कुछ के लिए, जैसे खाद आदि, टेक्निकल सहायता सेवा की भी जरूरत होती है जिनकी व्यवस्था व्यावसायिक रूप से पूर्ति करनेवाले द्वारा होना चाहिए। यह सही है कि ट्रैक्टर और डीजिल-पम्पस् गांववालों के सहायक तो हैं परन्तु इनके उत्पादकों को चाहिए कि वे देहाती क्षेत्रों में अपनी मशीनों को चलता फिरता रखने के लिए इनकी सफाई के स्थानों और कुशल कारीगरों की व्यवस्था करें।

विस्तार कार्यक्रमों द्वारा होनेवाले हेर-फेर नई नई मांगों की पूर्ति और नई नई सेवाओं की जरूरत बढ़ाते हैं। इनमें से किसी की भी व्यवस्था

करना गांवसाथी का काम नहीं है, परन्तु यह उसकी जिम्मेदारी अवश्य है कि वह वर्तमान सूत्रों को और अधिक संगठित और मजबूत बनाये या वह पूर्ति और सेवा के लिए नए मार्ग ढूंढ़ निकालने के लिए प्रोत्साहित करे।

वादविवाद के लिए बातें :

एक सेवा (किसी वांछित वस्तु की पूर्ति के लिए) का वर्णन कीजिए जो अनुभूत ग्रामीण साधनों के आधार पर विकसित की जा सके।

सातवां अध्याय

स्पष्टीकरण

विस्तार कार्यक्रम चाहे कितना ही अच्छा हो, परन्तु यदि यह गांववालों तक अपने ध्येय को स्पष्ट करने में सफल नहीं होता है तो इसमें केवल समय बेकार करना है। योजना के क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को, जिनकी सहायता की काफी व्यवस्था है और जिन्हें काफी जानकारी है, गांवों में भेज देना ही विस्तार नहीं है वरन् कुछ और भी है। हमें ऐसी शैक्षिक विधियों का प्रयोग करना है जिससे गांववालों तक नई विचारधारा पहुंचती है और उनमें नई स्फूर्ति पैदा करती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही विधियों का वर्णन करेंगे जो गांववालों तक विचारों को पहुँचाने की पूर्व-विधियों की जगह नई विधियों का रूप ले लें।

अ—चुनना और निर्णय करना

यदि कोई गांवसाथी अपने क्षेत्र के दस गांवों के हर एक पुरुष, महिला और बच्चे के साथ विस्तार कार्य करने की कोशिश करता है तो वह इसे प्रभावशाली बनाने के लिए किसी के साथ भी उचित समय देने में समर्थ नहीं हो सकेगा। इससे भी अधिक यह एक प्रमाणित तथ्य है कि गांव के कुछ लोगों के एक दल के साथ काम करना, समूचे गांव के साथ काम करने और गांवसाथी के समय को हर एक के साथ बराबर बराबर लगाने की अपेक्षा समूचे गांव के लिए अधिक हितकर होगा। यह सही है कि सिद्धान्ततः गांवसाथी 'वर्ग, जाति, धर्म, लिंग' या प्रसिद्धि आदि के भेद भाव बिना ही सारे गांववालों से सम्बन्धित है। उल्लिखित सिद्धान्त के व्यावहारिक रूप का दर्शन इन्हीं दो विचारों से होगा। व्यवहार में गांवसाथी अपने समूचे ग्रामीण साथियों में उन्हीं व्यक्तियों या दलों को चुने जिनके द्वारा सभी लोगों का हित सम्भव हो सके।

व्यक्तियों और दलों के साथ काम करने से लाभ

(१) व्यक्तियों के साथ काम करने के तीन प्रमुख लाभ हैं:—
अ — जब कोई गांवसाथी किसी एक ग्रामीण से किसी तरह का प्रयोग करने की बातें करता या सहायता करता है तो वह उस व्यक्ति से अपनी

दोस्ती या मैत्री का परिचय देता है। व्यक्तियों को यह महसूस कराने की जरूरत है कि उनका भी महत्व है, वे भी निजी रूप से जरूरी हैं और गांवसाथी उनकी दोस्ती या मैत्री का आदर करता है। दोस्ती का यह प्रमाण विशेषतया उन व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य है, जो अपने को जन-साधारण में नहीं गिनते हैं, या जो पुराने ग्रामीण ढांचे में दूसरों की अपेक्षा अपने को छोटे स्तर का महसूस करते थे।

ब – जानकारी लेनेवाला, चुनाव करनेवाला और जिम्मेदारी उठाने-वाला व्यक्ति ही है, दल या समाज नहीं; व्यक्ति ही पढ़ना सीखता है, दल नहीं। व्यक्ति ही मलेरिया निरोधक टिकियां निगलता है, दल नहीं। कोई भी दल अपनी जिम्मेदारियों को तभी पूरा पूरा निभा सकता है जब उसका हर एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को संभालने को तैयार हों।

स – यह निश्चय करने में, कि दूसरों को क्या करना चाहिए कुछ व्यक्तियों का विशेष प्रभाव होता है।[१] ऐसा प्रभाव रखनेवाले व्यक्तियों को अपने इसी तरह के दबदबे के लिए उत्तरदायी महसूस कराने और इसे विक-सित करने में सहायता देने की जरूरत है। यह हो सकता है क्योंकि गांव-साथी हर एक गांववाले की विशेष प्रवृत्तियों की पूरी जानकारी रखता है और इसे बढ़ाने में सहायक होता है।

निश्चय ही व्यक्तियों के साथ काम करने में हानियां भी हैं। एक यह है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है। दूसरा यह है कि यदि **गांवसाथी** सावधान नहीं है तो उस पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। इन हानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए परन्तु इन्हें इतना अधिक प्रश्रय या बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए कि व्यक्तियों से अलग अलग काम करने के गुणों को ही ढक लें। व्यक्ति को उन्नत बनाने का एक आसान तरीका भी यह है कि गांवसाथी जिस किसी भी गांववाले से मिले तो, जहां तक हो सके, हमेशा उसे व्यक्तिगत नाम से ही सम्बोधित करें।

---

[१] गांवों में नेतृत्व की समस्या पर हम अगले पृष्ठों में विचार करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम यह बताना नहीं चाहते कि हम यह जानते हैं कि गांववालों में एक ही तरह के अगुआ या नेता हैं। भारत के ग्रामीण समाज में कुछ लोगों के दबदबा होने के कई भिन्न भिन्न ढांचे हैं। इस विषय में अभी अधिक खोज नहीं हुई है। विस्तार में हमें दबदबे के इन्हीं ढांचों को जानने की विशेष जरूरत है। हमारे गांवसाथी ऐसी स्थिति में हैं कि ये इस विषय में हमारी जानकारी को बढ़ा सकते हैं।

(२) दलों के साथ काम करने के भी तीन गुण हैं :–
अ – व्यक्ति बहुत ही सीमित दायरे में दल से, जिसका कि वह एक अंग होता है, स्वतंत्र होता है। अधिकांशतया उन कार्यवाहियों के, जिससे समूचा दल सहमत हो, चुनाव करने में भी यह सीमित है। उन्हें स्वजातीयों, स्वकुटुम्बों, स्वगोत्रों या अन्य व्यवसायियों के साथ अच्छा सम्पर्क रखना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके अन्य ग्रामीण भाई और सहकर्मी उन्हें मानते हैं और उनके कामों का समर्थन करते हैं, जिस तरह से उन्हें यह महसूस कराने की जरूरत होती है कि वे व्यक्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। किसी भी भारतीय ग्रामीण के लिए पूर्ण निश्चित ढांचे के अनुसार ही समान स्तर की कार्यवाही बहुत महत्व रखती है। गांव और परिवारों की वर्षों की परम्पराओं से अभ्यस्त होने के बाद व्यक्ति के लिए तब तक दूसरा ढंग अपनाना कठिन होता है जब तक कि पूरा दल उसे समझ नहीं लेता है या उसी तरह के चुनाव करने पर विचार नहीं करता है।
ब – ग्रामीण जीवन की बहुत-सी जरूरी जरूरतों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक गांवसाथी कम से कम बहुतों का समर्थन न प्राप्त कर ले। अकेले एक व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों के लिए पाठशाला की व्यवस्था नहीं कर सकता है। एक ही आदमी किसी गांव की सड़क को चौड़ी नहीं बना सकता है। एक ही आदमी सभी मक्खियों या मच्छरों को खत्म नहीं कर सकता है। यदि गांवसाथी पूरे दल को साथ लेकर काम करता है तो इस कार्य विशेष में व्यक्तियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करता है वरन् संगठित शक्ति के विकास में और गांववालों के आपसी मतभेद को, जिसके बारे में हेर-फेर में देरी हो सकती है, दूर करने में सहायक होता है।
स – जब गांवसाथी लोगों के समूह के साथ काम करता है तो वह उतने ही समय में बहुत से लोगों से मिल सकता है। यह सही है, परन्तु समय की इस बचत को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। लोगों के एक समूह को इकट्ठा करने में ही बहुत अधिक समय और शक्ति खर्च होते हैं। बहुधा गांवसाथी उतने ही समय में अलग अलग आठ व्यक्तियों से मिलकर बातचीत कर सकता है जितने समय में वह लोगों को इकट्ठा कर पाता है, इसमें वह समय भी है जो उनके वहाँ पहुँचने में लगता है।

समूह में काम करने की साधारण गलतियां—यहाँ भी कुछ गलतियों से बचना चाहिए। यह मान लेना भूल है कि गांवों में पहले के बहुत ही प्रभावशाली दल इस समय भी हेर-फेर लाने में बहुत सफल सिद्ध होंगे। निश्चित तौर से यह दल या वर्ग जातिगत नहीं होना चाहिए, वरन् यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह हो जो किसी विशेष प्रकार के क्लास से सम्बन्धित न हो। उदाहरण के लिए किसी भी सड़क को चौड़ी करने में, वे लोग, जो सड़कों के किनारे ही रहते हैं और जिन्हें इसके व्यवहार की जरूरत है, ही एक ऐसा दल है, जिनका इस कार्य विशेष से सीधा सम्बन्ध है, गांवों में उनका आपसी सम्बन्ध चाहे जो भी रहा हो।

काम करने के लिए महत्वपूर्ण इकाइयां

गांवों में काम करने के लिए चार महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं। ये इस प्रकार हैं :—

(१) व्यक्ति, (२) परिवार, (३) व्यावसायिक दल, और (४) युवक।

(१) **व्यक्ति**—व्यक्ति के साथ काम करने की महत्ता पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। हर एक **गांवसाथी** के काम में इसे सबसे अधिक स्थान मिलना चाहिए। दलों व वर्गों के साथ काम करने के कार्यक्रमों में भी बैठकों या सभाओं के आयोजन और उसमें गांववालों का अधिक ध्यान खींचने के लिए यह जरूरी है कि लोगों से अलग अलग व्यक्तिगत रूप में बातचीत की जाय।

(२) **परिवार या कुटुम्ब—गांवों में परिवार ही समाज की मौलिक इकाई है।** यही बहुत से जरूरी और महत्वपूर्ण निर्णय करता है और अपने सदस्यों पर इसका बहुत अधिक दबदबा रहता है। भारत के बहुत-से भागों में तो परिवार के निर्णय तमाम सगोत्रियों या अन्य पारिवारिक सम्बन्धों में, जो सैकड़ों गांवों से अधिक में फैले होते हैं, **मान्य** होते हैं। यह एक ऐसा अंश है जिसकी व्यवस्था पारिवारिक-**निर्णयों को आसान करना है** जिसमें गांववालों की आदतों में परिवर्तन हो सकता है। संचार के लिए साधारण और सरल साधनों से ही किसी भी परिवार के निर्णय से वंशावली के नाते ही थोड़े ही समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सैकड़ों गांवों में फैल जायगा और धीरे धीरे इसी तरह का परिवर्तन दूसरे सैकड़ों गांवों में फैल जायगा।

सिद्धान्त रूप से हर एक गांवसाथी के कार्यक्रम में परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर बातचीत करने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए। परन्तु व्यवहार में, और विशेषतया आरम्भ में, गांवसाथी को (जिनमें महिला गांवसाथी और गांवसाथियों की पत्नियां भी हैं) परिवार के पति और पत्नी से अलग अलग, व्यावसायिक वर्गों के सदस्यों से, और युवक संगठनों के युवकों से अलग अलग बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। परिवार के साथ दम्पति गांवसाथी (पति और पत्नी) बातचीत करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं और उनका मेल मिलाप आपस में स्वाभाविक और सरल भी होता है।

जमुनापार पुनर्निर्माण के अनुभवों से ही हम कह सकते है कि बहुत से गांवसाथियों ने परिवारवालों के साथ दोस्ती कर ली है जिससे परिवार के सभी सदस्यों से उनके हित की बातों के बारे में बातचीत एक साथ ही की जा सकती है। जिस तरह किसी भी नई तरह की खाद्य वस्तु धुआ रहित चूल्हे के निर्माण का सम्बन्ध परिवार के सभी सदस्यों से है उसी तरह एक नए तरह के हल की खरीदारी का भी असर सभी सदस्यों पर समानरूप से होगा। कोई लड़का या लड़की स्कूल में पढ़ने जायेगा या नहीं, यह एक पारिवारिक प्रश्न है क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया उस परिवार विशेष के खेतों या घरों में मिलनेवाले श्रम पर होती है। इसी तरह और बहुत से निर्णयों की भी परिवार पर प्रतिक्रिया होती है इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है।

(३) **व्यावसायिक वर्ग या समूह** – इसमें बहुत से वर्ग हैं इसलिए यहाँ हम हर एक पर अलग अलग विचार करेंगे।

अ – गृहिणियां – किसी भी गांव में गृहिणियों की संख्या सबसे अधिक होती है। व्यावहारिक रूप में प्रायः सभी ग्रामीण स्त्रियां इसी वर्ग में आती हैं, जब कि इनके पति लोग कुछ तरह के व्यवसाय करनेवाले वर्गों में बँटे हुए हैं। इन सभी महिलाओं को एक ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक तरह की ही कला या कुशलता की उन्हें जरूरत होती है।

जमुनापार पुनर्निर्माण की गृहिणियों की आरम्भिक दिलचस्पी बुनाई, अपने लिए ब्लाउज और बच्चों के लिए कपड़े बनाने की कटाई और सिलाई सीखने में रही है। बहुतों ने जल्दी ही यह कहना शुरू किया कि वे पढ़ना सीखना चाहती हैं। गृह-सफाई, छोटे छोटे घाव, या फोड़े फुन्सियों की

चिकित्सा और ऐसे ढंग से भोजन पकाना या तैयार करना, कि जिससे उसमें भोजन के तत्त्व रह जायें आदि ही ऐसे विषय हैं, जिनकी उन्हें बहुत अधिक जानकारी पाने की जरूरत है।

यद्यपि भारतीय परम्परा महिलाओं को पृष्ठभूमि में रखने की रही है, परन्तु विस्तार कार्यक्रम को सफलता प्राप्त करने के लिए इनकी ओर प्रमुख रूप से ध्यान देना होगा। महिलाओं पर ही प्रमुख रूप से ध्यान देने पर जोर डालने का कारण ऊपर के उनके अनिवार्य कामों की सूची नहीं वरन् वे सभी दूसरे निर्णयों से प्रभावित होती है जो उनके पति, भाई या पुत्र अन्य विषयों पर करते हैं। प्रायः इन विषयों के निर्णयों में भी महिलाओं का अपने घर के पुरुषों पर काफी दबदबा रहता है।

इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी विस्तार कार्यक्रम में 'सारे परिवार' से सम्बन्धित विषयों के साथ साथ गृहिणी के रूप में उनके व्यावसायिक कर्तव्यों के कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा हाथ बॅटाने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें केवल महिलाओं के कार्यक्रम में ही हाथ बॅटाने के लिए अलग अलग नहीं कर देना चाहिए। साथ ही माता और पत्नी के रूप में अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों के कारण इसमें हिस्सा लेने का उनका अधिकार भी है और इनकी पूर्ति विस्तार कार्यक्रम में ही अलग से एक महिलाओं का दल ही कर सकता है।

जमुनापार पुनर्निर्माण में महिलाओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए चार विधियों का प्रयोग किया जाता है :–

(१) सभी गांवसाथी काम के साथ ही प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में समय समय पर होने वाले गांवसाथी-प्रशिक्षण-सम्मेलनों में गांव की महिलाओं के लिए जरूरी नई कलाओं को सीखते और उन पर विचार विमर्श करते है।

(२) गांवसाथी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वे गांववालों के परिवारों के दोस्त हो जाँय और जब कभी सम्भव हो तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य की समस्याओं पर बातचीत और विचार विमर्श करते रहें।

(३) हर एक क्षेत्र के कुछ चुने हुए गांवों में नियमित रूप से महिला विशेषज्ञों का एक दल सम्भवतया इस क्षेत्र के गांवसाथी के साथ जाता है जो महिलाओं को नई कलाएं सिखाता है (और साथ ही **गांवसाथी को भी इन कलाओं में प्रवीण करा देता है**)। इस

व्यावहारिक शिक्षा व्यवस्था में स्वभावतः नई कला के अतिरिक्त बहुत से अन्य विषय भी उठते हैं।

(४) गांवसाथियों में दम्पति गांवसाथी भी है। पति पत्नी दोनों ही साथ साथ काम करते हैं। पत्नी को भी गांवसाथी के उतने ही अधिकार हैं जितने पति को हैं, और वे क्षेत्रीय या प्रशिक्षण सम्मेलनों की सभानेत्रियों का भी काम करती हैं। यह प्रयोग यह देखने के लिए है कि ऐसे दम्पति गांवसाथी कहाँ तक लाभदायक हैं, जो महिलाओं के कार्यक्रम तक ही सीमित न रह कर पुनर्निर्माण के समूचे कार्यक्रम के लिए हैं।

ब – किसान – व्यवसाय की दृष्टि से गृहिणियों के बाद सबसे अधिक संख्या किसानों की होती है। गांव की अधिक आबादी, जिसमें कारीगर और कुछ किसान भी आते हैं, किसानों की होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विस्तार कार्यक्रम में कृषि से सम्बन्धित विषयों को अधिक स्थान दिया जाता है। किसानों को एक साथ ही प्रदर्शन, या दूसरे गांवों के अच्छे खेतों को देखने के लिए एक साथ बुलाया जा सकता है। इस तरह की भ्रमण-यात्रा गांववालों की जानकारी के क्षेत्र को विस्तृत करती है। किसानों के लिए किसी भी जानकारी तथा सिंचाई-व्यवस्था, पशु-पालन, केन्द्र, या दुग्धशाला को घूम घूम कर देखने में ही उनका सीधा हित है।

स – शिल्पी – बहुत तरह के आवश्यक परिवर्तनों के लिए बढ़ई, राज, लुहार, या कुम्हार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। बढ़ई यह सीख सकता है कि किसी कुएं के लिए किस तरह की सरल चरखी बनाई जाय, जो कुएं से स्वच्छ पानी निकालने में काफी सहायक होती है। परन्तु सबसे पहले गांवसाथी का यह कर्तव्य है कि वह गांववालों में चरखी की मांग पैदा करें। सुधरे हुए हलों के फाल को तेज करने की जरूरत पड़ेगी परन्तु गांव के लुहार को यह कला सीखनी पड़ेगी। राज पाखानों के ढक्कनों को बना सकता है, वह गल्ला रखने के लिए अच्छे अच्छे गोदाम बना सकता है, या कुम्हार भी इसे बना सकता है। हर दशा में गांवसाथी इन कारीगरों में कलाओं को सीखने के लिए उत्साह भरेगा और वह यह भी दिखायेगा कि पास पड़ोसवाले गांवों में भी इसी कला की मांग होगी जिससे और अतिरिक्त काम भी मिल जायगा।

विस्तार कार्यक्रम में गांवों के कारीगरों के लिये इन नई कलाओं के प्रशिक्षण का स्थान अवश्य रखना चाहिए। एक या दो दिन तक का

अल्पकालीन प्रशिक्षण इस दिशा में बहुत ही जोरदार सिद्ध हुआ है, परन्तु एक बार में उन्हें केवल एक ही कला सिखाई जाय। कभी कभी एक केन्द्रित-अल्पकालीन प्रशिक्षण अधिक जोरदार होता है। प्रशिक्षण चाहे जिस तरह से दिया जाय यह इससे कहीं भी अच्छा है कि योजना स्वयं ही उन सेवाओं की व्यवस्था करे। इनमें से एक भी कला गांव के कारीगर को सिखा देने पर योजना उसकी चिन्ता करना छोड़कर कार्यक्रम के दूसरे विषयों को उठा सकती है।

द – घरेलू उद्योग धन्धे – इन निजी कारीगरों के अतिरिक्त स्थानीय उपयोग के और भी उत्पादक सेवा के सूत्र हैं, जिन्हें सरकार अब अधिक प्रश्रय या बढ़ावा देगी। ये किसी न किसी तरह की यांत्रिक शक्ति की सहायता ले भी सकते और नहीं भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए तेल-वाली आटे की चक्की, बुनकर, या गड़रिया हैं। परम्परा से आनेवाली इन सेवाओं में अधिक बड़े पैमाने के और बड़े कारखाने भी जोड़े जा सकते हैं तथा वे जो तेल से चलनेवाले पम्प मशीन, या देहातों के लिए तेल से चलनेवाली बिजली पैदा करने की मशीन।

इन परम्परा से चले आनेवाले ग्रामीण उद्योगों को और अधिक उत्पादन के लिए गांवसाथी प्रोत्साहित कर सकता है और इस तरह इन चीजों के बाजार को अधिक व्यापक बनाकर गांववालों में अधिक सस्ती वस्तुओं की पूर्ति कर सकता है साथ ही उस प्रकार धीरे धीरे गांवसाथी का भी कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जायगा। इन नए ग्रामीण उद्योग-धन्धों को, जिन्हें किसी यान्त्रिक शक्ति से चलाया जा सकता है, गांवसाथी की सहायता से ग्रामीण समाज के लिए उपयोगी और योग्य बनाया जा सकता है।

य – व्यापारी – गांवों के जीवन के नए ढंगों के लिए नई चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे दवा, कीटाणुनाशक दवाइयां, औजार और अच्छे बीज। यह काम गांव के व्यापारी का है कि वह बाजार में उन चीजों की बिक्री की व्यवस्था करे जिन्हें लोग खरीदना चाहते हैं। विस्तार कार्यक्रम नई जरूरतें और नई इच्छाएं पैदा करता है इसीलिए योजना के पूर्ति और सेवा विभाग को चाहिए कि वह गांवों के व्यापारियों से उन्हें वस्तुओं के मिलने की व्यवस्था करे और गांवों के वर्तमान पूर्ति के सूत्रों से योजना के संगठन में ही कृत्रिम स्पर्धा या होड़ पैदा करने की अपेक्षा उन्हें और अधिक बलवान् बनाए।

र – दाइयां – यह व्यवसायिक ढंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इलाहाबाद के निकट के गांवों की सुधार करने

फिल्मस्ट्रिप – रात में अधिक लोग मिल सकते हैं, जब कि उन्हें फिल्मस्ट्रिप बार बार दिखाकर नई बातें बताई जाती हैं।

फ्लैशकार्ड – गांवसाथी फ्लैगकार्ड दिखाकर फिर उन्हें बांट कर कहानी सुनाता है। इसमे लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है।

पोस्टर—अधिक भीड़ में फ्लैशकार्ड से भी पोस्टर अधिक सफल होता है।

की सबसे पहली मांग या सिफारिश थी कि दाइयों को प्रशिक्षित कर दिया जाय। सौभाग्य से कस्तूरबा ट्रस्ट की यह एक सबसे बड़ी कार्यवाही है। पुनर्निर्माण क्षेत्र की दाइयों के प्रशिक्षण में कमला नेहरू अस्पताल के चिकित्सा निरीक्षक महोदय द्वारा सम्पन्न नियुक्त कार्य बहुत ही वहुमूल्य रहा है। इस प्रशिक्षण के लिए गांवसाथियों ने व्यवस्था की।

इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि गांवों के व्यावसायिक वर्गो या समूहों के लिए निर्धारित विस्तार कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह विस्तार भी लोगों के लिए उन विपयों द्वारा उपयोगी बना दिया जाता है जिनमें हर एक की अलग अलग अधिक से अधिक दिलचस्पी रहती है। यह गांववालों के लिए व्यावहारिक दलों या समूहों में एक दूसरे के आपसी महत्व समझने में सहायक होता है। यह गांवों में ही किसी प्रकार के बाहरी भरोसे के बिना ही सेवाओं की सुविधा देता है।

(४) **युवक समूह या दल**—चौथा समूह या दल, जिसके साथ या जिसके लिए विस्तार कार्यक्रम होना चाहिए, ग्रामीण युवकों का है। उन्हीं के हाथों भारत का भविष्य है। उनकी अपनी अलग दिलचस्पी होती है और वे अपने खेलों में अपनी स्वेच्छा को प्रकट भी करते हैं। गांवसाथी उनके इस चुनाव के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बना सकता है। यद्यपि किशोर और बालक भी प्रौढ़ों की तरह ही परिवारों के सदस्य हैं, परन्तु वे उन कार्यवाइयों में दिलचस्पी व लगन दिखाते हैं जिनमें उन्हीं के उम्र-वाले लोगों की दिलचस्पी होती है।

भारत के सांस्कृतिक ढांचे में किसी भी दल या समूह के वयोवृद्ध लोगों की बातों को अधिक सम्मान और आदर दिया जाता है। कभी कभी वयोवृद्धता के अधिकार का दुरुपयोग भी होता है। और ऐसी दशा में उन युवकों को भी, जिनमें अपने परिवारवालों की सहायता और सारे गांव की दशा को सुधारने की एक आग जलती रहती है, इस दिशा में अपनी रचनात्मक शक्ति और साहस का पूर्ण सदुपयोग करने का मौका नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप या तो वे विध्वंसात्मक कार्यवाहियां करने लगते हैं या वे गांवों के प्रति बिल्कुल ही उदासीन हो जाते हैं। गांव-साथियों को चाहिए कि जहाँ पर भी वयोवृद्धता एक अनिवार्य सांस्कृतिक अंग बन गया हो, वहाँ पर वे भी इसे मानें परन्तु ऐसी दशा में वे युवकों की शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए साधन और मार्ग बना

सकते हैं जैसे वॉलीबॉल के लिए मैदान बनाना, पुस्तकालय स्थापित करना, यथा रचनात्मक स्पर्धावाले नए खेलों का आयोजन करना आदि, जिनमें उनकी कला चातुरी, बुद्धि और सहयोग की जरूरत पड़ती है। पुनर्निर्माण क्षेत्र के एक गांव के युवकों ने स्वयं ही अपने लिए पाठशाला भवन का निर्माण किया। संसार के बहुत से देशों में, ग्रामीण युवकों ने अपना अपना संगठन बना रक्खा है, जैसे अमरीका का फोर-एच 'यंग फार्मर्स क्लब' (युवक किसान गोष्ठी), बेलजियम में 'फाकन रोग' इन सभी संगठनों में कुछ न कुछ समानता या एकरूपता पाई जाती है :–

(१) प्रायः ये सभी ऐसी योजनाओं या व्यावसायिक कलाओं के माध्यम से अपनी जानकारी बढ़ाते हैं जिनकी उन्हें बाद में जरूरत पड़ सकती है।

(२) वे ऐसे मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिसमें उन्हें आनन्द आता है।

(३) इनका संगठन प्रजातंत्रीय ढंग से होता है, और इनके पदाधिकारी भी चुने हुए होते हैं, जिससे वे अच्छी प्रजातन्त्रीय सरकार के तरीकों का अनुभव भी प्राप्त करते हैं।

जमुनापार पुनर्निर्माण में भी हम एक ऐसे ही युवक संगठन का विकास कर रहे हैं जिसे हम **कमल दल** कहते हैं। हमने यह नाम हिन्दी के तीन नीचे लिखे शब्दों के प्रारम्भिक वर्णों के संयोग से बनाया है :–

क – कर या काम
म – मनस् या मस्तिष्क
ल – लोचन या आंख

स्वयं 'कमल' शब्द एक ऐसे फूल का नाम है जिसे भारत में परम्परागत महत्ता प्राप्त है और इस प्रकार दल का यही चिन्ह बन गया है।

यह संगठन धीरे धीरे अच्छी तरह संगठित होता जा रहा है। इसका निर्देशन और संगठन गांवसाथियों द्वारा हो रहा है। इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अन्तर्राष्ट्रीय युवक-विनिमय का दौरा करके लौटा है और जिसमें इस कार्य के लिए पूरा पूरा उत्साह भरा है। अभी हाल ही में लगभग ९० गांवों के 'कमल दल' के प्रतिनिधियों की एक टोली (सामूहिक प्रदर्शन) एक गांव के बाग में हुई। यहाँ पर वे एक साथ रहे, अपना भोजन स्वयं पकाया, तरकारियां उगाना सीखा, और 'कैम्प फायरों' का आयोजन किया, जिसमें हर एक गांवसाथी के क्षेत्र वालों ने मनोरंजन के खेल प्रदर्शित किये।

ग्रामीण दल

यह एक ऐसा समूह या दल है जिसके साथ **गांवसाथी** काम करता है परन्तु हमने इसे उल्लिखित चार भागों में ही रखा है। फिर भी यह दल गांवसाथियों के लिए सबसे बड़ा परीक्षक है। यह ग्रामीण दलबन्दी है। यह प्रायः सभी जगह होता है। यदि गांवसाथी किसी एक दल के साथ हो गया तो दूसरे दल के लोग उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। गांवसाथी को इससे हमेशा सचेत रहना चाहिए और उसे हमेशा गांव-वालों के आपसी झगड़ों के दलदल में फंसना अस्वीकृत कर देना चाहिए। बल्कि यदि रचनात्मक रूप से उसने इन दोनों दलों का सहयोग प्राप्त कर लिया तो इससे सब से बड़ा ठोस लाभ यह होगा कि ग्रामीण जीवन का एक सबसे बड़ा अभिशाप मिट जायगा।[१]

प्रभावशाली साधनों द्वारा काम करना

अधिकांश देशों के विस्तार-साहित्य में गांव का अगुआ ढूंढ़ने और उनके माध्यम से काम करने की अधिक चर्चा मिलती है। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि हर एक क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास-पड़ोसवालों पर काफी दबदबा रखते हैं। कोई भी विस्तार योजना उस समय अधिक सफल हो जाती है जब वह यह ढूंढ़ लेती है कि ये अगुआ कौन कौन हैं और इन्हीं के माध्यम से काम करती है। किसी कार्यक्रम की सफलता का कारण इसी असफलता में पाया जा सकता है क्योंकि कभी कभी ये अगुआ ही अपनी तौहीन समझने लगते हैं कि उनसे कुछ करने को कहा नहीं गया और वे योजना के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर देते हैं।

---

[१]अभी हाल में अध्ययन से भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के बारे में हमारी अज्ञानता का पर्दा हट गया है। डाक्टर औस्कार लेविस ने, जो फोर्ड-संस्थापन के एक मानव विज्ञान के विद्वान् हैं, उत्तरी भारत के एक गांव की दलबन्दी पर अधिक प्रकाश डाला है। आपके 'उत्तरी भारत के एक गांव में दलबन्दी का मनोविज्ञान' (प्लानिंग कमीशन के १९५४ ई. के वर्ग इवेल्युएशन संगठन द्वारा प्रकाशित) नाम के निबन्ध में एक बहुत ही अच्छे साधन पर प्रकाश डाला गया है। जिसके सहारे कोई भी विस्तार कार्यकर्ता इन दलों को आपसी झगड़ों के बावजूद भी हितकारी और ठोस कार्यों में लगा सकता है।

यह कहना बहुत सच है कि कुछ लोग अगुवाई करते हैं और दूसरे लोग उन्हीं का अनुसरण करते या उनके पीछे पीछे चलते हैं। यह जरूरी है कि विस्तार योजना अपने क्षेत्र के इस ढंग के प्रभावों का अध्ययन करे और प्रभावशाली माध्यम से काम करे। परन्तु यह जितना अच्छा दीखता है उससे कहीं अधिक कठिन भी है। कहीं भी ये ढंग सरल नहीं है, वे बहुत ही पेचीदे हैं। और विशेषतया भारत में तो इस विषय पर भरोसे की जानकारी अधिक नहीं है इसलिए हमें अपना रास्ता बहुत ही सतर्कता से ढूंढ़ना है।

यहाँ तक कि यहाँ पर 'अगुआ' या नेता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है जिसे हम ग्रामीण भारत में प्रयोग में ला सकें। ऐसा जान पड़ता है कि सामाजिक मानव विज्ञान के अध्येता कई तरह के 'अगुआ' बताते हैं। प्रत्येक वर्ग के भिन्न भिन्न निर्णयों के लिए अगुआ हैं। हम जानते हैं कि भारत के हर एक भाग में यह ढांचा विविध रूप में पाया जाता है। इसलिए हमारे क्षेत्र के गांवसाथी द्वारा प्राप्त ज्ञान को किसी दूसरी जगह दूसरे व्यवहार में लाना बहुत ही असुरक्षित है।

उदाहरण के लिए, यह मान लेना सरल है कि ऊँची जाति के नामधारी प्रधान ही 'अगुआ' होते हैं। जो भी हों, अब समय बदल रहा है, और बहुत सी दशाओं में तो आज इनकी इतनी इज्जत भी नहीं है जितनी पहले कभी थी। इनके फीके पड़ते हुए सम्मान के अलावा किसी गांव के मुखिया या जाति-प्रधान के अधिकार सीमित हो गए हैं। फिर यह सोचना स्वाभाविक होता है कि सरपंच या परिवारों के मालिक ही अगुआ हैं। परन्तु बहुत से युवक अब अपने वयोवृद्धों की बातों का पहले की तरह ही पालन नहीं करते हैं। प्रभाव के ये पहलू या ढंग बदलते रहते हैं इसीलिए किसी भी तरह का निर्णय करने के पूर्व सोच-विचार कर लेना चाहिए।

गांवसाथी अपने आप पूछें कि इस गांव में कौन व्यक्ति ऐसा है जो नया ढंग अपनाने के लिए तैयार है? क्या यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर गांव के अन्य लोग भरोसा रखते हैं? क्या वह बुद्धिमान है और सोच समझ कर कदम उठाता है? इनका सम्मान मुख्यतया इनकी सावधानी के कारण भी होता है। वे तब तक किसी नए विषय का परीक्षण या प्रयोग आरम्भ नहीं करेंगे जब तक प्राथमिक जाँच पूरी तौर से न हो गई हो। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के नए प्रयोग के लिए तैयार करना मुश्किल होता है।

दूसरा और एक विशेष व्यक्ति, जो गांव में अपनी वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट है और जो मान्यता चाहता तो है परन्तु पाता नहीं है, किसी भी तरह की नई बात को व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिक उत्सुक रहता है। वह यह सोच सकता है कि किसी भी तरह का नया प्रयोग करके ही वह मान्यता प्राप्त कर लेगा जिसके लिए अभी तक वह इच्छुक रहा है। कोई व्यक्ति, जो नया ढंग अपनाता है इसीलिए नहीं कि लोग उसे अगुवा मानें, या इससे न तो दूसरे लोग ही उसे अगुआ मान लेंगे। यदि पुराने ढंग को अच्छा न समझ कर ही नए ढंग को अपनाता है तो वह उतना ही ध्यान आर्कषित करेगा जितनी वह योग्यता रखता है। किसी भी तरह के प्रयोगिक प्रदर्शन को चलाने के लिए वही व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है जिसे लोग पहले से ही अधिक ठोस मान चुके हैं और जो गम्भीर हैं। बहुत कुछ सम्भव है कि ऐसा व्यक्ति इतना सम्पन्न भी हो कि वह एक प्रयोग कर सके। यदि प्रदर्शन सफल होता है तो वह इसके लिए दूसरे से भी सिफारिश करेगा और इस कार्य में उसकी प्रतिष्ठा भी सहायक होगी। इस दृष्टि से, कोई 'अगुआ' ढूंढ़ लेना तो सरल है परन्तु किसी भी तरह के प्रयोग के लिए उसे पूरे तौर से राजी कर लेना बहुत ही कठिन है।

इसके बिल्कुल ही विपरीत ढंग के पक्ष में बहुत अच्छा तर्क दिया जाता है। बहुत साल पहले इसी सिद्धान्त का प्रतिपालन मार्तण्ड (त्रिवांकुर-कोचीन) में किया गया था। 'गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ काम आरंभ करें यदि वे नए ढंग को अपना लेते हैं, और यह यदि सफल सिद्ध होता है, तो गांव के धनी लोग भी इसका पालन करेंगे। परन्तु यदि धनी व्यक्ति के साथ ही कार्यारम्भ किया जाता है तो, यदि सफलता मिलती है तो भी गरीब व्यक्ति कहेंगे कि "वह एक धनी व्यक्ति है, वह इस तरह कर सकता है, परन्तु हम लोग तो इस तरह करने के लिए बिल्कुल ही दरिद्र हैं"।'

हर एक गांव में कोई न कोई मसखरा होता है, जो जहाँ तक सम्भव होता है हर बात का मजाक बनाता है। उसका अपना दबदबा होता है, जो बहुत ही दृढ़ होता है। यदि वह किसी नए ढंग का मजाक उड़ाता है, तो वह लोगों को इसका विरोधी बना देता है। परन्तु वह इससे सहमत हो जाता है तो वह उन लोगों का मजाक उड़ायेगा जो इस नए ढंग को अपनाते नहीं हैं। अपने पक्ष में रखने के लिए गांवसाथी के वास्ते यह सबसे अच्छा व्यक्ति है।

रुपया उधार देनेवाला महाजन, जिसे केवल सिद्धान्ततः समाप्त कर दिया गया है, ही दूसरा व्यक्ति है जिसकी इच्छा या गलत धारणा किसी भी नए ढंग के व्यवहार में आने में बाधक हो सकती है। गांवसाथी को इस व्यक्ति से भी दोस्ती करनी चाहिए। बहुधा विस्तार द्वारा रखे गए सिद्धान्तों के पक्षवाले कारणों को वह अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है।

इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि गांवों में काम करने के अनुभव ही हमें यह बता देते हैं कि गांवों में केवल एक ही अगुआ नहीं होता है जिसके माध्यम से विस्तार कार्यक्रम को अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। बल्कि हर एक गांव में विविध तरह के प्रभाव होते हैं जो विविध लोगों के पास होते हैं। ये विविध तरह के प्रभाव विस्तार कार्य के कुछ माध्यमों को दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। हर एक गांव-साथी को इनके प्रति सर्तक रहना चाहिए और वह अपने ध्यान को इस तरह बाँटे कि हर एक तरह से प्रभाव विस्तार कार्यक्रम के सहायक हो सकें और गांवों के जीवन को उन्नतिशील बना सकें।

गांवसाथी हर एक व्यक्ति का दोस्त या मित्र है। परन्तु अपने काम को जोरदार या प्रभावशाली रखने के लिए उसे ऐसे प्रमुख व्यक्तियों को और समूहों या दलों को चुनना चाहिए जिनके माध्यम से वह सभी के हित अन्तिम ध्येय की पूर्ति के लिए अपने प्रयत्नों को सफल बना सकें।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – कुछ चुने हुए लोगों के साथ ही काम करने के कौन से लाभ और हानि हैं?

२ – विस्तार कार्यकर्ता क्योंकर किसी परिवार या कुटुम्ब को ही महत्वपूर्ण इकाई मान कर काम करें?

३ – गांव के कारीगरों और विशेषज्ञों पर ही विशेष ध्यान दे कर विस्तार क्योंकर सारे गांव की सहायता कर सकता है?

ब–गांवों में बात फैलाना

पिछले खण्ड की महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक को छोड़कर सब 'लोगों का समूह' हैं जिन पर प्रकाश डाला गया है। गांवसाथी उनके साथ किस ढंग से काम करें? एक सिद्धान्त स्पष्ट है। उसे भाषण कभी नहीं देना चाहिए।

गांवों में बात फैलाने का सबसे स्वाभाविक ढंग बातचीत करना है। गांव के लोग एक ही तरह के भाषण से परिचित हैं और वह है राजनीतिक भाषण, जिसे वे सम्भवतया निर्वाचन के समय ही सुनते हैं, गांवों में भाषण देना उस व्यक्ति का ढंग है जो वहाँ पर अपनी विचार-धारा को बेचने आता है और गांववालों के लिए भी यह ढंग विदेशी सा लगता है। गांववालों में आपसी बातचीत ही किसी भी प्रकार के समाचार या नई सूचना का सबसे लोकप्रिय और अच्छा ढंग है। यहाँ तक कि पंचायतों या गांवों के अन्य, सामूहिक दल, या सभायें भी, जो किसी खास ध्येय के लिए होती हैं, अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श आपसी तौर से करती हैं।

गांवों की परम्पराओं का यह सबसे अधिक ठोस अंग है। कुछ अन्य संस्कृतियों में, विस्तार योजनाओं में भाषण देने की प्रथा को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करना है। यहाँ पर हमें केवल गांवों की ठोस परम्परा का ही पालन करना है।

दुर्भाग्यवश जब कि गांवों का सामान्य ढग ठोस रहा है, बहुत से ग्रामीण-उत्पादन के कार्यक्रमों में इसका अनुसरण नहीं किया गया है। यही उनकी असफलता का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। अधिक अवसरों पर देखा गया है कि गांववालों को सहायता करने की तीव्र अभिलाषा रखनेवाले लोग भी उनसे यही कहते हैं कि 'आप को ऐसा करना चाहिए या आपको वैसा करना चाहिए'। वे गांवों में भाषण देते रहते हैं कि वे अपने आपको कैसे सुधारें। ऐसे कार्यक्रम असफल सिद्ध हुए हैं।

जब किसी भी विषय पर विचार विनिमय करने के लिए किसी समूह या दल को इकट्ठा किया जाय तो उसमें स्वच्छन्द रूप से विचार करने के ढंग को ही अपनाना चाहिए।

१ – नियमित या संयमित स्वच्छन्द विवाद अधिक हितकारी होता है : इसका यह मतलब नहीं है कि विवाद करना एक झूठा बहाना ही है; इसका यह अर्थ नहीं है कि गांवसाथी ही निर्णय करता है। इसका यह मतलब जरूर है कि उस दल या समूह में विचार-विमर्श या विवाद के समय कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मौजूद है जो उसी के बारे में सोचता है और यह ध्यान रखता है कि कुछ नियम या विधियों का पालन करता है, जैसे :—

अ – अनिवार्यरूप से सभी उपस्थित व्यक्ति विचार-विमर्श में भाग लें : यदि सावधानी नहीं रखी जायगी तो थोड़े ही लोग विचार-विमर्श या बातचीत करते रहेंगे। बहुत से लोग तो तब तक नहीं कुछ

कहते हैं जब तक कि उनसे पूछा न जाय। गांवसाथी इसमें सहायक हो सकता है, वह उन लोगों की सम्मति या राय मांग सकता है जो आम तौर से चुप्पी साधे रहते हैं। किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी को, जब बहुत अधिक हो जाय, तो गांवसाथी उसका ध्यान किसी दूसरी ओर होशियारी से ले जाकर रोक सकता है। इसी तरह से सभी लोगों की राय या मत का पता लग सकता है।

ब – अनिवार्यरूप से सभी विवादों का अन्त भविष्य के आयोजनों से हो: कभी कभी वादविवाद इस सीमा तक पहुँच जाता है कि जब निर्णय किया जा सकता है। यदि ऐसा हो तो निर्णय स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और, इसे लिख लेना चाहिए और इसके लिए योजना भी तैयार कर लेना चाहिए। अन्यथा किसी भी तरह का निर्णय नहीं हो पाता है और ऐसी दशा में इसी वादविवाद को जारी रखने के लिए अगली बैठक की आयोजना चाहिए। बैठकों या वादविवाद के अन्त में इनका सारांश निकाल लेना चाहिए जिससे सभी लोग इस संतोष के साथ लौटें कि उन्नति हो रही है।

पुराने दर्जे की पंचायत (जाति पंचायत नहीं), जिसमें वे सभी लोग भाग लेते थे जो भाग लेना चाहते थे, जब समान हित के विषयों पर विवाद हुआ करता था, ही उल्लिखित वादविवाद के ढंग की पूर्वज कही जा सकती है। पूरी पंचायत में दो कमियां होती थीं–एक यह कि बहुत दबदबेवाले लोग ही विवाद के अन्त तक अपना विचार व्यक्त करते हुए पाये जाते थे, और दूसरा यह कि बहुधा कार्यवाही के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाता था और न दुबारा बैठक करने की कोई आयोजना ही की जाती थी। विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित या संचालित समूह या दल बहुत ही उपयुक्त हो सकता है, परन्तु जैसा पहले दो गद्यांशों में बताया जा चुका है वह स्वयं ही इन दोनों कमियों को पूरा कर लेगा।

२ – स्वच्छन्द विवाद या विचारविनिमय प्रौढ़ शिक्षा की एक ठोस विधि है: पाठशालाओं के बालक हमेशा यह आशा करते हैं कि अध्यापक उन्हें निर्देश दें। इसका कारण यह है कि अध्यापक वयोवृद्ध होते हैं और बालक यह माने रहते हैं कि उन्हें (अध्यापक को) अधिक अनुभव है। परन्तु प्रौढ़ शिक्षा में प्रायः 'अध्यापक' अपने अधिकांश छात्रों से कम उम्रवाला होता है। वह अपने प्रौढ़ छात्रों की अपेक्षा सामान्यतः अधिक अनुभवी भी नहीं होता है। केवल उस समूह का वह एक सदस्यमात्र होता है जिसके

अनुभव दूसरे के अनुभवों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न है। जब वह कोई विषय वादविवाद के लिए रखता है तो वह अपने को एक ठोस आधार पर पाता है और वह अनुसन्धानशाला के खेतों पर हुए अपने अनुभवों को उसी तरह बतलाता है जिस तरह से कोई तीर्थयात्री मेले से लौटने के बाद मेले का या देखे हुए स्थानों का वर्णन करता है।

लोगों में निष्ठा का, जो अच्छे विस्तार कार्य का पहला मौलिक सिद्धान्त है, एक प्रमुख भाग यह विश्वास है कि तथ्यों की जानकारी रहने पर वे ठोस निर्णय भी कर सकते हैं। योग्य या कुशल गांवसाथी नए तथ्यों को गांव के विवाद में लाता है, परन्तु वह गांववालों की वादविवाद की आदत में हेर-फेर नहीं करता है। वह प्रौढों में प्रौढ के रूप में ही मिलता जुलता है, और तथ्यों से उन्हें जानकारी करा कर अलग हो जाता है जिससे ग्रामीण लोग स्वयं ही निर्णय करें।

३ – स्वतन्त्र वादविवाद सभाओं में उचित समूह ही सम्मिलित हो : यद्यपि गांववालों की आपसी बातचीत काफी उचित होती है फिर भी इसे वर्तमान जरूरतों की पूर्ति करने के लायक बनाना है। आम तौर से देखा गया है कि चाहे जिस किसी भी समूह के लोग एकत्र हों बातचीत चलती रहती है। ये समूह भी अनियमित ही होते हैं, शायद ही कभी ऐसा होता हो जब कि इस समूह के सभी व्यक्ति, जो इकट्ठे हुए हों, ऐसे हों जिनकी उन विशेष समस्याओं में दिलचस्पी हो जो विचारणीय हैं। जब कि बहुत से अवसरों पर गांवसाथी को भी ऐसी आपसी सभाओं या बैठकों में भाग लेना चाहिए, अन्य अवसरोंपर उसे विशेष प्रकार के समूहों की जरूरत रहती है। बहुधा ये उन जरूरी इकाइयों से मिलती जुलती होंगी जिनका हमने पृष्ठ १०८–११४ पर वर्णन किया है।

४ – योजना-आयोजन में ग्रामीणों का भाग लेना स्वच्छ वादविवाद का स्वाभाविक विकास है : जब लोग ऐसे विवाद से बिल्कुल परिचित हो जायें जिसमें गांवसाथी भी उन्हीं के बराबर हाथ बँटाता है, तो योजना आयोजन में गांववालों द्वारा भाग लेना अपने आप होने लगता है जब तक कि कोई योजना प्रशासक स्वयं ही इसे लचीला न बना कर कठोर बना दें। लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए आपस में बात-चीत करते हैं और स्वाभाविक रूप से इसमें वे नई बातों को भी विवाद के लिए लाते हैं। यदि गांवसाथी सहानुभूति रखते हुए हर एक सुझाव की जाँच करने में सहायक होता है तो यह और अधिक कार्यवाहियों का

आधार बन सकता है और 'गांववालों में एक सच्चे कार्यक्रम' का विकास हो सकता है।

जमुनापार पुनर्निर्माण के योजना आयोजनों में गांववालों को भाग लेने की अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए तीन अतिरिक्त कार्यवाहिया की गई हैं :–

(अ) हर एक क्षेत्र में दस या ग्यारह गांवसाथियों का जो क्षेत्रीय सम्मेलन होता है, इनका आयोजन हर वार हर एक क्षेत्र के भिन्न भिन्न गांवों में किया जाता है। गांवसाथी एक घेरे में बैठते हैं और अपने कार्यक्रम और अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं और आगे के १० दिनों की कार्यवाहियों की परिपाटी तय करते हैं। उन गांववालों के लिए, जो इन बैठकों के किनारे बैठे या खड़े देखते रहते हैं, यह सम्मेलन स्वयं ही एक आदर्श या उदाहरण वन जाता है। इस तरह वे यह भी देखते हैं कि योजना किस प्रकार चलती है, इसमें कोई भेद की बात नहीं होती है। इन क्षेत्रीय-सम्मेलनों को समाप्त करने के पहले ही दर्शकों को वादविवाद पर टीका टिप्पणी करने के लिए और सुझाव रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों में बहुत से दर्शकों के भाग लेने से गांव-सम्मेलनों के लिए बहुत सी विचार-धाराओं में और कार्यक्रम में रखने के लिए बहुत से सुझावों का विकास होता है।

(ब) गांवसाथियों के प्रारम्भिक साप्ताहिक प्रशिक्षण सम्मेलन में कुछ गांववालों को भी भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया था और हर दोपहर के बाद का समय उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाता था कि जो कुछ सम्मेलन में होते हुए उन्होंने देखा या सुना है उस पर टीका टिप्पणी करें। इस तरह, आरम्भ से ही गांवसाथियों ने निश्चित रूप से जान लिया कि पुनर्निर्माण के प्रशासन में गांववालों को ही अधिक स्थान मिलना चाहिए।

बाद में होनेवाले गांवसाथी सम्मेलनों में, जिनका आयोजन नियमित रूप से जमुनापार पुनर्निर्माण के केन्द्र डांडी गांव में होता है, बहुत से ग्रामीण दर्शक भाग लेने के लिए बुलाए जाते हैं जिससे वे वादविवादों में भी भाग ले सकें।

(स) गांव सम्मेलनों में १८ से ३० गांव तक भाग लेते हैं। इनका आयोजन आये दिन के लिए होता है। जिसमें प्रदर्शन, खेल-कूद, प्रतियोगिताएं होती हैं और उनकी इति आम बैठक और वादविवाद के बाद होती हैं। इस सम्मेलन में कोई ग्रामीण ही सभापति होता है। और

सम्मेलनों में प्रस्ताव भी प्रतिनिधित्व पाये हुए ग्रामीणों द्वारा ही रखे जाते और स्वीकृति पाते हैं। इन प्रस्तावों से ही गांववालों की सहायता आदि की जरूरतें, विकास योजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, आगे की कार्यवाहियों के लिए सुझाव आदि का विकास होता है। योजना की कार्यवाहियों को भी इन्हीं प्रस्तावों के अनुकूल बना दिया जाता है। जब कभी सरकारी सहायता की जरूरत पड़ती है तो प्रस्ताव को अनुमोदित करके सम्बन्धित सरकारी विभाग के पास भेज दिया जाता है। इससे कार्यक्रमों को गांवों की जरूरतों के अनुकूल रहने में काफी सहायता मिलती है और गांववालों को भी यह महसूस होता है कि कार्यक्रमों में वे अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं जो अधिकांशतः उन्हीं का तैयार किया हुआ है।

किसी भी योजना के लिए कार्यक्रमों के आयोजन में गांववालों द्वारा भाग लेने को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इस तरह से स्वच्छन्द विवाद ही आधार और विधि बन जाते हैं। जब किसी भी योजना के प्रशासकीय सम्मेलनों में गांववाले सदा के लिए आमन्त्रित कर दिये जाते हैं तब वे इसमें और अधिक आस्था रखते हैं। इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित समझ कर वे यह महसूस करते हैं कि उनके सुझावों को आदर से देखा जाता है। जब ये यह देखते और महसूस करते हैं कि योजना अपने कार्यक्रमों को उन्हीं के प्रस्तावों के आधार पर विकसित कर रही है तो वे यह भी महसूस करते हैं कि योजना बाहर से उन पर लादी नहीं गई है वरन् सचमुच यह तो एक ऐसी नियमित व्यवस्था है जो उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने में सहायता देती है।

योजना आयोजन में गांववालों द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने की व्यवस्था के विकास की कोशिश में गांवसाथी को निश्चित रूप से भाषण करने की छूत से दूर रहना चाहिए और एक साथ मिलकर सामूहिक वादविवाद को बढ़ावा देने की कला सीखना चाहिए, जिससे हर एक व्यक्ति समस्याओं को समझने और उनका हल निकालने में पूरा पूरा हाथ बँटा सके।

वादविवाद के लिए बातें :

किस तरह एक अच्छा सामूहिक वादविवाद चलाया जाता है? अच्छे सामूहिक वादविवाद के क्या परिणाम होने चाहिए?

स–धरातल से ऊँचे

ग्रामीण भारत के उत्थान की नई कोशिशों में हम लोगों ने अभी इसके ऊपरी धरातल का स्पर्श किया है। इसके कार्यक्रम के अन्तिम लक्ष्य को पाने के लिए अभी बहुत अधिक काम करना बाकी है। परन्तु यह निश्चित है कि न तो यह वांछनीय है और न यह सम्भव ही है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत के सभी गांवों में विस्तार कार्यकर्ताओं की पर्याप्त संख्या भेज दी जाय। ग्राम विकास तो तभी सफल हो सकता है जब कि गांव के लोगों में से अधिकांश किसी भी कार्य को समझ लें और वे स्वयं ही सुधार के कामों को और भी विकसित करते जायें। यह तो गांव-वालों पर ही है कि वे नई जानकारी को अपने हित के अनुकूल बना लें और इसे सारे गांव में व्यापक कर दें।

किसी भी विस्तार योजना के शुरू के दिनों में गांवसाथी द्वारा रखे गए सरल नए तरीकों को उन्हीं गांववालों को शीघ्र अपना लेना चाहिए (अ) जो यह समझें कि गांव के साधनों को और अच्छी तरह से उस दिशा में लगाने के लिए दिल से तैयार हैं; भले ही उन्हें इसके लिए कुछ चीजें, जैसे रासायनिक खाद आदि, को बाहर से मंगाना पड़े, या (ब) जो गांवसाथी को उसी द्वारा रखी गई नई विधियों के प्रयोग के लिए एक सहयोगी के रूप में काम करने के लिए तैयार हों, और दूसरे बहुत से तरीकों में ऐसे साधन के रूप में सहायक हों जिनके माध्यम से संवाद या नए प्रस्ताव दूसरे गांवों में फैल सकें।

जब इस तरह के ग्रामीण ही अपने गांववालों को नए तरीकों के बाबत समझाने और उन नये और सत्य तरीकों का पालन करने का भार लेंगे तभी विस्तार के विकसित होने की सम्भावना है और वह परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा का कार्यक्रम भी चला सकेगा।

गांववालों में ही उत्सुकता पैदा करनेका एक और भी कारण है। गांव-वाले ऐसी ही आदतों और तरीकों पर भरोसा रखने के अभ्यस्त होते हैं जिसमें उन्हें स्वयं चुनाव न करना पड़े या बहुत ही कम या कुछ भी सोच विचार न करना पड़े। इस आदत के जड़ पकड़ लेने से ही गांववालों की उन्नति का मार्ग रुंधा पड़ा है। विस्तार का यह शैक्षिक प्रयत्न, जो गांववालों को पुराने साधनों और विधियों और आदत और परम्परा की शक्ति में आस्था रखने के स्थान पर नए साधनों और विधियों को ढूंढ़ने में सहायक हो, तब तक जारी रहे जब तक

गांववालों में आदत के स्थान पर गांवों में उपलब्ध साधनों का तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग और नए नए साधनों की खोज की आदत न पड़ जाय।

१ – ग्रामीण अगुवाई

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रामीण अगुवाई को शक्ति से या बाहरी दबाव से विकसित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल प्रोत्साहित किया और स्वच्छन्द छोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि किसी नई विस्तार योजना में इसके विकसित होने में समय लगता है और कदाचित दूसरे साल तक ही यह स्पष्ट हो पाता है। जमुनापार पुनर्निर्माण में भी हमने ऐसा ही पाया।

सच तो यह है कि अन्य विस्तार योजनाओं की अपेक्षा जमुनापार पुनर्निर्माण योजना ग्रामीण अगुवाई को विकसित करने के लिए अधिक अच्छी स्थिति में है। उन लोगों की तरह जमुनापार पुनर्निर्माण ने सभी गांवों में किसी वस्तु या सेवा की मांग होने पर इनकी पूर्ति की जिम्मेदारी नहीं ली, हमने इसका अधिक से अधिक भार गांववालों पर ही रखा। गांवसाथी के विश्वास में यह भी है कि हम गांववालों में अपनी समस्याओं को हल करने की और अपने जीवन को अधिक विकसित करने की क्षमता में विश्वास करते हैं। इस विश्वास को व्यावहारिक रूप देने में, गांवसाथी मांग पैदा करते हैं और इसके बाद ये गांववालों को एक मांग की पूर्ति अपनी ही अगुवाई से करने में सहायता पहुँचाते हैं। इस तरह गांवों में ही पूर्ति और सेवा के साधन तैयार करने और मजबूत करने की एक कोशिश की जाती है।

उदाहरण: पहले यह बताया जा चुका है कि जब मलेरिया-निरोध की मांग पैदा की जाती है, गांव के व्यापारी को ही यह सुझाव देकर गांववालों की ही अगुवाई को विकसित किया जाता है कि वे डी० डी० टी० (गमेक्सीन) पाउडर और मलेरिया-निरोधक दवाएं (पैल्यूड्रीन) भी अपनी दूकानों में बिक्री के लिए रखें। इसी तरह जब चूहों के नियंत्रण की मांग कर दी जाती है, तब कुछ गांववालों को साइनोगैस पम्प खरीद कर किराये पर चलाने का सुझाव दिया जाता है और दूसरे गांववालों से ठेके के आधार पर चूहों को समाप्त करने का सुझाव दिया जाता है। ये उदाहरण गांववालों की उस अगुवाई के हैं जिनका विकास गांवसाथियों

द्वारा की गई मांग को गांववालों द्वारा ही पूरा करने में होता है। गांववालों की अगुवाई परिवर्तन में विकसित की जा सकती है जिसे विकास कार्यक्रम में प्रगति नहीं दी जा सकती है और गांवसाथी को भी गांववालों की उमड़ती हुई अगुवाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए जिससे वह ध्येय की पूर्ति में सहायक हो सके। उदाहरण के लिए योजना के पहले साल में ही ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना की योजना नहीं थी। फिर भी बहुत से गांववाले शीघ्र ही इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने लगे और पहले साल में ही ३१ पुस्तकालयों का संगठन हुआ। दूसरा उदाहरण, गांववालों की अगुवाई की एक अप्रेरित सफलता, ग्राम रक्षा दल है जो रात में गांव को चोरों से बचाने के लिए गश्त करता रहता है। इसी तरह गांव की सड़कों का सुधार कार्यक्रम में नहीं रखा गया था। परन्तु गांव के दल ने इस पर बातचीत करना शुरू कर दिया और इस काम को पूरा करने के लिए अपने आपको संगठित किया। निश्चय ही गांवसाथी इन कामों के आयोजन में सहायक हुए जिन्हें गांववालों ने ही आरम्भ किया था।

गांववालों के इन नए कार्यक्रमों के लिए योजना की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। परन्तु जब गांवसाथियों ने देखा कि सब लोग कुछ नए कार्य करने के लिए तैयार हैं तब योजना के सभी उचित कला-कौशल और विशेषताओं की सेवा गांववालों को दे दी गई जिससे उनके नए प्रयास को उचित संगठन शक्ति और टेक्निकल सहायता मिल गई।

गांव अगुवाई कैसे विकसित की जाय:— सम्भवतः गांवों में अगुवाई के विकास के सम्बन्ध में यह सब से महत्वपूर्ण वक्तव्य है, कि इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है, इसे केवल मान्यता ही दी जा सकती और विकसित किया जा सकता है। यह पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि इसे इस तरह का प्रस्ताव रख कर भी विकसित किया जा सकता है कि जब कभी बाहरी सूत्रों को सहायता के लिए बुलाया जाता है तब लोग अपनी ही कोशिशों पर अधिक भरोसा रखते हैं।

आग की एक ही चिनगारी को प्रज्वलित करने के दो उपाय हैं: एक तो उस पर पेट्रोल छिड़क देना है, और दूसरे उस पर लगातार धौंका देना है जिससे यह धीरे धीरे प्रज्वलित होती जाती है। इसी तरह किसी भी वांछित सुधार में यदि केवल दिलचस्पी पैदा करनी हो तो सरकारी सूत्रों की दुहाई दें, या स्कूल बनाने या कुआं खोदने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करें। दूसरा रास्ता है गांववालों में निश्चित आस्था रखते

हुए तेजी से गांववालों को ही आगे बढ़ाना, जिससे उनकी दिलचस्पी की छोटी सी चिनगारी एक ऐसी भट्टी तैयार कर दे जिसमें कठिनाइयां जल कर राख हो जाँय और जिससे ऐसी भाप पैदा हो कि स्थानीय साधनों से ही लक्ष्य को पा लिया जाय।

गांव की अगुआई केवल बात करके ही नहीं पाई जा सकती है, एक सार्वजनिक जरूरत इतनी अधिक मान्यता पा लेती है कि गांव के अधिक उत्साही लोग इसे अपनी ही कोशिश से पाने का प्रयास करेंगे। गांव-साथियों से पाने का प्रयास करेंगे। गांवसाथियों को हमेशा ऐसी जरूरतों की खोज में रहना चाहिए। जिससे एक सार्वजनिक कार्यवाही करने की प्रेरणा मिल सके। तब वे उन गांववालों को प्रोत्साहित कर सकेंगे जो ऐसा दीखते हैं कि वे अगुवाई कर सकते हैं। गांववालों के प्रयासों का एक स्थिर-विश्वास और तथ्यपूर्ण, सम्भवतया कुशल संगठन तब लोगों के हित में ही विस्तार सेवा से एकरूपता ले लेगा। इसके बाद विस्तार-कर्मचारियों का दल उन्हें कई ढंगों से सहायता पहुंचा सकेगा, सबसे पहले तो कार्यक्रम ही इतना लचीला होगा कि सहायता के लिए भागों के अनुकूल ही उसमें हेर-फेर किया जा सके।

गांव की अगुवाई का विकास करने और अवैतनिक सहयोगियों को तैयार करने की योग्यता सम्भवतया मौलिक रूप से नीचे लिखी बातों में है:–

(अ) सर्वप्रथम अपने अस्तित्व का विश्वास

(ब) अपनी ही खोज और एकरूपता में विश्वास

और (स) अपने ही विकास में विश्वास

उल्लिखित तीनों अंशों की सफल कार्यवाही के लिए पहली जरूरी बात है गांवसाथी की योग्यता जिसे हम पहले के अध्यायों में बता चुके हैं, और दूसरी है विस्तार के अन्य कर्मचारियों का अविभाज्य समर्थन, यही गांववालों को भी प्रदर्शित करना चाहिए।

२ – अवैतनिक सहयोगी

अवैतनिक सहयोगियों को तैयार करना जरूरी तो है, परन्तु इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्यक्रम अधिकांशतः अवैतनिक सहयोगियों के भरोसे नहीं रह सकता है। लोग चाहते हैं कि इस तरह के निस्वार्थ, और पुरुषार्थी लोग गांवों में होते तो कितना अच्छा होता परन्तु यह भी सोचना है कि कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए इन्हीं लोगों

के निस्वार्थ गुणों पर ही पूर्णतः आश्रित रहना गलत है। हमारे गांवों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने गांवों की सहायता और भलाई के लिए विकास कार्यों में अपना समय दे सकें परन्तु इन लोगों की भी अपनी कार्यवाहीयों को सीमित रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने जीविकोपार्जन-वाले व्यवसाय के लिए पूरा पूरा समय मिलना ही चाहिए।

बहुत से गांवों में विस्तार कार्यकर्ताओं को कई तरह के अवैतनिक सहयोगी मिलते हैं जो सार्वजनिक कामों में देनेवाले समय के परिमाण और दिलचस्पी के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। इनमें से ऐसे कुछ लोगों की सूची हम नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं:—

१ — वे लोग जो कार्यक्रम में निष्कपट भाव से दिलचस्पी रखने के नाते सहायता देते हैं, वे इसमें भाग लेते हैं, और इसके लिए समय भी निकाल लेते हैं। गांवों के सच्चे नेता, जिनमें विकास कार्यों के लिए समय देने और उत्साह की क्षमता है, हमेशा बहुत ही सम्पन्न होते हैं जिससे उनमें अपनी जीविका चलाने की किसी तरह की चिन्ता नहीं रहती है।

२ — वे लोग जो इसलिए सहायता देते हैं क्योंकि उन्हें सहायता देने की प्रेरणा होती है, या उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी है कि वे सहायता करते हैं।

३ — वे लोग जो इस लिए सहायता करते हैं कि वे चाहें या न चाहें उन्हें सहायता देनी ही होगी।

४ — वे लोग जो इस लिए सहायता देते हैं कि कार्यक्रम में साथ देने से उन्हें सम्मान मिला है।

५ — वे लोग जो इस आशा से सहायता करते हैं कि ऐसा करने से, वैतनिक कर्मचारियों में उनकी नियुक्ति की सम्भावना बढ़ जाती है। शायद ये ही सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं।

६ — वे लोग जो यह देखकर काम करते हैं कि दूसरे सभी लोग भी वही काम कर रहे हैं। बहुधा श्रमदान योजनाओं में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है।

७ — वे लोग, जो अपना बहुत ही कम समय अन्य कर्तव्यों के कारण दे सकते हैं, परन्तु जितना भी थोड़ा बहुत समय वे सार्वजनिक कार्य में देते हैं वह स्वेच्छा और प्रसन्नता से देते हैं। वे सहायता भी इसलिए करते हैं क्योंकि वे सहायता करना चाहते हैं।

उल्लिखित वर्गों में यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कार्यक्रम के लिए पहला वर्ग ही अधिक समय दे सकता है। दुर्भाग्यवश यही दल ही बहुत ही कम संख्या में है।

कठपुतली – भारत का पुराना खेल नये उपयोग में आ रहा है।

फ्लैनलग्राफ – मामूली सफेद कपड़े में कटे हुए चित्रों की सहायता से गांवसाथी कहानी बनाता है और लोगों को समझाता है।

साक्षरता—भारत के लोग पिछड़े नहीं हैं। आदमी, औरतें और बच्चे नई बातें सीख कर अपने जीवन सुधार के इच्छुक हैं।

नीचे लिखी परिस्थितियों में गांवों में अधिक अवैतनिक सहयोगियों के मिलने की सम्भावना है।

१ – **स्वायत्त शासन संस्थाओं के पदाधिकारी या कर्मचारी** – यथा गांव पंचायत, गांव समाज, ज़िला बोर्ड।

२ – **राज्य सरकार के प्रतिनिधि** – विशेषतया जिला नियोजन-अधिकारी का दल, टीका लगानेवाला, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य-निरीक्षक, गल्ला गोदाम-प्रबन्धक, मवेशी अस्पताल चिकित्सक, प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारी, कृषि निरीक्षक, फलोत्पादन, कल्म तथा अन्य चीजों के विकास अधिकारी, हरिजन सहायक अधिकारी।

३ – **राजकीय माल विभाग के स्थानीय अधिकारी** – लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो।

४ – **ग्रामीण युवक-दल, कमल दल,** बालचर, सेवा समिति।

५ – **ग्रामीण अध्यापक।**

६ – **कालेज या हाई स्कूल विद्यार्थी।**

७ – **गांवों के विशेष व्यक्ति** – साधारणतया व्यापारी या किसान।

इसके बाद वे लोग आते हैं जो गांवों के निवासी तो नहीं होते हैं परन्तु वे विस्तार कार्यक्रम के विकास में सहायता देने के लिए समय समय पर गांवों में आते रहते हैं। सेवा समितियों के सदस्य डाक्टर और नर्स, विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापक, उद्योगों के विशेषज्ञ, सरकारी विभागों और अन्य समाज हितकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि उसके उदाहरण हैं। यह जरूरी है कि गांवसाथी जानता है कि ये सब और दूसरे बहुत से ऐसे दल भी वर्तमान हैं जिनको किसी वर्ग में नहीं रक्खा गया है। इसीलिए गांवसाथी का यह कर्तव्य है कि वह उल्लिखित इन सभी समूहों से पूरी पूरी सहायता और सहयोग से और शैक्षिक ढंग से गांववालों में अपने गांव और घरों के विकास में अधिक से अधिक समय लगाने के लिए उत्साह और आन्तरिक प्रेरणा जागृत करे।

जमुनापार पुनर्निर्माण योजना को भी उल्लिखित सभी दलों की विविध परिमाण में सहायता मिली है। मेलों, गांव सम्मेलनों और क्षेत्रीय बैठकों में सभी तरह के लोगों ने भाग लिया और पर्याप्त सहायता दी।

एक नेत्र-सहायक शिविर चलाने में जो सहायता मिली वह सराहनीय है। स्वेच्छा से दिया गया धन ३०० रु० था। गांववालों ने दूसरे रूपों

में भी, यथा कपड़ा, दूध और अन्न दान दिया। रोगियों के लिए दूध पूर्ति की व्यवस्था एक युवक दल ने की जिसका अगुवा एक सरपंच था। युवकों के एक समूह ने नर्सों की तरह सेवा कार्य किया।

किसानी मेलों, गांव सम्मेलनों या गांव जलसों का आयोजन आंशिक रूप से स्वेच्छा से दिए धन आदि और सेवाओं के दान से होता है जो ऊपर लिखे वर्गों से मिलता है। इस सभी का आयोजन एक समिति करती है जिसमें हमारी योजना के कुछ कर्मचारियों के साथ अवैतनिक गांव-सहयोगी रहते हैं। इस तरह की स्वेच्छापूर्ण सहायता देने के लिए लोगों को अधिक प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्वयंसेवकों को शब्दों द्वारा, सराहना पत्रों द्वारा, या योजना के समाचार पत्र 'हमार गांव' में उनकी चर्चा द्वारा मान्यता दी जाती है।

गांववालों की अगुवाई की तरह ही अवैतनिक सहायकों पर भी किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता है, बल्कि उन्हें विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा ही सहयोग देने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को गांववालों द्वारा ही ऊँचे उठाना है तो उन्हें अधिक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी और निश्चय ही सफलता मिलेगी यदि विशेष बल दिये जानेवाला विषय ठीक चुना गया है। इसलिए ग्रामीण अगुवाई और अवैतनिक सहयोगियों का विकास दोनों ही लोगों की इच्छाओं और इनकी पूर्ति की क्षमता की दृष्टि से प्रगतिशील विस्तार योजना के निदर्शक हैं।

विस्तार कार्यक्रम को स्थायी रूप से प्रभावशाली होने के लिए यह जरूरी है कि इसकी जड़ पहले गांवों में ही हो और जो गांववालों के अपने उत्साह और प्रयत्नों का परिणाम हो। इसका अर्थ यह है कि गांवसाथी को अपना यह आधार मूल ध्येय बना लेना चाहिए कि वह गांववालों में अगुवाई का विकास करे और अपने अवैतनिक सहयोगियों पर अधिक से अधिक भरोसा रखे।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – विस्तार किस तरह से गांववालों के स्थिर और परम्परागत तरीकों को जीर्ण-शीर्ण कर देता और उनमें आजादी और काम करने के लिए उत्साह भर देता है।

२ – विस्तार कार्यकर्ता किस तरह अपने अवैतनिक सहयोगियों की सहायता से लाभ उठा सकता है? इस तरीके से कौन सी समस्याएं उठ सकती हैं?

द–देखना ही विश्वास है

इस खण्ड में हमें संवहन की कुछ विशेष कलाओं (टेक्निकल) का वर्णन करना है जो किसी भी विस्तार कार्यकर्ता को इस समय उन कार्यों के लिए उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग वह कामों को नए ढंग से करने और नई विचार-धाराओं में गांववालों की दिलचस्पी बढ़ाने में करता है। दूसरे खण्ड में हम प्रशिक्षण की इन विधियों और साधनों के **कौशलपूर्ण प्रयोग** पर प्रकाश डालेंगे।

भारत की ग्रामीण दुनिया व्यावहारिक ज्ञान गाम्भीर्य के लिए मशहूर है, जो स्वयं ही एक बहुत ही सम्पन्न ज्ञान है, परन्तु यह सीमित है। गांवों की रीतियां ही बाद में निर्धारित नियम बन जाती हैं। गांववाले किसी भी काम को आरम्भ से करना नहीं चाहते हैं, वे पुरानी रीति के अनुसार चलना अच्छा समझते हैं, क्योंकि किसी भी नई बात पर प्रयोग करने की अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित जान पड़ता है।

गांव में बाहरी दुनियाँ से आनेवाला ज्ञान कहीं भी किसी रीति के आधार पर विकसित नहीं मिला है। विस्तार गांवों में एक नई तरह की जानकारी फैलाता है, जो तर्क-पुष्ट होता है और निश्चित, निर्धारित तथ्यों पर आधारित होता है। कभी कभी इन तथ्यों को प्रयोग और मूल सुधार की विधि से पाया जाता है और कभी कभी नियन्त्रित प्रयोगों से, जिन्हें किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त की पुष्टि के लिए किया जाता है।

गांववाले बहुत ही आसानी से इस प्रयोग और मूल सुधार की विधि से प्रदर्शन को समझ लेंगे परन्तु नियन्त्रित रूप से प्रयोग करने की बात तो उनकी समझ में आती ही नहीं। इसलिए गांवों के लिये प्रायः सभी प्रयोग ठोस कार्यवाहियों के आधार पर होना चाहिए। किसी भी चीज को विश्वसनीय बनाने के लिए गांववालों को उसे दिखावें, उनके लिए केवल तर्क ही, चाहे वह कितना ही विचारपूर्ण क्यों न हो, कभी सहमत करनेवाला नहीं होता है। जापानी ढंग से धान की खेती करने पर दिया गया भाषण भले ही थोड़ी दिलचस्पी ला दे, परन्तु गांववालों को

इसे प्रयोग के रूप में भी अपनाने की प्रेरणा पाने के लिए जरूरी है कि वे इसके परिणाम अपनी आँखों से ही देखें।

हमारी विकसित जानकारियों को समर्थन करनेवाले बहुत से प्रमाण भी गांववालों के लिए तथ्य रहित लगते हैं। ये भौतिक विज्ञान भी, जो हमें कृषि की विधियां, स्वास्थ्य के लाभ के साधन और वस्तु उत्पादन बताते हैं, बहुधा उन्हीं प्रमाणों पर भरोसा रखते हैं जो अणुवीक्षण यंत्र से या किसी अन्य अमानवीय सूक्ष्म साधन से देखने के बाद के निर्णयों पर ही आधारित हैं। ग्रामीणों को इस दुनिया की बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। उनको वैज्ञानिक चिन्तन और यंत्रों द्वारा इसकी प्रक्रियाओं की तर्कपूर्ण कड़ियों से, भले ही हम इसे पूरी तौर से समझते हों, समझा ले जाने के साधन भी नहीं हैं।

परन्तु हम यहाँ एक चेतावनी देना जरूरी समझते हैं कि किसी भी नई विधि को, जब तक उसे पूरी तौर से जान और समझ न लिया जाय, कभी तर्क किए बिना ही स्वीकार करने की लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक नई विधि को गांववालों के सामने इस सिफारिश के साथ रखना बहुत ही अच्छा है कि 'आइए हम इसका प्रयोग करें और परिणाम देखें।' इस तरह प्रयोग में गांववाला भी आ जाता है और वह परिणाम का निर्णायक बन जाता है। विस्तार के किसी भी विषय के लिए गांववालों के पास इस तरह परिचित कराना ही किसी भी विस्तार कार्य के लिए उचित ढंग है। विस्तार शिक्षा है, परन्तु यह शिक्षा के स्थान पर सुझावों और प्रेरणाओं द्वारा होनी चाहिए।

नये ज्ञान के संवहन साधन

हम यह सोचने में अभ्यस्त हो गए हैं कि व्याख्यान देना ही शिक्षा है, और चलचित्र, **नाटक या प्रदर्शन**, और **कठपुतली के नृत्य** आदि मनोरंजन के दिलचस्प ढंग हैं। हमारे लिए इस उत्साहनाशक तथ्य को मानना कठिन होता है कि व्याख्यान या भाषण सुननेवाला जो कुछ सुनता है उसका बहुत ही कम अंश याद रख पाता है। हम एक बहुत ही अकाट्य सत्य की अवहेलना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज या विषय को देखे, सुने और स्पर्श करे तो वह इसका बहुत अधिक अंश याद कर लेता है। कोई व्यक्ति किसी विषय या वस्तु को और भी अधिक याद रखता है जब वह उसका **अनुभव** करता है, विशेषतया यदि उसकी भाव-

नाएं, उसकी प्रहसन और करुणा की भावनाएं जाग उठती हैं। व्याख्यानों और भाषणों को ही शिक्षा का माध्यम बनाने के बहुत पहले ही ज्ञान और जानकारी को एक पुश्त से दूसरे पुश्त तक गीतों और कथाओं, नाटकों और समारोहों या त्योहारों द्वारा ही फैलाते थे। यद्यपि हम अगले पृष्ठों में जिन माध्यमों का वर्णन करेंगे वे बिल्कुल ही नए हैं, परन्तु शिक्षा के सिद्धान्त, जिन पर इनका विकास हुआ है, उतने ही पुराने हैं जितना कि मानव समाज। विस्तार इन माध्यमों और साधनों का प्रयोग समानरूप से प्रत्युत्तर या प्रेरणा बनाने के लिए करता है इसीलिए यह ऐसी शिक्षा दे रहा है जो भारत के ग्रामीण जीवन से बहुत ही नजदीकी सम्बन्ध रखती है।

उल्लिखित माध्यमों और साधनों पर विचार करने के पहले ही कुछ टेक्निकल शब्दों या पदों की जानकारी कर लेना जरूरी है। इनमें सबसे सरल शब्द 'माध्यम' है। भारत में हम भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए भी शिक्षा का माध्यम कह कर पुकारते हैं, अध्यापक का भाषण, उसका श्यामपट्ट, छात्र की पाठ्यपुस्तक, नकशे और आकृतियां, वे सभी ही ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा ज्ञान को छात्रों तक पहुँचाया जाता है।

विस्तार की दृष्टि से शिक्षा को अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए अपने दूसरे माध्यमों को भी उपयोग में लाना चाहिए। स्कूलों की कक्षाओं में प्रयुक्त शिक्षा के माध्यमों से विस्तार में प्रयुक्त माध्यमों की भिन्नता के कई कारण हैं[१] :–

(१) गांवों का अधिकांश समूह अशिक्षित है इसीलिए दृष्टि-माध्यम की जरूरत पड़ती है ताकि इन्हीं की सहायता से सीखनेवालों के मस्तिष्क में पाठ्य विषय अंकित हो जाए। गांव के लोग किसी तरह से सारांश नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए पाठ्य विषय को शीघ्र से शीघ्र उनके लिए ग्राह्य होना चाहिए और शीघ्र याद हो जानेवाला होना चाहिए या कम से कम ऐसा हो कि बार बार दुहराने से याद हो जाय।

---

[१] यह सही है कि प्रगतिशील पाठशालाओं में शिक्षा की टेक्निकों या विधियों का उसी शैक्षिक मनोविज्ञान के आधार पर विकास हो रहा है जिन्होंने विस्तार-विधियों पर अपनी छाप डाली है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि शहरी शिक्षा और देहाती शिक्षा दोनों भिन्न हैं।

(२) प्रौढ़ों को आकर सीखने के लिए प्रेरित करना है जिससे ये सीखें। उनकी कल्पना को तेज गति देना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए विस्तार योजना के अध्यापक छड़ी का प्रयोग नहीं करते।

(३) प्रौढ़ ग्रामीणों के पास बच्चों की अपेक्षा कम समय रहता है जिसमें वे कुछ सीख सकें और वे उनकी अपेक्षा देर में सीखते भी हैं, और उन्हें थोड़े ही समय में बच्चों की अपेक्षा बहुत ही अधिक जानकारी भी लेनी रहती है।

हम यहाँ एक ऐसा साधारण उदाहरण रखते हैं जो ऊपर के कारण संख्या नं० २ से विशेषरूप से सम्बन्धित है, जो गांवों से दूर के दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखता है। इस उदाहरण के दिखाए गए सिद्धान्तों से बहुत जल्दी ही यह पता लग सकता है कि हमें स्कूलों की अपेक्षा विस्तार-शिक्षा में भिन्न भिन्न और अधिक माध्यमों को उपयोग में क्यों लाना पड़ा है।

कल्पना कीजिए कि आप यूरोप और अमेरिका की सैर साल भर तक करने के बाद लौटे हैं तो आपने जो जो देखा या सुना उसे आप अपनी माता को, जो कल्पना कीजिए अपना गांव छोड़कर भारत में भी कहीं दूसरी जगह नहीं गई है, कैसे बतायेंगे। आप उनसे कई बातें ही नहीं बताना चाहते, वरन् आप अजीब दुनियाँ के प्रति उनके स्वाभाविक प्रतिरोध को भी कम करना चाहते हैं। आप उन्हें अपने आनन्द का अनुभव कराना चाहते हैं, जिससे आपने जो पश्चिमी दुनियाँ देखी उसके अनुभवों को उन्हें भी बोधगम्य करा सकें।

यह उदाहरण इससे बिल्कुल मिलता-जुलता है कि जैसे आपको स्वच्छन्द चुनाव करने और विज्ञान की नई दुनियाँ के बारे में जानकारी गांववालों तक पहुँचाना हो।

यहाँ पर हम कुछ ऐसे पदों की व्याख्या करेंगे जिनसे विस्तार माध्यम, और विधियों का, जो उसी के एक अंग हैं, स्पष्टीकरण होता है। इसके साथ ही ये विस्तार कार्यकर्ताओं को उस खाई या दूरी के मिटाने में सहायता पहुँचाता है जो उसकी जानकारी और गांववालों की अज्ञानता में है।

(१) **बातचीत** – आपके गांव के लोग भले ही पढे-लिखे हों फिर भी आप इन्हें लिखित वार्ता नहीं देंगे जब कि आप के पास वहाँ रहकर उनसे बातचीत करने का अधिक समय है। आप स्वाभाविक रूप से जो कुछ उनसे कहना चाहेंगे उसे कहेंगे, इस बातचीत में सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, और ऐसे ऐसे सरल शब्द ढूंढ़ निकालेंगे जिनका ग्रामीण जीवन

में काफी प्रयोग होता है। आप उनसे केवल बातचीत ही करते नहीं रह जाएंगे। आप चाहेंगे कि वे प्रश्न पूछें और आप विचारों का आदान प्रदान करना चाहेंगे, विशेषतया उन बातों पर वादविवाद करना चाहेंगे जिन्हें आप यह समझते हैं कि गांववाले पूरे तौर से नहीं समझ सके हैं।

हम इसे बातचीत कहते हैं, भले ही आप केवल एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हों और वहाँ पर बहुत से लोग हों। निश्चय ही, और विशेषतया किसी गांव में, दूसरे लोग भी इस बातचीत में भाग ले सकते हैं। यही सबसे सरल ढंग है। इस कला में आप जितने ही प्रवीण होते जाएंगे, इसका विकास होता जायगा, और अन्त में किसी भी सामूहिक दिलचस्पी-वाले विषय पर यह एक नियमित-सामूहिक वादविवाद के रूप में विकसित हो जायगा।

किसी भी माध्यम के लिए बातचीत किसी न किसी रूप में अनिवार्य होती है। विस्तार में काम में आनेवाले सभी साधनों की सहायता से इसे बार बार दुहराया जाता है।

(२) **वास्तविकताएं** – मान लें कि विषय ऐसा है जिसके बारे में गांववालों को इतनी जानकारी नहीं है कि वे वादविवाद में भाग ले सकें। जिस तरह यह सम्भव है कि आप अपनी विदेश यात्रा के स्मृति-चिन्ह अपनी माँ को दिखाने के लिए लावें जिससे वह विदेशियों के रहन-सहन और जीवन के बारे में अधिक समझ सकें। इसी तरह आप गांवों में भी उन वस्तुओं को ले जाएंगे जिनसे वे अपरिचित हैं और जो उन्हें अच्छी तरह प्रयोग में ला सकते हैं। एक नए औजार को जैसे बीज बोने का (सीड-ड्रिल) गांववाला उस समय बहुत अच्छी तरह से समझ लेगा यदि उसे व्यवहार में लाने का अवसर दिया जाय। इसी तरह दूषित-जल (ऐसा पानी जिसमें बीमारी के कीड़ें आ गए हों) पर बहस उस समय और अच्छी होगी जब कि शीशे के दो गिलासों में एक में साफ और दूसरे में दूषित पानी रख कर उन्हें दिखाया जाय।

ये यथार्थ साधन हैं

(३) **दृष्टि-सहायक** – कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन नई वस्तुओं के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं उन्हें आप गांवों में दिखाने के लिए नहीं पा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप गांववालों को अच्छी नस्ल की ढ़ोरों की संख्या बढ़ाने में यदि दिलचस्पी बढ़ाना चाहते हैं परन्तु जिनके निकटतम उदाहरण सैकड़ों मील दूर है।

ऐसी दशा में चित्र (फोटो या ड्राइंग) का उपयोग किया जा सकता है। यदि उसे समझाने में थोड़ी पेचीदगी हो जैसे किसी नए औजार की कार्यवाही, तो सम्भवतः पदार्थ को (यथा सिंचाई के लिए पानी उठाने का पम्प) देखने के लिए गांववालों के सामने ला सकते हैं, और उनकी गति-विधि को इसके कटे हुए भाग के चित्रों से दिखाया जा सकता है।[१]

चित्रों और रेखाचित्रों के रूप में दृष्टि सहायकों को कई भिन्न ढंगों से विभाजित किया जा सकता है। पोस्टर नेत्रों को बहुत जल्दी आकृष्ट करते हैं और एक ऐसी महत्वपूर्ण विचारधारा को स्पष्ट करते हैं जिसे तुरन्त ग्रहण किया जा सकता है। फोटोग्राफ, या रेखाचित्र, जो किसी दीवाल पर क्रमशः लगाए गए हों, किसी भी कहानी को क्रमिक विकास के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। किसी भी विषय के—जैसे मवेशियों के खुरपका रोग के वादविवाद में और अधिक जान डालना हो तो इस विषय का फिलमस्ट्रिप भी साथ साथ दिखाया जाय।

फ्लैनेलग्राफ में निहित उन चित्रों में, जिनको किसी कहानी के विकास के साथ साथ हटाया जाता है उपयुक्त विधि के दो फायदे हैं: इनमें एक यह है कि इसे समझानेवाला अध्यापक परिस्थिति विशेष या समूह या दल विशेष के उपयुक्त बनाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का अच्छा उपयोग कर सकता है। दूसरे वह गांववालों को कहानी कहने की परिपाटी को, और चित्रों या रेखाचित्रों के उपयोग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और इस तरह वह गांववालों का अधिक से अधिक सहयोग पा सकता है।

इस विषय पर हम इस अध्याय के दूसरे भाग में सविस्तार विवेचना-व्याख्या करेंगे।

(४) **श्रवण सहायक**—आप अपनी विदेश-यात्रा से विदेशी गीतों के ग्रामोफोन रेकार्ड लाए होंगे जिससे आप विदेशी गीतों के उदाहरण रख सकें। सुननेवाला संगीत को केवल सुनता है, इसमें उसके आंखों को आकृष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह शिक्षा के भी कुछ सहायक होते हैं जिन्हें हम केवल कानों से सुन सकते हैं रेडियो, टेप-रेकार्ड, तथा रेकार्ड, और बहुत ही सीमित क्षेत्र में सभाओं में भाषण करना, जो **मेलों** में बहुत ही लोकप्रिय है।

---

[१] यह ध्यान रहे कि भारतीय ग्रामीणों को अभी रेखाचित्र ग्रा फोटो आदि को समझना भी सीखना है।

(५) **श्रवण-दृष्टि-सहायक** – जब ध्वनि को चित्रों के साथ समन्वित कर दिया जाता है – जैसे ध्वनि-युक्त चलचित्रों में, तब हम एक बहुत ही शक्तिशाली शैक्षिक-माध्यम का प्रयोग करते हैं। गांवों के लिए, निश्चित रूप में, वे ही चलचित्र सबसे अधिक उपयोगी हैं, जिन्हें विशेष रूप से गांववालों का ही ध्यान रख कर तैयार किया गया हो, हमारे सामने धन की समस्या आ जाती है जिससे यह बहुत ही कठिन हो जाता है कि भारत के कोने कोने के लिए उपयोगी चलचित्र तैयार किए जायें, इसलिए यह जरूरी है कि हर एक चलचित्र को सम्भाल कर सावधानी से काम में लाया जाय। यह जरूरी है कि गांवसाथी किसी भी चलचित्र के लिए दर्शक-मण्डली तैयार करे और वह इसे स्पष्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहे। यह सोचना निरी मूर्खता है कि गांव के दर्शकों के लिए किसी भी तरह का चलचित्र उपयुक्त हो सकता है और शिक्षाप्रद भी।

उल्लिखित सभी प्रकार के शैक्षिक-साधनों को ही हम 'श्रवण-दृष्टि माध्यम साधन' कहते हैं। इनमें से एक भी 'माध्यम' है, इन में से एक वर्ग निश्चित रूप से 'दृष्टि' सम्बन्धी और दूसरा 'श्रवण' सम्बन्धी है, और कुछ तो 'दृष्टि-श्रवण माध्यम हैं।' ठीक तो यह है कि कोई विस्तार-माध्यम तब तक पूरा नहीं समझा जाता है जब तक कि उसमें किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी ढाँचे में 'बातचीत' न आये, भले ही गांव-वालों को इन साधनों से परिचित ही कराना ध्येय क्यों न हो।

श्रवण-दृष्टि-विधियाँ कैसे विकसित हों ?

बातचीत, वादविवाद, या किसी भी नई यथार्थता के प्रदर्शन के लिये विस्तार कार्यकर्ता द्वारा आपस में पहले दो में और फिर समूहों या दलों में पहले से अभ्यास किया जा सकता है। इनमें एक व्यक्ति विस्तार कार्यकर्ता और दूसरे लोग ग्रामीण बन जाते हैं, जो प्रयोग में आनेवाली विधि के प्रचार की परिपाटी की निष्पक्ष आलोचना करते हैं।

इस तरह हर एक कार्यकर्ता को क्या कहना है और क्या नहीं, इसका निर्णय पूरे दल द्वारा हो जाता है, कम से कम वे बातें निश्चित हो जाती हैं जिन्हें गांववालों से कहना होता है ? इस ढाँचे को अनिवार्य रूप से याद रखना चाहिए। केवल कुछ ही विषय ऐसे हैं, जैसे शिशुपालन, जिसमें किसी भी पुरुष के लिए उन सभी पदों और चेष्टाओं को याद कर लेना चाहिए जिनमें कार्य की क्रमिक चेष्टाओं का वर्णन माता करती हो। यह एक बचाव है: वह कह सकता है कि मैं उन्हीं बातों को

दुहरा रहा हूँ जो हम लोगों से कहीं गई हैं। इनके विषय में आपकी क्या राय है?

कभी कभी, विशेपतया जब किसी औजार का ही प्रदर्शन करना हो, श्रवण-दृष्टि माध्यमों की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ सकती है। परन्तु विस्तार कार्यकर्ता अपने श्रोताओं और दर्शकों की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से हमेशा सचेत रहें और अपनी शिक्षा को ऐसे किसी श्रवण-दृष्टि-माध्यम द्वारा पूरा करना सीख लें, जिसको कि ये ला या बना सकें।

गांववालों में ही उपयोग में लाए जानेवाले साधनों के विकास में ही विस्तार कार्यकर्ता अपने संदेश को बहुत अधिक ठीक और समझने के लायक बना सकता है। इसी कारण, फ्लैनेलग्राफ जिसकी व्यवस्था विस्तार कार्यकर्ता को स्वयं ही करनी चाहिए फिल्मस्ट्रिप की अपेक्षा, जो उसके लिए पके पकाए रूप में तैयार मिलता है, विस्तार कार्यकर्ता की शैक्षिक कला को अधिक सुधारने में बहुत अधिक उपयोगी होती है।

लाभप्रद शैक्षिक-साधन के विकास में सहायक होने के अवसर का लाभ उठाने के लिए गांववाले बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसका प्रमाण इसमें है कि नाटकों का प्रदर्शन ग्रामीण अभिनेताओं द्वारा ही होता है। ग्रामीण जीवन की इस परम्परा को जीवित रखने के लिए विस्तार कार्यकर्ता के लिए जरूरी है कि उसे नाटक तैयार करने की विधियों की जानकारी हो। किसी परम्परागत नाटक में गाने रक्खे जा सकते हैं, पंचों का वादविवाद लिखा जा सकता है जिससे गांववालों को यह दिखाना सम्भव हो किसी भी तरह का सामूहिक कार्यक्रम—जैसे सड़क तैयार करना ही—किसी देवता की आज्ञा है। लंका को भारत से मिलाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने की रामायण की कथा काम आरम्भ करने के लिए सबसे अच्छी है।

किसी भी नाटक की कथा-वस्तु एक बार कंठस्थ हो जाने पर सब की जुबान पर हो जाती है, तब इसे सैकड़ों गांवों में प्रचारित किया जा सकता है। इसके बाद दृष्टि-साधनों को दृश्यों, पात्रों की वेशभूषाओं और रंगमंच की व्यवस्था में जोड़ा जा सकता है। यद्यपि इस तरह के प्रदर्शन में गांववालों को पढ़ने के लिए न तो कुछ लिखा ही जाता है और न किसी यान्त्रिक साधनों से किसी प्रकार की चित्रावली ही तैयार होती है, फिर भी इस तरह से तैयार किया गया नाटक निश्चय ही श्रवण-दृष्टि सहायक साधन है। सामूहिक संवहन का यह बहुत ही शक्तिशाली ढंग है।

श्रवण-दृष्टि-विधियों के लाभ

इस तरह के संवहन समान रूप से ही होते हैं। पहले एक ही व्यक्ति से वात करता है जो उससे खूब अच्छी तरह परिचित होता है। गांववाला यह कहता है कि उन लोगों में आपस में ही बात चीत हुई जहाँ तक उसकी जानकारी है, उसके पड़ोसी भी दिलचस्पी दिखायेंगे। एक सभा का आयोजन होता है और विस्तार कार्यकर्ता गांववालों के इस समूह में भाषण करता है। समूहवाले उस पर वादविवाद करते हैं, परन्तु यदि उनकी संख्या एक दर्जन या इसके करीब करीब हुई तो सभी के लिए अपनी अपनी राय देना या प्रश्न पूछना असम्भव होता है।

यदि एक ही विस्तार-क्षेत्र में २० विस्तार कार्यकर्ता समान ढंग से ही लगभग सौ ग्रामीण समूहों से बातचीत करें, और समान क्रम से समान वातों को स्पष्ट करें, तव संदेश-संवहन की यह परिपाटी **सामूहिक-संवहन** हो जाती है।

उन समूहों के साथ जव खूब खुल कर वादविवाद हो जाता है और विस्तार कार्यकर्ता गांववालों के कथन को और पूरे विवरण को उसी तरह लिखा लेता है और उसे विस्तार केन्द्र तक पहुँचा देता है तब सामूहिक संवहन द्विपथीय हो जाता है।

अपेक्षाकृत कम समय में बहुत लोगों में सन्देश पहुँचा देने की विस्तार के सामने एक कठिन समस्या है। इसे एक ऐसी प्रणाली भी बनना है जिसके द्वारा ग्रामीणों की जरूरतों और सुझावों को उन लोगों को समझाया जा सके जो उन्हें सहायता देने की स्थिति में हैं।

संवहन का कार्य शब्दों को बहुत लोगों में शीघ्रही फैलाने से कही ज्यादा होता है। किसी भी तरह की अफवाह एक मुंह से दूसरे मुंह द्वारा बहुत तेजी से फैलती है, और हर एक व्यक्ति जितना और जो कुछ सुने रहता है उससे कहीं भिन्न वह तीसरे व्यक्ति से कहता है। विस्तार का सम्वन्ध किसी भी जानकारी को किसी क्षेत्र विशेष में सर्वत्र समान और यथार्थ रूप से फैलाने से है।

भारतवर्ष के लिए क्रमबद्ध क्षेत्रीय कार्य एक नवीन वस्तु है। ज्यों ज्यों विकास कार्यकर्ता अपना अनुभव बढ़ाते जाते हैं, नई विधियां अपना स्वरूप निर्मित करती जा रही हैं। प्रत्येक विस्तार क्षेत्र की मूल कार्य-प्रवृत्तियों द्वारा समान रूप से गृहीत एवं मान्य इस सतत होनेवाले विधियों के विकास को विस्तार द्वारा इसके लिए अधिकाधिक निश्चित बनाना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने, और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत

अधिक गांवों में काम करने के साथ एक समान परिपाटी का होना और अधिक अनिवार्य हो जाता है। श्रवण-दृष्टि-सहायक साधन गांववालों में संवहन की समस्या को विस्तार कार्यकर्ता के लिए सरल बना देते हैं, इससे सभी लोगों के अनुभवों को समन्वित करने में सहायता मिल जाती है जिसे सभी समझ लेते हैं और सभी विस्तार कार्यकर्ता प्रयोग में लाते हैं।

हर एक क्षेत्र विशेष में विस्तार विधि और साधन के विषय तथा परिपाटी दोनों ही भिन्न भिन्न होती हैं। एक अच्छा विस्तार कार्यकर्ता इस तरह की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में अवश्य रखता है यहाँ तक कि वह प्रचलित विधि के साथ निजी दृष्टिकोणों को भी उतना ही महत्व देता है। पहले के विस्तार कार्यकर्ताओं के अनुभवों से बहुत अधिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, परन्तु फिर भी हर एक क्षेत्रीय विस्तार कार्यकर्ता को अपने कार्य की परिपाटी अधिकांशतः स्वयं ही निर्धारित कर लेनी चाहिए।

टैक्निक के इस सतत विकास में दूसरे क्षेत्रीय विस्तार कार्यकर्ताओं के अनुभवों को भी जगह देना चाहिए जिससे हर एक क्षेत्र में प्रयोग में आनेवाली सामग्री और मौलिक विधि अधिक से अधिक सफल हो सके। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की संख्या जैसे जैसे बढेगी और हर एक को पहले से ज्यादा और बड़े ग्राम समूहों में काम करना पड़ेगा, वैसे ही एक सर्व-साधारण तरीका और भी अधिक जरूरी हो जायगा। श्रवण-दृष्टि-साधन कार्यकर्ता के लिए गांववालों के साथ बातचीत करना बहुत सरल बना देते हैं किन्तु इन साधनों का प्रयोग भारतीय गावों में करने के लिए एक तरीके की जरूरत और है, जिसे साथ साथ विकसित करना है।

पोस्टरों, फिल्मस्ट्रिपों और फ्लैनेलग्राफों के प्रयोग में, श्रवण-दृष्टि-सहायक के अतिरिक्त कुछ बातों की जानकारी जरूरी है, जिन पर दूसरे देशों में प्रयोग किया जा चुका है और भारत के लिए भी जो उपयुक्त हैं। वे क्षेत्रीय कार्यकर्ता इसे आसानी से सीख सकते हैं जो प्रशिक्षण में हों।

अतः श्रवण-दृष्टि-सहायक साधनों और विशेष विधियों से नीचे लिखे कुछ लाभ हैं:—

१—इनसे एक ऐसी विधि मिलती है जिनके द्वारा कार्यकर्ता गांववालों तक उन्हीं के लायक भाषा में नई विचारधाराओं को फैलाता है।

२—ये सामूहिक संवहन के एक ढाँचे हैं जो बहुत लोगों के अनुभवों को एक ऐसे माध्यम में एकत्र करते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों में विचारों को जल्दी से जल्दी और यथार्थ रूप में फैला दिया जाता है।

३ – ये ऐसे औजार हैं जिन्हें व्यवहार में लाने के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं को थोड़ी ही कठिनाई से सिखाया जा सकता है, इससे उसे यह विश्वास भी मिलता है कि वह निश्चित रूप से अपना संदेश पहुँचा सकता है।
४ – ये उन विधियों के विकास में उच्चतम रूप से हिस्सा लेने के लिए गांववालों को समर्थ बनाते हैं, जिनसे विस्तार की कहानी बड़ी विश्वासप्रद विधि से स्पष्ट हो जाती है।

० ० ०

जन संवहन माध्यम की संक्षिप्त सारणी

इस 'द' खण्ड के अवशेष तथा आगे आनेवाली सारणी में माध्यमों का सम्पूर्ण क्षेत्र, जो भारत के विस्तार क्षेत्र में अब तक पूर्णतया उपयुक्त सिद्ध हुआ है, निहित है। केवल वे माध्यम, जिनके अन्तर्गत दुहराई जानेवाली विस्तार विधियाँ और पुनः उत्पादन योग्य श्रवण-दृष्टि माध्यम का सामान आता है, इसमें निहित हैं। मुशायरें में गाई जानेवाली अलंकारिक भाषा में किसी कवि की इच्छानुरूप काव्य-रचना जो विस्तार विषय पर (जो वास्तव में हो चुकी है) या किसी पर भी हो–इस सारणी में नहीं आती है क्योंकि वह पुनरुक्ति के योग्य नहीं होती है।

माध्यम पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता की प्रमुख आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। इसमें गांव के भिन्न भिन्न समूहों पर लागू किए जाने की संभावना पर और आरम्भिक प्रयत्नों से अनियमित समूहों तक की पहुँच तक पूरा ध्यान रक्खा जाता है।

इस अध्याय के अन्त में दी गई सारणियों को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। इस तरह से प्रयोग में लाने पर ये सारणी विस्तार कार्यकर्ता की भिन्न भिन्न विधियों और साधनों में अच्छे साधनों का चुनाव करने और पूर्ण माध्यम बनाने के लिए संयोग के चुनाव में सहायता करेगी। सच तो यह है कि तब तक किसी भी तरह का माध्यम नहीं चुनना चाहिए जब तक गांव-वालों में काम करने के साधनों को आप निश्चित न कर लें। इसी तरह से एक पूर्ण माध्यम बनता है।

चुनाव जरूरी है, अंशतः सामान की लागत के विचार से भी और विस्तार कार्यकर्ता के समय के विचार से भी, जिसमें जहाँ तक संभव हो सके मित-व्ययिता या किफायतसारी जरूरी है। अभी यह संभव नहीं है कि किसी एक ही विस्तार विषय के लिए सारणी में दिए गये सभी साधनों और

विधियों का उपयोग किया जा सके। एक ही तरह की विधियों और साधनों का सौ (या उससे भी अधिक) गांवों में एक साथ ही प्रयोग करने से प्रभाव अधिक हो जाता है क्योंकि इससे एक गांव से दूसरे गांव में संवहन होता रहता है।

माध्यमों का संवहन

विभिन्न विधियों और साधनों, दोनों के सफल संयोग से प्रभाव भी दुगुना नहीं हो जाता है। यदि किसी बात को समाचार पत्र में पढ़ें और उसे फिर रेडियो पर सुनें तो आप दुगने से भी अधिक प्रभावित हो जाते हैं। यदि आप इसी बात को किसी सूचना-पट्टी (न्यूज रील) पर देखें तब आप पर सम्भवतः केवल समाचार पत्र को ही देखने की तुलना में छः गुना अधिक प्रभाव होता है।

यह प्रभाव दोनों ओर हो सकता है: आप इससे और अधिक उत्साही भी हो सकते हैं और निरुत्साह भी। उदाहरण के लिए आप अपनी प्रिय सिनेमा अभिनेत्री के विवाह को बार बार देख कर प्रसन्न हो सकते हैं परन्तु उदजन बम पर ही दुबारा टिप्पणी पेश करने से अन्यमनस्क हो जाते हैं। नए विचारों को विविध माध्यमों से बताने पर गांववालों की भी इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। यदि नए विचारों या नए तरीकों में उनका मन लगता है, तब तो दो माध्यमों के प्रति उनका उत्साह बनिस्वत एक ही तरह के माध्यम के दो बार के प्रयोग से दुगुने से भी अधिक होगा (भले ही उसकी भाषा दूसरी हो और चित्र भी दूसरे हों), यदि वे समझते हैं कि नया विचार या नया तरीका विचारणीय नहीं है तो एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग से वे इसके और भी विरुद्ध हो जायेंगे।

गांवों में प्रयोग की विधि के अनुसार माध्यमों का वर्गीकरण

हर एक जन-संवहन माध्यम की कम से कम एक विधि होती है। चीजें तो पूरे माध्यम का केवल एक अंग बन सकती हैं, वे इस विधि को मदद या विकसित कर देती हैं। प्रत्येक माध्यम एक जन-संवहन (केवल इन स्थितियों में) बन जाता है:

(१) दूसरे कार्यकर्ता जिन जिन गांवों में काम कर रहे हों वहाँ वहाँ इसे पूरे काम में ला सकें। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि विधि को ब्यौरेवार लिखा जा सके जिसमें ये बातें बताई गई हों:

(अ) क्षेत्रीय कर्मचारी की क्रमबद्ध कार्यवाहियां

(ब) वस्तु या सावन जिसे क्षेत्र में रहनेवाला विस्तार कार्यकर्ता गांववालों को 'नया' बना कर उनके सामने रखता है; और वह उसे कब और कैसे उनके सामने रखता है।

(स) कार्यकर्ता गांववालों से जो कुछ भी कहता है, यदि वे ही शव्द ज्यों के त्यों न लिखे जा सकें तो कम से कम उसकी वातें क्रमानुसार लिखी रहें जिसमें सभी जरूरी विपय आ जाँय।

(द) किसी वात को या वस्तु को गांववालों के सामने रखने के हर एक स्तर पर गांववालों के अनुभव, उत्तर या प्रतिक्रिया का अनुमान, चाहे इसका स्मरण शव्दों से हो या कार्यों से, (वाद का रुख तो नए साधनों और वस्तुओं के लिए विशेप तौर से) अवश्य लगाना चाहिए।

(२) पुनः निर्मित होने योग्य दृप्टि-श्रवण का सामान—यह यंत्रों की सहायता से निर्मित हो या नहीं। इसमें प्रशिक्षण के लिए तैयार वस्तु हो सकती है। इसे पेश करने की विधि हमेशा जरूरी है और (१) की तरह यह लिखी जानी चाहिए। सारणी के खण्ड १ से ६ तक में हर एक एक दूसरे के बाद में इस तरह आते हैं जिसमें विधियाँ किसी भी विस्तार योजना में निश्चित और साधारण ढाँचा ग्रहण करती हैं। परन्तु अन्तिम खण्डों को समय समय पर अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वार वार की घटनाओं को भी उचित स्थान अवश्य मिलना चाहिए जव कि संवहन के लिए विधि का संवहन और वस्तु निर्माण हो रहा हो।

सारणी में वर्गीकरण वेतरतीव ही दिया गया है। किसी खण्ड के किसी माध्यम को किसी दूसरे खण्ड का भी समझा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, फिल्में—तृतीय 'ब', तृतीय 'स', हो जाता है यदि उसमें ध्वनि-आलेखन नहीं हुआ है। टॉकीज़ या चलचित्र (ऐसे चल-चित्र जिसमें ध्वनि भी हो) केवल मूक चलचित्र हो जाते हैं। फिर १६ मिलीमीटर के चलचित्र गांववालों के लिए तैयार किए जाते हैं और उन्हें मूक ही दिखाया जाता है यदि क्षेत्र में रहनेवाला विस्तार कार्यकर्ता स्वयं

[पृष्ठ १५४ पर देखें]

खण्ड १

संवहन की मौलिक विधियां

क्षेत्र में रहनेवाला विस्तार कार्यकर्ता सबसे पहले नये विचारों और विधियों को गांववालों तक उनसे बात करके पहुँचाता है। यह बातचीत, जिसे बारबार दुहराने की जरूरत होती है, सभी विधियों में आती है, यहाँ तक कि उन विधियों में भी आती है जिनमें श्रवण-दृष्टि साधनों का भी उपयोग किया जाता है।

अ – बातचीत – एक ग्रामीण या समूह से।

ब – वादविवाद – छोटे समूहों से, विशेषतया किसी प्रदर्शन के बाद, या किसी श्रवण-दृष्टि साधन के प्रदर्शन के बाद ग्रामीण गोष्ठी में।

स – भाषण या व्याख्यान – कुछ बड़े समूहों को, चाहे इसमें विस्तार कार्यकर्ता द्वारा किए गये प्रदर्शन में प्रश्न पूछने के लिए श्रोताओं को प्रोत्साहित करें या न करें।

खण्ड २

नये टेकनिक या वस्तुओं का प्रदर्शन

अ – नये तरीकों का व्यवहार

उदाहरण के लिए धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण और व्यवहार, किसान के आधे खेत की नये हल से जुताई।

ब–विशिष्ट भ्रमण

उदाहरण के लिए किसी सिंचाई योजना की ओर जो अभी बन रही हो या किसी सहकारी दुग्ध-भण्डार के वितरण केन्द्र की ओर।

'अ' और 'ब' दोनों में ही गांववालों को तैयार करना जरूरी है, परन्तु 'ब' में और अधिक तैयारी की जरूरत है। दोनों में ही बाद में वाद-विवाद बहुत ही जरूरी है जिससे गांववाले इससे होनेवाले लाभों और परिणामों को समझें और याद रख सकें।

खण्ड ३

हर गांव में प्रयोग के लिए श्रवण-दृष्टि साधन

अ, **केवल श्रवण** भाषण, संगीत या अन्य ध्वनि-प्रसार किया जाय। चित्र न दिखाया जाय।	(१) **रेडियो** – कभी कभी क्षेत्र में रहनेवाला कार्यकर्ता भी गांववालों के साथ सुने। (२) **रिकार्ड** – (क) तवा या डिस्क –(१) की तरह (ख) पट्टी या टेप – इसके, यंत्र संचालन के लिए कार्यकर्ता वहाँ अवश्य रहें। (३) **सभा-भाषण** – माइक्रोफोन और ध्वनि-सामान विस्तारक यंत्र (२) की तरह।
ब, **श्रवण-दृष्टि** ध्वनि और चित्र का एक साथ प्रदर्शन	**फिल्में** – चाहे ध्वनि-युक्त चलचित्र हों या मूकचित्र हों उनके साथ साथ कार्यकर्ता व्याख्या भी करता रहे। इसके लिए बिजली और प्रोजेक्टर के विशेषज्ञ चाहिए।
स, **केवल दृष्टि** केवल प्रदर्शन मुख्यतः चित्रों का, बहुत ही कम शब्द कहे जाँय जो उन्हें समझाने के लिए जरूरी न हों। – आलोक-चित्र –रेखाचित्र – रंग-चित्र	(१) **फिल्मस्ट्रिप** – चित्रों की एक माला जो ३६″×२४″ की आकार की हो प्रदर्शित की जाय (बिजली से या मिट्टी के तेल से चलनेवाले यंत्र की सहायता से)। (२) **फ्लैशकार्डस** – (१) की तरह के चित्र, जो ८″×६″ के कार्ड जो किसानों के पास छोड़े जा सकते हैं।

आम तौर से यंत्रों की सहायता से बहुत अधिक संख्या में तैयार किया गया हो।	(३) **पोस्टर्स** (माला या अकेला) इसमें भी हैं: चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, कलेण्डर, आदि। कागज पर – अधिकतम ४०″ × ३०″ न्यूनतम १३″ × ८ १।२″
	(४) **फ्लैनेलग्राफ** – विशेपरूप से कहानी के रूप में बनाए गए चित्रों का संकलन जो एक विशेष ढाँचे पर दिखाया जाता है।
	(५) **दीवाल ठप्पा** – चिन्हों और नारों के लिए इसे गांववाले स्वयं व्यवहार में ला सकते हैं।
मुद्रित शब्द-चित्रों के साथ	(६) **समाचार पत्र** – कुछ चित्र, अधिकांशतया फोटोग्राफ।
	(७) **सचित्र पुस्तिकाएं** – जिनमें चित्रों आदि और पाठ्य सामग्री का विविध अनुपात में योग हो।
	(८) **प्रौढ़ शिक्षा** – सहायक-चार्ट, प्रारम्भिक पोथियां आदि।
त्रि-आयामिक प्रदर्शन, कुछ ऐसों का मशीन की सहायता से बहुत अधिक संख्या में उत्पादन हो सकता है।	(९) **पुतली-नाटक** – आकृतियां, रंगमंच, वस्त्रादि, जिसके साथ व्याख्या के लिए कुछ लिखा हो।
	(१०) **पुतला** – एक (या जोड़ा) बड़े आकार का पुतला, जिसके रंगमंच की जरूरत नहीं है।
	(११) **प्रतिमाएं** – स्थिर या चल (चालू) विस्तृत उदाहरण – मलेरिया, मच्छर, संतुलित उदाहरण – कुए पर छादन का नया रूप, खण्डित उदाहरण – बोरहोल पायखाना, अलग अलग करने लायक पुरजे, बछड़े पैदा होने का शारीरिक ढाँचा।
	(१२) **शैक्षिक प्रदर्शन** – बुनाई सीखने के लिये वास्तविक सामान एवं सामग्री।

टिप्पणी :– और भी बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिन्हें विस्तार के प्रयोग में लाया जा सकता है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी भारत में इन्हें व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है। इसलिए खण्ड (३) में इसकी चर्चा नहीं की गई है।

खण्ड ४

कई गांवों से इकट्ठी भीड के लिये श्रवण-दृष्टि साधनों का व्यवहार

अधिक विस्तृत और मूल्यवान् वस्तुओं को क्षेत्र में रहनेवाला विस्तार कार्यकर्ता व्यवहार में नहीं ला सकता है। खण्ड (३) की कुछ चीजें इस वर्ग में आती हैं। नीचे लिखी वस्तुओं को वड़े बड़े समूहों के लिए उपयुक्त समझना चाहिए।

(अ) प्रदर्शिनी – इसमें विस्तार विभाग नीचे लिखी विधियों में किसी एक के अनुसार भाग ले सकता है :–

(१) दूसरे कार्यों के लिए आयोजित किसी भी प्रदर्शनी में जिसे बहुत ग्रामीण देखने आवें, एक खण्ड स्वयं ही संचालित करना।

(२) स्वयं अपनी विस्तार प्रदर्शिनी संगठित करना जिसमें विस्तार योजना क्षेत्र के गांववालों का भी सहयोग मिले। दोनों ही दशाओं में विस्तार श्रवण-दृष्टि माध्यम के साधन जुटाने के अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए सर्वोपरि सामग्री और विवरण की भी व्यवस्था करता है।

(अ) गांवों में सुधरे हुए तरीकों के उदाहरण : पौधे, ढोर, कला, गृह, लोकहित, फोटोग्राफ या आवृत्तियों द्वारा।

(ब) नए तरीकों के लिए नए साधन, जहाँ तक सम्पन्न हो सके उसका प्रदर्शन।

उदाहरण :– पौधों या फसल पर किसी तरह की दवा के छिड़काव का यंत्र, जिसके हैंडिल को ग्रामीण स्वयं ही चला सकें (भले ही यंत्र में दवा की जगह पिसी हुई खड़िया मिट्टी ही 'लक्ष्य' पूर्ति के लिए रहे और नीचे कृत्रिम फसल रहे)।

गांववालों को प्रदर्शित वस्तुओं को समझाने के लिए वहाँ कोई न कोई क्षेत्रीय कार्यकर्ता अवश्य रहे।

(ब) किसानी मेला – विस्तार योजना क्षेत्र में सम्भवतया मेला या उर्स होता होगा, वह अन्तर ग्राम-व्यवसाय, तीर्थ या पूजन अथवा किसी

अन्य धार्मिक कार्य से ही क्यों न सम्बन्धित हो, विस्तार विभाग इनमें अ(१) की हैसियत में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा विस्तार को अपनी ओर से अपना मेला संगठित करना चाहिए। विशेषतया इनका संगठन गांवों में नई जानकारी को फैलाने और कार्यवाहियों को दिखाने के लिए होना चाहिए। आगे की वांछित घटनाओं को घटित करने के लिए औसत विधियाँ निर्धारित की जायंगी।

(१) कम से कम २० गांवों के समूह में, स्वयं होड़ पैदा हो सकती है जैसे जुताई प्रतियोगिता और खण्ड ५ के अन्तर्गत और सरल प्रतियोगिताएं, अन्तर-ग्राम वादविवाद के प्रोत्साहन के लिए खण्ड ३ के एक या दो को ही प्रयोग में लाया जाता है, छोटे छोटे समूहों का इकट्ठा होना केवल एक दिन की बात होती है।

(२) एक पूरे मेले में लगभग दो सौ गांवों के दर्शक भाग ले सकते हैं, जिसमें प्रदर्शन की कार्यवाहियां, विशेषतया प्रदर्शन सम्मिलित हैं। इन मेलों में जो दो या तीन दिनों तक रहे, पशु-प्रदर्शिनी और खण्ड (५) के अन्तर्गत की कार्यवाहियां भी सम्भव हैं।

आरम्भ में इन नए तरह के मेलों का रूप-निर्धारण और संगठन विस्तार कार्यकर्ता ही करेंगे, परन्तु फिर भी ये सभी काम उनको गांववालों की सहमति से करना चाहिए, जो लोग इसके संगठन में धन और श्रम की सहायता करें और अन्त में पूरे संगठन की जिम्मेदारी ले लें। इसके बाद विस्तार कार्यकर्ता मेले में और मेले के बाहर केवल जन-संवहन के साधन मात्र रहेंगे।

खण्ड ५

गांववालों के लिए मौखिक वस्तुओं से दुहराए जाने-वाली कार्यवाहियां :

गांवों के परम्परागत खेल एवं मनोरंजन को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे विस्तार का सन्देश पहुँचाया जा सकता है। कभी कभी खेल, नाच, वेष में वह पूर्ण परिवर्तन भी कर सकता है पर सामान्यतः वह स्थानीय उद्देश्य के अभ्यास को कुछ परिवर्तन के लिए लागू करने में समर्थ हो सकेगा।

अ – **नाटक, संगीत, काव्य, लोकनृत्य** – गांव-गांव और अन्तर-गांव मनोरंजन के रूप में।
उदाहरण – रामायण की उस कथा को जिसमें लंका के लिए सेतु-निर्माण की चर्चा है, सामुदायिक सड़क-निर्माण के प्रस्ताव से संयुक्त कर सकते हैं।

ब – **भजन, काम के समय के गीत, प्रभात फेरी, और नारे** – इनको नए रूप में विस्तार की भावनाओं से ओतप्रोत किया जा सकता है। जब एक या दो गांवों में इनका प्रचार हो जाता है तब दूसरे गांवों में भी, विशेषतया मेलों द्वारा, इनका प्रसार शीघ्र हो जाता है।

स – **शारीरिक व्यायाम-प्रदर्शन – खेलकूद, कसरत-कवायद** – गांवों के बच्चों में कुश्ती लड़ने और प्रातः व्यायाम करने की आदत से उनमें आत्म अनुशासन आता है। खेलों के नए तरीकों से अधिक कुशल कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

इन माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति है विस्तार कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में भी गांवों द्वारा अपना काम करते रहने की सामर्थ्य में।

उल्लिखित खण्ड में गांवों में जन-संवहन के बाह्य-संदेश के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अन्तिम खण्ड अन्य की अपेक्षा विस्तार की दो बहुत ही जरूरी बातों से भरा है :

(१) **गांवों में आपस में एक दूसरे तक संवहन का मार्ग स्थापित करना :—** इन्हें हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और केवल विवाह पद्धति की प्रणाली पर ही नहीं (समीप के गांवों में गोत्र न मिलने पर दूर के गांवों का लाना चाहिए)।

निश्चित तौर से ऐसे माध्यमों द्वारा कुछ ऐसी बातों का प्रचार करना चाहिए जिसमें भिन्न गांवों के लोग, भाग ले सकें। इसीलिए विस्तार खण्ड ५ के अन्तर्गत किए गए अंश वस्तुओं और कार्यवाहियों की व्यवस्था करते हैं, जिन्हें बार बार किया जा सके और जिनसे बिना किसी द्वेष आदि के स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न होती है।

(२) **ग्रामीणों को अपने भावुक जीवन को सामर्थ्यवान और पुर्नानिर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करना**—खण्ड ५ में दी गई बातों से गांववालों के जीवन के उन अंगों को पूरा करना और शक्तिशाली बनाना है जिससे आनन्द मिलता है और अच्छी बातों को मान्यता मिलती है।

कभी कभी उन्हीं कामों को 'सांस्कृतिक कार्यवाहियां' कहा जाता है, जिसमें 'संस्कृति' शब्द को इसके संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है।

खण्ड ६

द्विपथीय जन-संवहन के अतिरिक्त मार्ग और गांववालों की प्रेरणा के संग्रह का ढंग

क्षेत्र में रहकर काम करनेवाले विस्तार कार्यकर्ता और ग्रामीणों में जो सतत आदान-प्रदान हुआ करते हैं उसे प्रधान कार्यालय में जैसा समझ सकें उसी तरह शीघ्र ही लिख दिया जाय। इसी तरह से श्रवण-दृष्टि माध्यमों, प्रदर्शनों, मेलों और ऐसी ही अन्य वस्तुओं के प्रति गांववालों की प्रतिक्रिया की भी लिखित रिर्पोट आवश्यक है।

अ – दीवाल समाचार पत्र –यह एक तरह का पट्ट है जो दो भागों में बँटा रहता है। इसके उत्तरार्ध में अधिकांशतया खण्ड ३ की विस्तार वस्तु और विस्तार विभाग की अथवा गांव की स्थानीय सूचना आदि रहती हैं। नीचे एक श्याम-पट्ट होता है जिस पर गांववालों की टिप्पणियां लिखी जाती हैं; चाहे शब्दों में या चित्रों में।

ब – श्रवण-दृष्टि माध्यम के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया का लेखा-जोखा रखने की विधि—विस्तार कार्यकर्ता की रिपोर्ट अधिक तथ्यपूर्ण रखने के लिए कई कार्यविधियों का विकास हुआ है जिससे उसकी व्यक्तिगत पूर्व धारणा की छाप न पड़ने पाए। अधिक भावनामय और अच्छी रिपोर्ट के लिए टेप रिकार्डर वहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

स – ग्रामीण गुणों की विकास-विधियाँ – सभी नए विचार और तरीके गांवों के बाहर से ही नहीं आ सकते हैं। गांवों में ही वहुत से ऐसे गुणीं लोग होते हैं जो दूसरे गांवों में प्रसार के लिए विस्तार को अपनी देन दे सकते हैं। गुणीं ग्रामीणों की खोज और उनका उपयोग करके विस्तार गांव के दूसरे लोगों की गुण-ग्राहकता को और अधिक तीव्र करता है। इन्हीं गुणीं ग्रामीणों में से विस्तार अच्छे अच्छे साथ साथ काम करनेवालों की टोलियां तैयार करता है।

(१) **कलाकार, कुशल कारीगर, आविष्कारक** – ये सब खण्ड (५) में दी गई कार्यवाहियों के लिए गुणी व्यक्तियों के अलावे हैं।

(२) **रचनाशील-बालक** – (१) और खण्ड (५) की कार्यवाहियों की तरह ही अपने गुणों को प्रस्फुटित और व्यवहृत कर सकते हैं।

उदाहरण – विस्तार फ्लैनेलग्राफ के लिए कटे हुए तैयार चित्रों को रंगने के लिए तूलिका और रंग देता है।

(३) **रचनात्मक-गुणविहीन प्रौढ़** – (१) और खण्ड (५) की तरह ही विस्तार की सहायता के लिए निम्नलिखित कामों में प्रोत्साहित किए जा सकते हैं:

(अ) **सन्देश ले जाना** – जल्दी और ज्यों का त्यों

(ब) **समाचार सुनाना** – किसी प्रकार का पक्षपात न हो

(स) **प्रदर्शन में सहायता**

(द) **प्रोजेक्शनिस्ट** (फिल्म प्रोजेक्टर से काम करने-वाले) – फिल्मस्ट्रिप (सरल) और चलचित्र—(कठिन)

(य) **रेडियो सेट की मरम्मत और सफाई** – अपरेंटिस-शिप (चलचित्र की तरह)

यह सूची अपूर्ण है ; और क्षेत्र में रह कर काम करनेवाला कोई भी विस्तार कार्यकर्ता गांववालों के लिए विधियों का विकास अपनी आवश्यकता-नुसार कर सकता है।

(४) **वैद्य, हकीम और दाइयां** – इन्हें विस्तार विभाग और जन-स्वास्थ्य सेवा विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में प्रकाशित किया जा सकता है। जिससे वे अपने गांवों में अधिक कुशलता से लोगों की सेवा कर सकें। वे अपने विषयों के लिए खण्ड ३ की वस्तुओं को उपयोग में ला सकते हैं।

(५) **दुकानदार** – इन्हें भी विस्तार गांववालों की नई जरू-रतों की पूर्ति के लिए सहायता दे सकता है और इन्हें उचित मुनाफा दिखा सकता है।

[पृष्ठ १४३ से चालू]
व्याख्या कर रहा हो। फिल्म दिखाने की विधि में और भी तरह तरह के भेद-प्रभेद हो सकते हैं।

पुतली – ३ स (९) – को खण्ड ४ में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें खण्ड ५ अ और ६ स (१) में भी रक्खा जा सकता है, विशेषतया इसलिए कि ध्येय यही होता है कि गांववाले स्वयं ही पुतली और रंगमंच तैयार करें और उसे दिखायें भी।

विस्तार सामूहिक-संवहन के नये माध्यम को अपनाकर ग्रामीण भारत की शिक्षा में ठोस परिपाटी का विकास कर रहा है। साथ ही नाटकों या अभिनयों द्वारा ही विचारधाराओं को प्रकट करनेवाली ग्रामीण भारत की परम्परा का भी यह लाभ उठा रहा है।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – 'देख लेना विश्वास दृढ़ करता है' इसके क्या उदाहरण हैं?

२ – आप की राय में सभी श्रवण-दृष्टि माध्यमों में सबसे अधिक कौन प्रभावशाली है? और क्यों?

३ – श्रवण-दृष्टि विधियाँ किसी विस्तार कार्यक्रम में किस तरह योग दे सकती हैं?

य—कब और कैसे की जानकारी

पिछले खण्ड में 'द' भाग के आरम्भ में हम संवहन के कुछ ऐसे नये माध्यमों पर थोड़े में ही प्रकाश डाल चुके हैं जिन्हें विस्तार अपने कार्य-क्रम को चलाने में लगाता है। अब हम इन शैक्षिक विधियों और साधनों का भली प्रकार से लाभ उठाने के तरीके पर प्रकाश डालेंगे। पिछले खण्ड के अन्त में दिए गये सामूहिक माध्यम की संक्षिप्त तालिका विधियों और साधनों में से चुनाव करने और ध्येय की पूर्ति के लिए संयोग मिलाने में सहायक होंगी। इस अध्याय के शेष भागों में हम इन तालिकाओं का समय समय पर उल्लेख करेंगे।

नये तरीकों का संवहन

विस्तार विधि और सामग्री गांववालों को यह समझाने या समझने में सहायक होती हैं कि नये ज्ञान, नये औजार, नये तथ्य और नई कलाएं

उनके परीक्षण और प्रयोग के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। **गांवसाथी** द्वारा समझाने बुझाने के तर्क चाहे कितने ही उपयुक्त क्यों न जँचे (संक्षिप्त तालिका के भाग एक को देखें) वे शायद ही कभी भी संवहन माध्यम के अर्द्धांश से बढ़ें। संवहन को सम्पूर्ण करने के लिए जरूरी है कि वे कुछ देखें और कुछ सुनें।

ठोस अनुभव की जरूरत—जहाँ कहीं भी किसी नये प्रस्ताव पर प्रयोग करने में गांववालों को हिचकिचाहट लगे तो उनके सामने कोई ठोस चीज रखनी चाहिए जिसे वे छू कर और देख कर कुछ संतोष अनुभव करें। दूसरे खण्ड की तालिका और तीसरे खण्ड के नीचे लिखे विषयों के कारण हैं:—

टेप रिकार्डिंग—गांववालों को जव अपनी ही आवाज या बोली को रेकार्ड कराने के लिए और उसे स्वयं ही सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो यह निश्चित है कि उन्हें दूसरे लोगों के रेकार्ड भी तथ्यपूर्ण और सह-मत करनेवाले प्रतीत होते हैं। जमुनापार पुनर्निर्माण के एक मेले में, हम पानी ऊपर उठाने का एक औजार, हैण्डपम्प दिखा रहे थे। इसे ऐसा फिट किया गया था कि गांववाले इसे चला सकें कि कितनी आसानी से थोड़े ही समय में यह एक ही बार में कितना अधिक पानी ऊपर उठा देता है। इसे छोटे पैमाने पर ही प्रदर्शित करना इसका ध्येय था। और अधिक सम्पन्न किसानों ने जिनमें दिलचस्पी पैदा करना ही हमारा ध्येय था, इसे छुआ तक नहीं। वे हंसे, सिर हिलाया, और सौजन्यता के साथ दिलचस्पी दिखा कर चल दिए। दो या तीन ग्रामीणों को माइक्रोफोन पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने उसे स्वयं ही सुना। इससे उनका काफी मनोरंजन हुआ। इसके बाद ही ये ग्रामीण पम्प के पास पहुँचे और इसे प्रयोग में लाने लगे। नई चीजों के प्रति, उनकी बहुत दिनों की बनी आम तौर की गलत धारणा, तथा खरीद कर यंत्रों के प्रति उनकी आसानी तो टेप रेकार्डर को केवल एक ही बार प्रयोग में लाकर समाप्त कर दी गई।

फ्लैनेलग्राफ—ग्रामीणों को कार्यक्रमों में अधिक से अधिक हिस्सा लेने के लिए उन्हें रद्दी चीजों से ही चित्र बनाने द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तम्बाकू के पौधे में नए तरीके से खाद देने के ढंग को फ्लैनेलग्राफ पर दिखाया जा सकता है। कार्यकर्ता जान बूझ कर पहले पौधों और खाद का प्रयोग करने पर बात-चीत करने के पहले ही किसानों से पूछता है कि क्या चित्र में कोई गलती है। इसके उपस्थित

लोगों में से कोई एक इस गलती को ठीक कर देता है और परिणामस्वरूप उसका प्रभाव उस समूह की ग्रहण व ज्ञान-शक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है।

दीवाल का ठप्पा (वॉल-स्टेन्सिल)—मान लीजिए कि किसी गांववाले ने सिर्फ पीने और भोजन बनाने के लिए पानी एक ही कुएं से लेने, और दूसरे कामों के लिए और नहाने के लिए भी—किसी एक तालाब से पानी लेने का आन्दोलन शुरू किया हो तो दीवाल के ठप्पे द्वारा कुएं पर पानी लेने जानेवालों को आगाह किया जा सकता है कि यहाँ पर इस तरह का प्रतिबन्ध है। इस तर्क की पूर्ति विस्तार विभाग गांवसाथी द्वारा करेगा जिसके साथ वह रंग और रंग लगाने का सामान भी होगा, परन्तु ठप्पा लगाने का काम स्वयं गांववाले ही करेंगे जिससे असर और अधिक हो।

छपाई—साक्षर बनाना भी गांवसाथी के कामों में से एक है। परन्तु यह बहुत ही अच्छा होगा यदि वह गांवों के लिए तैयार किए गए साहित्य को निरक्षरों द्वारा जोर जोर से पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग में लाए। इसी तरह कुछ निरक्षरों के मन में भी यह भावना उठेगी कि यदि वे भी पढ़ने लगें तो वे भी तथ्यों को जान जाएंगे। सचित्र पोथियां निरक्षरों को शिक्षित बनाने में और बिना किसी साक्षर द्वारा जोर से पढ़े ही, उन्हें अधिक समझाने में सहायक होती है। हर हालत में यह छपा हुआ साहित्य ग्राम पुस्तकालय का केन्द्र-बिन्दु होता है जिसे गांवसाथी हमेशा प्रोत्साहन देगा।

त्रि-आयामिक साधन—किसी भी ठोस जानकारी के अनुभव के लिए ये बहुत ही उपयुक्त हैं, यहाँ तक कि ऐसे माध्यमों में भी, जिनमें अभिनय-चातुरी की जरूरत पड़ती है। यह संवहन को उस समय और अधिक दृढ़ बनाते हैं जब कि इसके पात्र भी ग्रामीण ही हों और गांववालों के परिचित हों। किसी भी विषय के ढ़ाँचे को एक ही गांव में बहुत अधिक दिनों तक के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। आम तौर से मेलों में इनकी जरूरत पड़ती है या उस समय जरूरत पड़ती है जब इस विषय में विशेषकर विशेष शैक्षिक सम्मेलन होनेवाला हो। शैक्षिक प्रदर्शनों को (देखो तालिका ३ स (१२)) गांवों में अन्तिम प्रदर्शन के बाद कम से कम एक या दो सप्ताह तक रहने दिया जाय जिससे गांववाले उसे देख कर व्यवहार में ला सकें।

कठपुतली के खेल— इसके लिए विशेष तौर से मंच आदि बनाने की जरूरत नहीं है, इसे दो चारपाइयों को खड़ा करके और तीन तरफ कपड़े

से आड़ कर बनाया जा सकता है। पुतलियों को गांववालों से ही बनवा सकते हैं। पुतलियों को कपड़ों से सुसज्जित करना भी गांववालों का ही काम है। पहली बार तो इसके लिए सामान की भी व्यवस्था विस्तार कार्यकर्ता को ही करनी पड़ेगी। नृत्य के लिए लिपि भी वही व्यक्ति तैयार करे जो स्थानीय बोल-चाल की भाषा और इस माध्यम से पूरी तौर से परिचित हो, विकास के बाद के स्तरों पर ही गांवों में ही लेखक तैयार होंगे। इनके पात्र भी, जो पुतली को मंच पर प्रस्तुत करेंगे या उसके लिए बात करेंगे, पहले पहल विस्तार कार्यकर्ता ही होंगे।

ग्रामीण जनता की शिक्षा के लिए पुतली नृत्य सबसे अच्छा माध्यम है, यदि बहुत ही होशियारी और कल्पना के साथ ही प्रदर्शित करके इसमें सफलता पाई जाय। जमुनापार पुर्ननिर्माण के गांवसाथियों के एक दल ने बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए हैं जो अच्छे मनोरंजन, गीत और प्रेरणाओं से ओतप्रोत हैं। चेचक के विरुद्ध हुए एक प्रदर्शन के बाद लोग इतना प्रभावित हुए कि पड़ोस के दवाखाने में ही टीका लेनेवालों की भीड़ उपस्थित हो गई।

इस तरह के माध्यमों का मुख्य ध्येय इसके उत्पादन और प्रदर्शन की जिम्मेदारी गांववालों पर ही, जब वे इसे सम्हालने के लायक हो जायें, डालना है। पुर्ननिर्माण में यह सिद्ध हो चुका है कि इस काम को, यहाँ तक कि लेख तैयार करने के भी काम को, जिसमें कोई विस्तार कहानी हो, गांववाले बहुत ही सफलता से कर लेते हैं। स्मरण रहे कि पुर्ननिर्माण क्षेत्र में पुतली की परम्परा हिलने की भी नहीं है। उदाहरण के लिए १९५४ के आरम्भ में **कमल दल** की रैली में कुछ लड़कों द्वारा लिखे गए और प्रदर्शित किए गए खेलों को देख कर केन्द्रसाथी भी चकित हो गए। इसमें पुतली का व्यवहार नहीं हुआ, परन्तु अभिनय कलात्मक रहा। इन खेलों में एक गांव की अच्छी सफाई के बारे में था, दूसरा गर्मी के मौसम में ही खेतों की जुताई करने और तीसरा धुंआ रहित चूल्हे के सम्बन्ध में था। इन विषयों की विचारधारा योजना के रेडियो के किसी ग्रामीण रूपक में दी गई थी। उन लड़कों के ये मौलिक प्रदर्शन शैक्षिक माध्यम के रूप में बहुत ही अच्छे थे।

नियन्त्रित प्रयोग – ठोस अनुभव के सिद्धान्त, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, तालिकाओं के दूसरे और चौथे खण्ड में विस्तृत किए गए हैं। इस पर जोर देना बहुत ही जरूरी है कि गांव के तरीकों में किसी तरह का बहुत बड़ा हेर-फेर लागू करने के पहले जहाँ तक सम्भव हो सके बड़े

पैमाने पर नियन्त्रित-प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि **सुधरे हुए बीज,** या **कतार में बुआई** या **हरी खाद** से होनेवाले लाभ दिखाना है।

गांवसाथी के किसी भी तरह के सुझाव खतरे से खाली नहीं होते हैं। किसान की मेहनत, फसल, बीज के दाम, नए औजार के दाम आदि बेकार सिद्ध हो सकते हैं। इससे समूचे खेत में किसी तरह के नए प्रयोग के लिए कहना अनुचित है। इस खतरे में विस्तार केवल एक प्रगतिशील किसान से ही हिस्सा बँटाने को कह सकता है। वह अपने खेत के आधे भाग में पुरानी तरह से ही खेती करता है, फिर विस्तार कार्यकर्ता दूसरे आधे भाग में उस कला में अप्रवीण होने के कारण अन्य लोगों की सहायता से नए ढंग से खेती करता है। विस्तार केन्द्र इसके लिए उचित औजार (विशेष हल, बीज बोने का औजार आदि) और हरी खाद के लिए बीज देता है। विस्तार सुधरे हुए बीज की भी पूर्ति कर सकता है परन्तु इसमें लागत किसान को ही लगानी होगी। अच्छा तो यह होगा कि इसकी लागत गांव के सभी किसान संभाले।

विस्तार कार्यकर्ता खेती के सभी कामों में स्वयं भी हिस्सा लेता है और हमेशा ध्यान में रखता है कि सभी काम ठीक ठीक हो जाँय। जब बीज अंकुर देने लगें तो इनके बीच में जुताई कर देना चाहिए। यह जुताई नए और पुराने दोनों ढंगों की खेती में समानरूप से की जाय, और अन्त में दोनों तरफ के पौधों का वजन लेना चाहिए। यह पूर्ण प्रायोगिक प्रदर्शन होगा और विस्तार कार्यकर्ता का यही ध्येय भी होना चाहिए। किसी भी तरह से भाषण, वाद विवाद, या चित्र प्रदर्शन, या किसी भी प्रकार से अच्छी तरह से अभिनीत नाटक ग्रामीणों के दिमाग में इतनी अच्छी तरह नहीं जम सकते हैं। सबसे अच्छा नियम है कि **प्रेरित करने के लिए प्रदर्शन करें।**

जब प्रदर्शन का काम हो रहा है उस समय दूसरे गांवों से भी लोग इसे देखने आ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वे इसके परिणाम के सम्बन्ध में विस्तार कार्यकर्ता की अपेक्षा अपने किसान भाई के वक्तव्य पर अधिक विश्वास करेंगे और इन सबसे परे तो यह है कि ग्राम सुधार में सफलता मिली है और इसमें ग्रामीण परिस्थितियों तथा बुद्धिपूर्ण श्रम आदि का ही पूरा पूरा सहयोग लिया गया है।

आयोजित भ्रमण—'दर्शन और स्पर्श' विधि के शिक्षण की यह एक दूसरी किस्म है। पूरे भ्रमण दल की पहले ही एक बैठक होती है जिसमें

विस्तार कार्यकर्ता अग्रिम टिप्पणीं उन चीजों पर सुनाता है जिनको भ्रमण दल देखने जा रहा है।

इस दल में चाहे लिखित बातें समझने भर के लिए पर्याप्त साक्षर व्यक्ति हों या न हों, विस्तार कार्यकर्ता दल के सभी व्यक्तियों को इनकी पूरी जानकारी करा देता है :–

(१) वे चीजें जिनको हर एक देख लेगा और लौटने पर कुछ अपने निजी मूल्यांकन के साथ इनका वर्णन कर सकेगा ऐसी आशा की जाती है।

(२) उन विशेप वस्तुओं की बाबत, जिनमें कुछ ही लोगों की दिलचस्पी है, अन्य लोगों की नहीं; विस्तार कार्यकर्ता यह स्पष्ट कर दे कि वह उनकी बावत विशेप रूप से दिलचस्पी रखनेवालों से बाद में विवरण लेगा।

(३) अन्त में, विस्तार कार्यकर्ता अपनी यह टिप्पणीं देता है कि रास्ते में वहुत सी नई वातें भी होंगी जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता और वह दल के सभी सदस्यों से उम्मीद करता है कि वे यह ध्यान रखें कि उन्हें किन वातों में अधिक दिलचस्पी लगी। यहाँ पर यह तथ्य स्पष्ट किया जा सकता है कि हर एक व्यक्ति की रुचि और दृष्टिकोण विशेप होता है। विस्तार कार्यकर्ता यह भी कहता है कि जो लोग अपने विचारों को लिख नहीं सकते हैं हम उनके नए अनुभवों को लिखवा लेना चाहेंगे।

इस तरह गांववाले एक निश्चित ध्येय के साथ भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ देखना होता है, बहुतों को कम से कम दो या तीन चीजें देखनी रहती है इनमें एक तो उसकी अपनी ही दिलचस्पी होती है। भ्रमण के बाद लौटकर गांव की बैठकों में उनके अनुभव स्पप्ट हो जाते हैं। इससे अक्षरों को लिखने पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और इससे दल के हर एक सदस्य को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा।

श्रवण-दृष्टि सहायक साधन – जब तक ग्रामीण वक्ता या अभीनेता के रूप में खुद शामिल नहीं होते तव तक केवल श्रवण-साधन उनकी दृष्टि में अविश्वसनीय से बने रहते हैं। इसलिए यह अच्छा होगा कि उनके सामने पहले से ही ध्वनिचलचित्र प्रदर्शित न किया जाय परन्तु मूकचित्र दिखाया जाय और उस पर टिप्पणीं करते जाना चाहिए।

दृष्टि-तत्व – दृष्टी तत्वों का उपयोग, विशेपतया जब कि कोरा प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो, उन चीजों के बारें में अच्छा होता है जिन को दर्शक पहले भी देख चुके हैं। उन्हें किसी नयी चीज़ के प्रदर्शन के प्रयोग में

लाना अपेक्षाकृत कम लाभदायक होगा। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि गांववालों को चित्रों के प्रदर्शनों को पढ़ना (अर्थात् उसके तत्व को समझना) सीखना है, और जीवन के सबसे निकट स्वाभाविक रंग के स्लाइड फिल्म हैं। इन्हें अकेले ही किसी भी परदे पर प्रदर्शित किया जा सकता है, इनको २५ से ४० तक की संख्या में लगातार चलाने में खर्च अधिक होगा, जैसे फिल्मस्ट्रिप में होता है, जो हमेशा काले और सफेद रंगों में होता है और जिसे कठिनाई से 'पढ़ा' जा सकता है।

फिल्मस्ट्रिप – में सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इसके किसी भी चित्र को जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक पर्दे पर रख सकते हैं, एक गैर दिलचस्प और अनचाहे चित्र को तेजी से दूर हटाया जा सकता है और दिलचस्प चित्रों को पर्दे पर तब तक रखा जा सकता है कि जब तक गांव-वालों में से ही कोई पर्दे तक आकर प्रश्न नहीं पूछने लगता है या वे और दूसरे लोगों को भी विषयों पर बता नहीं देना चाहते हैं। फिल्मस्ट्रिप पर गांवसाथी की टिप्पणी इस ढंग से तैयार रहनी चाहिए कि उसमें सभी बातें आ जाँय, वस्तुतः इसे लचीला भी होना चाहिए, इसमें जानबूझ कर कुछ गलत वक्तव्य भी रहना चाहिए जिस पर वह रुक जाय और गांव-वालों से सुधारने के लिए कहे।

बहुत अच्छा हो यदि गांवसाथी गांव के ही किसी लड़के को प्रोजेक्टर चलाना सिखा दे, जो सभी साधारण प्रोजेक्टरों के लिए आसान है। गांवों के लिए बड़े उम्दे परदे बेकार हैं। वे परदे के इतने निकट आ जाते हैं कि केवल बिना चमक का परदा ही अच्छे छायाचित्र दे सकेगा। सफेद दीवाल कभी ठीक नहीं होती, बड़ी चारपाई पर फैली हुई धोती हमेशा अच्छी होती है, परदे के ऊपर की दो रस्सियों को किसी झोपड़ी की दीवाल के ऊपर के सिरे पर बांधा जा सकता है, और इस तरह प्रोजेक्टर को भी झोपड़ी के अन्दर ही रखा जा सकता है, और इस तरह पीछे से सौ से भी अधिक लोग उसे देख सकते हैं और इससे वह खतरा नहीं रहता जो उस समय रहता है जब प्रोजे-क्टर और सभी लोग एक ही तरफ बैठते हैं। इसका पूरा सामान, मिट्टी के तेल का प्रोजेक्टर, परदा और आधे दर्जन या इससे अधिक फिल्मस्ट्रिप साइकिल पर ही ले जाये जा सकते हैं।

फ्लैनेलग्राफ बोर्ड – एक ऐसी समस्या उपस्थित कर देते हैं जिसे अभी तक पूरी तरह हल नहीं किया जा सका है। इसके लिए जरूरी चीजें हैं खूब चुस्त तना हुआ खुरदरा कपड़ा, जिसे यदि १५ डिगरी झुका कर खड़ा कर दिया जाय, तो कटे हुए चित्रों को पीठ पर लेते हुए रेगमाल को पकड़

प्रदर्शन – (बायें) सोख्ता बनाकर लोगों को समझा रहा है। (नीचे) नई रीति से बैल को बधिया करना या नवीन हल का प्रयोग करना भी सिखाया जा रहा है। प्रदर्शन से ग्रामीणों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

वाञ्छित – आवश्यकतायें—गांवसाथी की चर्चा से लड़कों और नवयुवकों ने यह ग्राम-स्कूल बनाया।

(नीचे) एक्सटेन्शन के प्रोत्साहन से इस घर को ग्रामीणों ने साफ सुथरा बनाया। डाक्टर ने यहां अधिक रात तक आँखों का इलाज किया।

सके। इस बोर्ड के लिए सफेद सूती खादी या फलालेन ही बहुत ठीक रहता है। हमने इलाहाबाद में भी एक ढाँचा तैयार किया है। इसे आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, इसे लपेटा जा सकता और साइकिल की सीट के सामने वाली डण्डी में बाँधा जा सकता है। पांच मिनट में ही ढाँचा (फ्रेम) तैयार हो जाता है जो ३ इंच चौड़ा है। इससे अधिक से अधिक ३० व्यक्तियों के एक समूह को कोई बात बताई जा सकती है।

शैक्षिक प्रदर्शन—ये उस समय भी सफल हो सकते हैं जब कि विस्तार कार्यकर्ता टेक्निक से अच्छी तरह परिचित भी न हों। वह बहुत ही भाग्य-शाली होगा जिसे कोई ऐसा गांववाला मिल जाय जो, फिल्म को पहले से ही समझता हो कि प्रदर्शन की चीज, जैसे रस्सी वगैरह किस प्रकार रक्खी जाती है। ऐसी दशा में गांववाला प्रदर्शक और विस्तार कार्यकर्ता अध्या-पक के समान लगता है। यह उस समय अच्छी तरह होता है जब सिलाई सिखाई जाती है परन्तु जब कि कक्षा में एक दर्जन ही के लगभग लोग हों।

पोस्टर—सभी दृष्टि साधनों में पोस्टर ही ऐसे माध्यम हैं जो सबसे कम प्रभावशाली होते हैं। यदि इन्हें बिना किसी प्रकार की व्याख्या दिए ही दीवालों पर लगा दिया जाय तो उन्हें बहुत ही कम सफलता मिलती है। विस्तार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह एक भी पोस्टर की बाबत गांववालों से बात करने में बहुत अधिक सावधानी बरते।

यदि कहीं दिन में ही किसी समूह में किसी विचारधारा को क्रमिक के रूप में दिखाना हो तो इन्हें बड़े बड़े पोस्टरों पर बनी हुई चित्रावली द्वारा दिखा सकते हैं। पोस्टरों को ऐसे लगाया जाय कि उन्हें आसानी से पल्टा जा सके। यदि यह सम्भव न हो, तो गांवसाथी को चाहिए कि वह पोस्टरों को क्रम से अपने सामने ही उलट कर रखे। इस तरह वह हर एक को दर्शकों के सामने एक एक करके उठा सकता है और हर एक को क्रमा-नुसार समान रूप से दिखा सकता है। इस तरह के प्रदर्शन में पोस्टरों को उठाने और रखने में फूहड़पन से सावधान रहना चाहिए। यदि उसमें गड़बड़ी है, या पोस्टरों के उठाने में तस्वीरें उल्टी हैं या क्रम से नहीं हैं तो दर्शकों और वक्ता दोनों का ध्यान मुख्य कथा-वस्तु से दूसरी ओर हट जायगा।

फ्लैश कार्डस—विस्तार कार्यकर्ता उन्हें दिखाना नहीं जानते हैं या जो नए हैं वे इसमें अवश्य गलती करते हैं। अधिक से अधिक इनके दर्शकों की संख्या १० से लेकर ५० तक होती है और ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होते हैं। फ्लैश कार्ड के चित्र इतने बड़े नहीं बने होते हैं

कि दूर से ही उन्हें व्यौरेवार देखा जा सके। इसकी टेक्निक यह है कि दर्शकों को थोड़ी ही दूर पर बिठा कर उनसे इस विषय पर बहस कराई जाय। फ्लैश कार्डों पर नम्बर डाला रहता है और जब गांवसाथी कहानी कहता रहता है उसी समय वे क्रम से फिरते जाते हैं। और इस तरह उसके हाथ में रहने वाले कार्ड के व्यौरे को दर्शक भली-भाँति देख सकते हैं।

बहुत ही अच्छा हो यदि विस्तार कार्यकर्ता किसी गांववाले से ही कहानी कहलाने का काम ले। ऐसी दशा में वह उस समूह के चारों ओर घूमने या आने-जाने के लिए स्वतन्त्र रहेगा और यह देखता रहेगा कि वे कार्ड क्रम से एक से दूसरे के पास देखने के लिए आते रहे हैं और जो विवरण उन कार्डों पर दिए गए हैं उनसे सभी लोग सहमत हो रहे हैं। निश्चय ही विवाद के लिए प्रोत्साहित करने के कारण ही यह ज्ञान की एक सीढ़ी है। विस्तार कार्यकर्ता को जितनी ही त्रुटियां गांववाले इसमें दिखायेंगे उसकी स्थिति और भी दृढ़ होती जायगी और वह तमाम प्राप्त उत्तरों में से किसी अच्छे उत्तर को स्वेच्छा से अपनाने के गुणों को इनसे स्पष्ट कर सकेगा।

'सांस्कृतिक पुनरुत्थान' की कार्यवाहियां – (तालिकाओं का पांचवां खण्ड देखो) उपयुक्त समय ढूंढ़ निकालने पर विस्तार कार्यकर्ता ऐसे कामों के लिए लोगों में प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। गांवसाथी जहाँ पर या जिस गांवमें काम कर रहा हो वहाँ वह लोगों से उनके फुरसत का समय और उसमें वे क्या करते हैं, पूछता रहे। वह गांववालों से अखाड़े में, गांव भजन-मण्डली में (जो रात में होती है), बच्चों के खेलों में, या गांव या अन्तर-गांव के दूसरे समारोहों या आयोजनों में भाग लेने की अनुमति मांग सकता है। यदि गांववाले कहें कि ऐसी चीजें समाप्त हो चुकी हैं तो उसे चाहिए कि वह गांववालों के मनोरंजन की कोई दूसरी व्यवस्था करे।

प्रायः देखा गया है कि संगीत और लोकनृत्य उपेक्षित हैं जिसके कारण ये हैं कि परम्परागत वाद्य-यंत्र टूट-फूट गए हैं और उनकी जगह पर नये खरीदने की सामर्थ्य ही नहीं हैं। विस्तार का, विशेषतया यदि वह रेडियो के लिए रेकार्डिंग या मेले के लिए लोक-कलाकार तैयार करना चाहता हो, तो उसे सारंगी, तथा ढोल के चमड़ों आदि की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। विस्तार-कार्यक्रमों से ही नाटक मण्डलियों के पुनर्सगठन के लिए नाटक लिखे जा सकते हैं, उन्हें रंगमंच के सामान दिये जा सकते हैं जिससे मेले आदि अधिक मनोरंजक हो सकें।

कवियों और गायकों को रेडिओ और रेकार्डिंग के लिए ठेके देकर उनकी सहायता की जा सकती है और सम्भव है कि उनकी कविताओं या दूसरी रचनाओं को विस्तार विभाग के प्रकाशनों में प्रकाशित कर थोड़ा बहुत पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

विस्तार कार्यकर्ता इतनी सरलता से सामूहिक गायक दल तैयार नहीं कर सकता है। उन्हें तैयार करने के लिए उनमें सफलता की भावना तुरन्त या इसकी आशा जागृत होनी चाहिए। इस तरह प्रोत्साहित करते हुए वह कवियों और गायकों को नई भावना और नए विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

स्वास्थ्य-संवर्धन-दल या समूह में काम करने के लिए किसी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ विस्तार कार्यकर्ता की जरूरत है। बच्चों के साथ काम शुरू करना उसकी सबसे सरल विधि है और यह तभी सम्भव है जब प्रति दिन १२ वर्ष से कम उम्रवाले बच्चों को सबेरे एक साथ इकट्ठा किया जाय।

तालिकाओं के छठे खण्ड में ग्रामीण-चातुरी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सुझाव दिये गए हैं। विस्तार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह वैयक्तिक गुणों और विचारधाराओं को नई प्रेरणा दे जिनमें सैकड़ों पुश्तों से एक तरह का मोर्चा सा लग गया है। इस दिशा में गांववालों द्वारा कार्यवाही की प्रेरणा देना दूसरे माध्यमों का काम है। यदि विस्तार कार्यकर्ता को यह पता लग जाय कि गांववाले किसी नई बात पर प्रयोग करने को सचमुच तैयार हैं तो वह उन्हें यह दिखा कर प्रोत्साहित कर सकता है कि 'गांववालों' से उसे यही उम्मीद थी और वह इस काम से प्रसन्न है।

बहुत सम्भव है कि इस क्रान्तिकारी परिवर्तन में महिलाएं ही पहले आगे बढ़ें और अपनी भावनाओं को अधिक स्वतन्त्रता से प्रकट करें, परन्तु यह विषय ऐसा है कि इस पर बात करने में एक अलग अध्याय ही बन जायगा। विस्तार कार्य के इस पहलू को अधिक से अधिक मजबूत बनाना है। सच तो यह है कि इस विषय पर ही एक पुस्तक की जरूरत है। हम इलाहाबाद के अनुभवों से कह सकते हैं कि हमारे विस्तार कार्यक्रमों की सफलता दूसरे लोगों की आशा के विपरीत, महिलाओं के कार्य की सफलता पर ही बहुत कुछ आश्रित है।

बैठक या सभाएं कहाँ की जाँय—विस्तार कार्यकर्ता अपने घरों को सुसंगठित और ठीक दशा में रखें जिससे यह स्पष्ट हो कि वे जो कहते हैं उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा हो

कि रात में छोटी-मोटी सभाओं या बैठकों के लिए कोई खुली या छाई हुई जगह निश्चित हो।

बैठकें या सभाएं केवल गांवसाथी के ही मकान पर हमेशा नहीं होनी चाहिए। उसे इसका पता लगाना चाहिए कि जिन गांवों में काम करना उसे सौंपा गया है उनमें कितने वर्ग हैं। और जहाँ तक सम्भव हो उसे हर वर्ग के क्षेत्र में बारी बारी से सभा करना चाहिए। स्वाभाविक है कि हर एक गांव को इसका अवसर मिलना चाहिए। कई गांवों के बीच एक रेडिओ होगा तो हमेशा संकट उपस्थित करेगा परन्तु इसे दूसरी जगह हटाने के पहले एक जगह कम से कम इसका ४ मास रहना जरूरी है। केवल एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यदि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग-वालों के लिए रेडिओ सुनना कठिन कर दिया है तो ऐसी हालत में इसे समय से पहले भी दूसरी जगह हटा देना चाहिए।

नये माध्यम के प्रयोग में बाधाएं: इस खण्ड को समाप्त करने के बदले ही यहाँ पर उन बाधाओं पर टिप्पणीं कर देना जरूरी है जो इन नए माध्यमों के प्रभावशाली प्रयोग में आती हैं।

एक माध्यम का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यह सोचना बुद्धिमानी नहीं है कि गांवों के लिए चित्रों के विषय और टेक्निकल गुणों का ध्यान न रखते हुए किसी भी तरह का चलचित्र उपयोगी हो सकता है। असम्बद्ध कथानक, रद्दी चित्रीकरण, भद्दे अभिनय या विदेश से आये हुए समाचार-चित्र जो अच्छी तरह स्पष्ट नहीं किए जा सके हों, विस्तार शिक्षा के लिए बहुत ही कम, या बिल्कुल ही लाभदायक नहीं हैं। कभी कभी समय काटने के लिए चलचित्र दिखाने का लालच लगता है जब कि इसके विषय या उपयोगिता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। एक अच्छा विस्तार कार्यकर्ता तो चलचित्रों या अन्य श्रवण-दृष्टि-साधन के माध्यमों को उपयोग करने के कार्यक्रम का एक रचनात्मक और अनिवार्य अंग मान कर ही करता है, केवल समय काटने के लिए नहीं।

दूसरी बाधा अदूरदर्शिता है जिसका प्रदर्शन बहुत से विस्तार कार्यकर्ता इस तरह के माध्यमों को व्यवहार में लाते समय करते हैं। बहुत से लोग तो, समूह या दल के साथ किसी भी विषय पर बातचीत करने में आसानी समझ कर, फ्लैनेलग्राफ, या कठपुतली या फ्लैश कार्ड में घंटों लगाने की अपेक्षा इसी विधि को अपनाना अच्छा समझते हैं। शुरू में तो अनुकृतियों, चित्रों, फोटोग्राफों, प्रोजेक्टरों आदि में माथापच्ची करना ही एक कण्टक समझते हैं। कुछ लोग तो इनके प्रदर्शन में विशेष तरह की कुशलता

का होना अनिवार्य समझते हैं इसलिए वे या तो इस ओर कदम ही नहीं उठाते और यदि उठाते भी हैं तो वह अप्रभावशाली रह जाता है। इसी प्रकार की शिक्षा में ये माध्यम अनिवार्य समझे जाने लगे हैं कि और अब तो यह कहा जाने लगा है कि किसी भी नए विचार या नई व्यवस्था के प्रचार के लिए अधिक से अधिक सुविधा दी जाय जिसमें पांच मिनट के साधारण प्रदर्शन से लेकर बड़े बड़े किसानी मेलों का आयोजन भी है। **संवहन के नए माध्यमों के लिए जरूरी है कि उनके प्रयोग की कला उनकी पूरी और पर्याप्त तैयारी और उनको कहाँ और किस तरह अच्छे से अच्छा उपयोग करने की जानकारी की दूरदर्शिता हो। प्रभावशाली शैक्षिक सहायक होने के लिए जरूरी है कि उनका उपयोग भी प्रभावशाली ढंग से हो।**

वादविवाद के लिए बातें :

१ – फिल्म, फिल्मस्ट्रिप, फ्लैनेलग्राफ, दीवाल-ठप्पा, पुतली नाटक, पोस्टर और फ्लैश कार्ड आदि श्रवण-दृष्टि सहायकों से शिक्षा देने में होनेवाली कुछ साधारण भूलें कौन कौनसी हैं ?

२ – उल्लिखित माध्यमों से विशेष लाभ क्या है? एक माध्यम एक परिस्थिति में अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढंगों से प्रयुक्त हो सकता है, उसके प्रयोग के उदाहरण बताइये।

३ – विस्तार कार्यकर्ता के लिए नीचे लिखी विधियाँ क्या मूल्य रखती हैं ?

प्रदर्शन, नियंत्रित प्रयोग, और संयोजित भ्रमण

२—कागज़ के पृष्ठों पर

गांववालों के साथ काम करने से मिले हुए दैनिक अनुभवों को गांवसाथी लिख रखता है। वहुधा इसके कारण ही गांवसाथी और योजना के उसके दूसरे सहयोगियों में विवाद भी उठ जाता है। क्योंकि गांवसाथी अपने को क्षेत्रीय कार्यकर्ता—व्यावहारिक व्यक्ति—ही समझता है और किसी भी तरह के कागजी काम को कुछ हेय दृष्टि से देखता है। वह यह महसूस करना अच्छा समझता है कि वही आदमी है जो गांवों में ठोस काम कर रहा है। गांवों में ठोस काम करने के कारण उसके पास कामों का लेखा-जोखा

करने का समय नहीं है। गांवों में काम करते रहने की यह इच्छा प्रशंसनीय है, परन्तु कुछ हद तक लेखा-जोखा भी रखने के काम की महत्ता की भी सराहना जरूरी है। किसी ध्येय की पूर्ति का, जिसकी सफलता के हर कदम स्पष्ट न हों, बहुत ही कम महत्व होता है। परन्तु इस प्रारम्भिक दशा में जब हमारा हर एक काम प्रायोगिक ही होता है, यह जानना जरूरी है कि हम क्यों सफल होते हैं या हम क्यों असफल होते हैं। अन्दाज पर ही भरोसा रखना निन्दनीय है क्योंकि इससे व्यावहारिक यथार्थता का विकास मन्द पड़ जाता है। इस तरह व्यावहारिक ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए आरम्भ से ही हमें इस तथ्य को पूरे तौर से मान लेना जरूरी है कि गांवसाथियों द्वारा किया गया लेखा-जोखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका अपना महत्व तो है ही, साथ ही योजना से केन्द्रीय कार्यालय के लेखा-जोखा के लिए भी यही आधार है।

क्षेत्रीय लेखा-जोखा

गांवसाथियों के लेखा-जोखा के सम्बन्ध में तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(१) गांवों में काम करने के सिलसिले में हुए अनुभवों को उसी तरह सच्चे रूप में लेखा-जोखा करने में और उसकी महत्ता में गांवसाथी की पूरी पूरी आस्था होनी चाहिए।
(२) गांवसाथी के लेखा-जोखा संक्षिप्त हों।
(३) गांवसाथी को ठीक ठीक जानना चाहिए कि लेखा-जोखा क्यों रखा जा रहा है और योजना में इसकी क्या उपयोगिता है।

दैनिकी लेखा-जोखा के नमूने

इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ समय जमुनापार पुनर्निमाण के गांवसाथियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण देते वक्त यह निश्चित करने में लगाया गया कि लेखा-जोखा रखने का सबसे अच्छा ढंग कौन सा हो सकता है। उसी समय यह निश्चित किया गया कि गांवसाथी अपने दैनिक काम की रिपोर्ट के लिए एक खाली या कोरा फार्म रखें। इस व्यवस्था से व्यावहारिक अनुभव की अच्छी अच्छी बातों का पता लगने के साथ ही इसमें कुछ खराबियां भी थीं। यह बहुत ही लम्बा सिलसिला था और इसका सारांश और विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों में काफी कुशलता चाहिए, इसके लिखने में गांवसाथियों का बहुत अधिक

समय लग जाता है। इसीलिए इसके ढाँचे में और सुधार किया गया और कुछ दिनों तक गांवसाथी एक विशेष तरह की खानापूरी करता रहा जिसमें उसके दैनिक कार्यों का सारांश मिल जाता था, जिसमें विशेष रूप से इसकी चर्चा होती थी कि वह किन किन गांवों में गया, वहाँ कितना समय लगाया, और वहाँ जाने का क्या ध्येय था।

इस योजना द्वारा जिन मूल्यांकनों का करना अभीष्ट था और उसके लिये जिस तरह की जानकारी की जरूरत थी वह रिपोर्ट द्वारा मिल सके, इस अभिप्राय से इस में और भी सुधार करना आवश्यक समझा गया। इन सब के परिणाम स्वरूप गांवसाथी के दैनिक रिपोर्ट फार्म का विकास हुआ, जिसका नमूना **अगले पृष्ठ पर** दिया गया है।

फार्म में देखने से पता लगेगा कि उसमें हर एक ऐसे ग्रामीण की चर्चा की गई है जिनसे किसी कार्यक्रम पर बल देने के ध्येय से गांवसाथी ने भेंट की। इस तरह गांवसाथी गांव के अपने उन तमाम मित्रों की रिपोर्ट रखता है। वे लोग उस नई रीति को अपनाएं या न अपनाएं। इस तरह उसे अपनी बातों को बहुत ही सभ्यरूप में फैलाने में सहायता मिलती है। इससे वह नए दोस्तों की खोज में पुरानों की दोस्ती खो नहीं बैठता वरन् उनसे भी सम्पर्क में रहता है। यद्यपि पहली दृष्टि में यह बहुत ही उलझा हुआ मालूम पड़ता है परन्तु सबसे बाद के फार्मों को भरने में बिल्कुल ही थोड़ा समय लगता है।

पुनर्निर्माण योजना के प्रधान कार्यालय में विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए रखे गए सभी रेकार्डों के आधार पर उल्लिखित रिपोर्ट फार्म ही है। गांवसाथी जब इस फार्म को भर देता है उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मूल्यांकन के लिए दूसरे सभी रेकार्ड गांवसाथी के विस्तार विभाग के दूसरे कर्मचारी रखते हैं। इनकी तालिका तैयार करने में हमने बराबर काम किया है जिससे एक सावधान रेकार्ड रखनेवाला और विश्लेषण करनेवाला समान जगह पर समान रूप की सूचना पा सके।

रेकार्ड रखने के कुछ मौलिक कारण

पुनर्निर्माण योजनाओं में आरम्भ से ही योजना के सभी कर्मचारियों पर सच्चाई, संलग्नता, और ध्येय के साथ रेकार्ड रखने की महत्ता पर जोर दिया गया है। जिस तथ्य पर अधिक जोर दिया गया है वह यह है कि यद्यपि हम लोग लक्ष्यों को पूरा करने के इच्छुक हैं परन्तु हम इससे भी अधिक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि गांवसाथी ने क्योंकर और कैसे

जमुनापार पुनर्निर्माण

(गांव साथियों की रोज की रिपोर्ट)

गांवसाथी — भरत राम
सरकिल — जारी
केन्द्र — बारानगर
तारीख — १२ जुलाई, १९५३

गाव मे दौरे किये — (ब) (श)
(गाव) की सरकिल मीटिंग
केन्द्रीय कार्यालय
छुट्टी में
छुट्टी
घर में काम पर
पचायत से या सरकारी अफसरों से मिलना
वगैरह
(स) सबेरे (ब) बाद दोपहर (श) शाम दिन (द) सारा दिन

किनको मिले (गाव वाले का नाम)	गाव	मकसद (टॉपिक्)	सिखाने के कौन से तरीके काम मे लाये: काम करके सिखाकर	फ्लेश कार्ड	सभा में बहस कर	फ्लेनल ग्राफ	हर एक से बातचीत करके	पोस्टर			नतीजा (प्रतिक्रिया)	कौन रीति बदली	कैफियत आठ आदमियो के समूह में समझाने को हर एक को अलग अलग समझाने के बराबर समझना चाहिये, उनका नाम ब्रेकट में लेना चाहिये।
माधो	बारानगर	हरी खाद					×				✓		
अज़ीज़ इस्माइल शेख मुहम्मद यूसुफ	तेजिया	गलाघोंटू की रोक-थाम	×								✓		अज़ीज़ प्रशिक्षण लेंगे।
पं. उकील +	तेजिया						×				○		

कोई विशेष बात-कठिनाई सुझाव: + इन्होंने कहा कि इन्जेक्शन लगाना अप्राकृतिक है।

✓ अच्छा
○ बुरा

तादाद सामूहिक भेंट	गाव	टॉपिक् क्या मकसद था	सिखाने के कौन से तरीके काम मे लाये: काम करके दिखाना	फ्लेश कार्ड	सामूहिक बहस	फ्लेनल ग्राफ	फिल्म स्ट्रिप	पोस्टर	रेडियो		नतीजा (प्रतिक्रिया)	कैफियत
१६ (जिसमें १४ कमल-दल के हैं)	तेजिया	बोर-होल परवाना						×	×			

या किस तरह लक्ष्यों को पूरा किया या उन्होंने क्यों उसे अप्राप्त दशा में ही छोड़ दिया। यदि उन्होंने लक्ष्य-प्राप्ति कर ली है तो कैसे? कौन कौन से तरीके अपनाए? वांछित हेर-फेर के लिए उन्होंने किसी गांव-वाले से कितनी बार भेंट की? यदि वे लक्ष्य पाने में असफल रहे तो कौन सी बाधाएं पड़ीं?

गांवसाथी के सामने सचाई से रिपोर्ट करते रहने की महत्ता बराबर रखने के लिए ही गांवसाथिओं की रिपोर्ट पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के अन्दर नीचे लिखी टिप्पणीं चिपकी है।

सत्यमेव जयते
सत्य की हमेशा विजय होती है

किसी के दैनिक कार्यों की सच्ची सच्ची रिपोर्ट में ही गांधी जी की तरह 'सत्य की खोज' में निष्ठा प्रकट होती है।

गांवसाथी के रूप में अपने अनुभवों का सच्चा और वास्तविक लेखा-जोखा, अपने कामों का परिणाम अच्छा, बुरा या निरुत्साह जैसा भी हो, उसका वास्तविक लेखा-जोखा ही गांवसाथी का मौलिक काम है।

यह याद रखना चाहिए कि सफलता का मापदण्ड केवल लक्ष्यों को पा लेना ही नहीं है वरन् अन्य बातें भी हैं, जैसे गांवसाथी के प्रयत्नों पर गांववालों की सच्ची सच्ची प्रतिक्रिया का लेखा-जोखा, उन विधियों या तरीकों पर जिनसे लक्ष्य पाने में सफलता या असफलता मिली हो, हुई प्रतिक्रिया का ठीक ठीक रेकार्ड, लक्ष्य पाने में सफलता या असफलता के कारणों का विश्लेषण और गांवों में हेर-फेर लाने के लिए अपने प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इन सब बातोंसे आपकी रिपोर्ट अधिक दिलचस्प, सारगर्भित, सही, ध्येयपूर्ण, और फलस्वरूप मूल्यांकन हो जायगी जैसा कि इसे होना चाहिए।

अपनी रिपोर्ट को साफ साफ सरल भाषा में लिखिए और हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छी रिपोर्ट वही है जिसे औसत व्यक्ति पढ़ और समझ सके।

हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि आपके क्षेत्र के गांवों में हर बार जायें। आपकी रिपोर्ट ही आपके गांव को हम लोगों तक या पढ़नेवाले तक पहुँचा देगी। इसलिए ऐसा लिखें कि इस ध्येय की पूर्ति हो सके।

मूल्यांकन

प्रभावशाली शिक्षा छात्रों के रुख बनाने और ज्ञान, बुद्धि और कला के विकास करने में सहायक होती है जिससे उन्हें समझा, सिखा, किया और व्यवहार में लाया जा सके। गांववालों को शिक्षा देने के प्रयास में गांवसाथी हमेशा उतना प्रभावशाली नहीं रहता है जितना कि यह हो सकता है।

इसलिए इस बात को जानने की जरूरत है कि वह अपने ग्रामीण भाइयों को उनके ध्येय की पूर्ति के लिये सहायता देने में किस सीमा तक सफल हुआ है, और इस आन्दोलन की प्रगति कैसी रही है। अथवा दूसरे शब्दों में, जिस काम को पूरा करने का उसने बीड़ा उठाया था उसमें वह कहाँ तक सफल हो सका है। मूल्यांकन सफलता को तौलने का एक कांटा है। यह एक ऐसी तुला है जिसकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि कार्यक्रम शुरु होने के पूर्व की स्थिति कैसी थी? और कार्यक्रम के पूरा होने के बाद स्थिति क्या है? मूल्यांकन की हर सीढ़ी में ध्येयों का स्पष्टीकरण और सावधानी से यह जान लेना जरूरी है कि कार्यक्रम ने कौन कौन सी ऐसी सफलताएं प्राप्त की हैं जो अन्य कारणों से भी घटित हो सकती हैं। मूल्यांकन के परिणामों को ही ध्येयों के पुनः विश्लेषण और कार्यक्रम को सुधारने के काम में लाया जा सकता है।

विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन में तीन बातें जरूरी हैं:–

(१) ध्येयों का स्पष्टीकरण जिससे यह ठीक ठीक समझ में आ सके कि किस चीज का मूल्यांकन करना है।

(२) मूल्यांकन के लिए आंकड़ों के संग्रह और लेखा-जोखा रखने के लिए उचित, विश्वस्त, सरल और काम चलाऊ तरीकों को निर्धारित करना, और

(३) जहाँ कहीं भी सम्भव हो, लेखा-जोखा की ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिससे हम गणितशास्त्र की तरह विश्लेषण कर सकें।

किसी भी विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन के सिलसिले में कुछ दूसरी बातें भी हैं जिन पर दृष्टि डालना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी नीचे लिखी बातें हैं:

(१) योजना के चलाने में ऐसे कौनसे समय या अवसर आते हैं जब कि विविध तरह के मूल्यांकनों को भरोसे के साथ व्यवहार में लाया जा सकता है?

(२) क्या सभी हेर-फेर समान महत्व के हैं या कुछ हेर-फेर दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं?

(३) किस ढंग या तरीके में हेर-फेर 'मान्यता' पा लेता है? क्या हम हेर-फेर के लिए तत्परता और हेर-फेर की स्थिरता को अलग अलग तौल सकते हैं?

जमुनापार पुनर्निर्माण में हम किसी विस्तार कार्यक्रम की प्रभावशीलता का किस तरह मूल्यांकन करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कई रायें हो सकती हैं, इसे जानते हुए भी हमें कुछ उन मौलिक कल्पनाओं को मान लेना जरूरी है जिनका ज्ञान जमुनापार पुनर्निर्माण में हुआ है।

(अ) मूल्यांकन कार्यक्रम को इतनी सीमा में और इस तरह संगठित करना चाहिए कि गांववाले यह न समझ लें (जहाँ तक सम्भव हो सके) कि किसी तरह का ऐसा मूल्यांकन किया जा रहा है जो उनकी समझ के बाहर है और यह उन्हीं के प्रोत्साहन और इस तरह की योजनाओं के लिए नहीं है। ज्यों ज्यों विस्तार योजना विकसित होगी गांववाले उतना ही मूल्यांकन का महत्व समझने लगेंगे, परन्तु शुरू में ज्यादा जाँच-पड़ताल करने से वे विस्तार योजना के विरुद्ध ही भड़क सकते हैं।

(ब) आज एक विस्तार योजना का मूल्यांकन करने में हम एक ऐसी चीज को तौलने जा रहे हैं जो लुप्त होनेवाली है। परन्तु आज जो द्रव व्यवस्था में है अर्थात् विकास व्यवस्था में है, उसे एक स्थायी विस्तार सेवा के रूप में तैयार होना है। विस्तार कार्य के ढंग में हेर-फेर होना जरूरी है, परन्तु कोई भी अस्थायी कार्यक्रम लोगों को इतनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है कि वे गांव सुधार का काम विस्तार सेवा के बिना ही कर लें।

(स) मूल्यांकन के काम में आनेवाले रेकार्डों से गांववाले पूरे परिचित नहीं हैं इसीलिए रेकार्ड रखने और सर्वेक्षण के लिए प्रश्न पूछने को, विशेष-रूप से एकाएक उनके सामने रखने की जगह क्रम से लाया जाय और अन्त में उनके सामने पूरे प्रश्न रख दिए जाँय।

(द) किसी तरह से रुख का सर्वेक्षण (या इसी तरह की जाँच), जिसमें गांववालों से प्रश्न पूछा जानेवाला हो, धीरे धीरे समय समय की बात-चीत के ढंग से किया जाय।

हम यहाँ पर जमुनापार पुनर्निर्माण में गांववालों के विकास की दिशा में हुए कुछ हेर-फेर की चर्चा कर सकते हैं:–

(१) **सुधरे हुए तरीकों की संख्या**–यह इस बात का सूचक है कि लोग सुधरे हुए तरीकों को अपनाने के इच्छुक ही

नहीं वरन् उसे अपना रहे हैं और निजी जिम्मेदारी ले रहे हैं।

(२) **नए सुधरे हुए तरीकों के प्रति की जानेवाली आपत्तियों में अन्तर** – गांवसाथी के प्रशिक्षण-सम्मेलनों में ही इन आपत्तियों को लिख लिया जाता है। इन आपत्तियों को और जितनी बार इनकी रिपोर्ट की जाती हैं उन्हें भी लिख लिया जाता है और किसी भी साल के परिणाम की एक साल पहले, या पिछले साल के परिणामों से तुलना की जाती है।

(३) **योजना क्षेत्र के गांवों और योजना के पास-पड़ौसवाले गांवों में होते उत्पादन और स्वास्थ्य-सम्बन्धी हेर-फेर के आकड़ों में अन्तर।**

(४) **विस्तार योजना और इसके चालू कार्यक्रम के प्रति लोगों के रुख में परिवर्तन।**

(५) गांवसाथी को एक दोस्त, साथी और सलाहकार के रूप में गांव-वालों द्वारा मान लेने के स्तर में हेर-फेर।

(६) **गांववालों द्वारा पूछे जानेवाले प्रश्नों और इनके पूछे जाने के शिष्टाचारों के ढंग में हेर-फेर।**

(७) कृषि व्यवसाय, शिल्प तथा रचनात्मक कार्यवाहियों के बौद्धिक स्तर में परिवर्तन। विस्तार कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन बहुत सी समस्याएं अब भी लाता है, परन्तु इसके साथ ही इस तथ्य को भी मानना जरूरी है कि योजना के समाप्त होने पर उस क्षेत्र में ही जाकर परिणामों या सफलताओं का सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है, भले ही कार्यक्रम लागू करने के पूर्व योजना क्षेत्र का पूरा पूरा सर्वेक्षण किया जा चुका हो। (इस असम्भावना में प्रारम्भिक सर्वेक्षण की कठिनाइयों को नहीं रखा गया है।) सभी देहाती क्षेत्रों में दिन ब दिन हेर-फेर होते जा रहे हैं चाहे कोई विस्तार योजना चालू की जाय या न की जाय। इसलिए यह मान लेना गलत है कि जो भी या जितने भी हेर-फेर हुए हैं वे विस्तार योजना के कारण ही हुए हैं। **हमें गांवों में हेर-फेर की दिशा में और गति में अन्तर मापने की जरूरत है – (अ) योजना के क्षेत्रीय गांव में (ब) योजना के बाहर पड़ौसी गांवों में।** इसका मूल्यांकन करने का एक ढंग तो यह है कि योजना की दशा में ही निश्चित समय

की अवधि से वार बार योजना क्षेत्र के गांवों और पास-पड़ौस के विविध दूरवर्ती गांवों का सर्वेक्षण होना चाहिए।

किसी विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन करने के लिए और भी ढंग हो सकते हैं, और इन पर विचार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।

परन्तु इसमें जो भी ढंग अपनाया जाय इसकी सबसे प्रामाणिक जाँच उसकी प्रभावशालिता है क्योंकि, मौलिक रूप से, मूल्यांकन में नीचे लिखी बातें होती हैं :—

(१) किसकी माप-तोल करनी है? (२) किस तरह माप-तोल करें?
(३) वे कौन कौन से बाहरी तत्व हैं जिनका इन पर असर पड़ता है। इसीलिए मूल्यांकन का सबसे अच्छा ढंग वह है जो हमारे इस अनुभव पर ठीक ठीक उतरता है कि जैसा होना चाहिए और जिसकी माप-तोल हो सके।

विस्तार के माध्यम से प्रगति की माप-तोल करना बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि हमें इसकी त्रुटियों और इसकी अच्छाइयों को देखना व समझना है तो माप-तोल करना भी जरूरी है। सफलता या असफलता की माप-तोल गांवसाथियों द्वारा अपनी दैनिक रिपोर्टों को ठीक ठीक भरने और मूल्यांकन के पर्याप्त साधनों पर ही आश्रित है।

वादविवाद के लिए बातें :

लेखा-जोखा रखने का, क्या महत्व है?
इससे कौन सी हानियां हैं?

ल—क्या करो और क्या न करो

हमने पिछले पूरे अध्याय में कुछ मौलिक सिद्धान्तों और विधियों की चर्चा करते हुए उन पर जोर दिया है जो किसी भी प्रभावशाली विस्तार कार्य में आरम्भ से ही निहित रहते हैं। हम इन सिद्धान्तों को विस्तार कार्यकर्ता के कर्तव्य पालन के लिए ही जरूरी नहीं समझते वरन् पूरे कार्य-क्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए भी जरूरी समझते हैं। लोगों में, जो उसके दोस्त और साथी हैं, विस्तार कार्यकर्ता की विशेष स्थिति होती है और अपने कामों के नाते उसे कुछ कामों को करना जरूरी

हैं और कुछ को नहीं करना जरूरी है, यदि वह अपने कामों में सफलता चाहता है। इस पोथी के इस खण्ड में कुछ जरूरी सिद्धान्तों की सूची बनाने और अधिक जरूरी अंगों पर जोर देने की कोशिश की गई है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में इन सभी सिद्धान्तों को व्यवहार में लाना सम्भव नहीं है।

विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए व्यावहारिक निदर्शन

१. **करो—गांववालों के साथ मिलने आदि के वादे पूरे करो**—किसी भी दूसरे कामों की अपेक्षा गांववालों से किए गए भेंट आदि के वादे संकट-मय परिस्थितियों के अलावा अवश्य पूरे करो। यदि किसी कारणवश यह वादा पूरा न किया जा सके तो गांव के सम्बन्धित लोगों को इस परि-वर्तन की सूचना अवश्य दे देना चाहिए और यदि ऐसा भी न हो सके तो गांवसाथी जल्दी से जल्दी गांववालों को यह बताये कि किन कारणों से वह अपने वादे को पूरा न कर सका।

२. **मत करो—कभी किसी तरह का दबाव मत डालो**—विस्तार कार्य-कर्ता का काम शैक्षिक है। शैक्षिक विधि से ही वह लोगों के ज्ञान और रुखों, काम और कलाओं को विकसित करता है। इसमें दबाव और जोर के लिए कोई स्थान नहीं है।

३. **करो—दलबन्दी से दूर रहो**—किसी भी विस्तार कार्यकर्ता का यह काम नहीं है कि गांव की राजनैतिक या अन्य दलबन्दी में भाग ले या पक्षपात करे। यह जरूर है कि वह गांव की राजनीति के प्रति जागरूक रहे और अपने कार्य-संचालन में इसका भी ध्यान रखे।

४. **मत करो—किसी भी तरह की राजनीति पर बात मत करो—सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों और अधिकारियों की अवश्य प्रशंसा करो**—किसी भी राजनीतिक प्रश्न पर यहाँ तक कि किसी सरकारी नीति या अधिकृत कार्या-लयों पर अपना मत कभी मत दो। सवाल का जवाब सवाल से ही दो। यदि आप स्वस्थ प्रशंसा न कर सकें तो रचनात्मक ढंग से उसे समझने की कोशिश करें।

५. **करो — अज्ञानता मान लो** — विस्तार कार्यकर्ता यह जानता है कि वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता है, और कभी यह कहने में हिचकिचाहट नहीं दिखाता है कि, 'मैं यह नहीं जानता हूँ, परन्तु इसका पता लगाने में आपकी सहायता करूंगा।'

६. **मत करो — ग्रामीणों के सामने अपने सहयोगी की गलती को न बतलाओ** — यदि आपके पास कोई बाहरी व्यक्ति आपका कोई सहयोगी भेजा जाय तो कभी उसकी गलतियों को गांववालों के सामने ही न बताओ। इसे आप उसको बाद में बता दें।

७. **करो — गांववालों को दूसरे सूत्रों से पूर्ति लेने के लिए प्रेरित करो** — विस्तार कार्यकर्ता वर्तमान-संगठन, पूर्ति और सेवा-सूत्रों के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को पूर्वपरिचित ढाँचे में चलाता है। वह इन सूत्रों को मजबूत और निर्मित करने में बहुत ही सावधान रहता है और वह आवश्यक होने पर ही इनका परिपूरक बनता है, परन्तु यह भी अस्थायी और तभी तक के लिए होता है जब तक कि और अधिक स्थायी सूत्र, जो उस पर अवलम्बित न रहे, न बन जाँय। इस तरह वहाँ उपलब्ध साधनों का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए उसके कामों को पंचायतों द्वारा बढ़ाया जाय। स्थानीय नेतृत्व का (चाहे जैसा हो), राजकीय बीज गोदामों, दवाखानों, चिकित्सालयों, पशु चिकित्सकों, मछुआगीरी विशेषज्ञों, स्कूलों, जन स्वास्थ्य साधनों, स्थानीय दूकानों और दूसरों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाय।

८. **मत करो — गांववालों की समस्याओं को स्वयं न हल करो** — विस्तार कार्यकर्ता इसमें विश्वास करता है कि गांव के लोग स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे और इसी कारण वह गांवों के सम्पन्न साधनों को उपयोग में लाना सिखाता और समस्याओं को हल करने को प्रोत्साहित करता तथा उनके जीवन को भी विकसित करता है। क्योंकि गांववालों की समस्याओं को दूसरों से हल कराने में उनकी क्षमता कमजोर पड़ती है। इसलिए गांवों में मिलनेवाले साधनों को उपयोग में लाकर उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता देने से उनकी क्षमता अधिक दृढ़ होगी और वे इन साधनों का उचित उपयोग करना सीखेंगे।

९. **करो—हमेशा ध्यान रखें की गांववाले अपनी योजनाएं बनायें और इसे पूरा करने में उनकी मदद करें**—विस्तार कार्यकर्ता अपनी कार्यवाहियों का कार्यक्रम वहाँ की वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित करता है। इन परिस्थितियों को ही ध्यान में रख कर गांववालों के विकास में उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं का लेखा-जोखा करता है। इसके बाद वह लोगों की वांछित जरूरतों को निश्चित करता है, उनके साथ विचार-विनिमय करने के बाद ही वह ध्येयों को निश्चित करता और कार्यवाहियों के लिए आयोजन करता है। जितना गांववाले कर सकते हैं और चाहते हैं, उनको उतना ही कार्यक्रम के आयोजन तथा संचालन में उत्साहपूर्वक भाग लेने देता है।

१०. **मत करो—किसी चीज का मूल्यांकन अपने स्तर से मत करो**—अपने मूल्यांकन में विस्तार कार्यकर्ता को इतना **लचीलापन** रखना चाहिए कि लोगों के जीवन के मौलिक सिद्धान्तों, रीति-रिवाजों, आदतों और परिस्थितियों में हुए परिवर्तन का सामना कर सके।

११. **करो—गांववालों से विनम्र रहो और प्रेम का व्यवहार करो**—कार्यकर्ता की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देनेवाली मौलिक शक्ति लोगों के लिए उसका सच्चा प्रेम और लोगों को हमेशा सहायता देने के लिए तैयार रहना है। अपने सान्निध्य में वह लोगों से सच्चा प्रेम होने के कारण ही काम शुरू करता है और यही सच्चा प्रेम उसे आयोजन और नियोजन में सफलता देता है जिससे वह अपने लक्ष्य को भी पा लेता है। यह अन्तिम लक्ष्य भी तो लोग ही हैं, ऐसे लोग जो अधिक स्वस्थ और प्रसन्न हों और अधिक सम्पन्न, परिपूर्ण, और सन्तुष्ट पारिवारिक जीवन के साथ सामुदायिक जीवन बिता रहे हों।

१२. **करो—विस्तार के लाभ गांव के सभी समूहों या दलों को उठाने दो**—गांवों में बहुत से समूह या दल, जाति और कर्म स्थानीयता आदि के आधार पर होते हैं। इन दलों का आदर, अध्ययन और प्रशंसा तो करना चाहिए परन्तु विस्तार कार्यकर्ता किसी विशेष दल को किसी प्रकार का पक्षपात न दिखाये कभी क्योंकि पक्षपात करना विस्तार कार्यकर्ता के ध्येयों और लक्ष्यों के विपरीत है। सभी जातियों, वर्गों और परिस्थितियों के साथ काम करो, किन्हीं चुने हुए लोगों के साथ नहीं।

प्रमाण – गांवसाथियों के बताने की अपेक्षा, ग्रामीण देखने मे अधिक सीखता और प्रभावित होता है।

भारत की अत्यन्त प्राचीन रीति पुरुप के हल चलाने के साथ साथ स्त्री का बीज डालना अब भी प्रचलित है। सारा संसार इनके सुख और संतोष के लिए उतारू है। शताब्दियों पुराना गांव का अकेलापन अब जाता रहा।

किसी गांव में कार्यारम्भ

गांववालों में काम शुरू करने और उनसे सान्निध्य करने के लिए नीचे लिखी बातें विस्तार कार्यकर्ता के लिए जरूरी हैं :—

१. **करो—अपना परिचय और वहाँ आने का ध्येय बताओ**—पहले अपना परिचय दो और फिर गांव में जाने का अपना ध्येय बताओ। इस सम्बन्ध में सत्यवादी और स्पष्टवादी बनो। कभी भी भ्रमपूर्ण न बनो और सवालों की अवहेलना मत करो।

२. **मत करो—गांववालों को अपने कार्य से किसी तरह का आर्थिक लाभ मत दिखाओ**—आप ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों से बात शुरू न करें कि जिसमें आप वांछित वस्तुओं की पूर्ति का वादा किए हों। पिछले दिनों बहुत लोगों ने इस तरह के वायदे किए और यदि आपने भी उन्हें पहले की तरह ही प्रलोभन दिए तो लोग आपको भी उन्हीं की तरह समझ लेंगे जिन्होंने उनके हित और लाभ की बातें तो बहुत की परन्तु कभी भी इन वायदों को पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये।

३. **करो—गांववालों की बातों को ध्यान से सुनो और देखो**—अच्छे श्रोता बनो, बहुत अधिक प्रश्न मत करो। अच्छी तरह सुनो, ध्यान से देखो, मनन करो और सीखो। बात करने का काम गांववाला करेगा, आपको अभी बहुत अधिक सीखना है।

४. **मत करो—आरम्भ में अधिक शिष्टाचार न बर्तो और न विशेष प्रदर्शनात्मक या अगुआ ही बनो।** गांववालों से मिलने में आप उन्हीं के जैसा व्यवहार करें, अधिक शिष्टता न बरतें, परन्तु ध्यान रहे कि आप उनसे अशिष्ट न हों। आप से उम्मीद की जाती है कि एक बाहरी व्यक्ति के रूप में आप उनसे एक विशेष प्रकार से व्यवहार करेंगे। आप अपना कर्तव्य करते जाँय और एक दिन आप उनके विश्वस्त और सम्भावित मित्र बन जाएंगे। आप उनसे मिलने में परम्परा तथा शिष्टाचार न लावें। आप गांववालों से खेतों, खलिहानों में या आग तापने की जगहों पर तथा पशुओं के रखने की जगहों में मिलें। पहले तो आप को ही उनके पास जाना पड़ेगा। बाद में जब आप उनके सम्मानित दोस्त हों जाएंगे तब धार बदल जायगी और वे ही आपके पास आने लगेंगे। मेल-जोल बढाने

में इतनी जल्दवाजी न करें कि वे जो भी काम कर रहे हों उसी में हाथ बँटाने लगें। गांववाले कुछ कम बोलनेवाले लोगों का आदर करते हैं।

५. **करो—गांववालों की मैत्रीपूर्ण बात-चीत में अवश्य भाग लें**—गांव-वालों के साथ बात-चीत सीखें। उनसे दूसरे गांवों में घटित घटनाओं की बात-चीत करें। अपनी बात-चीत में परिचित नामों, स्थानों, परि-स्थितियों, और घटनाओं की भी चर्चा करें। दूसरे स्थानों के बावत उनके प्रश्नों का उत्तर जहाँ तक आप से सम्भव हो इस तरह से दें कि वे समझ सकें।

६. **मत करो—गांववालों की उत्सुकता से आप चिढ़ें नहीं**—किसी भी गांव में जाने पर आप वहाँ के लिए एक समाचार और मनवहलाव के सजीव साधन समझे जाते हैं। उनके लिए आप काफी-हाउस, समाचार-पत्र अथवा चलचित्र (सिनेमा) हैं। इन्हें आप हंस कर टाल दें, उनके सभी सवालों का, चाहे वे बुद्धिमत्तापूर्ण हों या बेवकूफी से भरे हों, गम्भीरता से उत्तर दें। उन्हें आप अपना मजाक करने दें, सम्भवतः आप और वह दोनों ही इसके पात्र हैं।

७. **करो—गांववालों को सलाह देने के पूर्व अपना लक्ष्य देख लें**—गांव-वालों से आप अपनी बात किसी तरह मनवा लें, यह तो हमेशा आसान है। सबसे मुश्किल तो यह है कि आप अपने को गांववालों में किस तरह घुला-मिला सकते हैं। विस्तार कार्य में सबसे पहला काम विस्तार कार्य-कर्ता द्वारा ही अपने ध्येयों, और रुखों की ठीक ठीक व्यावहारिक जाँच करना है। यह निश्चित कर लें कि आपने इस पहले कदम को संतोष-जनक ढंग से उठाया है और इसके बाद ही आप अपना ध्यान गांववालों और उनकी समस्याओं की ओर ले जाँय।

८. **मत करो—दूसरों के कामो में भी दिलचस्पी दिखाने का ढोंग न करो**—गांववालों की किसी चीज को जाँचने की शक्ति बड़ी तेज होती है। वे आपकी वास्तविकता को तुरन्त जाँच लेंगे। आप उनके साथ मेल-जोल बढ़ा कर ही कुछ ऐसे आपसी हितों का पता लगा लेंगे जो बहुतों के लिए सही होगा। अपने अच्छे अच्छे गुणों को प्रकट करने के लिए आप इसका अच्छा उपयोग करें।

९. **करो—समानताओं पर ध्यान दो, भेदों पर नहीं**—इन दिनों इसकी बहुत चर्चा है कि गांववाले ऐसे हैं कि उन्हें समय ने भी भुला दिया है। इसी तरह की और भी बातें उनके सम्बन्ध में कही जाती हैं, जिससे विस्तार कार्यकर्ता यह महसूस कर सकता है कि उसे अद्भुत लोगों से पाला पड़ेगा। इस तरह के कथनों को कि यह लोग अद्भुत हैं भुला देना चाहिए, इससे आपका ही काम ढीला पड़ेगा। सच तो यह है कि यदि गांवों में देखा जाय तो शहर के पढ़े-लिखे बाबुओं की तरह लोग वहाँ कम ही मिलेंगे। आप गांवों में अपने पढ़े-लिखों की तरह ही बहुत से रीति-रिवाज पाएंगे, भले ही वे अपरिष्कृत रूप में हों। इसी में से समानताओं को ढूंढ़ निकालें, और इन्हीं के आधार पर गांववालों से अपनी दोस्ती की दीवाल खड़ी करें।

१०. **मत करो—ग्रामीण बोली अच्छी तरह न जानते हों तो न बोलें**—ग्रामीण बोली में तभी बात-चीत करें जब आपको पूरा विश्वास हो कि आप अच्छी तरह बोल सकते हैं। गांववालों को उनकी देहाती भाषा को बिगाड़ कर बोलने से अधिक बुरी और कोई बात नहीं लगती है। इससे बोलनेवाले का कुछ लाभ भी नहीं होता उलटे गांववालों की निगाह में भी वह नीचे गिरता है। यदि ग्रामीण बोली से अपरिचित हों तो साधारण हिन्दी का ही प्रयोग करें।

११. **करो—हर एक ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप में याद रखें**—गांववालों के नामों और मुखाकृतियों को याद रखने की योग्यता पैदा करें। किसी भी व्यक्ति को अपना नाम ही सबसे प्रिय और मीठा शब्द लगता है। यदि आप किसी ग्रामीण का, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, नाम भूल गए हैं, तो उसे आगे चले जाने दीजिए और दूसरे के आने पर उससे पहले ग्रामीण का नाम फिर पूछ लें। आप इसके लिए क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं।

१२. **मत करो—अपनी सेवा के अलावे और कुछ भी बिना दाम न दें**—कभी उनका समर्थन पाने के लिए कोई चीज भेंट न दें। सच तो यह है कि कभी बिना मूल्य के कोई चीज उन्हें न दें। अभी तक गांववाले दूसरों के सहारे रहते आए हैं और इसी से वे कमजोर भी हो गए। उनसे हमेशा साफ साफ कह दें कि उन्हें चीजें तभी मिलेंगी जब वे इसके बदले

प्रयत्न या दाम या दोनों ही खर्च करने को तैयार होंगे। यदि उन्हें किसी चीज की वास्तविक जरूरत होगी तो वे उसके लिए दाम या प्रयत्न या दोनों ही लगाने को तैयार रहेंगे। गांववालों को किसी भी चीज की पूर्ति करने में गांववालों से ऐसे दाम लें जिस पर उन्हें वह चीज फिर मिल जाय और अच्छा तो यह हो कि पूर्ति का साधन कोई स्थाई सूत्र हो। अपनी ओर से किसी भी तरह की छूट न दें। सरकार से या ऐसे ही किसी अन्य सूत्र से ही सहायता लें। जो भी छोटी-मोटी चीजें दोस्ती में भेंट की जाती हैं उनका इन पंक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

१३. **करो–हर एक गांववाले का, जिसे आप जानते हों, स्वागत करें–** और हर जगह ऐसा करें–अपने हर एक ग्रामीण दोस्त का सभी जगह, जब कभी आप मिलें, विशेषरूप से जब गांव के बाहर मिलें–तो स्वागत और अभिनन्दन करें। यदि सम्भव हो तो राह चलते भी थोड़ा रुक जाँय। राह चलते रुक कर थोड़ी भेंट-मुलाकात बहुत ही जरूरी है और इसकी बहुत अधिक सराहना की जाती है। इससे गांववालों को यह दृढ़ विश्वास होता जाता है कि आप गांववालों का हित करने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे गांववालों को यह भी विश्वास हो जायगा कि आप दूसरे के सामने उसे अपना दोस्त बनाने में शर्म नहीं लाते हैं विशेषतया उन लोगों के सामने जो शहरों में रहते हैं।

१४. **मत करो–केवल कुछ इने-गिने अच्छे दोस्तों से ही अधिक घनिष्टता मत रखो–**गांव में हर घर जाइए। केवल एक या दो परिवार के यहाँ ही घनिष्टता बढ़ाने का बहुत बड़ा लालच होता है और इस तरह दूसरों को भूल जाते हैं क्योंकि गांव के हर एक परिवार से दोस्ती और भाईचारे का सम्बन्ध बढ़ाना बहुत ही कठिन है। भिन्न भिन्न परिवारों में जाने से आप अपने पुराने सम्बन्धों को नया करना न भूल जाँय। यद्यपि यह समय काटना है परन्तु इससे गांववालों की आपसी वैमनस्यता खत्म होगी और आम सद्भावना फैलेगी। इस तरह आप वहाँ रह कर गांववालों को एक दूसरे के अधिक निकट लायेंगे न कि उन्हें और अधिक परस्पर विरोधी दलों में बाँटेंगे।

१५. **करो–अपने ग्रामीण दोस्तों के साथ मेल-जोल या प्रति दिन की भेंट का लेखा-जोखा रखें–**हर एक गांव में आने जाने का सच्चा रेकार्ड

रखें, चाहे योजना विभाग आपसे ऐसा करने को कहे या न कहे। आपकी भविष्य की कार्यवाहियों के निर्देश के लिए ही यह जरूरी है कि आप उन कार्यों की सफलता या गल्तियों का सच्चा लेखा-जोखा रखें। आप गांव से लौटने के बाद ही तुरन्त यदि लेखा-जोखा कर लें तो बहुत ही अच्छा हो क्योंकि उस समय तक याद बिल्कुल ताजी रहती है।

१६. **मत करो—काम को पूरा करने के पहले ही नया काम शुरू मत करो**—गांव में जो भी बात-चीत, विवाद या कार्यक्रम चल रहा हो उसके बाद ही कार्यक्रम को उससे सम्बद्ध करें। इसके बिना कार्यक्रम स्थायी नहीं होगा और एक ऐसे कार्यक्रम में क्रमबद्धता कार्यक्रम की तरह ही जरूरी है। कोई भी ऐसा कार्य न शुरू करें जिसे और आगे न बढ़ा सकें। किसी ऐसी चीज या वस्तु की मांग न पैदा करें जिसकी पूर्ति ही न हो सके। पहले पूर्ति होने की सम्भावना को निश्चित कर लें और तब मांग पैदा करें, और जिसे आप पूरा करने में असमर्थ हैं तो गांववालों से अपनी गल्ती मान लें और इसे इस तरह समाप्त कर दें। वांछित परिणाम के लिए अपने कार्यों में समन्वय स्थापित करना सीखें।

१७. **करो—महिलाओं और बच्चों से अपना सम्पर्क रखो**—गांव की महिलाओं और बच्चों की उपेक्षा मत करिये। उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यक्रम में रखिए। ग्रामीण समाज में आपको एक सदस्य मान लेने का सच्चा प्रमाण यह है कि महिलाएं आप से खुल कर बात करने लगें।

१८. **मत करो—कभी यह न मालूम होने दें कि सभी नए विचार आपके हैं**—स्थानीय लोगों को भी ऐसा दिखाएं कि नए विचार उनके भी हैं। यदि किसी की कोई विचारधारा है और इसकी उसे मान्यता मिलती है तो वह इसके विस्तार के लिए बहुत अधिक कोशिश करेगा। यह जरूरी है कि लोगों को स्वयं ही मनन करने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाय। यदि आप किसी नई बात को किसी समूह या दल में फैलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस दल के एक अनजान व्यक्ति से बात करें जिससे वह उस समूह में इस विचार को इस तरह रखे कि, विचार उसी का है। यदि आपने एक ऐसा आदमी चुना है जो बहुत अधिक बात नहीं करता है तो वह आपका सबसे अच्छा माध्यम है।

१९. मत करो—पहले बहुत ही ऊँचा ध्येय मत रखो—सबसे अधिक सरल वांछित जरूरत से काम शुरू करें और इसे पूरा करें। इससे आपकी क्षमता में विश्वास होगा। बाद में यदि कहीं असफलता भी होगी तो लोग स्वयं ही इस पर अधिक ध्यान न देंगे, यदि आप साधारण वांछित जरूरतों की पूर्ति पहले करा देते हैं और गांववाले इससे संतुष्ट हो जाते हैं।

२०. करो—हमेशा अपना पद गौण रक्खो—हमेशा किसी काम के आरम्भ करने में अपना स्थान गौण रखो और गांववालों को ही कार्यारम्भ के लिए प्रोत्साहित करो। याद रखें कि वही परिवर्तन सच्चा और स्थायी है जो गांववालों की ओर से ही होता है। आप केवल उन्हें सलाह, सूचना, या निर्देश ही दें परन्तु कार्यक्रम उन्हीं को आगे बढ़ाने दें। इसे उन्हीं का कार्यक्रम, उन्हीं का आयोजन और उन्हीं की योजना होने दें। अपने को आगे रखने में उत्साह न रखें। प्रमुख स्थान पाने से अपने को पीछे रखें। लोगों को आगे बढ़ने दें और चुनाव करने दें। लोगों को आत्मनिर्भरता के साथ स्वाधीन बनाना ही विस्तार है।

भारत में विस्तार ज्यों ज्यों एक निर्धारित और मान्य पेशा होता जायगा उतने ही इसमें काम करनेवाले लोग, पुरुष या स्त्री, व्यक्तिगत चरित्र और सच्चाई के लिए मान्य समझे जाने लगेंगे। इनकी सफलता, अधिकतर इनके ज्ञान और इनकी कला की अपेक्षा इनके रुख और बात-व्यवहार पर ही आधारित रहेगी।

वादविवाद के लिए बातें

१—क्या आप इस खण्ड के किसी विषय में कुछ बढ़ा सकते हैं? यदि हां, तो कारण बताइये?

आठवां अध्याय

सभी व्यवसायों की थोडी जानकारी और एक में प्रवीण

वर्षो पहले इंगलैण्ड में एक कहावत थी कि 'जॉन (अंग्रेजी में व्यक्ति का नाम) को लैटिन (एक भाषा) पढ़ाना हो तो केवल लैटिन भाषा को ही जानना जरूरी नहीं है वरन् साथ ही जॉन को भी जानना जरूरी है।'

यह एक ऐसी कहावत है कि जिसे विस्तार के लिए भी लागू कर सकते हैं। विस्तार की विधियों और साधनों का पूरा पूरा ज्ञान पाने के साथ ही विस्तार कार्यकर्ता को कम से कम नीचे लिखी दो बातों की भी जानकारी बहुत ही जरूरी है :—

(१) उन नए तरीकों में निहित वैज्ञानिक तथ्यों का पूरा पूरा ज्ञान जिन्हें वह ग्रामीणों से अपनाने के लिए कह रहा हो।

(२) गांववालों और ग्रामीण-समाज के मस्तिष्क में निहित और पैदा होनेवाली विचारधारा की जानकारी।

वह इन दोनों की थोड़ी बहुत जानकारी से ही काम शुरू कर सकता है, परन्तु वह कभी उस स्तर पर नहीं पहुँचेगा जहाँ उसकी जानकारी बहुत अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि उसे अपना अध्ययन और अधिक से अधिक समझाने की कोशिश हमेशा जारी रखना चाहिए जब तक वह विस्तार कार्य में लगा हुआ है। हम यहाँ पर इन दोनों ही बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे :—

(१) गांववालों को बताए गए नये तरीकों में निहित वैज्ञानिक ज्ञान की जानकारी

विस्तार कार्य कृषि, गृह और चिकित्सा विज्ञान के विषय पर बहुत अधिक आधारित है। यदि हम अंग्रेजी के शब्द 'एक्सटेन्शन' या विस्तार की ऐतिहासिक विवेचना करें तो पता लगेगा कि इस पुस्तक में वर्णित अर्थ में 'एक्सटेन्शन' या विस्तार इसी तथ्य से विकसित हुआ। जैसा कि इस पुस्तक के पहले अध्यायों के शुरू में ही कहा जा चुका है कि इसका विकास उत्तरी-अमेरिका में कृषि और गृह-विज्ञान विद्यालयों के प्रशिक्षण और गवेषणा का सम्बन्ध किसानों की अपने खेतों और पारिवारिक घरों

की व्यावहारिक जरूरतों से जोड़ने के प्रयत्नों से हुआ। किसी भी तरह के विस्तार कार्यक्रम की सम्भावना ही नहीं होगी यदि ये शास्त्रीय-कृषि-कला, पशुपालन, पोषक तत्व, शिशुपालन आदि विज्ञान क्षेत्रों के विकास के लिए न हों। 'विस्तारसेवा' शुरू करने के पहले विस्तार के विषयों का होना जरूरी है।

गांवसाथी जिन 'सुधरे तरीकों' की बात गांववालों से करता है, वे वैज्ञानिक गवेषणाओं के ही परिणाम हैं। शास्त्रीय-कृषि-कला केवल एक सतर्क विवरण नहीं है कि पौधे किस तरह बढ़ते हैं। यह तो अच्छे पौधों और अच्छे तरीकों के लिए सतत खोज है। इसके द्वारा तो नई किस्मों का निर्माण, उर्वरा-भू की जाँच और इसमें विविध प्रयोगों की जाँच, पौधों या फस्लों में लगनेवाले कीड़ों और बीमारियों पर नियन्त्रण पाने की खोज होती है। शास्त्रीय-कृषि-कला के इन खोजों के परिणाम ही 'नए तरीके' निकलते हैं जिनसे उत्पादन बढ़ सकता है।

इन खोजों के विविध अंग के अंत में नए तरीके ही विस्तार के लिए नये साधन बन जाते हैं। यही कारण है कि गांवसाथी के लिए यह जानना जरूरी है। बहुधा वह किसानों से अपनी पूरी जानकारी नहीं बता देगा परन्तु उतनी ही बातें बताएगा कि जितना किसान या दूसरे जनसाधारण लोग समझ सकें। वह उनकी टेक्निकल बातों को नहीं बताएगा परन्तु उन्हें यह समझायेगा अवश्य। उदाहरण के लिए हम नाइट्रोजन का ही व्यवहार रख सकते हैं। यही बात बागवानी, पशुपालन, खेत-व्यवस्था, कृषि-यन्त्र-विज्ञान या और बहुत से विशेष ज्ञानों के लिए भी सही है।

गांवसाथी को क्यों इन बातों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके तीन कारण हैं:—

(अ) यह जानकारी उसमें यह आत्मविश्वास पैदा करती है कि वह लोगों को जो भी बता रहा है उसका मूल्य है और वह उनके लिये हितकर है। इससे उसे ऐसा साहस और बल मिलता है कि वह अपने सुझावों की पुष्टि और रक्षा कर सकता है। यदि वह पौदे के बढ़ने की रासायनिक क्रिया और कृषि-गवेषणा को समझता है तो किसानों से बात करने में वह अधिक तथ्य के साथ अपनी बात रख सकता है। यदि उसे यह भी मालूम है कि कोई सुधरा हुआ तरीका कैसे विकसित हुआ तो वह इसकी उपयोगिता के बारे में अधिक दृढ़ हो सकता है और वह किसानों के संदेहों को दूर कर सकता है।

(ब) यह उसे समझाने में सहायक होती है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का मतलब पुराने तरीकों की जगह नए तरीकों को रखना नहीं है वरन् कृषि के प्रति एक नया दृष्टिकोण है जिसमें हमेशा पुराने तरीकों की जगह पर नए तरीके बरते जाते हैं। आज जिसे हम सुधरा हुआ तरीका कहते हैं वही आगे चल कर पुराना हो जायगा। आज हम जिसे सबसे अच्छा तरीका मानते हैं खोजों या गवेषणाओं के आधार पर उसी को और अधिक सुधारा जा सकता है।

(स) विस्तार और गवेषणा में जिस प्रकार का सामीप्य होना चाहिए उसे यह बताता है। गवेषणा से ही विस्तार को नए तरीकों का पता लगता है और विस्तार द्वारा ही गवेषणा भी ग्रामीण खेतिहरों की समस्याओं के हल की कुंजी पा सकती है, जिन्हें सबसे पहले अध्ययन करने की जरूरत है। भारत में विस्तार कार्य के शुरू के दिनों में हमने यह अनुभव किया कि गवेषणा ने सभी उत्तर ढूंढ़ निकाले हैं, हमारी कमी इन जानकारियों को प्रयोग में न ला पाने में थी। अब हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक विस्तार की तात्कालिक जरूरतों के अनुसार ही गवेषणा नहीं की जाती है तब तक यह डर बना रहेगा कि कोई ऐसा समय भी आ सकता है कि जब हमारे पास विस्तार का कोई विषय ही न रह जाय। विस्तार कोई नया युग नहीं है जिसे हम गवेषणा युग के स्थान पर रख सकें। वरन् विस्तार तो एक नई कार्यवाही है, जिससे गवेषणा की जरूरत दिन दूनी और रात चौगुनी होती जाती है।

सुधरे हुए तरीकों में निहित वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी की जरूरत ही यह दिखाती है कि सब विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए कृषि-शास्त्र और विज्ञान की विश्वविद्यालय की शिक्षा की पृष्ठभूमि अच्छा प्रारम्भिक, प्रशिक्षण बन सकती है। परन्तु यदि विस्तार कार्यकर्ता कृषि-स्नातक हैं तो भी इन विषयों और अन्य दूसरे विषयों का सतत अध्ययन करते रहना उसका कर्तव्य है।

इस खण्ड में कृषि और इससे सम्बद्ध अन्य विषयों पर जितना अधिक ज़ोर दिया है लगभग उतना ही ज़ोर गृह-विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान आदि पर भी दिया जाना चाहिए, यह कभी न भूलें। और यह भी न भूलें कि इन विषयों के किन अंगों का विस्तार भारतीय गांवों में करना है

जिनके लिए इनकी जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनके लिए कृषि की जानकारी।

गांवसाथी को संतुलित भोजन का महत्व भी जानना चाहिए और यह भी कि गन्दा पानी पीना एक अभिशाप क्यों है? बिना ऐसा किए हुए साफ पानी पीने के और संतुलित भोजन करने के लाभ गांववालों को बताने की अपनी चेष्टाओं में वह असफल रहेगा। यहाँ जमुना पार पुर्ननिर्माण में हमने देखा है कि गांवसाथी मक्खियों की रोक-थाम के लिए गांववालों को फ्लेश कार्ड दिखाते हैं, पर अपने घर में मक्खियों की रोक-थाम के लिए कुछ नहीं करते हैं।

(२) ग्रामीण लोगों और ग्रामीण-संगठनों की विचारधाराओं की जानकारी

यहाँ यह बताने का अवसर नहीं है कि इस विषय में मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, प्रौढ़-विज्ञान और शैक्षिक सिद्धान्तों ने कहाँ तक खोज कर ली है। जब एक ओर जीवशाली पौधों, कीड़ों और भू-अंगों का अध्ययन कर रहे हैं तब अन्य वैज्ञानिक मानवीय मस्तिष्क और उसकी कार्य पद्धति पर अध्ययन कर रहे हैं। वे हमारे विचार और अनुभवों की अन्त:क्रिया का अध्ययन करते रहे हैं। दूसरे लोग गांव में रहनेवालों के भिन्न भिन्न वर्गों के आपसी सम्बन्ध का अध्ययन कर रहे हैं। अन्य लोग जीवन के पूर्ण ढंगों का अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए प्राणी-विज्ञानवेत्ता यह प्रयोग कर रहे हैं कि खेती का बदला हुआ ढंग किस तरह धार्मिक विश्वासों, सामाजिक आदर-सम्मान और बहुत सी दूसरी बातों को प्रभावित करता है और वह स्वयं भी किस तरह प्रभावित होता है। अभी तक इन दिशाओं में भारत में बहुत ही कम गवेषणा की जा सकी है। विस्तार का जितना ही उत्तरोत्तर विकास होगा उतनी ही इस तरह के अध्ययन की मांग और बढ़ेगी जिससे गांववालों के जीवन की अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इन विषयों के अध्ययन में विकास के साथ हम भी गांव और ग्रामीण जीवन को उन्नतिशील बनाने में समर्थ करने की क्षमता लाने में अधिक अच्छी स्थिति में रहेंगे।

किसी जहाज के कप्तान के लिए केवल अपने जहाज और गन्तव्य स्थान की ही बाबत नहीं जानना होता है। उसे समुद्री तरंगों, किनारों और संसार की हवाओं की पेटियों और रुखों की भी जानकारी होनी चाहिए।

ये सब शक्तिशाली चीज हैं जो उसकी सहायता भी कर सकती हैं और जहाज को डुबा भी सकती हैं। इसी तरह गांवसाथी को भी केवल अपने कार्यक्रमों और ध्येयों की ही जानकारी नहीं होनी चाहिए। वरन् उसे उन लोगों की विचारधाराओं से भी परिचित होना चाहिए जिनके बीच उन्हें रहना और काम करना पड़ता है। उसे लोगों की प्रवृत्तियों को समझना चाहिए कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा क्यों नए विचारों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्यों कुछ लोग इस दिशा में अगुआ हो जाते हैं और कुछ लोग हिचकिचाते रहते हैं। इसी तरह के प्रश्नों पर ही समाज-शास्त्रों के ज्ञान से प्रकाश डाला जाता है।

जिस तरह किसी जहाज का कप्तान हवा का अनुभव करता है कि वह किधर से आ रही है, कितने वेगवाली या कमजोर है, उसी तरह गांवसाथी भी अपने चारों ओर से इन उल्लिखित मानवीय प्रवृत्तियों में से कुछ का अनुभव कर सकता है। अन्य प्रवृत्तियों को गांवसाथी स्वयं नहीं देख सकता (क्योंकि वे लोगों के मस्तिष्क में निगूढ़ हैं) जिस तरह किसी जहाज का कप्तान सागर के बीच उसकी लहर को देख नहीं सकता है वरन् वह अनुभव कर सकता है कि वह अपने रास्ते से दूर चला जा रहा है या बहुत तेज प्रगति कर रहा है।

कोई भी कप्तान यह जानते हुए कि ज्वार-भाटों, धाराओं और हवाओं के सम्बन्ध में बहुत अधिक खोज की जा चुकी है, इन बातों की जानकारी और इनका अध्ययन किए बिना ही अपने जहाज को समुद्र में आगे नहीं बढ़ने देगा। समय पड़ने पर वह लम्बे रास्ते को भी अपना लेगा यदि वह यह समझता है कि उस दिशा की धारा उसकी साधारण गति को और तेज कर देगी और इस तरह वह और भी जल्दी अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच जायगा। वह यह भी जानेगा कि किन शक्तियों की अवहेलना नहीं की जा सकती है और उनका हिम्मत से सामना करना चाहिए और वह अपनी मन्द गति में भी अपनी विरोधी शक्ति का अनु-मान लगा कर सन्तोष रखेगा। बहुत पहले ही वह यह भी जान सकता है कौन तेज हवा आंधी का रूप ले लेगी या आगे बहुत दिनों तक वह विरोधी बनी रहेगी।

इसी तरह गांव के लोगों को बात-व्यवहार का कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान करना है, इस बात की जानकारी रखते हुए गांवसाथी को यह महसूस होगा कि यह उसके लिए जरूरी जानकारी है। वह देखेगा कि जो कुछ भी जिद या हठयोगिता मालूम पड़ती है उसके कारण मिल

सकते हैं। वह यह भी महसूस करेगा कि अनिर्भरता ने बहुत बड़ी जड़ पकड़ ली है। वह यह भी जान जायगा कि गांवों में भरोसे लायक कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जिनके साथ लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वह इन धाराओं का धैर्य से पता लगा सकता है क्योंकि उसका विश्वास है कि इनका पता लगाया जा सकता है। उसे यह भी पता लगेगा कि उसके मार्ग की कुछ बाधाएं छिपी हुई चट्टानों की तरह हैं, जिन्हें कतरा जाना ही उसके लिए अच्छा है न कि अपने कार्यक्रम का जहाज उनके ऊपर से ले जाने की कोशिश करना। वह उन मानवीय शक्तियों को भी समझ लेगा कि किन शक्तियों का वह उपयोग कर सकता है और किनके साथ सहमति रखना जरूरी है। इस तरह की जानकारी मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, प्राणिशास्त्र, और इन्हीं पर आधारित शैक्षिक सिद्धान्तों के क्षेत्र में आती है। दुर्भाग्यवश, भारत में लोगों की बाबत वैज्ञानिक जानकारी पौधों, पशुओं और भूमि की जानकारी की अपेक्षा नाममात्र की है। परन्तु जो भी जानकारी है वह विस्तार के लिए जरूरी है। हमें समाज-शास्त्रीयों को बराबर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे उनके अध्ययन के क्षेत्रों में इस देश की जरूरतों को शीघ्र से शीघ्र पूरा कर दिया जा सके।

विस्तार कार्यक्रम से सम्बन्धित पृष्ठभू-ज्ञान की इस लम्बी सीढ़ी को निश्चित रूप से हम में से कोई भी पूरा नहीं पार कर लेगा और यदि किसी ने पार कर भी लिया होगा तो वह इसे भूल जायगा। सौभाग्य की बात है कि गांवसाथी की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं है कि वह क्या क्या जानता है, वरन् यह है कि वह गांव के लोगों में और अपने कार्यक्रम में भी कितनी आस्था और विश्वास रखता है, और अच्छे शैक्षिक साधनों और विधियों का अच्छी से अच्छी तरह लाभ उठाने की कितनी कुशलता उसमें हैं। यही प्राथमिक महत्व की चीज है। परन्तु, इस सभी से परे और ऊपर महत्व की यह बात है कि कोई भी विस्तार कार्यकर्ता जितनी ही अधिक मात्रा में सुधरे हुए तरीकों और गांववालों को जानता है, उसका काम भी उतना ही अच्छा और सफल होगा।

नौकरी के समय भी प्रशिक्षण के लिए यह एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। थोड़ी जानकारी से भी हम काम शुरू कर सकते हैं। हमारी जानकारी कभी बहुत अधिक नहीं होगी। हम सभी को एक ऐसे कार्यक्रम से प्रोत्साहन की जरूरत है जिसमें हर दूसरे या तीसरे सप्ताह बाद कुछ समय अध्ययन के लिए निर्धारित हो जिससे कार्यकर्ता सतत रूप से

अपने पेशे के प्रति पृष्ठभू-ज्ञान की अच्छी से अच्छी दशा से परिचित हो सकें।

हर एक गांवसाथी के लिए विस्तार विधियों के प्रशिक्षण के साथ ही उन तरीकों की वैज्ञानिक-पृष्ठभूमि जानना भी जरूरी है जिन्हें वह गांववालों को बता रहा है, और उसे गांववालों को समझाने की अपनी शक्तियों को भी तेज करना चाहिए। वह विस्तार का पंडित तभी हो सकता है जब कि वह उल्लिखित दोनों क्षेत्रों में अपने ज्ञान की सतत वृद्धि करता जाय।

वादविवाद के लिए बातें :

१ – विस्तार कार्यकर्ता गांववालों में जिन नए तरीकों का प्रचार कर रहा है, उनमें अन्तर्निहित वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी उसके लिए जरूरी क्यों है ?

२ – गांववालों की विचारधारा किस ओर बह रही है, या इसमें क्या नई धाराएं पैदा हो सकती हैं, इसके बाबत विस्तार कार्यकर्ता किस तरह अपनी जानकारी बढ़ा सकता है ?

निष्कर्ष

विस्तार की चुनौती

भारत में विस्तार के भविष्य के लिए आधुनिक दुनिया की दो बातें बहुत अधिक महत्व की हैं।

(१) आधुनिक दुनिया यह नहीं देख सकती कि आधे लोग पेट भर खायें और आधे भूखे रहें।

(२) समस्त संसार में समानरूप से रहन-सहन के दृष्टिकोण में ही विश्वव्यापी क्रान्ति हो रही है।

इन्हीं दो तथ्यों पर संक्षिप्त विचार के साथ ही भारत में हम विस्तारविधि की इस पुस्तक का उपसंहार कर रहे हैं।

(१) आधुनिक दुनिया यह नहीं देख सकती कि आधे लोग पेट भर खायें और आधे भूखे रहें

ढाई शताब्दियों से पूर्वी और पश्चिमी देशों के रहन-सहन के स्तर में बहुत तेजी से अधिक अन्तर होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रान्ति और कृषि, टेक्निकल और चिकित्सा के क्षेत्रों में हुई प्रगति ने पुरुषों के बोझों को हलका कर दिया, जरूरत से अधिक खाद्यान्न पैदा कर दिया, आराम के साधन को ऊँचे उठाया और साथ ही लोगों की औसत आयु का स्तर भी ऊँचे उठा दिया। दूसरी ओर एशियाई देशों के लोग अपने पुराने ढंगों और औजारों से ही मिहनत करते रहे जिससे उन्हें भूखमरी का भय हमेशा बना रहा, सुख-साधन बहुत थोड़े रहे, बीमारियों से परेशान रहे और इतनी संख्या में मरने लगे जितनी कि दुनियाँ में कहीं सहन नहीं की जा सकती थी।

एशिया की बढ़ती हुई दरिद्रता और यूरोप के पश्चिमी देशों तथा उत्तरी अमरीका की सम्पन्नता में अन्तर दिन दूना और रात चौगुना होता गया और इसी कारण कुछ पाश्चात्य देशों को एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों का शोषण करने का भी मौका मिल गया। यह भेद उस समय और अधिक स्पष्ट हो जाता था जब कभी वंश या जाति के आधार पर उच्चता की डींग हाँकी गई या 'श्वेत लोगों का भार' जैसे अपने ही को धोखा देनेवाली धारणाओं के आधार पर लोगों को गुलाम बनाया गया। आज पूर्व और

पश्चिम दोनों ओर से ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि हर एक पुरुष, स्त्री, और बालक की भलाई में सम्पूर्ण मानव समाज की समान दिलचस्पी है जिससे इन असमानताओं को, चाहे वे कहीं भी हों, मिटाने के लिए सभी लोग चिन्तित हैं। आज उपनिवेशवाद अपनी जिन्दगी का अन्तिम युद्ध लड़ रहा है और यह निश्चित भी है कि एशियाई देशों की स्वाधीन और स्वतन्त्र होने की अचल इच्छा के विरुद्ध वह विजय नहीं पा सकता है। पश्चिमी देशों के अच्छे लोग भी इसे उतनी ही जल्दी समाप्त कर देना चाहते हैं जितनी जल्दी पूर्व के लोग।

लोगों ने यह आम तौर से मान लिया है कि भूख, रोग या बीमारी और मानव-श्रम का शोषण ही सामाजिक उथल-पुथल और आन्दोलनों की आधार-भूमि है। किसी भी देश में उस समय तक स्थायी और सुरक्षित शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है, विशेषतया सामरिक शस्त्रों के इस विकास के युग में, जिसमें मानव सभ्यता के ही समाप्त होने का डर है, जब तक कि कलह और सन्देह की जड़ के रूप में इन दुःखों को ही दूर नहीं कर दिया जाता है।

पूर्व और पश्चिम का भेद भाग्यवान् देशों के खाद्यान्न और चिकित्सा की वस्तुओं के दान से दूर नहीं हो सकता है। असल काम तो पश्चिमी जगत में कृषि, टेक्निकल और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हुए अनुसन्धानों को एशिया की समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त करना है। अब भी ऐसे निराशावादी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि संसार की बढ़ती हुई आज़ादी एक अलंघनीय बाधा है। वे बार बार यह कहते हैं कि संसार में खाद्यान्न-उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है कि संसार में नित बढ़ते हुए लाखों करोड़ों मुखों को भोजन दिया जा सके जो हर वर्ष बढ़ते हुए अनुपात में आबादी के साथ जुड़ते जाते हैं। फिर भी प्रति दिन मानवीय कल्याण और प्रसन्नता के लिए अनुसन्धान-शालाओं, प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों के होनेवाले नए अनु-सन्धान अपरिचित सम्भावनाएं खोज रहे हैं। यह विश्वसनीय है कि अन्त में अकाल पड़ने का और दुनिया में कहीं भी किसी तरह की महामारी का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

दुख की बात तो यह है कि पश्चिमी राष्ट्र तो वैज्ञानिक-अनुसंधान की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं और एशियाई राष्ट्र उनके बहुत पीछे रह गए हैं। अमेरिका में जब कोई किसान एक हल खरीदता है तो उसका

दाम किसी अनुसन्धान केन्द्र को मिलता है जिससे वहाँ पर नए, सस्ते और अधिक अच्छे हल की खोज हो सके। भारत में इसी तरह से खरीदे गए हल के दाम का एक एक पैसा इसे तैयार करनेवाले के परिवार के लोग खा जाते हैं। एक पाई भी अनुसन्धान में खर्च नहीं होता है। कोई नया हल भी तैयार नहीं होता है। इस तरह भेद और बढ़ता ही जाता है। पश्चिम की सम्पत्ति वहाँ की सम्पन्नता बढ़ाती है और एशिया की दरिद्रता और अधिक दरिद्रता लाती है।

चाहे जिस तरह से हो इस भेद को समाप्त करना और इसके ढंग को बदलना है। अपने लिए केवल दुख प्रकट कर देने से या अपनी कठिनाइयों का कारण अनुलंघनीय परिस्थितियों को बताने से कुछ भी भलाई या हित नहीं होगा। दूसरों के भाग्य से जलन करने से कुछ काम नहीं होगा अथवा भारत की उन्नति की कम गति का **दोषारोपण** विदेशियों के सिर मढ़ने से भी कुछ लाभ नहीं होगा, जिन्होंने देश को लगभग दो शताव्दी तक गुलाम बनाए रखा। इसके लिए कोई मौलिक कारण नहीं है कि हम अपने ढंग से ही पश्चिमी राष्ट्रों के अनुसन्धानों को पूर्व की समस्याओं के हल करने में नहीं लगा सकते हैं।

विस्तार के लिए तो महत्व की बात यह है **कि विस्तार के पास ही इस भेद को दूर करने के साधन हैं।** हम किसी जादू की बात नहीं कर रहे हैं। हम सेवा के इस क्षेत्र के लिए किसी तरह की वड़ी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल इसी हद तक मान रहे हैं कि **विस्तार वहीं तक काम कर सकता है** जहाँ तक वह पश्चिमी और एशियाई विज्ञानों की जानकारी को भारतीय गांवों तक उन्हीं के तौर तरीके से ही पहुँचाकर और समझाकर तथा प्रयोग में लाकर वह इस अधोगति को ऊर्ध्वगति में बदल सकता है। इस सारी पोथी में हमने इस तरह की छाप छोड़ने से अपने को संयत रखा है कि विस्तार सभी बुराइयों को दूर करने का एक अच्छा उपचार है। ग्रामीण-उत्थान के कार्य में विभिन्न क्षेत्रों में विविध तरह के बहुत से लोगों की सहायता की जरूरत है। भारत में भी अनु-सन्धान और प्रयोग अवश्य होने चाहिए। आज जो भी कार्य इस दिशा में हो रहा है उसे कई गुना अधिक बढ़ाना है। अभी तक सिंचाई, और सस्ती शक्ति के लिए नैसर्गिक साधनों और योजनाओं का जितना भी उपयोग किया जा सकता है उससे भी आगे बढ़ना है। भारत में जरूरतों के औजारों और यंत्रों के उत्पादन में भी विकास और वृद्धि होनी चाहिए, इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इनकी खपत भी अधिक से अधिक होनी

चाहिए। ये सभी काम राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्नों में आते हैं और विस्तार की क्षमता के बाहर हैं।

अन्त में भारत की प्रगति किसानों या क्षेत्र-विशेष में काम करनेवालों पर ही आधारित होगी। भारत की सम्पत्ति का वही सूत्र है। उसी की बचत से ही वह धन भी निकलेगा जिससे भारत के विकास की योजनाओं का खर्च चलेगा। उद्योगों के उत्पादन के सबसे अधिक अंश का उपभोक्ता भी वही होगा और, अन्तिम विशेषण में, भारतीय किसान स्वयं ही अपनी समस्याओं को हल कर लेगा। भारतीय विश्वविद्यालयों को और अनुसन्धानों या खोजों का महत्व बताने की जरूरत नहीं है। परन्तु केवल अनुसन्धान का ही कोई महत्व नहीं है जब तक कि मानव समाज की व्यावहारिक समस्याओं से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पोथी भी इसी दृढ़ विश्वास के साथ लिखी गई है कि विस्तार एक ऐसा माध्यम हो सकता है और होगा भी, जिसके द्वारा हमारा यह काम हो जायगा।

भारतीय ग्रामीण भारत के और समस्त संसार के भविष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन देनेवाला है। वह धैर्यपूर्वक सुनता रहनेवाला अकर्मण्य श्रोता नहीं है कि कोई आकर उससे यह बताए कि क्या करना चाहिए या क्या करना है। अथवा वह एक ऐसा असहाय प्राणी भी नहीं है जो हमेशा यह आशा किए बैठा रहता है कि कोई आकर उसकी समस्याओं को हल करेगा। हमने अपने विचार-विनिमय में इसी बात पर जोर दिया है कि भारतीय ग्रामीण जीवन में ऐसे साधन हैं जो विस्तार को संवहन का द्विपथीय साधन बनाने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि खेत में काम करनेवाले और शहरों में रहनेवाले दोनों ही एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बन जाँय। ऐसा कोई समाज स्थायी नहीं है जो अपने किसी भी अंग का स्तर नीचे गिरा देता है। हम जिस सहयोगिता या पूरक बनने की बात अभी कर चुके हैं उसके लिए किसी भी तरह से यह सोचना घातक है कि शहर में रहनेवाला ही एक रचनात्मक शक्ति है क्योंकि वह धन का स्वामी है या यन्त्रों का निर्माण करता है। विस्तार इस तरह की विचारधारा को ही बदल सकता है और समाज के सब सदस्यों में पारस्परिक सम्पर्क की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है।

यह बहुत ही अच्छा है कि हमने इस कार्य की जरूरत को महसूस कर लिया, जिसे विस्तार पूरा करेगा। परम्परा से कही जानेवाली इस कहावत

में बहुत कुछ सार है कि अच्छा "देखा जायगा"। किसी तरह की फल प्राप्ति के लिए अधीर हो जाने से विस्तार कार्यकर्ता गलत रास्ते पर चला जाता है। उसे उन्हीं जल्दबाजी के साधनों को प्रयोग करने की प्रेरणा होने लगती है जिनसे विस्तारकार्य की प्रभावशीलता ही समाप्त हो जाती है। सचमुच हमें इसके लिए प्रतीक्षा करना और देखना चाहिए कि कुछ तरीके बदले हैं या नहीं, अथवा नई विचारधाराओं और नई विधियों ने गांवों में जड़ें जमा ली हैं या नहीं। जो भी हो, ग्रामीण जीवन के परम्परागत दोषों को दूर करने के लिए कई शताब्दियां नहीं लगेंगी। भारतीय ग्रामीण बहुत अधिक दिनों तक अकाल पड़ने के सतत भय से अनिश्चय की कगार पर बैठकर ही अधिक दिनों तक संतुष्ट नहीं रहेंगे। वे अब अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा जीवन बिताने का अधिकार है क्योंकि उनके पास राजनीतिक दलों के समर्थन की मांग बढ़ती ही जा रही है। इस तरह हम अपनी उस दूसरी बात पर आ जाते हैं जो भारत में विस्तार कार्य के लिए जरूरी है।

(२) एक विश्वव्यापी क्रांति सारे संसारके परम्परागत जीवन-यापन के ढंगों को बदल रही है

पिछली पंक्तियों में हमने मनुष्यों की मौलिक जरूरतों के भौतिक पहलू पर प्रकाश डाला और हमारा विश्वास है कि आधुनिक विज्ञान इसकी पूर्ति भी कर सकता है। हमें अपने आपको यह सोचकर धोखा नहीं देना चाहिए कि मानव समाज की समस्याएं उस समय हल हो जायंगी जब उनके पास पर्याप्त भोजन-वस्त्र हो जायेगा और सभी लोग स्वास्थ्यपूर्ण आराम की जिन्दगी बिताएंगे। मानवीय हित में उत्पादन बढ़ाना और बीमारियों पर विजय पा लेना ही पर्याप्त नहीं है।

ईसा मसीह ने कहा है कि 'मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीवित रहेगा, वरन् ईश्वर के मुख से निकले हर शब्द से वह जीवित रहेगा।' इसमें एक ऐसा तथ्य है जो भारत की नैतिक वसीयत से साम्य रखता है। सैकड़ों विधियों और ढंगों में भारतीय ग्रामीण अपनी इस धारणा की दृढ़ता प्रकट करता है कि 'होइ है सोई जो राम रचि राखा'। वह ही हम सबसे बड़ा है। भारतीय ग्रामीण जीवन-धर्म के जिस रंग में रंगा है, जब तक हम उसका विश्लेषण नहीं कर लेते हैं तब तक ग्रामीण जीवन की किसी तरह की जानकारी अधूरी है।

ग्रामीण का क्या कोई ऐसा भी काम है जिसमें यह जानबूझ कर या अनजाने ही धर्म का प्रमाण या पुष्टि लेने की जगह सामाजिक सम्बन्ध, या निजी व्यवहार या चुनाव की शरण लेता हो? क्या ग्रामीण समाज के पेचीदे गठन और रीति-रिवाजों की व्यापकता में धर्म का हाथ नहीं है? ग्रामीण विकास का कोई भी कार्यक्रम भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकता यदि वह इस सरल कल्पना से चलता है कि नई टेक्निक् और नए ढंगों को यहाँ-वहाँ लागू कर देने से ही भारतीय ग्रामीण लोग आगे बढ़ जाएंगे।

एशिया में बढ़ती हुई क्रान्ति के संचालन का निदर्शन वे लोग कर रहे हैं जो यह समझते हैं कि उनकी अपील लोगों के सम्पूर्ण जीवन के लिए होनी चाहिए। परन्तु कोई भी क्रान्ति तब तक आरम्भ नहीं होगी जब तक कि जीवन के पुराने और परम्पराग्रस्त ढाँचे को तोड़-मरोड़ नहीं दिया जाता, और आर्थिक और सामाजिक रूढ़ियों को छिन्न-भिन्न नहीं कर दिया जाता।

इस तरह अब जो प्रश्न उठता है और जिसका उत्तर देना चाहिए वह यह नहीं है कि क्या 'ग्रामीण भारत' में परिवर्तन होगा? वरन् यह तो इस प्रकार है, 'क्या उस हेर-फेर को जो ग्रामीण भारत में अनिवार्य रूप से आयेगा ही, उनकी भलाई की ओर मोड़ा जा सकता है जिससे ग्रामीण जीवन के सन्निहित मूल्यांकनों को संरक्षित रखा जा सके।'

ग्रामीण जीवन में किसी भी तरह के हेर-फेर को कुछ लोगों के विरोध का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। खेत में उगे हुए पौधों में से जरूरत से अधिक पौधों को निकाल देने का किसान पत्नी ने केवल यही सोचकर विरोध किया था कि छोटे छोटे पौधों को निर्दयता से नष्ट किया जा रहा है। उच्च सरकारी क्षेत्रों में जाति-प्रथा की बुराइयों की बराबर चर्चा की प्रतिक्रिया हिन्दू समाज के परंपरा-भक्तों पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि वे अनुमान करते हैं कि इससे उनका आदर कम होगा और वे सबके समान स्तर पर आ जाएंगे। कोई परिवर्तन अच्छा नहीं समझा जा सकता है यदि उसमें उतनी ही समस्यायें उठ खड़ी हों जितनी कि हल की गई हों। भारतीय ग्रामीणों का पाश्चात्य क्रिया-पद्धति से क्रमशः आशंकित होना उचित ही है जिसमें आणविक युद्ध को भी सम्भव बना दिया है। वे भारतीय जो पश्चिमी देशों को भली-भाँति जानते हैं, यह समझते हैं कि पश्चिमी जगत् में अपनी प्रशंसनीय प्रगति और विशेषताओं के बावजूद बहुत-सी निकृष्ट सामाजिक और मानसिक समस्याएं फँसी हैं, जिनकी

उत्पत्ति यदि इस प्रगति से नहीं कही जा सकती जैसी कि भारत में नहीं है, तो भी यह स्पप्ट ही है कि इस प्रगति ने इन्हें और अधिक उलझा अवश्य दिया है।

इसलिए हमारे सामने अब प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण भारत में होने-वाले परिवर्तन को उसके हित के मार्ग की ओर किया जा सकता है? हमने इस पूरी पोथी में इसी प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमने यह धारणा प्रकट की है कि **विस्तार वह माध्यम या साधन है जिससे मानवीय जीवन-शक्ति के रचनात्मक साधनों को भलाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।**

हम जानते हैं कि यह सत्य है क्योंकि हमने जमुनापार पुनर्निर्माण में यह देख लिया है कि ग्रामीणों को क्या होता है जब कि :—

(अ) उनमें आस्था और विश्वास रखे जाते है।
(ब) उन्हें ही नई विचारधाराओं के परीक्षण का मौका दिया जाता है, चाहे वे इसे स्वेच्छा से अपनाएं या न अपनाएं।
(स) वे विकास कार्यों में हाथ बँटाते हैं और उन कार्यक्रमों को वे ही चलाते हैं जो उन्हीं की भलाई के लिए तैयार किये गए हैं।

हमने गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि दी है क्योंकि गांव के लोगों से वे इतना प्रेम करते थे और उन्हें इतना समझते थे कि जितना बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। विस्तार में हमें बराबर यह यदि रखना चाहिए कि भारतीय ग्रामीण जनता ने उनकी बातों का पालन इसीलिए किया कि उन्होंने गांववालों की चेतना शक्ति को जगा दिया। सभी विस्तार कार्यक्रमों का सर्वोच्च उद्देश्य यही होना चाहिए। उनकी चेतना को इस तरह की आज़ादी मिल जाय जिससे ये हेर-फेर को माने ही नहीं, वरन् इसे ऐसे ढंग से मानें कि जिससे गांव के लोग अपनी मौलिक पूर्णता को अक्षुण्ण रख सकें। गांवसाथी गांव का साथी है। अंग्रेजी में इसके माने विलेज कम्पेनियन होता है, जिसमें कम्पेनियन शब्द का मौलिक अर्थ है, 'वह जो दूसरे के साथ रोटी खाता है।' इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि विस्तार गांव के साधारण जीवन में भाग लेता है। यह गांववालों के जीवन में कम से कम ऐसी काया पलट कर देना चाहता है जिसका बीजारोपण और संवर्धन भारतीय मिट्टी में ही बहुत गहरे से हुआ है।

किसी भी भूमि को उपजाऊ करने का अन्तिम लक्ष्य वहाँ के लोग और **वहाँ के लोगों की चेतना जागृत करना है।**

वादविवाद के लिए बातें :

१ – वह कौन सी विश्व-क्रान्ति है जो सारे संसार के लोगों के परम्परागत रहन-सहन के ढंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर रही है ?

२ – पूर्वी और पश्चिमी लोगों के जीवन-स्तर में इतने अधिक भेद होने के क्या कारण हैं ?

३ – पश्चिमी देशों की सम्पन्नता के साथ पूर्व की गरीबी बढ़ती रही, विस्तार इस पूर्व की निरन्तर बढ़ती हुई गरीबी का रुख कैसे बदल सकता है ?

४ – ग्रामीण भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, विस्तार उन्हें क्योंकर रचनात्मक पहलू की ओर मोड़ने का दावा कर सकता है ?

परिशिष्ट

जमुनापार पुनर्निर्माण

प्रेषण संख्या ३

खरीफ कटाई सन् १९५२ ई० पर निर्गत[1]

चुनाव के पूर्व गांवसाथियों का प्रशिक्षण

गांवसाथियों का चुनाव और उनकी नियुक्ति करने का कार्य जिस प्रकार अपेक्षाकृत कुछ कठिनप्राय परीक्षण के पश्चात किया गया उसका विवरण खास तौर से इसी प्रकार की दूसरी योजनाओं के लाभार्थ निम्नांकित है।

जिनको गांव में रहना और काम करना है उन लोगों के चुनाव सम्बन्धी ढंगों के अनुभवों के आदान-प्रदान से समस्त उत्तर भारत के लिए संभव है कि भर्ती का एक श्रेष्ठ तथा व्यापक ढंग उत्पन्न हो सके और वह एक ही ढंग समस्त भारतवर्ष के लिए सन्तोषजनक सिद्ध हो।

उत्तर भारत में वितरित होनेवाले उन पत्रों के वर्गीकृत स्तम्भों में जिन्हें काम की तलाश में लगे हुए व्यक्ति प्रायः देखा करते हैं, विज्ञापन दिया गया। विज्ञापन के प्रथम वार प्रकाशित होते ही ८०० के लगभग प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। स्वभावतः जब हमने विज्ञापन के प्रार्थियों को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परिरूप-पत्र भेजने प्रारम्भ किये, तो उनमें से कुछ को जो बहुत ही निम्नस्तर के थे अलग कर दिया गया। बहुतों ने परिरूप-पत्र इस प्रकार से भर कर भेजे थे कि उनकी छटनी स्वयं अपने आप ही हो गई। फिर भी, वर्गीकृत सूचनाओं के आधार पर, जिसके द्वारा हम ८० सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को निर्वाचन के पूर्व प्रशिक्षण के लिए चुन सके पर्याप्त सामग्री अवशिष्ट रह गई थी। कुछ स्थानीय तथा व्यक्तिगत सिफारिशों पर भी ध्यान दिया गया। सर्वोपरि हमारी दृष्टि उन व्यक्तियों पर थी जो गंगा के मैदान के इस क्षेत्र से परिचित हों। अन्य दृष्टियों से समान होने पर हमें स्वभावतः इलाहाबाद के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से

---

[1] चुनाव के पूर्व के कार्यार्थियों के प्रथम जत्थे से प्राप्त अनुभवों के पश्चात् लिखा गया।

व्यक्तियों का चुनाव करना था क्योंकि इस प्रकार के प्रार्थियों के लिए यह निश्चित था कि यह स्थानीय जन-भाषा का प्रयोग भली-भाँति कर सकेंगे।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ग्रामीणों के प्रति हमारा समस्त कार्य मौखिक होगा और हम लिखे हुए या मुद्रित शब्द पर एक सीमा तक ही निर्भर रह सकते हैं। **लेकिन शब्द चाहे मौखिक हो या मुद्रित हो या लिखा हुआ हमें आपाततः जमुनापार** के क्षेत्र की प्रचलित भाषा में अपने को सीमित रखना है। सामाजिक विद्यालयों की अथवा टकसाली हिन्दुस्तानी छाप हिन्दी के किन्हीं भी विभेदों से हमारा काम पूरा पड़ना सम्भव नहीं, इसलिए ऐसे आदमियों को जिन्हें हम गांवसाथी के रूप में ग्रहण करते हैं यदि इलाहाबाद की देहाती बोली अच्छी तरह नहीं आती है, उन्हें इसे सीखना होगा।

सीधे इन्टरव्यू के स्थान पर निर्वाचन पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई ?

इस तरह के कार्य के लिए एक प्रार्थी का कागजी अभिलेख कदापि पूर्ण सन्तोषजनक नहीं होता। हो भी नहीं सकता क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति जो जन-भाषा के प्रयोग में निपुण है वह अंग्रेजी अथवा लिखी जानेवाली विद्वत्तापूर्ण हिन्दी में भी उतना ही निष्णात होगा जितना कि वह कागज पर ग्रामीण कार्य के प्रति अपने विचार व्यक्त कर सकता है अथवा अपनी शैक्षिक योग्यताओं की सुन्दर छाप डाल सकता है, यह निश्चित नहीं है। फिर हमारा यह भी अनुभव है कि इस प्रकार की नौकरियों के उम्मीदवार ऐसी घबड़ाई हुई मनःस्थिति तथा भविष्य के प्रति इतनी आवश्यकता से अधिक चिन्तित दशा में होते हैं और सामान्यतः पहिली बार सामना होने पर अपने भावी नियोक्ता के प्रति 'श्रेष्ठ' आचरण का इतना झूठा प्रदर्शन करते हैं कि उनका परिनिरीक्षण (इन्टरव्यू) केवल ढकोसला बन कर रह जाता है, और उभयतः भ्रान्ति उत्पन्न करता है। आपाततः हमारी दृष्टि यही है कि हमारा 'गांवसाथी' हमारा उतना ही ध्यान रखे जितना ध्यान हम उसका रखते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि युवती स्त्रियों की योजना में सहायता पाने की बातें तो दूर रहीं, अपने पतियों की सहायिकाओं के रूप में भी हमने बहुत ही कम को आगे आते पाया है। अब भी हमारा विचार बना हुआ है कि प्रथम प्रयास में स्त्रियों को सम्मिलित करने की योजना में लगभग पूर्ण

असफलता का अध्ययन करने के उपरान्त अन्य प्रलोभनों की बातों पर विचार किया जा सकता है।

क्योंकि हम जानते थे कि इन्टरव्यू व्यर्थ रहेंगे, हमने व्यावहारिक परीक्षण और वार्तालाप का पांच दिनों का एक कार्यक्रम तैयार किया, जिसका उद्देश्य अधिकांश ऐसे उम्मीदवारों को उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करना था जो अपने को उपयुक्त गांवसाथी प्रमाणित कर सकें। हम सचाई से कह सकते हैं कि उम्मीदवारों में अधिकांश का पांच दिनों का परिचय उनमें पारस्परिक मैत्री भावना उत्पन्न करनेवाला था। उनमें से भी अधिकांश ने, जो कि लौटा दिए गये थे, इन पांच दिनों में बहुत कुछ सीखा था, और इस बात की परवाह न करते हुए कि ११० फैरेनहाइट के तापक्रम में पर्याप्त कठिन कार्य करना पड़ रहा था तथा बहुत बाहर के कार्य भी थे, जिनमें से कुछ विचारपूर्वक मध्यान्ह में रखे गये थे, अनुभव का आनन्द उठाया था।

चेतावनी के लिए, जिस से अन्य योजनाओं के ऐसे व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन हो सकता है जो हमारी नियुक्ति पद्धति के विषय में जानने की रुचि रखते हैं, हमको यह बतलाना आवश्यक है कि वे छः अनुभवी व्यक्ति भी जो बराबर पांच दिनों तक उम्मीदवारों के साथ उनकी प्रतिक्रियायों का निरीक्षण करने के लिए थे उस कार्य द्वारा बहुत थक गये थे। उन अनुभवी व्यक्तियों में से एक, जो सबसे वयोवृद्ध भी थे, लू लग जाने के कारण कार्य न कर सके। सम्भव है कि वर्ष के उस समय के लिए जो कदम उठाया गया वह कुछ अधिक कड़ा रहा हो।

पंच-दिवसी कार्यक्रम का विस्तृत विवरण

उम्मीदवार जिन दिनों प्रशिक्षण और निरीक्षण के अन्तर्गत थे उन दिनों और घंटों का विस्तार से उल्लेख किए बिना ही अधोलिखित विवरण द्वारा यह ज्ञात हो सकेगा कि उन से क्या करने की आशा की गई थी। यहाँ इस बात को बता देना ठीक होगा कि यद्यपि साधारणतः यह प्रयत्न किया गया था कि प्राप्त व्यक्ति खेती का कुछ अनुभव रखते हों, और कृषि में बी० एससी० की योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के प्रति हमारा झुकाव था—परन्तु फिर भी शास्त्रीय ज्ञान सम्बन्धी योग्यता पर बहुत जोर नहीं दिया गया था। स्वभावतः बहुत से उम्मीदवार इसी विद्यालय के स्नातक थे। वास्तव में ग्रामीणों के तथा उनकी समस्यायों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखनेवाले तथा चरित्रवान् व्यक्तियों की चाह हमें सबसे अधिक

थी और इस लिए विद्यालयों की उपाधियों के लिए इतना आग्रह नहीं था।

गांवसाथियों का योग्यता सम्बन्धी भेद

उदाहरण के लिए, गांवसाथियों के वास्ते अन्त में चुने गये लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेजी बोलने या समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मापदण्ड के दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने को अंग्रेजी में श्रेष्ठतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं परन्तु साथ ही साथ हिन्दी में लिखने (और बोलने में भी) प्रवीण हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में शब्दों के प्रयोग से अवगत हैं। इस तरह केवल भाषा सम्बन्धी ही नहीं अन्य क्षेत्रों के विस्तृत वैभिन्य के प्रति भी हमारा विचार इस अवस्था में केवल यह रहा है कि अधिक योग्य व्यक्तियों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों से कार्य का प्रारम्भ किया जाय जो अपेक्षाकृत न्यून वेतन पर थोड़े से वास्तविक ज्ञान को लेकर काम कर सकते हैं। इसकी अच्छाई इस बात से प्रकट होती है कि वास्तव में उच्च योग्यता (कागजी योग्यता नहीं) रखनेवाले आदमी एक उच्चस्तर के जीवन यापन के अभ्यस्त होते हैं जब कि वस्तुतः न्यून योग्यता प्राप्त व्यक्ति, जिनमें से कुछ प्रथम श्रेणी के श्रेष्ठ पुरुप होंगे, उस वेतन के अर्धांश से ही संतुष्ट रह सकते हैं जिसकी आवश्यकता सर्वोच्च वर्ग के गांवसाथियों को पड़ेगी। अच्छे वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों से हम कार्य को विस्तृत रूप से सम्बन्धित करने की आशा रख सकते हैं जब कि न्यून वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों का कार्य सीमित और अपेक्षाकृत न्यून रहेगा। उन को लेकर विस्तार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान कम दिया जा सकता है। हमारा चरम लक्ष्य ग्राम विस्तार कार्य के लोगों को एक विस्तृत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करना है, विशेषकर इसीलिए हमें कार्यकर्ताओं के रूप में विभिन्न स्तरों के विविध योग्यताओं के व्यक्तियों की आवश्यकता है। जो कुछ भी हो, किसान या जमीन्दार दोनों प्रकार के उम्मीदवारों को पंच-दिवसी कार्यक्रम में एक तरह का श्रम-साध्य कार्य करना पड़ा। उन ८० में से, जिन्हें हमने निमन्त्रित किया था, केवल ६० नियुक्त किये गये। इतने की ही अपेक्षा भी की गई थी।

प्रार्थियों का आत्मनिर्वाचन

प्रारम्भिक वार्तालाप से जब यह स्पष्ट हो गया कि उन पांच दिनों की भाग-दौड़ की आवश्यकता बाद के किन कार्यों के लिए थी, ६० चुने गये

व्यक्तियों में छः काम छोड़कर चले गये, हमें उनसे छुटकारा मिल गया। कुछ और भी थे जो निर्धारित कार्य में रुक नहीं सके और प्रशिक्षण काल में छोड़कर चले गये। ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है और हम विश्वास करते हैं कि अच्छा रहा होता कि ग्राम कार्य में प्रयत्न करने के पूर्व उन्होंने अपनी अयोग्यता पर ध्यान दिया होता। इस तथ्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि कार्य कठिन होने जा रहा है। हमारे प्रशिक्षण काल का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जिससे प्रमाणित होता है कि गांवसाथियों के रूप में लगे हुए व्यक्ति वास्तव में उपयुक्त हैं और वे कार्य की कठिनाइयों की परवाह न करते हुए हंसमुख, प्रसन्नचित्त और सच्चे गांवसाथी बने रहते हैं। पांच दिनों में निम्नलिखित कार्यक्रम का अनुसरण किया गया।

परिचय तथा टोलियों के विभाजन : हमने अपना परिचय देते हुए और साथ ही इसके लिए भी प्रयास करते हुए कि अस्वाभाविक उम्मीदवारी की परिस्थिति में भी किसी न किसी प्रकार का परिचय उनसे स्वयं उनके द्वारा ही प्राप्त किया जाय, कार्य प्रारम्भ किया। यह ३० की सम्मिलित टोली थी। प्रत्येक की रूपरेखा स्वयं उसके द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् हम इस स्थिति में थे कि पांच पांच की टोलियों में उनका विभाजन अपने अनुभवी व्यक्तियों की संख्या पर दृष्टि रखते हुए, जो कि उस समय इन व्यक्तियों को निश्चित कार्यक्रम में प्रशिक्षित करने के लिए प्रस्तुत थे, कर सकें।

संस्था (इंस्टीट्यूट) का भ्रमण

बाद को हम इन टोलियों को संस्था की कृषि-भूमि तथा आन्तरिक विभागों को दिखाने के लिए ले गये।

नये कामों को सीखना :— प्रातःकाल का अवशिष्ट भाग प्रत्येक टोली को गांव के लिए उपयोगी हो सकनेवाले कुछ कार्यों को दिखाने में व्यतीत किया गया। जिसको समझने और पुनः प्रदर्शित करने में बौद्धिक योग्यता और शारीरिक श्रम दोनों ही आवश्यक थे। प्रत्येक टोली को साइकिल का पिछला पहिया, अपने स्थान पर ठीक करने को दिया गया, जिसकी चेन दांतों से अलग निकली हुई थी। दूसरे, हर एक टोली को अलग अलग कृषि या कारीगरी की एक एक प्राविधिक कुशलता प्राप्त करने को दी गई। इनमें से कुछ मोल्ड-बोर्ड हल के भागों को अलग करने और उन्हें फिर ठीक से पुनरायोजित करने और उसमें गांव के उपयोग के लिए बनाई गई हरीस लगाने के से सरल कार्य भी थे।

नवीन कौशल का स्थानान्तरण

प्रथम दिवस के तीसरे पहर में प्रत्येक व्यक्ति को एक ग्रामीण जैसे व्यक्ति से मिलाया गया और उससे प्रातःकाल के अर्जित कौशल को (साइकिल के पहिए के अतिरिक्त) उसे दिखाने को कहा गया। उसे अपने टोली-नायक को इस बात में संतुष्ट करना था कि वह ठीक तरीके से ग्रामीण को यह कार्य सिखाने में सफल रहता है।

सामाजिक शिष्टताका परीक्षण

पहले ही दिन सायंकाल एक घंटे का चलचित्र-प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें तीन फिल्में दिखाई गईं। केवल एक फिल्म कुछ अंशों में शिक्षाप्रद थी। प्रयोजन यह था कि इस प्रकार के सामाजिक अवसरों पर उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया जाय। परन्तु वास्तव में जैसा कि नीचे विवरण दिया जा रहा है चौथे दिन की संध्या से पूर्व हमें किसी भी प्रकार की स्वाभाविक प्रतिक्रियायें नहीं प्राप्त हुईं।

सहनशीलता और निरीक्षण-शक्ति का परीक्षण

अन्तिम दो दिनों के लिए आधे उम्मीदवारों को साइकिलें दी गईं और शेष आधे क्रमशः पन्द्रह और आठ मील चलकर इतनी शीघ्र गति से कुछ गांवों में घूमे जितनी शीघ्रता उनके निरीक्षक कर सकते थे। यहाँ इस बात का उल्लेख उचित है कि इस कार्य का आयोजन दयालुता के साथ साथ प्रातःकाल के कुछ पश्चात् ही इस उद्देश्य से किया गया था कि लोग ११ बजे तक लौट आयें। उस दिन दोपहर तक और कोई काम नहीं किया गया।

गन्दा काम

इन दिनों दोपहर के उपरान्त दो वास्तव में गन्दे काम उम्मीदवारों को करने के लिए दिए गये। उन्हें आवश्यक औजार और सामग्री दे दी गई और संक्षेप में दिखा दिया गया कि पेशेवर काम करनेवालों के साथ कैसे काम करना चाहिए। तदुपरान्त उन्हें कम्पोस्ट (कूड़ा-करकट की मिलवाँ खाद) को इकट्ठा करने और पशुओं की एक सार को साफ करने का कार्य दिया गया। इन कार्यों को विचारपूर्वक दो से चार बजे तक ठीक दोपहरी में रखा गया था और पांच पांच की टोलियों में सब को अलग अलग काम करना था। यह बात बहुत ही उत्साहवर्धक है कि उनमें

से किसी ने काम करने में इसलिए हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि वह गन्दा था। स्वभावतः हमारे आदमियों में से कुछ ऐसे भी थे जो शारीरिक श्रम पसन्द नहीं करते थे। परन्तु उनमें से किसी ने खाद का ढेर लगाने में या सार का कूड़ा-करकट साफ करने से इन्कार नहीं किया। अलंकारिक अर्थ में नहीं सचमुच वे अपने जूते उतार कर काम करने में जुट पड़े।

ग्रामीण जीवन में अपने को अनुकूल बनाना

तीसरे दिन सायंकाल सभी उम्मीदवार निश्चित गांव से एक मील दूसरे मार्ग पर छोड़ दिए गये। हर एक आदमी अकेला था, उसको यह काम दिया गया था कि गांव की जानकारी प्राप्त करे, रात भर वहीं ठहरे और प्रातःकाल ही आकर गांव की दशा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करे और विस्तार से सूचित करे कि गांववालों ने उसका कैसा स्वागत किया। उम्मीदवार इस काम में काफी सफल रहे। नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण के चौथे दिन प्रातःकाल उन्हें मोटर पर उन्हीं स्थानों पर चढ़ा लिया गया जहाँ कि वह छोड़े गये थे। सबेरा होने के उपरान्त शीघ्र ही उनको कष्ट-दायक क्षेत्रीय कार्य से मुक्ति मिल गई।

उम्मीदवारों के मानसिक सम्मान का ज्ञान और उनकी दीक्षा

चौथा दिन उम्मीदवारों और संस्था के कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग की सम्भावनाओं के लिए परीक्षण में व्यतीत किया गया।

इस स्थान पर हमें उस बात को फिर से दोहराने की आवश्यकता है जिसको हमने प्रेषण संख्या २ में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था और जिसका उल्लेख प्रेषण संख्या १ में हो चुका है। इन दो परिपत्रों में इस योजना का विस्तृत विवरण, जैसा कि हमने प्रथम छः महीनों में कार्य होते देखा था, दिया गया है। वे साइक्लोस्टाइल पर छप चुके हैं और उन की प्रतियां वस्तुनिर्माण विभाग, विस्तार योजना, कृषि महाविद्यालय, इलाहा-बाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

इस योजना को इसके विभागों सहित निर्माण का श्रेय, संभव नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को दिया जाय, फिर भी, जैसा कि ऐसी योजनाओं के विषय में प्रायः सच हुआ करता है, इसकी रूपरेखा की कल्पना सर्वप्रथम एक व्यक्ति के मन में उदित हुई थी। वह थे इस कृषि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य। विस्तार योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने में संभवतः उनके पूर्वकालिक वर्षावधि ग्राम-वास के वैयक्तिक अनुभव ने विकास के

मूलभूत विचार में महत्वपूर्ण योगदान किया था। जमुनापार अग्रगामी योजना (Jamunapar Pilot Project) का उनका पहला रेखा-चित्र सन् १९४७ ई० में कार्यान्वित किया गया। प्रथम बार योजना को कार्यरूप में परिणित करने के पश्चात् महाविद्यालय के उन अनेक व्यक्तियों से, जो कि छोटे पैमाने पर विस्तार कार्य के लिए लगाये गये थे, तथा उनसे जो कि भारत के दूसरे भागों में इसी प्रकार का कार्य कर चुके थे, विचार-विमर्श के द्वारा गांववालों के साथ काम करने की इस नवीन पद्धति का धीरे धीरे विकास हुआ। विविधि मतों और प्राप्त मतों से धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ग्राम्य जीवन और कार्य के जिन विशिप्ट पक्षों में सुधार किया जा सकता है वे पहले ही निश्चित नहीं किए जा सकते।

योजना का निर्मित होता हुआ वर्तमान स्वरूप स्पप्टत: कई आदमियों के दिमाग की उपज है। वह व्यक्ति, जिसने सर्व प्रथम योजना की रूपरेखा तैयार की थी, सदैव से ही विपय पर प्राप्त होते रहनेवाले विचारों को व्यवस्थित करनेवाला केन्द्र-विन्दु बना रहा है। अत: यह उचित भी था कि इस अवस्था में वह उम्मीदवारों से सामान्य विपयों पर वार्तालाप करे। चौथे दिन के पूर्वान्ह का अधिकांश भाग संगठित की गई तीन वार्तालाप टोलियों में लगाया गया, जिनसे किए गये वार्तालाप को निम्न लिखित तीन शीर्पकों में रक्खा जा सकता है।

योजना क्या है?

योजना किस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती है?

इस से हम क्या आशायें रख सकते हैं?

इनमें से प्रत्येक शीर्पक पर एक घंटे का समय विचार-विमर्श के लिए रक्खा गया था। उम्मीदवारों के अंग्रेजी-ज्ञान के आधार पर उनकी टोलियां वनाई गई थीं क्योंकि एकाध व्यक्ति में तो इस भाषा के ज्ञान का नितान्त अभाव था। जहाँ तक हो सका, हिन्दी की विभिन्न जन-भापाओं का विभाजन ठीक से किया गया था। इस विभाजन द्वारा भापणों और वादविवादों को स्वतन्त्रतापूर्वक मिली-जुली हिन्दी-अंग्रेजी में वार्तालाप करने की सुविधा प्राप्त हो गई।

प्रत्येक घंटे में हल करने के लिए सामान्य प्रश्न देकर कार्यारंभ किया गया। उम्मीदवारों को उनका लिखित उत्तर देना था। अनुभवी निरी-क्षक ने उनके उत्तरों को लेकर प्रश्नों पर अपने विचारों की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की। यह कार्य इस प्रकार किया गया कि विषय की प्रत्येक

बात स्पष्ट तो कर दी गई, परन्तु जैसा कि साधारण भाषणों में प्रायः देखा जाता है कि उनमें कोई अन्तिम एक निष्कर्ष नहीं निकाला गया। इस प्रकार के प्रत्येक कथन के पश्चात उम्मीदवारों की प्रत्येक टोली ने, जो विचार उसके सामने रखे गये थे, उन पर विचार-विमर्श किया। उम्मीदवारों की टोलियों से कथोपकथन का यह समस्त कार्य हिन्दी या हिन्दुस्तानी में सम्पादित किया गया था। प्रत्येक विषय पर आपस में विचार करने के बाद टोलियों ने अपने अपने प्रवक्ताओं को निश्चित किया। उन्होंने उन निष्कर्षों को सब के सामने रखा, जिन पर उनकी टोली पारस्परिक मतों के आदान-प्रदान के बाद पहुँची थी। प्रत्येक प्रवक्ता ने अनुभवी निरीक्षकों के विचारों की व्याख्या करते हुए अपने अनुभवों को भी प्रकट किया।

इस प्रकार एक घंटे में तीस के लगभग उम्मीदवारों की कक्षा में तीन प्रश्नों पर विचार किया जा सका। प्रत्येक प्रश्नके अनन्तर कथन, विचार-विमर्श तथा प्रवक्ताओं का भाषण हुआ और अन्त में सभी बातों का संक्षिप्त सारांश दिया गया। यह सारांश टोलियों पर नियन्त्रण रखनेवाले अनुभवी व्यक्तियों ने दिया था। इस अवस्था में दस पांच मिनट का समय प्रत्येक उम्मीदवार को इसलिए दिया गया था कि वह उन में अपने मौलिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत अनुभवों को लिख ले, जिन्हें उसने विचार-विमर्श के आरम्भ के समय में अपनी टोली के सामने रखा था। यह विश्वास किया जाता है कि अनुभवी व्यक्तियों की विचार-गोष्ठी में अपनाई जानेवाली यह पद्धति कक्षा-प्रशिक्षण की एक नवीन दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है।

सन्देश-वहन कार्य

सम्पूर्ण पूर्वाह्न तक चलनेवाले इस विचार-विमर्श की ऊब को दूर करने के लिए एक उपयोगी कार्य में प्रत्येक उम्मीदवार की अलग अलग परीक्षा ली गई। प्रत्येक को इस महाविद्यालय के दूसरी ओर तक मौखिक सन्देश पहुँचाने को कहा गया। दूसरी ओर से एक प्रामाणिक प्रति-उत्तर देने का प्रबन्ध पहले ही कर लिया गया था, जिसे उम्मीदवार को अपने टोलीनिरीक्षक के पास तक पहुँचाना था। लिखने की स्वीकृति नहीं थी। अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि कुछ प्रखर बुद्धि के उम्मीदवारों ने भी दोनों ओर के सन्देश वहन में बहुत गड़बड़ी की।

गांव के अनुभवों का मूल्यांकन

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह ठीक नहीं समझा गया कि वह गांव में रात बिताने के सम्बन्ध में अपना अपना विवरण प्रस्तुत करे। इसके स्थान पर हमारे विस्तार कार्य में सर्वाधिक अनुभव प्राप्त एक कार्यकर्ता ने प्रत्येक उम्मीदवार से इस बारे में बात-चीत की, जिसमें उन्हें गांव की स्थिति तथा आपबीती बताने को प्रोत्साहित किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस बात-चीत के समय उम्मीदवारों के अनुभव बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकाश में आये। कदाचित्, दो एक ही सुखपूर्वक रात बिता सके थे। बहुतों की कथा तो ऐसी थी कि सुनकर हंसी आये विना नहीं रह सकती, विशेपकर इनका पारस्परिक विचार-विमर्श वहुत ही महत्वपूर्ण था।

गाना बजाना

उसी दिन सूर्यास्त के उपरान्त थोड़े से संगठन और अभ्यास कार्य के बाद, जो कि गांव में रात बिताने में अतिरिक्त अन्य सभी दिनों में चलता रहा था, उम्मीदवारों के लिए एक घंटे के मनोरंजन की व्यवस्था की गई। प्रथम दिवस के चलचित्र-प्रदर्शन में ही उनको अपनी प्रतिभा-प्रदर्शन का अवसर दिया गया था और एक आदमी को चित्र दिखाने के लिए चुना गया था।

हमें वृत्तिजीवियों के द्वारा प्राप्त होनेवाले उच्च स्तर के मनोरंजन की आशा नहीं थी। हम आशा करते थे कि कुछ थोड़ा सा गायेंगे, कुछ कविता पाठ कर सकेंगे, या लिख सकेंगे, कुछ नाचेंगे और अभिनय करेंगे। हम निराश नहीं हुए। उम्मीदवारों के दोनों दलों ने उक्त दिनों में बहुत सुन्दर कार्य किया। उन्होंनें भी दर्शकों को ऊबने नहीं दिया, जिनमें किसी भी तरह की विशेष प्रतिभा नहीं थी। इस बात का प्रबन्ध किया गया था कि प्रदर्शन के समय में प्रोत्साहन प्रदान करनेवाले शब्दों का प्रयोग न किया जाय, हाँ, प्रदर्शनोपरान्त के सूक्ष्म जलपान के उत्तम समय में वे शन्तिपूर्वक धन्यवाद देने के लिए अवश्यही स्वतंत्र थे।

वस्तुतः दोनों दलों में कुछ उल्लेखनीय प्रतिभाप्राप्त व्यक्ति दिखाई दिये। हमें इसका विश्वास हो गया कि ये गांवसाथी जिन गांवों में रहेंगे, वहाँ काम के साथ मनोरंजन भी कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य किसी के सम्मान में बलपूर्वक परिवर्तन करने का नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि अपने आप स्वेच्छा से कुछ गांवसाथियों ने मनोरंजन का प्रबन्ध कर

अगर गांववालों में मित्रता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की तो हमारा कार्य सुचारु रूप से शीघ्र सम्पादित हो सकेगा।

निर्णायक परि-निरीक्षण (फाइनल इंटरव्यू)

पांचवां दिन एक बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों का परि-निरीक्षण करने में बिताया गया। क्षेत्रीय कार्य के टोली नायक इस बोर्ड के सदस्य थे।

असंदिग्ध रूप से प्रोत्साहन का विषय है कि आरम्भ के इस समय तक, प्रत्येक उम्मीदवार इस स्थिति में था कि वह हमसे इस प्रकार की बात-चीत कर सके, जैसी कि वह अपने बराबरवालों से करता है। उनका यह भय जाता रहा था कि उसे कोई गलत समझेगा या अवसर नहीं दिया जायगा। हममें से जो बोर्ड के सदस्य थे उन्हें लगा कि हम उस प्रत्येक उम्मीदवार के स्वभाव को वास्तव में समझ रहे हैं, जो कि इस योग्य है कि उसे गांवसाथी बनाये जाने पर विचार किया जाय। कृत्रिम वन्धनों की समाप्ति के कारण अन्तिम या निर्णायक परि-निरीक्षण में हम वास्त-विकता का पता लगाने में वहुत अधिक सफल रहे थे।

यहाँ आकर उन पांच दिनों के कार्य का निरीक्षण पूरा हो जाता है जिनके द्वारा हम आमन्त्रण स्वीकार करनेवाले उम्मीदवारों को चुनने में सफल हो सके थे।

आरम्भ के ८०० प्रार्थियों में ८० को आमन्त्रित किया गया, ६० निर्वाचन-पूर्व परीक्षण के लिए तैयार हुए थे और ५८ व्यक्तियों ने पूरे पांच दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें से २७ की नियुक्ति गांवसाथी के स्थान पर कर ली गई। हमें पूर्ण विश्वास है कि वह तीन महीनों के उस प्रार-म्भिक समय में जब कि उनके कार्यों को देख कर स्थान से हटाया जा सकता है अपने को सर्वथा योग्य प्रमाणित कर सकेंगे। इससे भी श्रेष्ठतर यह है कि वह कार्य करने का आनन्द लेने जा रहे हैं और उनमें से प्रत्येक हमारा कार्यरत सहयोगी है।

दोहराने के लिए प्रश्न

पहला अध्याय

१. ग्रामीण भारत की कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें विस्तार को अवश्य हल करना है? क्या उसमें से कुछ भारत के लिए अनोखी हैं?

२. क्या यह सही है कि भारतीय गांवों के पिछड़ेपन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है? यदि हाँ, तो क्यों बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है?

३. क्या इस समय गांव के लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो क्यों? अभी इसमें कौन सी बाधाएँ हैं?

दूसरा अध्याय

१. शिक्षा के परम्परागत प्रयोग में और विस्तार शिक्षा में क्या भेद है ?

२. यह कहाँ तक सत्य है कि ग्रामीण प्रौढ़ अपने घरों, अपनी जीविका और नाटक तथा मनोरंजन में अपनी रुचि से सम्बन्धित कार्यवाहियों के द्वारा अधिक सीखता है?

तीसरा अध्याय

१. विस्तार कार्यकर्ता को ग्रामीण, राज्य, राष्ट्रीय, राजनीतिक दलबन्दी से बिलकुल ही अछूता रहना क्यों जरूरी है? क्या विस्तार सिद्धान्त मे विस्तार कार्यकर्ता के भारतीय नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों पर भी कोई प्रभाव पड़ता है?

२. यदि कोई विस्तार योजना गांववालों की वांछित वस्तुओं और सेवाओं, ऋण या शैक्षिक सुविधा—जैसे गांव में पाठशाला आदि—की पूर्ति का उत्तर-दायित्व लेती है तो कौन सी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं?

चौथा अध्याय

१. विस्तार सिद्धान्त में किन आधारों पर यह कहा जाता है कि गांववालों में अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल करने की क्षमता और साधन सम्पन्नता है? यदि यह ठोस सिद्धान्त है, तो गांव के लोग आगे बढ़ने में अभी तक क्यों असफल रहे?

२. किसी भी विस्तार योजना के कर्मचारियों में आपस में एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और विश्वास की भावना को किस तरह से विकसित किया जा सकता है?

पांचवां अध्याय

१: अच्छे विस्तार कार्यकर्ता की मौलिक योग्यताएँ क्या हैं?

२. 'विस्तार कार्यकर्ता को लोगों की बाबत भली जानकारी होनी चाहिए' इस वक्तव्य का पूरा पूरा अर्थ क्या है?

३. 'विस्तार कार्य में पिल पड़ना है,' इस भावना का क्या अर्थ है?

छठा अध्याय – अ

१. गांवसाथी के विश्वासों के सम्बन्ध में आप की क्या राय है? आप इन में कौन सा हेर-फेर या सुधार चाहते हैं? ऐसे विश्वासों के रखने का लक्ष्य क्या है?

२. कुछ लोगों की राय है कि विस्तार कार्यकर्ता कभी किसी विषय में अपनी अज्ञानता न दिखलाये क्योंकि ऐसा करने से वह गांववालों का विश्वास खो सकता है। आप की क्या राय है?

छठा अध्याय – ब

१. विस्तार कार्यकर्ताओं के चुनाव का ढंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

२. क्या जमुनापार पुनर्निर्माण में कार्यकर्ताओं के चुनाव के ढंग में आप कुछ सुधार और बता सकते हैं?

छठा अध्याय – स

१. इस खण्ड में नौकरी में आने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की वर्णित व्यवस्था से कौन कौन से लाभ हैं?

२. अपनी क्षेत्रीय समस्याओं पर आपसी विचार विनिमय के लिए समय समय पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का जुटना जरूरी है। इस व्यवहार या प्रयोग में कौन कौन से लाभ हैं?

छठा अध्याय – द

१. प्रजातन्त्र का विकास जनता की अपनी भलाई के लिए निर्णय करने की क्षमता पर निर्भर है। प्रशासन के कुछ तरीके किस तरह इसमें बाधक होते हैं?

२. 'अधिकारी' की हैसियत का दबदबा दिखाये बिना ही प्रशासक किस तरह अपने उत्तरदायित्व को संभाल सकता है?

३. विस्तार कार्यकर्ता को प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की बाधा दिए बिना ही अपने काम को पूरा करने की आज़ादी होनी चाहिए। विस्तार के इस सिद्धान्त के विरुद्ध कौन कौन सी आपत्तियां हैं?
४. इस खण्ड में निर्धारित प्रशासकीय ढंगों में कौन कौन से लाभ हैं? समें कौन कौन सी हानियां हैं?

छठा अध्याय – य
१. विस्तार कार्यक्रम का लचीला होना क्यों जरूरी है? इस सिद्धान्त के व्यावहारिक प्रयोगों में कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं?
२. विस्तार को ग्रामीण जनता के समर्थन और सहयोग से ही चलना चाहिए, फिर भी इसे सदैव आगे होना चाहिए। क्या इसमें विरोधाभास है? किस ढंग से विस्तार कार्यक्रम इन दोनों ही बातों की पूर्ति कर सकता है?
३. बहुत सी ग्रामीण योजनाएँ और कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? कोई विस्तार कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में इसका निवारण कैसे कर सकता है?
अ. क्या इस विस्तार सिद्धान्त में कोई विरोध है जिसमें कहा गया है कि विस्तार कार्यकर्ता को एक लचीले कार्यक्रम को विकसित करने और लक्ष्य निर्धारित करने की आज़ादी होनी चाहिए?
ब. विस्तार कार्यकर्ता किस तरह केवल संख्या-सूचक परिणाम में ही सफलता मिलने की गलती से बच सकता है तथा साथ ही अपना लक्ष्य भी पूरा कर सकता है?

छठा अध्याय – र
१. एक ऐसी सेवा (किसी वांछित वस्तु की पूर्ति के लिए) का वर्णन कीजिए जो अनुभूत ग्रामीण साधनों के आधार पर विकसित की जा सके।

सातवां अध्याय – अ
१. कुछ चुने हुए लोगों के साथ ही काम करने के कौन से लाभ और हानियां हैं?
२. विस्तार कार्यकर्ता क्यों कर किसी परिवार या कुटुम्ब को ही महत्व-पूर्ण इकाई मान कर काम करें?

३. गांव के कारीगरों और विशेषज्ञों पर ही विशेष ध्यान देकर विस्तार क्यों कर सारे गांव की सहायता कर सकता है ?

सातवां अध्याय – ब

१. किस तरह एक अच्छा सामूहिक वादविवाद चलाया जाता है ? अच्छे सामूहिक वादविवाद के क्या परिणाम होने चाहिए ?

सातवां अध्याय – स

१. विस्तार किस तरह के गांववालों के स्थिर और परम्परागत तरीकों को जीर्ण शीर्ण कर देता है और उनमें आज़ादी और काम करने के लिए उत्साह भर देता है ?

२. विस्तार कार्यकर्ता किस तरह अपने अवैतनिक सहयोगियों की सहायता से लाभ उठा सकता है ? इस तरीके से कौन कौन सी समस्याएँ उठ सकती हैं ?

सातवां अध्याय – द

१. 'देख लेना' विश्वास दृढ़ करता है इसके क्या कारण हैं ?

२. आप की राय में सभी श्रवण-दृष्टि माध्यमों में सबसे अधिक कौन अधिक प्रभावशाली है और क्यों ?

३. श्रवण-दृष्टि विधियां किसी विस्तार कार्यक्रम में किस तरह योग दे सकती हैं ?

सातवां अध्याय – य

१. फिल्म, फिल्मस्ट्रिप, फ्लेनेलग्राफ, दीवाल ठप्पा, पुतली, नाटक, पोस्टर या फ्लैश-कार्ड आदि श्रवण दृष्टि सहायकों से शिक्षा देने में होनेवाली कुछ साधारण भूलें कौन कौन हैं ?

२. उल्लिखित माध्यमों से विशेष लाभ क्या है ? एक माध्यम एक परिस्थिति में अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयुक्त हो सकता है, इस प्रयोग के उदाहरण बताइये।

३. विस्तार कार्यकर्ता के लिए नीचे लिखी विधियां क्या मूल्य रखती हैं ? प्रदर्शन, नियन्त्रित प्रयोग और संयोजित भ्रमण।

सातवां अध्याय – र

१. एक लेखा-जोखा रखने का क्या महत्व है ? इससे कौन सी हानियां हैं ?

सातवां अध्याय – ल

१. क्या आप इस खण्ड में कुछ जोड़ना चाहते हैं? तो इसमें से कुछ निकालिए। क्या आप इस खण्ड के किसी विषय में कुछ बढ़ा सकते हैं, यदि हाँ, तो उसके कारण बताइये?

आठवां अध्याय

१. विस्तार कार्यकर्ता गांववालों में जिन नये तरीकों का प्रचार कर रहा है उनमें अन्तर्निहित वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी उसके लिए जरूरी क्यों है?

२. गांववालों की विचारधारा किस ओर बह रही है और इसमें क्या नई धारायें पैदा हो सकती हैं, इसके बाबत विस्तार कार्यकर्ता किस तरह अपनी जानकारी बढ़ा सकता है?

निष्कर्ष

१. वह कौन सी विश्वक्रान्ति है जो सारे संसार के लोगों के परम्परागत रहन-सहन के ढंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर रही है?

२. पूर्वी और पश्चिमी लोगों के जीवन-स्तर में इतना अधिक भेद होने के क्या कारण हैं?

३. पश्चिमी देशों की सम्पन्नता के साथ पूर्व की गरीबी बढ़ती रही, विस्तार-पूर्व की इस निरन्तर बढ़ती हुई गरीबी का रुख कैसे बदल सकता है?

४. ग्रामीण भारत में जो अनिवार्य परिवर्तन हो रहे हैं, विस्तार उन्हें क्यों कर रचनात्मक पहलू की ओर मोड़ने का दावा कर सकता है?

—oo—

अनुक्रमणिका